दशम माला, खंड 9 अंक 13

बुधवार 11 मार्च, 1992
21 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

63
4.2.93

(खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 11 मार्च, 1992/21 फाल्गुन, 1913 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
72	9	"डा0अनीस बाला" के स्थान पर "डा0असीम बाला" पढ़िये।
73	नीचे से 7	"श्री रार पूजन पटेल" के स्थान पर "श्री राम पूजन पटेल" पढ़िये।
143	4	पंक्ति 4 के स्थान में इस प्रकार पढ़िये : "(ग) ये पद कब तक भरे जाने की संभावना है"।
143	8	पंक्ति का लोप कर दिया जाये।
178	11	"(ग) और (ख)" के स्थान पर "(ग) और (घ)" पढ़िये।
209	1	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
232	10	(क) के स्थान पर "(क) और (ख)" पढ़िये।
249	नीचे से 10	"श्री महेश धनोजिया" के स्थान पर "श्री महेश कनोडिया" पढ़िये।
265	3	"डा0लत्मी नारायण पाण्डेय" के स्थान पर "डा0लक्ष्मी नारायण पाण्डेय" पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 9, तीसरा सत्र, 1992/1913 (शक)

अंक 13, बुधवार, 11 मार्च, 1992/ 21 फाल्गुन, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 205 से 210	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—309
तारांकित प्रश्न संख्या : 211 से 223	24—37
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2334 से 2349, 2351 से 2372, 2374 से 2382, 2384 से 2397, 2399 से 2437, 2439 से 2483, 2485 से 2501, 2503, 2504 और 2506 से 2568	37—309
सभा पटल पर रखे गए पत्र	309—314
प्राक्कलन समिति	
ग्यारहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	315
अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हाजोंग आदिवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के बारे में याचिका	315
नियम 377 के अधीन मामले	315—319
(एक) कोचीन में एक नए हवाई अड्डे का निर्माण करने की आवश्यकता	
श्री पी० सी० चाको	315
(दो) कर्नाटक में "बाल्मीकि" और "बोया" जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता	
श्री गंगाधरा सानीपल्ली	316

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) आंवला, उत्तर प्रदेश में एक तेल डिपो का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता	
श्री राजबीर सिंह	316
(चार) कृषि और ग्रामीण सहकारी ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत गुजरात सरकार को धनराशि दिए जाने की आवश्यकता	
श्री काशीराम राणा	317
(पांच) पूरे देश में शीत भांडागारों में आलू के भण्डारण के लिए एक समान दर नियत किए जाने की आवश्यकता	
श्री मंजय लाल	317
(छः) बिहार के सहरसा जिले में एक उच्च शक्ति का टी० वी० ट्रांसमीटर तथा सुपौल में कम शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सूर्य नारायण यादव	318
(सात) कालीकट से शारजाह तक विमानों की उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता	
श्री ई० अहमद	318
(आठ) डीजल चालित जेनरेटरों द्वारा विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कर्नाटक विद्युत परिषद को एल० एस० एच० एस० ईंधन आबंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री ओस्कार फर्नान्डीज	318—19
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
पांचवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	319
लोक दायित्व बीमा (संशोधन) अध्यादेश, 1992 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
लोक दायित्व बीमा (संशोधन) विधेयक	319—374
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	320

विषय	पृष्ठ
श्री कमल नाथ	321—23 और 339—40
श्री ए० चार्ल्स	323
श्री वी० धनंजय कुमार	326
श्री रूपचन्द पाल	328
श्री प्रफुल पटेल	331
श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या	333
श्री जार्ज फर्नान्डीज	334
श्री विजय एन० पाटील	337
प्रो० रासा सिंह रावत	341
श्री पी० सी० थामस	351
श्री कमला मिश्र मधुकर	352
श्री ए० अशोकराज	354
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण	355
श्री सैयद शाहाबुद्दीन	358
श्री अजय मुखोपाध्याय	360
लोक दायित्व बीमा (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	
वापस लिया गया	
लोक दायित्व बीमा (संशोधन) विधेयक	
खण्डवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री कमल नाथ	372—74
कार्य मंत्रणा समिति	
बारहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	375

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की हत्या से सम्बन्धित वीडियो केसेट्स

श्री एस० बी० चव्हाण 375—76

रेल बजट, 1992-93—सामान्य चर्चा

रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के बारे में संकल्प

अनुदानों की मांगें (रेल), 1992-93

और

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1991-92

श्री सी० के० जाफर शरीफ 376—82

लोक सभा

बुधवार, 11 मार्च, 1992/21 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोकिंग कोयला

[अनुवाद]

*205. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने कोयले का आयात किया गया;

(ख) वर्ष-वार उसकी लागत कितनी थी;

(ग) क्या बिहार में कोकिंग कोयले के पर्याप्त भण्डार उपलब्ध हैं;

(घ) क्या इन भण्डारों का पूरी तरह दोहन किया जा रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) देश में कोकिंग कोयले की कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितना समय लगने की सम्भावना है?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (छ) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) इस सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	इस्पात संयंत्रों द्वारा आयातित की गई कोककर कोयले की मात्रा	अनुमानित कीमत (एफ० ओ० बी० कीमत के आधार पर)
1	2	3
1988-89	4.49 मिलियन टन	2.7 मिलियन अमरीकी डालर

1	2	3
1989-90	4.66 मिलियन टन	243 मिलियन अमरीकी डालर
1990-91	5.72 मिलियन टन	310 मिलियन अमरीकी डालर

(ग) से (छ) भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा दिनांक 1-1-1992 की स्थिति के अनुसार बिहार में विभिन्न प्रकार के कोककर कोयले के 26,289 मिलियन टन भण्डार होने का अनुमान लगाया गया है और बिहार में झरिया कोयला क्षेत्र उत्तम कोककर कोयले का एकमात्र स्रोत है। कोककर कोयले भू-गर्भीय भण्डार जबकि काफी मात्रा में उपलब्ध हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में भू-खनन, प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक ढांचा सम्बन्धी बड़ी समस्याएं विद्यमान हैं जैसे, आंशिक रूप से उत्खनन की गई पुरानी भूमिगत खानें, आगों का होना तथा समीप के क्षेत्रों में से जल भरी खानें, ग्रामों, टाउनशिप तथा अन्य विनिर्मित ढांचे और नालें तथा नदिका, जिनका स्थानान्तरण अपेक्षित है अथवा उनका सर्वेक्षण जो कि झरिया कोयला क्षेत्र में कोककर कोयला खानों के तेजी से विकास किए जाने के मामले में आड़े आ रहे हैं। यह समस्याएं कोककर कोयला भण्डारों के कम मात्रा में (सब-आपटिमल) उत्खनन किए जाने के परिणामस्रूप सामने आई है।

इस सम्बन्ध में, अन्य बातों के अलावा, कोककर कोयले की देशीय उपलब्धता में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों में से, कुछ कदम नीचे दिए गए हैं :—

(1) विद्यमान खानों का पुनर्गठन करके और नई खानों को विकसित करके कच्चे कोककर कोयले की उपलब्धता में वृद्धि किया जाना।

(2) कोककर कोयला स्रोतों का सुदृढ़ीकरण, जो कि गुणवत्ता के कारण वर्ष 1984-85 में वाशरियों असंयोजित कर दिए गए थे।

(3) विद्यमान धुलाई क्षमता में वृद्धि किए जाने के लिए मधुबन तथा केडला में (प्रत्येक स्थान पर एक वाशरी) 2 नई वाशरियों को चालू करना।

(4) क्षमता उपयोगिता तथा धुले कोककर कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए एस्लेकर समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन द्वारा विद्यमान कोयला वाशरियों में संशोधन।

(5) मेघालय और असम में कोककर कोयला खानों को विनिर्दिष्ट किया जा रहा है ताकि कम राख वाले कोककर कोयले की उपलब्धता की मात्रा में वृद्धि की जा सके।

इन उपायों को क्रियान्वित किए जाने से इस्पात संयंत्रों द्वारा आयात किए जाने वाले कोककर कोयले की मात्रा में धीरे-धीरे कमी आ जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल प्रश्न के भाग (सी) में पूछा था कि क्या

बिहार में कोकिंग कोयले के पर्याप्त भण्डार उपलब्ध हैं, और क्या उन भण्डारों का पूरी तरह दोहन किया जा रहा है, या नहीं, इसके उत्तर में मन्त्री महोदय ने स्वीकार तो किया है और भण्डार की क्षमता भी बतायी है कि झरिया कोयला खानों में लगभग 26,289 मिलियन टन कोयला उपलब्ध है और झरिया ही ऐसा क्षेत्र है जो सर्वोत्तम कोकिंग कोल में अपना सानी नहीं रखता है। वैसे कुछ कोकिंग कोल बंगाल में भी पाया जाता है परन्तु इसके दोहन के उपायों के सम्बन्ध में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शिथिलता बरती जा रही है। अल्टेकर कमेटी ने कहा था कि कोकिंग कोयले के महत्व को देखते हुए, जहां भी कोयले में, कुछ प्रतिशत भी मात्रा कोकिंग कोल की हो, कोकिंग कोयले की कुछ भी क्षमता हो, वहां वाशरीज के द्वारा कोकिंग कोल बनाकर, उसका अधिकतम उपयोग करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आपको प्रश्न पूछना है, ऐसे नहीं चलेगा। आप सिर्फ प्रश्न पूछिए।

श्रीमती गिरिजा देवी : मैं प्रश्न पर ही आ रही हूं। अल्टेकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हमारे यहां बिहार में अनेक वाशरीज लगायी जानी थीं, उसमें से कितनी वाशरीज लगाई जा चुकी हैं और कितनी अभी और लगाई जानी हैं। यदि अभी तक वहां वाशरीज नहीं लगाई गई हैं तो कब तक लगाई जायेंगी। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी जानना चाहती हूं कि वहां जितनी पुरानी वाशरीज हैं, उनकी क्षमता बढ़ाने की दिशा में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है।

[अनुवाद]

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, यह सच नहीं है कि हम कोकिंग कोयले के उत्पादन में पर्याप्त रुचि नहीं ले रहे हैं। अब तक देश में 41 कोकिंग कोयले की परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिसमें लगभग 900 करोड़ रुपए का अनुमानित पूंजीनिवेश किया गया है। परन्तु यह सच है कि हम अपने देश में उपलब्ध कोकिंग कोयले के भण्डारों का पूर्ण उपयोग करने में समर्थ नहीं हुए, क्योंकि हमारे समक्ष अनेक समस्याएं हैं। एक मुख्य समस्या झरिया खान के अन्दर आग की है जिसके समाधान का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा दल इस बारे में अध्ययन करने के लिए तथा इस प्रौद्योगिकी का पता लगाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका गया था। वह दल वापस आ गया है तथा हमने झरिया खान के भीतर आग के कारण का पता लगाने के लिए एक पृथक संगठन का भी गठन किया है। अमरीकी विशेषज्ञों तथा विश्व बैंक के दल ने भी उस स्थान का दौरा किया है। अतः हम इस पर कार्य कर रहे हैं।

जहां तक धोवनशालाओं सम्बन्ध है, इस समय हमारे यहां 15 धोवनशालाएं है जिनकी क्षमता लगभग 300 लाख टन है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि इस क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया। हम और अधिक धोवनशालाओं की स्थापना का भी प्रयास कर रहे हैं। परन्तु निकट भविष्य में हम केवल दो और धोवनशालाओं की स्थापना करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि कितने समय में आप वाशरीज स्थापित करने जा रहे हैं क्योंकि अल्टेकर कमेटी को बने हुए इतना लम्बा समय बीत चुका है। तीस मिलियन टन क्षमता की वाशरीज हमारे यहां बनी हुई हैं, कितने दिनों से विलम्ब हो रहा है। कितने समय से

हम अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को खत्म कर रहे हैं जबकि हमारे यहां सामान है, बिहार में ही, परन्तु इस ओर ध्यान दिया नहीं जा रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि कब तक सरकार इस काम को पूरा करेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समय बता सकते है ? आप यह कार्य कब तक कर देंगे ?

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, अल्टेकर कमेटी ने तीन प्रकार की सिफारिशें की हैं। एक तत्काल उपायों के बारे में है अर्थात अल्पावधि उपाय हैं, जो किए जाने हैं। दूसरा मध्यम अवधि उपायों तथा तीसरा दीर्घकालीन उपायों से सम्बन्धित है। जहां तक अल्पावधि और मध्यम अवधि उपाय, जिनकी अल्टेकर कमेटी द्वारा सिफारिश की गई है, का सम्बन्ध है, हमने कार्यवाही की है। परन्तु सिफारिश का तीसरे भाग में धोवनशालाओं की स्थापना का कार्य शामिल है और मेरे लिए यह बताना बहुत मुश्किल होगा कि इन धोवनशालाओं की स्थापना कब तक हो जाएगी।

श्री गंगाधरा सानीपल्ली : मैं माननीय मन्त्री जी से उन देशों के नाम जानना चाहता हूं जहां से कोकिंग कोयले का आयात किया जाता है। क्या हमारे परम्परागत सप्लायरों के अतिरिक्त किसी मध्य एशियाई गणराज्य अर्थात आस्ट्रेलिया को भी प्रस्ताव भेजा गया है ?

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आप दूसरा सप्लीमेंट्री भी नहीं पूछने दे रहे हैं। यह बिहार का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए कृपया मुझे प्रश्न करने की अनुमति दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया हम यह समझ लें कि सभा में 542 सदस्य हैं। केवल एक घण्टे का समय उपलब्ध है और एक घण्टे में केवल 60 मिनट होते हैं यदि मैं यह सदस्य को एक मिनट का समय दूं तो भी केवल 60 सदस्य ही प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको बहुत सोच-समझ कर प्रश्न पूछने चाहिए। आप सब 60 मिनट के समय में सभा को अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, हम जर्मनी, नार्वे, ब्रिटेन, जापान, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पोलैंड, चीन तथा सोवियत रूस से कोयले का आयात करते हैं। परन्तु अधिकांश मात्रा में कोकिंग कोयले का आयात आस्ट्रेलिया से किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री भूषण पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि बिहार में कोकिंग कोल के नए भण्डारों का पता लगाया गया है यदि लगाया गया है, तो वे कहां हैं और सरकार उन पर कब से काम शुरू करेगी ?

श्री सुरेश मण्डल : मैं आपको बता देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सूरज मण्डल प्रश्न के रूप में कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं।

श्री पी० ए० संगमा : मैंने पहले ही कहा है कि हमारे देश के 29 बिलियन टन कोकिंग कोयला भण्डारों में से, 26 बिलियन टन भण्डार बिहार में हैं। यह मुख्यतया झरिया क्षेत्र में है जो 17 कि०मी० तक फैला है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मण्डल जी आपको कुछ स्पेसिफिक जानकारी देना चाहते हैं।

श्री सूरज मण्डल : मध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कोकिंग कोल जो आस्ट्रेलिया और चायना से मंगाया जा रहा है, उसकी कीमत दो हजार रुपए से तीन हजार रुपए प्रति टन पड़ती है और झरिया तथा जरीडीह ब्लाक में जो कोयला ओपन कॉस्ट करेगा, वह बी० सी० सी० एल० ने सर्वे किया है, अगर वह निकाला जाता है, तो 1000 रुपए प्रति मीट्रिक टन पड़ेगा। इस प्रकार यदि उस कोयले को वहां से निकाला जाए, तो विदेशी मुद्रा की जो ये बचत की बात करते हैं, वह होती और अभी ये 1988-89 की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मण्डल जी मैंने आपसे प्रश्न पूछने के लिए कहा है। आप दूसरों का टाइम ले रहे हैं, इसलिए कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री सूरज मण्डल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं बता रहा हू कि 85 से कोयले का आयात कर रहे हैं, जब कि हमारे यहां एक हजार रुपए प्रति टन कोयला निकल सकता था, फर्स्ट लेयर के बाद सैकिंड लेयर में कोकिंग कोल मिलता है, उसको न निकालकर, जो मात्र एक हजार रुपए प्रति टन कॉस्ट करेगा, सरकार तीन हजार रुपए प्रति टन बाहर से कोकिंग कोल मंगवा रही है, इसका क्या कारण है तथा दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि कोकिंग कोल का प्रोडक्शन करने का लक्ष्य बी० सी० सी० एल० ने 16 हजार तथा सी० सी० एल० ने 9 हजार टन रखा है, उसके हिसाब से पर डे 9 हजार टन होता है, लेकिन इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और अफसरों पर पैसा खर्च हो रहा है, तो विदेश से कोयला आयात न कर के विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए झरिया और जरीडीह में जो कोकिंग कोल का ओपन कास्ट कर के, जो सी० सी० एल० का जरीडीह में है, 100 टन का, उसको स्टार्ट कर के, वहां से प्रोडक्शन करके, विदेशी मुद्रा को बचाने का सरकार का क्या कोई विचार है ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, हमारा आयात करने का कारण बहुत स्पष्ट है और वह यह है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन नहीं कर सकते इसलिए हमें उसे दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हू, कि अपने देश को कोकिंग कोयले के उत्पादन में आत्म-निर्भर बनाने के लिए सभी तरह के प्रयास करने चाहिए और यही हमारा लक्ष्य है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हमारे यहां लगभग 900 करोड़ रु० की लागत की लगभग 41

परियोजनाएं चल रही हैं। हमें आशा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोकिंग कोयले का उत्पादन पर्याप्त रूप से बढ़ेगा। हम पूर्वोत्तर राज्यों में कोकिंग कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने जा रहे हैं। यद्यपि मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में कोकिंग कोयले के बड़े भण्डार हैं, तथापि हमने अभी तक पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर दबाव नहीं डाला है। अब, हम पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तीन परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं। एक असम में बारगोलाई में है और दूसरी अरुणाचल प्रदेश में नानचिक में है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि कोकिंग कोयले के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो, जिसके परिणामस्वरूप हमारे आयात में काफी कमी आएगी।

प्रदूषणकारी औद्योगिक पदार्थ

[हिन्दी]

+

*206. **श्रीमती लीला गौतम :**
श्री राजेश कुमार :

क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन मिल श्रमिकों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है जो बड़े शहरों में उद्योगों द्वारा छोड़े जाने वाले पदार्थों तथा रुई की गर्द, धुआं तथा अम्ल के कुप्रभावों के कारण रोगग्रस्त रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए है ?

[अनुवाद]

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

1. रुई की गर्द रसायन को मिस्ट और धुआं तथा कार्बन मोनोआक्साइड, नाइट्रिक आक्साइड और सल्फर डाइआक्साइड जैसे धुएं के कतिपय अवयव श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। काम के वातावरण मे उपरोक्त प्रदूषित पदार्थों के अत्यधिक अनावरण से श्रमिकों को बचाने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबन्धों में अनावरण की अनुज्ञेयता सीमा निर्धारित की गई है।

2. उपलब्ध सूचना के अनुसार रुई गर्द से प्रभावित सूती कपड़ा उद्योग के श्रमिकों के बीच केन्द्रीय श्रम संस्थान, बम्बई (सी० एल० आई०), और राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान (एन० आई० ओ० एच०), अहमदाबाद ने कुछ अध्ययन किए थे। के० ई० एम० अस्पताल तथा एम० जी०

एम० अस्पताल, बम्बई के सहयोग से केन्द्रीय श्रम संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन से श्रमिकों के बीच अलग-अलग बिसिनोसिस (फेफड़े की बीमारी) की प्रतिशतता का पता चलता है। एन० आई० ओ० एच० द्वारा किए गए सर्वेक्षण से भी पता चलता है कि कताई क्षेत्र के श्रमिकों में बिसिनोसिस की घटनाओं का प्रतिशत 6.3 है। कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत बिसिनोसिस भी अधिसूचनीय बीमारी है।

3. इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम करने वाले कारखानों में केन्द्रीय श्रम संस्थान द्वारा किए गए कुछ सर्वेक्षणों से पता लगा कि कार्य वातावरण में क्रोमिक एसिड वाष्प का स्तर अनावरण की अनुज्ञेयता सीमा के अन्दर था।

4. कानूनी तौर पर सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कारखाने के मालिक पर है। अधिनियम के अन्तर्गत पूर्ण अनुपालन के लिए राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिम्मेदार हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि भारतवर्ष में इस प्रकार की कितनी मिलें हैं जो घनी आबादी के बीच स्थित हैं, जिसमें जनता का कुप्रभाव पड़ता है तथा उन मिल मालिकों के प्रति सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? सवाल का जवाब सही मिलना चाहिए, टरकाने वाला नहीं।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह चाटोवार : अध्यक्ष महोदय, जो मिलें पर्यावरण प्रदूषण फैलाती हैं, उससे सम्बन्धित मामला पर्यावरण मन्त्रालय के अन्तर्गत आता है। श्रम मन्त्रालय में हम कारखाने के परिसर में कामगारों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। महोदय, प्रदूषण फैलाने वाली ऐसी मिलों के सही आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि आप आंकड़े एकत्र करके माननीय सदस्य को भेज देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : सही जवाब नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : यह ऐनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के पास होगा।

श्रीमती शीला गौतम : घनी आबादी के बीच जो मिलें स्थित हैं क्या सरकार उन्हें आबादी से बाहर ले जाने पर विचार कर रही है और मिल मालिकों को ऐसे उपकरण देने के लिए प्रेरणा दे रही है जिससे सम्भावित बीमारियों को रोका जा सके ?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि श्रम मंत्रालय में हम यह नहीं देखते कि उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह भी श्रम मन्त्रालय का कार्य देख रहे हैं।

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, औद्योगिक कामगारों की सुरक्षा और व्यावसायिक बीमारियां निस्संदेह हम सभी के लिए चिन्ता का विषय है। मैं यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि दुर्भाग्य से हम स्थिति की गम्भीरता का अनुमान नहीं लगा पाए। जैसा हमने मुख्य उत्तर में बताया था। केन्द्रीय श्रम संस्थान ने काफी पहले 1976 में एक सर्वेक्षण किया था। यह पहली बात है।

दूसरी बात है कि राष्ट्रीय व्यवसायजनित रोग संस्थान ने 1983 से 1986 तक एक नमूना सर्वेक्षण किया था। इसके अतिरिक्त इस समस्या के बारे में कुछ जान नहीं पाए।

वर्ष 1987 में हमने यह निर्णय किया कि ई० एस० ई० आई० सी० को भी इस कार्य को करना चाहिए परन्तु उन्हें इस व्यवसायजनित रोग से ग्रसित रोगियों औद्योगिक श्रमिकों का इलाज करने का कार्य सौंपा गया।

हमने मद्रास में एक अस्पताल स्थापित किया है एक दूसरा अस्पताल दिल्ली में शुरू किया जाएगा। हम कलकत्ता तथा बम्बई में भी अस्पताल स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं। परन्तु महोदय मैं इस बात को स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता हूं···

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या शहर के बीच से उद्योगों को बाहर स्थानांतरित करने की आपकी कोई योजना है?

श्री पी० ए० संगमा : नहीं। यह हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद।

श्री ई० अहमद : मैं उद्योग मन्त्री से एक आज प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री राजेश कुमार : महोदय···

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। अब श्री राजेश कुमार बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब सरकार का आया है, उसमें कहा है कि श्रमिकों के बारे में हम सर्वेक्षण कराएंगे। जो सर्वेक्षण हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि सर्वेक्षण के दरम्यान फेफड़ों की बीमारी का पता चला है। मैं सरकार से सरकार से जानना चाहता हूं कि कितने श्रमिकों को फेफड़ों की बीमारी हुई है और राज्यवार जहां-जहां बड़ी-बड़ी मिलें हैं, उनका ब्यौरा क्या है व इसका उपचार क्या है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास आंकड़े हैं तो आप कृपया उन्हें दें। अन्यथा आप आंकड़े इकट्ठा करें और इसे उन्हें दें।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैं आंकड़े इकट्ठा करूंगा और इसे सदस्य को दूंगा। परन्तु इस मामले में राज्य की सरकारें प्रवर्तनकारी एजेंसियां हैं।

श्री ई० अहमद : मैं न सिर्फ मिल मजदूरों बल्कि देश के फैक्ट्री श्रमिकों को भी प्रभावित करने वाला एक सामान्य प्रश्न पूछना चाहूंगा।

महोदय, फैक्टरियों में चूना पत्थर की भट्ठियां हैं जिसमें श्रमिक काम कर रहे हैं। उनके साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरा भी है। हाल ही में देश के एक काफी प्रमुख पत्रिका फ्रंटलाइन ने कुछ तस्वीरें छापी हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या भूतपूर्व उद्योग मन्त्री प्रश्न पूछेंगे ?

श्री ई० अहमद : महोदय, यह देश की एक गंभीर समस्या से सम्बन्धित मामला है इसीलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद आप कृपया इस बात को समझें कि समय काफी सीमित है। सदस्यों की संख्या काफी अधिक है और आपको काफी संक्षेप में बोलना होगा।

श्री ई० अहमद : मैं काफी संक्षेप में बोलूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की ऐसी कोई व्यापक परियोजना या योजना है विशेषकर चूना पत्थर भट्ठा तथा मिल मजदूरों के लिए जो श्रमिकों को इन खतरों से बचने में मदद करें जब वे इन कारखानों में काम कर रहे हैं। यदि हां, तो किस प्रस्ताव पर सरकार श्रमिकों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य दोनों के लिए विचार करने जा रही है या विचार कर रही है ?

श्री पी० ए० संगमा : जैसाकि मेरे उप मन्त्री महोदय ने बताया है ये सभी बातें फैक्ट्री अधिनियम 1948 से नियंत्रित होती हैं। हमें वहां होने वाले व्यावसायजनिक रोगों की जानकारी है, परन्तु व्यावसायजनिक रोज की रोकथाम सहित फैक्ट्री अधिनियम को लागू करने वाला सक्षम अधिकारी राज्य सरकार है, न कि केन्द्रीय सरकार।

फिर भी, मैं समझता हूं कि हमें कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। मैंने यह प्रस्ताव किया है कि शीघ्र ही हम उद्योग मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा शहरी विकास मन्त्रालय की एक बैठक आयोजित करेंगे तथा उनके साथ इस समस्या पर चर्चा करेंगे।

राजस्थान में सीमेंट संयंत्र

[हिन्दी]

*207. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया को चूना पत्थर की कितनी खानें पट्टे पर दी गई हैं;

(ख) क्या सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने इन खानों से प्राप्त चूने के पत्थर का उपयोग करने हेतु राजस्थान में सीमेंट के संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी कई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना की क्षमता क्या होगी;

(घ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) जिला चित्तौड़गढ़ में सीमेंट करपोरेशन आफ इंडिया के पास दो चूना पत्थर खनन क्षेत्र पट्टे पर हैं ।

(ख) और (ग) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया ने इन खानों से प्राप्त चूना पत्थर का उपयोग करने के लिए शंभुपुरा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में प्रति वर्ष एक मिलियन टन क्षमता वाला सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ।

(घ) से (छ) जी, नहीं । निधियों की कमी के कारण इस प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया जा सका ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी से पहला प्रश्न यह पूछता हूं कि भारत सरकार के पास यह परियोजनाएं कब से स्वीकृति हेतु विचाराधीन पड़ी थीं और इन प्लाण्ट्स की क्या क्षमता थी ? यह मेरा पहला सवाल है, आप कृपा करके उत्तर दीजिएगा ।

[अनुवाद]

श्री पी० के० चुंगन : वास्तव में, सी० सी० आई० ने करीब 20.48 वर्ग कि० मी० क्षेत्रफल में सर्वेक्षण किया है; और उसके बाद लगभग 9.87 वर्ग किलोमीटर की जांच की गई और फिर पता चला कि लगभग 96.06 मिलियन टन चूना पत्थर उपलब्ध है । अतः 1983 में सी० सी० आई० ने उस क्षेत्र में एक मिलियन टन का संयंत्र लगाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था । उसके बाद जैसाकि मैंने पहले बताया है सातवीं योजना में धन की कमी के कारण इसकी स्थापना नहीं की जा सकी । तथापि सदस्य

महोदय के लिए यह जानना उपयोगी होगा कि एक प्रस्ताव फिर योजना आयोग के पास भेजा गया है और योजना आयोग इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या आठवीं योजना के दौरान हम यह संयंत्र स्थापित कर पायेंगे या नहीं ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मन्त्री जी से स्पैसिफिक पूछा है कि यह परियोजनाएं सरकार के पास कब से स्वीकृति हेतु विचाराधीन पड़ी हैं, इस बात का आपने उत्तर नहीं दिया···

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे प्रश्न का उत्तर न ही मांगें तो अच्छा है । ऐसा नहीं रहता है । आप बिलावजह आपका दूसरा चांस भी प्रश्न का टाले दे रहे हैं···

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा चांस यों नहीं मारा जा रहा कि कब से राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के पास···

अध्यक्ष महोदय : भार्गव जी, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं । आप दूसरे प्रश्न पर आइए । स्टेटिस्टिक्स आपको वह लेकर दे देंगे ।

[अनुवाद]

आप इन्हें बाद में आंकड़े लिखकर दे दें ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इन योजनाओं की स्वीकृति नहीं देने के कारण राजस्थान सरकार को, अब हो सकता है 5 अगस्त तक अभी तक केन्द्रीय सरकार के पास योजनाएं पड़ी हुई हैं और पड़ी रहें, उनकी स्वीकृति नहीं देने के कारण राजस्थान सरकार को कितनी रायल्टी और अन्य जो सुविधाएं मिलतीं, उसका अखिरकार कितना नुकसान हुआ है, यह भी बता दें ?

अध्यक्ष महोदय : फिर स्टेटिस्टिक्स पर आ गए आप ।

[अनुवाद]

यदि आपके पास जानकारी है तो आप उन्हें दे दें ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : राजस्थान सरकार की योजनाएं भारत सरकार के पास पड़ी हैं, भारत सरकार उनको क्लियर नहीं कर रही तो आखिरकार आप मुझे बताइएगा कि यह कब तक उन को क्लियर कर देंगे ? करेंगे या नहीं करेंगे ? नहीं करना था तो थोड़े समय में, महीने दो महीने में बता देते कि हमको क्लियर नहीं करना है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती । इसका वह उत्तर दे ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका पहले जवाब दे दीजिए ।

[अनुवाद]

श्री पी० के० चुंगन : हम राजस्थान सरकार की सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि हमने पहले ही लगभग 30 लाख रुपए जांच और सर्वेक्षण आदि पर खर्च किए हैं । अत: जैसाकि गिरधारी लाल भार्गव ने आरोप लगाया है, हमारा इरादा राजस्थान सरकार के राजस्व का नुकसान करना बिल्कुल नहीं है । आपकी जानकारी के लिए दी जाने वाली रायल्टी 25 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से दी जाती है ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर मुझे नहीं मिला है ।

श्री अयूब खां : जैसा आप जानते हैं किराजस्थान इण्डस्ट्रीज के लिहाज से काफी पिछड़ा हुआ है । मन्त्री महोदय ने अभी जवाब दिया कि फण्ड्स की कमी के कारण से हम इन प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति नहीं दे सके तो क्या मैं मन्त्री जी से यह पूछ सकता हूं कि राजस्थान में कितनी सीमेंट फैक्टरियां हैं और उनमें से कितनी काम कर रही हैं और कितनी काम नहीं कर रही हैं ? अगर काम कर रही है तो उनमें कब तक काम चालू करने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी० के० चुंगन : महोदय, प्रश्न सी० सी० आई० का है । अत: मैं जवाब दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : हर बार मुझे यह न कहना पड़े कि यह प्रश्न का हिस्सा नहीं है । कभी-कभी आप भी कह सकते हैं ।

श्री पी० के० चुंगन : जहां तक राजस्थान की सभी सीमेंट फैक्ट्रियों का सवाल है तो ये आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं । परन्तु जहां तक सी० सी० आई० का सम्बन्ध है, मैं इन्हें अभी दे सकता हूं ।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि चित्तौड़गढ़ जिले में दो खान के पट्टे हैं ।

जवाब से यह पता चलता है कि शम्भूपुरा खान पट्टा या तो वापस कर दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है । दूसरे, खान पट्टे का क्या है ? क्या आपने खान के दोनों पट्टे समाप्त कर दिए हैं और इन्हें राजस्थान सरकार को वापस कर दिए हैं ? क्योंकि आप अनावश्यक रूप से उत्पादन क्षमता की बात कर रहे हैं ।

दूसरे आप खान के इन पट्टों पर पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं और पहले ही सर्वेक्षण, आदि पर लगभग 30 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं । आपने रायल्टी तथा पट्टे की धनराशि का राजस्थान

सरकार को भुगतान करने पर कुछ धनराशि खर्च की होगी। वह धनराशि कितनी है ? आप इन पट्टों को कब वापस कर रहे हैं और राजस्थान सरकार को आप कितनी धनराशि दे चुके हैं ?

श्री पी० के० चुंगन : जहां तक खान पट्टों संख्या 1 और 2 का सम्बन्ध है खान पट्टा संख्या 1 मैसर्स सीताराम जी का खरिया गांव में है और खान पट्टा संख्या 2 मैसर्स बमनिपा गांव में है। पट्टा संख्या 1 का क्षेत्रफल 987 हेक्टेयर है और यह पट्टा 8-7-1982 से लिया गया था। खान पट्टा संख्या 2 का क्षेत्रफल 436.25 हेक्टेयर है। इसको 26-2-1988 से पट्टे पर दिया गया था।

जहां तक ऐसे पट्टा क्षेत्रों का सम्बन्ध है, रायल्टी दी जाती है मैंने पहले ही बताया है कि यह 25 रु० की दर से दी जाती है।

श्री बसवन्त सिंह : क्या अब आपने इन पट्टों को छोड़ दिया है ?

श्री पी० के० चुंगन : जहां तक छोड़ने का सवाल है, हमने अभी तक इसे छोड़ा नहीं है। राजस्थान सरकार ने हमें लिखा है कि वह पट्टा समाप्त करना चाहती है। परन्तु हमने इसकी पुनरीक्षा की है और अब यह मामला खान विभाग में है।

गुजरात के ताप बिजलीघर

[अनुवाद]

+

*208. **श्री हरि सिंह चावड़ा :**
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष गुजरात के ताप बिजलीघरों के लिए कितनी मात्रा में कोयले की आवश्यकता रही;

(ख) क्या सरकार का विचार इन ताप बिजलीघरों को समय पर कोयले की सप्लाई करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार करने का है;

(ग) क्या सरकार इसकी सप्लाई एवं भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रस्ताव से सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ङ) इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुमानों के अनुसार गुजरात के 5 तापीय विद्युत गृहों के लिए वर्ष 1991-92 के सम्बन्ध में उत्पादन लक्ष्य 10.90 मिलियन टन है, जबकि इसकी तुलना में संयोजन 14.505 मिलियन टन का उपलब्ध कराया गया है। उपर्युक्त विद्युत गृहों के लिए कोयले का संयोजन वर्ष 1989-90 और वर्ष 1990-91 की क्रमशः 11.82 और 12.72 मि० टन की मांग पर आधारित है।

(ख) विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति किए जाने की कार्रवाई योजना, इस प्रयोजन से सरकार द्वारा स्थापित स्थाई संयोजन समिति (अल्पावधि) द्वारा तिमाही आधार पर तैयार की जाती है। इन सभी विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति पर दैनिक आधार पर निगरानी रखी जाती है और अपेक्षानुसार तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ङ) चूंकि विद्युत उपयोगिताओं द्वारा कोयला कम्पनियों की देय बकाया राशि काफी मात्रा मे एकत्रित हो गई है, अतः कोयला मन्त्रालय ने कोल इंडिया लि० को यह सलाह दी है कि वे दिनांक 1-10-1991 से अग्रिम अदायगी के आधार पर ही कोयले की आपूर्ति करें। इस पद्धति पर पुनः विचार किए जाने और आपूर्ति किए गए कोयले की ठीक गुणवत्ता तथा वजन का सुनिश्चय करने के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कोयला कम्पनियों को विद्युत संयंत्रों को प्रेषित किए गए कोयले के सम्बन्ध में ठीक वजन तथा गुणवत्ता का सुनिश्चय किए जाने के लिए निर्देश दिए गए है। किन्तु सरकार अग्रिम अदायगी सम्बन्धी नीति मे परिवर्तन किए जाने के पक्ष में नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हरि सिंह चावड़ा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने तीन सालों के आंकड़े दिए हैं—1989-90 में 11.82 मि० टन, 1990-91 में 12.72 मि० टन और 1991-92 मे 14.505 मि० टन उपलब्ध कराया गया है। रेल वैगन की कैपेसिटी 58 टन की है और उसमें केवल 45/50 टन दिया जाता है। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं, एक तो लिकेज भी कम है और वैगन में भी कम कोयला दिया जाता है, लेकिन एक्च्युली उन्होंने कितना दिया है?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, मेरे पास पिछले दो वर्षों के आपूर्ति के आंकड़े नहीं हैं। परन्तु मेरे पास इस वर्ष की आपूर्ति के आंकड़े हैं···(व्यवधान)

श्री अम्मा जोशी : ऐसा लगता है कि आप पूरी तैयारी करके नहीं आए हैं···(व्यवधान)

श्री पी० ए० संगमा : बेशक मैं तैयार हूं। मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं···(व्यवधान)

श्री अम्मा जोशी : आप कह रहे हैं कि आपके पास आंकड़े नहीं है···(व्यवधान)

श्री पी० ए० संगमा : मैंने कहा कि पूर्ववर्ती वर्षों के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। मैंने कहा कि इस वर्ष के अद्यतन आंकड़े मेरे पास हैं।

दो बातें हैं। बिजलीघर की आवश्यकता का आकलन और निर्धारण केन्द्रीय बिजली बोर्ड द्वारा किया जाता है। अब गुजरात में पांच बिजलीघर हैं। और केन्द्रीय विद्युत बोर्ड ने गुजरात की आवश्यकता 10० लाख टन निर्धारित की है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार इतनी आवश्यकता है। परन्तु हमारी एक संयोजन समिति है जिसकी प्रत्येक तिमाही में बैठक होती है। तिमाही के बाद उसकी बैठक होती है और बिजलीघर के पास कुछ अधिक स्टॉक रखने की दृष्टि से वह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई मात्रा से अधिक मात्रा का संयोजन करती है। लेकिन बिजली उत्पादन के प्रयोजनार्थ हम केन्द्रीय विद्युत बोर्डद्वारा आबंटित कोटे का पालन करते हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 10.9 मिलियन टन कोटा निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर हमें जनवरी तक हमें 908 लाख टन कोयले की आपूर्ति करती पड़ी। इसके अनुसार हमने गुजरात को पहले ही 907 लाख टन कोयला सप्लाई कर दिया है, याने हमने गुजरात के बिजलीघरों की 99% आवश्यकता पूरी कर दी है। यह पहली बात है। यदि हम देखें···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सम्बोधित करके कहें। अपना जवाब जारी रखें। व्यवधान की ओर ध्यान न दें।

श्री पी० ए० संगमा : विपरीत यदि हम अपूर्व की तुलना में गुजरात में बिजली उत्पादन को देखें तो यह पता चलेगा कि गुजरात में जनवरी तक 12,362 मिलियन यूनिट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उत्पादन के इस लक्ष्य के विपरीत गुजरात बिजली बोर्ड ने 12,86५0 लाख यूनिट बिजली उत्पादन किया, जो कि लक्ष्य का 103 प्रतिशत है। अत: उत्पादन में वे 3 प्रतिशत आगे निकल गए। मैंने इस आंकड़े की बात केवल इसे तर्कसंगत ठहराने के लिए कही थी कि हमने गुजरात में कोयले की आवश्यकता को पूरा कर लिया है।

[**हिन्दी**]

श्री हरि सिंह चावड़ा : माननीय अध्यक्ष जी, गुजरात की जो डिमाण्ड है, यानी लिकेज तय किया है 14,000 टन, वह इस साल के लिए तय किया है। फिर भी उसमें आज तक मन्त्री जी के अनुसार केवल 9 मिलियन टन मिला है और जो वैगन आता है उसमें भी कम मिलता है। आज गुजरात की हालत यह हो गई है कि हमारी कृषि बिगड़ गई है, हमारे उद्योग बिगड़ गए हैं, तो माननीय मन्त्री जी इसमें क्या करने जा रहे हैं?

हमारे गुजरात में पावर सप्लाई के लिए, पावर जेनेरेशन के लिए पूरा कोयला देना चाहते हैं या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया है कि जितना मांगा था उसका 99 परसेंट दिया है।

(**व्यवधान**)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : कोयला देंगे या नहीं देंगे, यह बताइए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नकाल है। कुछ समय बाद आपको फिर मौका दिया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री हरि सिंह चावड़ा : अध्यक्ष महोदय, 14.505 मिलियन टन तो डिमाण्ड दिया है यानी लिंकेज को, जो लिंकेज कमेटी की उसके ऊपर मोहर लगी थी, जो लिंकेज तय किया, उसमें 10 परसेंट बिल्कुल गलत आंकड़ा है और 14 में से दिया है 9, वह बिल्कुल कम है और जो वैगन है उसमें भी कम आता है।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं कि मांग और संयोजन (लिंकेज) के बीच अन्तर है। मांग केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निश्चित की जाती है और हम उनका 99 प्रतिशत पूरा करते हैं यह मैंने पहले ही बताया है। संयोजन मांग नहीं है और वह गुजरात सरकार द्वारा निश्चित नहीं की जाती है। संयोजन की मात्रा समिति द्वारा निश्चित की जाती है···(**व्यवधान**)। संयोजन समिति जान-बूझकर अधिक मात्रा देती है। क्योंकि हम आशा करते हैं कि प्रत्येक विद्युत स्टेशन में कम से कम 7 दिन का स्टाक होना चाहिए। यही कारण है कि संयोजन में हम अनुमानित मांग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निश्चित मात्रा से अधिक देते हैं।

जैसे कि कल, गुजरात में सभी बिजलीघरों में चार दिन का स्टाक था। ठीक है कि उनके पास 7 दिन का स्टाक होना चाहिए क्योंकि यह सामान्य बात है। इस प्रकार इसमें कुछ कमी रही है। लेकिन मैं इस सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि गुजरात के मुख्य मन्त्री से मेरा लगातार सम्पर्क रहा है। उन्होंने पहले मुझे यह कहते हुए पत्र लिखा था कि वहां कोई समस्या नहीं है। जब वह अन्तिम बार आए थे और मुझसे मिले थे तो जाते समय वह पूर्णतः सन्तुष्ट थे ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप समझने की कोशिश करें कि यह प्रश्नकाल है। आपको प्रश्न पूछने हैं। आप सब एक साथ खड़े नहीं हों।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि गुजरात के मुख्य मन्त्री और गुजरात विद्युत बोर्ड के चेयरमैन की बात सही है या यहां के मन्त्री महोदय की बात सही है। अभी 8 दिन पहले हमारी मीटिंग मुख्य मन्त्री गुजरात और विद्युत बोर्ड चेयरमैन गुजरात के साथ हुई थी। उन्होंने मीटिंग में बताया कि राज्य की मांग के अनुसार हमको कोयला नहीं मिल रहा है। हमारी मांग 620 वैगन्स की थी, लेकिन हमको 500 वैगन्स कोयला प्राप्त हुआ। इसी तरह से जो कोयला सप्लाई

किया जाता है वह निम्न स्तर का और कम वजन का होता है। वजन की कमी स्वयं चेयरमैन विद्युत बोर्ड ने पकड़ी है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। यह गुजरात के जीवन-मरण का प्रश्न है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गुजरात की जो 620 वैगंस कोयले की मांग थी, क्या उस मांग को सरकार इस साल पूरा करेगी ?

(ख) निम्न स्तर का कोयला सप्लाई करने से वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट और किसान परेशान हैं। क्या सरकार अच्छे स्तर का कोयला सप्लाई करेगी ?

(ग) राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव भेजे हैं, क्या उन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है ?

(घ) क्या गुजरात के लिए सही वजन वाले वैगन्स और अधिक तापशक्ति वाला कोयला उपलब्ध कराया जाएगा ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, मेरे आंकड़े शत-प्रतिशत सही हैं। मैं गुजरात विद्युत बोर्ड को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वह अप्रैल से जनवरी तक अपने लक्ष्य का 103 प्रतिशत विद्युत उत्पादन करने में समर्थ रहा है। यदि वहां कोयला का कम सप्लाई हुआ होता तो गुजरात विद्युत बोर्ड 103 प्रतिशत बिजली कैसे उत्पादित कर सकता था, मैं बिल्कुल ठीक हूं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। इस तरह मत करिए। आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं और आपको उत्तर भी नहीं मिल पा रहा है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सूचना दीजिए और मैं उस पर विचार करूंगा। सदस्य को प्रश्न पूछने दीजिए।

डा० वी० राजेश्वरन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में नए कितने ताप बिजली घरों को स्थापित करने का प्रस्ताव है और क्या यह सच है कि कोयला विभाग ताह बिजलीघरों को कोयला सप्लाई करने में समर्थ नही है, इसलिए दश में ताप बिजली संयंत्रों की अपेक्षित संख्या को कम कर दिया गया है यदि हां तो इसके क्या कारण हैं।

श्री पी० ए० संगमा : जहां तक आठवीं योजना में नए ताप बिजलीघरों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर विद्युत मन्त्रालय ही ठीक से दे पाएगा। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है चूंकि यह प्रश्न विशेष रूप से गुजरात से सम्बद्ध है, इसलिए मेरे पास इस समय अन्य राज्यों के आंकड़े नहीं हैं। (**व्यवधान**)

डा० कृपासिंधु भोई : अध्यक्ष महोदय···

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश कीजिए । यह प्रश्न गुजरात के बारे में है, उड़ीसा के बारे में नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के बाद मैं आपको अनुमति दूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । कृपया हर समय इस तरह अपनी विद्वता का प्रदर्शन मत करें । आप अन्य सदस्यों के कार्य में बाधा डाल रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि सैंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो कोटा निर्धारित करता है वह उनके मुताबिक सही हो सकता है । मेरा कहना यह है कि जो कोटा आता है प्रति वैगन 15 से 17 प्रतिशत कोयला उसमें आता है । इसकी वजह से पावर जेनेरेशन जितनी होनी चाहिए वे आंकड़े उसके मुताबिक नहीं आते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, क्या यह सारा प्रश्न के रूप है ? अगर आप प्रश्न पर नहीं आयेंगे तो मैं आपको डिस्एलाउ कर दूंगा ।

श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं । मेरा कहना है कि जो कोटा आता है, क्या मन्त्री जी के ध्यान में यह बात है कि कम कोटा आता है ? अगर यह बात है तो क्या गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो घाटा होता है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या मन्त्री जी आदेश देंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचार में सही प्रश्न नहीं है । यदि मन्त्री महोदय इस प्रश्न को ठीक समझते हैं तो वह इसका उत्तर दे सकते हैं ।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, हमारी समस्या वैगनों से सम्बन्धित नहीं है । रेलवे की अपनी समस्यायें हैं । उनकी विभिन्न राज्यों को भोजन सामग्री भेजने के लिए अपनी प्राथमिकताएं हैं । लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस वित्त वर्ष में जहां तक कोयला क्षेत्र का सम्बन्ध है, रेलवे ने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया है उसने हमें पिछले वर्ष की तुलना में दो मिलियन अधिक वैगन सप्लाई किए हैं । मैं रेलवे का बहुत अधिक आभारी हूं कि उसने अपनी अनेक समस्याओं के बावजूद हमारी बहुत मदद की है । **(व्यवधान)**

डा० कृपासिंधु भोई : महोदय, कोयला और ऊर्जा के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय बुलेटिन में विश्व में ताप बिजलीघरों के अधिकतम संयंत्र भार (लोड) क्षेत्र···

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भारत सीमेंट निगम के बारे में है ।

डा० कुपासिंघ भोई : जी नहीं, महोदय, यह गुजरात में कोयले के बारे में है। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। अन्तर्राष्ट्रीय कोयला और ऊर्जा बुलेटिन से पता चलता है कि संयंत्र भार क्षेत्र की 90 प्रतिशत से भी अधिक विद्युत ताप बिजलीघरों से प्राप्त की जा सकती है। जब राष्ट्रीय ताप बिजली संयंत्रों के संयंत्र भार की क्षमता 75 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो मन्त्री महोदय गुजरात विद्युत बोर्ड को कोरा चैक कैसे दे रहे हैं ? मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनकी स्थापन्न क्षमता अधिक है और क्षमता उपयोग के लिए उनका लक्ष्य 103 प्रतिशत अथवा उससे कम है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात सरकार अपनी संस्थापित क्षमता अधिक होने पर भी कम दिखा रही है। मैं मन्त्री महोदय से इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि हमारे देश में ताप बिजलीघरों में वास्तव में संयंत्र भार कितना है क्या है।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, विद्युत क्षेत्र का क्षमता उपयोग विद्युत मन्त्रालय से सम्बन्धित है। मुझे उन्हें केवल केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निश्चित मात्रा में कोयला सप्लाई करना होता है। इस लिए मैं संयंत्र भार के बारे में बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यह विद्युत मन्त्रालय से सम्बन्धित है। मैंने गुजरात में विद्युत उत्पादन के आंकड़े यह बताने के लिए दिए है जिससे मैं अपनी बात की पुष्टि कर सकूं कि उन्होंने अपने लक्ष्य का 103 प्रतिशत उत्पादन किया है और हमने उन्हें उनकी आवश्यकता की 99 प्रतिशत सप्लाई की है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शान्ति बनाए रखें। कृपया सदस्यों को प्रश्न और उनके उत्तर सुनने दीजिए।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। जी हां, श्री त्रिवेदी जी।

[**हिन्दी**]

श्री अरविन्द त्रिवेदी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया कि हम गुजरात को 99 परसेंट कोयले की मांग हम पूरी कर रहे हैं तो फिर गुजरात के मुख्य मन्त्री से चर्चा करने की क्या जरूरत थी। वैगन्स में कोयला यहां से भेजते हैं। वहां पहुंचता है तो बीस परसेंट कम हो जाता है। क्या वहां पर तोलकर उसको पूरा करेंगे। गुजरात को कोयला पूरा नहीं हो पाता है तो गुजरात में कोयला है या नहीं, उसका सर्वेक्षण करने को केन्द्र की कोई योजना है या नहीं। गत वर्ष कोयले की कमी की वजह से थर्मल पावर स्टेशन पर जो कमी हुई तो उसकी वजह से कितनी बिजली दे पाए, कितना लोड शैडिंग गुजरात में रहा और उसकी वजह से किसान और इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ ? (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा संवाद है।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि गुजरात के माननीय सदस्यों को अपने राज्य के कल्याण की इतनी चिन्ता है। (**व्यवधान**) मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि गुजरात के मुख्य सचिव, लगातार गृह सचिव से सम्पर्क बनाए हुए हैं। गुजरात विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष को भी इसमें रुचि है और जब भी मौका मिलेगा तो मुख्य सचिव मुझसे इस बारे में बात करेंगे हम न केवल गुजरात बल्कि सभी राज्यों की समस्याओं को हल करना चाहते हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि गुजरात ने विद्युत उत्पादन में अच्छा काम किया है और यह इसलिए सम्भव हुआ क्योंकि हमने उनकी 99 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा किया है। मैं यही बात कह रहा हूं और मैं यह नहीं कहता हूं कि गुजरात की कोई समस्या नहीं है और हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। जब कभी कोई विशेष प्रकार की समस्या आए तो कृपया आप इन्हें मेरी जानकारी में लायें और मैं निश्चित ही इन समस्याओं का हल करने में सहायता करूंगा।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा खानों से कोयला निकाला जाना

[हिन्दी]

*209. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र के विद्युत उत्पादक एककों को कोयला खानों से कोयला निकाले जाने की मंजूरी देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौडा) : इस सम्बन्ध में ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) वर्तमान में कोयले का लौह एवं इस्पात उद्योग द्वारा उपभोग किए जाने के खनन कार्य और ऐसे क्षेत्रों में लघु रूप में खनन किए जा रहे कार्य को, जोकि आर्थिक विकास की दृष्टि से उपयोगी नहीं हैं तथा जिन क्रियाकलापों में रेल परिवहन अपेक्षित नहीं है और जो खनन कार्य ग्रहीत रूप में किए जा रहे हैं को छोड़कर, खनन कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है।

निजी क्षेत्र की विद्युत का उत्पादन करने वाली यूनिटों को कोयला खानों के कार्यचालन को अनुमोदन दिए जाने सम्बन्धी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में "टिस्को" को कोयला खानों से कोयला निकाले जाने की मन्जूरी दी है क्या ? (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : अभी तक नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर है "अभी तक नहीं ।" जी हां, आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री लाल बाबू राय : खराब कोयले के चलते विद्युत उत्पादन मे काफी कठिनाई होती है, गिरावट आती है जिसकी वजह से बिहार में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती है । क्या मन्त्री महोदय इसके लिए कोई उपाय करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : मैं नहीं समझता हूं कि इसका कोई सम्बन्ध है क्योंकि सवाल यह है कि क्या हम निजी रूप से खनन की अनुमति दे रहे हैं ।

श्री शरत चन्द्र पटनायक : महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार निजी क्षेत्र द्वारा कोयला खानों में खनन का कार्य करने के लिए कोई सुरक्षा संबंधी मार्गनिर्देश तैयार कर रही है ? यदि हां, तो मैं तत्सम्बन्धी ब्यौरा जानना चाहूंगा ।

श्री पी० ए० संगमा : निजी क्षेत्र में ऐसी कोई भी कोयला खान नहीं है क्योंकि खनन सरकारी क्षेत्र में आता है परन्तु कुछ केप्टिव खानें हैं जो हमने टिस्को तथा कुछ अन्य कम्पनियों को दी हुई हैं । अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, क्या मन्त्री महोदय "केप्टिनेस" और "प्राईवेटनेस" को स्पष्ट करेंगे ? उन्होंने बताया कि निजीकरण के लिए सरकारी स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, परन्तु टाटा जैसी केप्टिव खानें भी हैं । किसी निजी कम्पनी द्वारा खनन का कार्य किये जाने के लिए ऐसी खानें उन्हें देने का निर्णय क्यों लिया गया ? दूसरी ओर मन्त्री ने बताया कि कोयला खानों का निजीकरण नहीं किया जायेगा । क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि उनके पास कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं और उन पर किन-किन स्तरों पर विचार किया जा रहा है ? क्या मन्त्रिमण्डल कुछ विचार कर जा रहा है ? मैं जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय ने निजीकरण के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है ।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि कोयला खानों का निजीकरण करने और केप्टिव खानों को पट्टे पर देने में फर्क है । जहां तक कोयला खानों का सवाल है । भारत सरकार के समक्ष कोयला खानों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । यह बिल्कुल स्पष्ट है, परन्तु सरकार पर ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि वह केप्टिव आधार पर पट्टे हैं जैसा कि हमने पहले ही टिस्को के मामले में किया है ।

अब जैसा कि भारत सरकार ने निजी क्षेत्र को ताप विद्युत उत्पादन के क्षेत्र मे आने की अनुमति देने का निर्णय लिया है, तो क्या सरकार केप्टिव-खानें भी उनको देगी । यह मुख्य सवाल है और ऐसे

कितने आवेदन अब तक आ चुके हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब तक कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु जहां कहीं भी कुछ आवेदन हैं तो सरकार इन आवेदनों पर उचित दृष्टिकोण बनायेगी।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के आने के बाद क्या कुछ विदेशी उद्यमियों द्वारा इस क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा रखते हुए कुछ शर्तें रखी गई हैं ? मैं विशेषरूप से यह जानना चाहूंगा कि क्या उड़ीसा के मुख्यमन्त्री ने भारत सरकार से यह निवेदन किया है कि वह केप्टिव खनन का यह लाभ उड़ीसा में एक विद्युत उद्योग लगाने के लिए एक अमरीकी फर्म को दे। निजी क्षेत्र द्वारा खनन के बारे में हमारा अनुभव कटु रहा है जैसाकि मन्त्री महोदय कोकिंग कोल के खनन का उल्लेख करते हुए बता रहे थे यह कार्य जो कि निजी क्षेत्र द्वारा अवैज्ञानिक ढंग से आधा छोड़ दिया गया।

केप्टिव खदानों और अन्य खदानों को निजी उद्यमियों को खनन के लिए देने पर उनकी अवैज्ञानिक खुदाई के प्रति सुरक्षोपायों के लिए सरकार कौन-कौन-सी सावधानियां बरतेगी ?

श्री पी० ए० संगमा : चूंकि इस मामले में हमने कोई दृढ़ निश्चय अभी तक नहीं किया है अतः इस स्तर पर यह सवाल तो उठता ही नहीं है कि खदानों को निजी क्षेत्र में देने पर क्या किया जाएगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : कोयले की कई ऐसी खदानें हैं जिनमें काम करने वाले लोगों की संख्या, वांछित संख्या से कहीं ज्यादा है और सरकार उनकी छटनी करने की स्थिति में भी नहीं है। अतः इसकी उत्पादन लागत काफी ज्यादा हो रही है।

इसे देखते हुए, जब निजी संगठन कोयला क्षेत्रों के निकट विद्युत संयंत्र लगाने के लिए आगे आएंगे तो क्या सरकार आगे आकर निकटस्थ क्षेत्रों में उपलब्ध कोयले का उपयोग करने के लिए विद्युत उत्पादन में उनकी सहायता के लिए वर्तमान नियमों में कुछ छूट देगी ?

श्री पी० ए० संगमा : अभी तक हमने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है। परन्तु जैसा कि मैंने पहले भी कहा है; इस मामले पर हम खुले मन से विचार करेंगे। जब भी कोई अनुरोध किया जाएगा, हम उसकी जांच करेंगे।

दिल्ली का औद्योगिक विकास

[हिन्दी]

+

*210. **श्री बलराज पासी** :
श्री रामकृष्ण कुसमारिया :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए अलग से आलोचना प्रभाग खोलने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आयोजना प्रभाग कब से अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा ?

[अनुवाद]

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) इस काम के लिए दिल्ली प्रशासन के उद्योग विभाग में एक अलग प्लानिंग सैल पहले से ही विद्यमान है। इस प्लानिंग सैल में एक विशेष कार्य अधिकारी तथा दो सहायक हैं। एक संयुक्त उद्योग निदेशक इस सैल की कार्य-प्रणाली की निगरानी करते हैं।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली प्रशासन विभाग में एक अलग प्लानिंग सैल है जैसा कि मन्त्री जी ने कहा है, किन्तु यह सैल औद्योगिक विकास की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा है। दिल्ली शहर, शहर न रहकर एक प्रदूषण का केन्द्र बन गया है और यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह योजना प्रभाग 8वीं योजना के दौरान खोलने का विचार है जिसकी सिफारिश योजना आयोग द्वारा दिल्ली प्रशासन से पहले भी की जा चुकी है ?

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : नये प्रभाग का सृजन और संयुक्त सचिव की नियुक्ति के मामले को हमने योजना आयोग के साथ उठाया है। पर वित्तीय लाचारी के कारण इसे स्वीकृत नहीं किया जा सका है।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने कहा है कि यह जो प्रभाग बनेगा, जो दिल्ली के आस-पास लगने वाले दूसरे प्रदेशों के शहर हैं, उनमें जो उद्योग हैं, क्या दिल्ली का जो प्रभाग है, यह उनको भी नियंत्रित करेगा, क्या ऐसी योजना सरकार की है ?

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी नया प्रभाग मौजूद नहीं है। फिर भी दिल्ली से सम्बन्धित एक बड़ी योजना है। इसमें उप-नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को ध्यान में रखा गया है और यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि वहां प्रदूषण पैदा करने वाला कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जाए तथा जो भी ऐसे उद्योग महानगरीय क्षेत्र में हैं उन्हें महा-नगरीय क्षेत्र से बाहर ले जाया जाये।

[हिन्दी]

श्री रामकृष्ण कुसमारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो प्लानिंग सैल पहले से ही मौजूद हैं, उनके अन्तर्गत अभी तक कितनी औद्योगिक इकाइयां दिल्ली में खोली गई हैं और उसके साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि इन इकाइयों के द्वारा फैलाया जा रहा जो प्रदूषण है, उसकी रोकथाम के लिए इस सैल ने कौन-कौन से उपाय किए हैं ?

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, वास्तव में योजना सैल कोई नया एकक नहीं खोलता है। इस योजना सैल का कार्य समन्वय करना है और यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली शहर में कोई भीड़-भाड़ न हो। आज की तारीख को दिल्ली में 85,000 उद्योग हैं। परन्तु उनमें से सिर्फ 22,000 पंजीकृत हैं। फिर भी इन गैरपंजीकृत एककों को हम शहर के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। योजना आयोग कोई नया एकक नहीं खोल रहा है।

[हिन्दी]

श्री भवन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि उद्योग विभाग में एक प्लानिंग सैल बना हुआ है लेकिन प्लानिंग सैल तभी प्रभावी रूप से काम कर सकता है जब सरकार में उद्योगों को बढ़ाने की इच्छा शक्ति हो। क्या यह सच है कि वर्तमान सरकार की सोच इस तरह की है कि दिल्ली में उद्योगों का विकास न होने पाए। इसी सोच के कारण चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष 1992-93 में उद्योग विभाग का प्लान 40 प्रतिशत आपने कम कर दिया है। क्या आपकी सोच ऐसी है, इसीलिए आपने प्लान कम कर दिया, यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : सरकार की यह इच्छा कदापि नहीं है कि दिल्ली में या किसी अन्य स्थान पर स्थापित किसी उद्योग को हटाया जाए। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह दिल्ली के बारे में है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और यह देश का गौरव है। हमें दिल्ली को भीड़-भरा शहर नहीं बनने देना चाहिए। न ही दिल्ली को प्रदूषित शहर बनने देना चाहिए। मुझे आशा है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि दिल्ली में बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ नहीं होनी चाहिए। अतः उद्योग मंत्रालय का यह काम है कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली में बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ न हो और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को दिल्ली में नहीं आने दिया जाए। यद्यपि यहां कुछ प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग हैं परन्तु हम चाहेंगे कि वे दिल्ली से बाहर जायें।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कम लागत वाली भवन निर्माण प्रौद्योगिकी

[अनुवाद]

*211. **श्री रवि राय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र मानव आवास केन्द्र के तत्वाधान, में हाल ही में कम लागत वाली भवन निर्माण प्रौद्योगिकियों पर एक सेमिनार हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कम लागत वाली भवन निर्माण प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) आयोग के 1993 में होने वाले 14 वें सत्र में विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव आवास केन्द्र द्वारा "उपयुक्त, मध्यवर्ती, लागत प्रभावी भवन निर्माण सामग्री, प्रौद्योगिकी और आवास सुपुर्दगी के लिए अन्तरण पद्धति" पर तैयार किए जाने वाले मूल विषयक दस्तावेज की रूपरेखा यह विचार-विमर्श करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव आवास केन्द्र (यू० एन० सी० एच० एस०) (हैजिटाट), नैरोबी द्वारा 4 से 7 फरवरी, 1992 तक मद्रास में विशेषज्ञ दल की एक बैठक आयोजित की गयी थी । सरकार को इस बैठक की कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है ।

युवा संगठनों के माध्यम से ग्रामीण विकास

*212. **श्री आर्थर फर्नान्डीज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास हेतु कुछ प्रतिशत धनराशि विभिन्न युवा संगठनों के माध्यम से उपयोग में लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गृह निर्माण हेतु ऋण

*213. **श्री प्रफुल पटेल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण हेतु दी जाने वाली ऋण राशि में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

लघु और कुटीर उद्योग का विकास

[हिन्दी]

*214. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश से देश में इन उद्योगों के विकास पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) ब्यौरा विवरण के रूप संलग्न है ।

विवरण

औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1951 में उन 836 मदों के बारे बड़े तथा मझौले उद्योगों द्वारा अतिक्रमण के प्रति लघु क्षेत्र के उद्योगों संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है, जो सिर्फ लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित की गयी है। यह आरक्षण 24 जुलाई 1991 के घोषित नई नीति में भी जारी रखा गया है । लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों को आरक्षित रखा गया है ।

सरकार विदेशी अंश धारिता वाले उपक्रमों सहित किसी मझौले अथवा बड़े उपक्रम को घरेलू टैरिफ क्षेत्र हेतु लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के निर्माण की स्वीकृति नहीं दे रही है ।

इलेक्ट्रानिक एककों की स्थापना

*215. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** :
प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रानिक एककों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार ने राज्य-वार क्या निर्णय लिए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) जी, हां । इलेक्ट्रानिक विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए राज्य स्तरीय विभिन्न इलेक्ट्रानिकी

विकास निगमों से पिछले तीन वर्षों के दौरान आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे । उनका राज्य-वार ब्यौरा तथा सरकार द्वारा लिया गया निर्णय संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) राज्यों में इलेक्ट्रानिक इकाइयां स्थापित करने के लिए धनराशि के आवंटन की कोई योजना नहीं है ।

विवरण

क्रम संख्या	नाम	मदें	सरकार का निर्णय
1	2	3	4
	गुजरात		
1.	मैसर्स गुजरात औद्योगिक तथा निवेश निगम लिमिटेड	चुम्बकीय इंक कैरेक्टर	अस्वीकृत
2.	मैसर्स गुजरात डेटा इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	व्यावसायिक ग्रेड के रंगीन मानीटर	अनुमोदित
	हिमाचल प्रदेश		
3.	मैसर्स हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लिमिटेड	रंगीन टेलीविजन तथा वर्णी टी० वी० रिसीवर	अनुमोदित
	कर्नाटक		
4.	मैसर्स कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश तथा विकास निगम लिमिटेड	बी०सी०आर०/वी०सी०पी०	अस्वीकृत
5.	मैसर्स कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश तथा विकास निगम लिमिटेड	रंगीन पिक्चर ट्यूब	अस्वीकृत
6.	मैसर्स कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश तथा विकास निगम	रंगीन पिक्चर ट्यूब (विदेशी सहयोग)	अस्वीकृत
7.	मैसर्स कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश तथा विकास निगम	दूर संचार और आंकड़ा संसाधन उद्योग (विदेशी सहयोग से शत-प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों) के लिए एकीकृत परिपथ	अनुमोदित

1	2	3	4
8.	मैसर्स कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम, बंगलौर	पृथक सेमीकण्डक्टर युक्तियां	अनुमोदित
	महाराष्ट्र		
9.	मैसर्स महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लिमिटेड	अंकीय डिस्क रीप्रोड्यूसर	अस्वीकृत
10.	मैसर्स महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड	अंकीय कम्पैक्ट डिस्क	अनुमोदित
	पंजाब		
11.	मैसर्स पंजाब राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास तथा उत्पादन निगम	लेसर प्रिंटर	अस्वीकृत
	राजस्थान		
12.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	सूक्ष्मतरंग चूल्हे	अस्वीकृत
13.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा निवेश निगम लिमिटेड	भाषा ज्ञानार्जन प्रणालियां	अनुमोदित
	उत्तर प्रदेश		
14.	मैसर्स यू०पी० हिल इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड	श्याम तथा श्वेत टी०वी०	अनुमोदित
15.	मैसर्स अपट्रान इण्डिया लिमिटेड लखनऊ	रंगीन और श्याम तथा श्वेत टी०वी० रिसीवर	अनुमोदित
16.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ	ट्रांजिस्टर तथा एकीकृत परिपथ	अनुमोदित

श्रम मन्त्रियों का सम्मेलन

[अनुवाद]

*216. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विभिन्न राज्यों के श्रम मन्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) क्या पिछले छः महीने के दौरान भारत में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा कोई कार्यशाला भी आयोजित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई;

(घ) इसमें क्या-क्या निर्णय लिए गए; और

(ङ) इन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) ब्योरा विवरण के रूप में संलग्न है ।

विवरण

6 फरवरी, 1992 को नई दिल्ली में राज्यों के श्रम मन्त्रियों का 40वां सम्मेलन आयोजित किया गया था । सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :—

(1) (क) औद्योगिक सम्बन्ध कानून के पुनर्गठन से सम्बन्धित रामानुजम समिति की सिफारिशें सर्वसम्मत हैं, इन्हें स्वीकार कर लिया जाना चाहिए । राज्यों के 5 श्रम मन्त्रियों का एक दल समिति की रिपोर्ट के असहमति वाले मामलों की जांच करेगा ताकि आम सहमति पर पहुंचा जा सके तथा यह दल अपनी रिपोर्ट देगा जिस पर भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार किया जाएगा ।

इस सिफारिश के अनुसरण में सरकार ने कोयला राज्य मन्त्री श्री पी० ए० संगमा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है । आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के श्रम मन्त्री इस समिति के सदस्य हैं ।

(ख) सम्मेलन ने नई औद्योगिक नीति के बारे में यह सिफारिश की कि श्रमिकों के हितों की रक्षा, उनके कल्याण को बढ़ाने तथा उनके कौशल में वृद्धि करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ताकि वे प्रौद्योगिकी परिवर्तन के लिए अपने आप को सक्षम बना सकें ।

(ग) अकुशल श्रमिकों के लिए 20 रु० प्रतिदिन से नीची दर पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी में 3 से लेकर 4 साल के अन्तराल में संशोधन किया जाना चाहिए तथा इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा पिछले छह माह के दौरान आयोजित की गई कार्यशालाएं नीचे दी गई हैं :—

(क) एप्लाइड मेनपावर अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय एप्लाइड आर्थिक अनुसंधान परिषद जैसे विभिन्न संस्थानों के डाक्यूमेंटेशन कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए नई दिल्ली में 2-7 दिसम्बर, 1991 को कम्प्यूटर साफ्टवेयर के सम्बन्ध में एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई थी।

(ख) संरचनात्मक समंजन सम्बन्धी सामाजिक आयाम विषय पर एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय कार्यशाला नई दिल्ली में 10 और 11 दिसम्बर, 1991 को आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में सरकारी विभागों, ट्रेड यूनियन और नियोक्ताओं के संगठनों के प्रतिनिधियों और साथ ही शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस विषय पर इस कार्यशाला में अनेक लेख प्रस्तुत किए गए और उन पर चर्चा की गई किन्तु कोई आम राय नहीं बनी।

(ग) वर्ष 2001 तथा उसके पश्चात रोजगार सेवा की भूमिका के बारे में, नौकरी चाहने वालों तथा नियोक्ताओं को प्रभावी और कुशल सेवा प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यशाला 2 से 4 दिसम्बर, 1991 को गोवा में आयोजित की गई।

(घ) कर्मकारों को ड्रग तथा मादक पदार्थों से सम्बन्धित कठिनाइयों के बारे में कार्यस्थल पर ड्रग तथा मादक पदार्थों की बुराई रोकने के लिए नियोक्ताओं तथा कर्मकारों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए रोकथाम तथा सहायता विषय पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सेमीनार और प्रशिक्षण कार्यशाला 9 से 13 दिसम्बर, 1991 को आयोजित की गई।

(ङ) पर्यावरणीय सुरक्षा प्रोत्साहन देने के लिए ट्रेड यूनियन की भूमिका विषय पर 3 से 5 फरवरी, 1992 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

(च) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मानकों पर एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय कार्यशाला 3 से 5 फरवरी, 1992 को नई दिल्ली में आयोजित की गई इस कार्यशाला ने कुछ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों के अनुसमर्थन की सिफारिश की।

सोनपुर बजरी परियोजना

*217. **श्री हाराधन राय** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोनपुर बजरी परियोजना के कार्यान्वियन के कारण कितने गांवों और परिवार के विस्थापित हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने इन परिवारों के पुनर्वास के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रभावित परिवारों का कब तक पुनर्वास कर दिए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है ।

विवरण

1. सोनपुर बाजारी परियोजना के क्रियान्वयन द्वारा निम्नलिखित 8 गांवों के 988 परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है, अर्थात् सोनपुर, बाजारी, हांमडी, केदलाडांगा, बेहलूका, बंजारीडांग, शंकरपुर और कुछबेरा ।

2. दिनांक 31-5-90 को सरकार ने परियोजना के लिए भूवंचित किए गए व्यक्तियों के लिए एक पुनर्वास पैकेज को स्वीकृति दी । इस पैकेज में, अन्य बातों के अलावा, भू-वंचित व्यक्तियों के लिए इस परियोजना में अर्धकुशल तथा अकुशल श्रेणियों में 300 रोजगार दिए जाने की व्यवस्था की गई और ऐसे व्यक्ति जिन्हें रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकेगा, उन्हें अधिग्रहीत की गई भूमि से होने वाली आय की हानि की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए 400 से 1100 रुपए के बीच एक मासिक जीवन-निर्वाह भत्ता दिया जाएगा । रोजगार दिए जाने अथवा जीवन निर्वाह भत्ते की अदायगी उपर्युक्त व्यक्तियों को संगत भूमि अधिग्रहण कानून के अन्तर्गत देय मुआवजे की राशि के अलावा की जाएगी । इसके अलावा उन्हें विकसित आवासीय भू-खण्डों का आवंटन, आवासों के निर्माण के लिए अनुदान, आवासीय स्थानांतरण भत्ते, आदि के रूप में उदारीकृत सहायता प्रदान की जाती है ।

3. पुनर्वास सहायता के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दर्शायी गई है :—

   (क) 94 व्यक्ति अगस्त, 1991 से जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त कर रहे हैं ।

   (ख) जीवन निर्वाह भत्ते सम्बन्धी 1153 दावे जांच अधीन हैं ।

   (ग) अन्तिम रूप में समीक्षा किए जाने के बाद 300 भू-वंचित व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है ।

4. सोनपुर और बाजारी गांवों के भू-वंचित व्यक्तियों को मार्च, 1994 तक पुनर्वासित किए

जाने की संभावना है । शेष 6 गांवों के व्यक्तियों का वर्ष 1996-97 तक पुनर्वास किए जाने की संभावना है ।

कोयले के भण्डार

*218. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1990, जनवरी 1991 और जनवरी 1992 की स्थिति के अनुसार देश में कोयले के अनुमानित भण्डार कितने-कितने थे;

(ख) इस समय कोयला भण्डारों का दोहन किस दर से किया जा रहा है और इन भण्डारों के कब तक चलते रहने की संभावना है; और

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कोयला भण्डारों की खोज में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जनवरी, 1990, जनवरी, 1991 और जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार देश में कोयले के अनुमानित भण्डार क्रमशः 186.04 बिलियन टन, 192.36 बिलियन टन और 196.02 बिलियन टन हैं ।

(ख) वर्ष 1990-91 में हुए कोयले के 211.73 मिलियन टन वास्तविक उत्पादन की तुलना में वर्ष 1991-92 में कोयले का उत्पादन लक्ष्य लक्ष्य 228.00 मिलियन टन रखा गया है। निकट भविष्य में कोयले के उपभोग में हुई वृद्धि और खनन-योग्य भण्डारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोयले के भण्डार 100 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पर्याप्त हैं ।

(ग) कोयले का क्षेत्रीय और विस्तृत रूप में किए अन्वेषण के आधार पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कुल निवेश की राशि नीचे दी गई है ।

वर्ष	लाख रु० में
1988-89	5100.26
1989-90	5152.46
1990-91	5082.61

बरसिंहसर ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

*219. **श्री मनफूल सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लिग्नाइट पर आधारित बरसिंहसर ताप विद्युत संयंत्र के कब तक चालू होने की संभावना है;

(ख) क्या बरसिंहसर और इसके आसपास के गांवों के किसानों को, जिनकी भूमि संयंत्र की स्थापना हेतु अधिगृहीत की जानी है, दिए जाने वाले मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें मुआवजा कब तक दिए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) बारसिंगसर तापीय विद्युत गृह में (प्रत्येक यूनिट 120 मे०वा० की) 2 यूनिटें विद्यमान हैं। पहली यूनिट को दिसम्बर, 1995 तक चालू करने का प्रस्ताव है जबकि दूसरी यूनिट जून, 1996 तक चालू की जानी है।

(ख) 662 किसानों की कुल 10982.97 बीघे निजी भूमि को बरसिंगसर खान एवं विद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहीत कर लिया गया है। राजस्थान राज्य सरकार के भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा 10,82,55,074 रु० की राशि की अदायगी उन किसानों को, जिनकी भूमि इस परियोजना के लिए अधिग्रहण की गई है, उन्हें अधिग्रहण भूमि, वृक्षों, ढांचों, अनुग्रह और ब्याज की राशि के रूप में अदा कर दी गई है। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने किसानों/भू-वंचित व्यक्तियों को भविष्य में संवितरण करने के लिए 10,85,55,000 रु० की राशि राजस्थान सरकार के पास जमा कर दी है।

(ग) 28-2-92 की स्थिति के अनुसार 640 किसानों को मुआवजे के रूप में 10,44,37,487 रु० की राशि दी गई है। अभी 22 किसानों को मुआवजे की 38,17,587 रु० की राशि दी जानी बाकी है। इन किसानों के सम्बन्ध में विभिन्न राजस्व न्यायालयों में दावों पर निर्णय लिया जाना है। इन किसानों के दावे स्थापित हो जाने के बाद ही उन्हें मुआवजे की अदायगी की जाएगी।

केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के संवर्ग की समीक्षा

*220. **श्री शरत चन्द्र पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के संवर्ग की समीक्षा करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

केन्द्रीय सचिवालय सेवा की कार्य प्रणाली के कुछ पहलुओं की जांच करने के लिए दिसम्बर, 1991 में एक समिति गठित की गई है। वास्तव में यह कोई संवर्ग समीक्षा समिति नहीं है। इस समिति

का गठन का स्वरूप तथा इसके विचारणीय विषय नीचे दिए जाते हैं :—

गठन

1. श्री ए० आर० बन्दोपाध्याय, अध्यक्ष
   अपर सचिव,
   कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय

2. श्री एन० महान्ति, सदस्य
   स्थापना अधिकारी तथा अपर सचिव,
   कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय

3. श्री जे० एस० माथुर, सदस्य
   संयुक्त सचिव (स्थापना),
   कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय

4. श्री बी० एल० मधूरिया, सदस्य
   संयुक्त सचिव,
   विधि तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय

5. श्री जे० पी० पति, निदेशक (ई०जी०), सदस्य
   वित्त मन्त्रालय

6. संयुक्त सचिव/निदेशक (संवर्ग समीक्षा) सदस्य सचिव

विचारणीय विषय

(i) यह जांच करना कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा जिस प्रयोजन के लिए गठित की गई थी क्या इस सेवा से वह प्रयोजन पूरा हुआ है।

(ii) इस सेवा की कार्य दक्षता, प्रभाविता तथा सेवा के सदस्यों के मनोबल को बढ़ाने के दृष्टि कोण से पदोन्नति अवसरों की पुनरीक्षा करना तथा इस सेवा के वर्तमान स्वरूप में यथा अपेक्षित परिवर्तनों का सुझाव देना।

(iii) इस सुझाव पर विचार करना कि क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा, समूह "क" की सेवा होनी चाहिए तथा अन्य समूह "क" की केन्द्रीय सेवाओं के समतुल्य होनी चाहिए।

(iv) इस बात पर विचार करना कि इस सेवा में किस स्तर पर सीधी भर्ती की जानी चाहिए अथवा यह कि क्या इस सेवा को सीधी भर्ती की प्रतिशतता के साथ सहायक और अनुभाग अधिकारी के दोनों ही स्तरों पर जारी रखा जाना चाहिए।

(v) केन्द्रीय सचिवालय सेवा को समूह "क" की सेवा बनाए जाने की स्थिति में उसका (क)

सेवा में न केवल अनुभाग अधिकारी के पदों की भर्ती प्रणाली, परन्तु इस स्तर से नीचे के पदों पर और, (ख) केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिव/उप सचिव तथा इससे ऊपर के स्तर के पदों के भरे जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

समिति द्वारा इस रिपोर्ट को 31-7-1992 तक अन्तिम रूप दे दिए जाने की संभावना है ।

विदेशी प्रस्तावों को स्वीकृति

*221 **श्रीमती वासवाराजेश्वरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान विदेशी सहयोग के लिए कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई;

(ख) किन-किन परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता हेतु स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है;

(ग) ये परियोजनाएं किन-किन देशों के सहयोग से स्थापित की जाएंगी; और

(घ) इन परियोजनाओं पर कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) पिछले 3 महीनों अर्थात दिसम्बर, 1991 से फरवरी, 1992 के दौरान सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुल 513 प्रस्तावों के अनुमोदन किए गए हैं । इनमें से 212 प्रस्तावों में विदेशी कम्पनियों द्वारा भारतीय कम्पनियों की इक्विटी पूंजी में 922.85 करोड़ रु० के विदेशी पूंजी निवेश की परिकल्पना है ।

विदेशी सहयोग के अनुमोदित प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोग कर्त्ता का नाम, देश का नाम, सहयोग का स्वरूप और विनिर्माण की मदें भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा अपने मासिक न्यूजलैटर के अनुपूरक के रूप में प्रकाशित की जा रही हैं । इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती है ।

किसी औद्योगिक परियोजना की परिपक्वता अवधि न केवल हर उद्योग में अलग-अलग होगी अपितु यह हर परियोजना में भी अलग-अलग होगी । विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर स्वीकृति देना भी एक निरन्तर प्रक्रिया है । अतः इस बारे में किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है ।

बन्द पड़ी कोयला खानों का सर्वेक्षण

*222. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड और बिहार सरकार की संयुक्त जांच समिति ने बन्द पड़ी कोयला खानों को चालू करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) परिणामत: कोयले का अनुमानित उत्पादन कितना होगा ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) कोल इण्डिया लिमिटेड ने यह सूचित किया है कि बिहार सरकार ने एक ऐसी ही समिति गठित की है और कोल इण्डिया लि० के कुछ अधिकारियों को बिहार सरकार के अनुरोध पर इस समिति में शामिल किया गया है। यह समिति अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद बिहार सरकार को प्रस्तुत करेगी।

कोल इण्डिया लिमिटेड को भुगतान

[हिन्दी]

*223. **कुमारी उमा भारती :**
प्रो० राम कापसे :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड को पिछले तीन वर्षों के दौरान ताप विद्युत परियोजनाओं को कोयले की सप्लाई से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1991 को विद्युत बोर्डों, सरकारी उपक्रमों/उद्यमों की ओर कितनी राशि बकाया थी;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कोल इण्डिया लि० द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान तापीय विद्युत गृहों को बिक्री किए गए कोयले से उन्हें क्रमश: 854.77 करोड़ रुपए, 1050.56 करोड़ रु० और 1045.03 करोड़ रु० की राशि प्राप्त हुई।

(ख) और (ग) 31-12-1991 को राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत उपयोगिताओं द्वारा कोल इण्डिया लि० की कुल बकाया देय राशि 1757.37 करोड़ रुपए (आंकड़े अनन्तिम) थी। विद्युत क्षेत्र से बढ़ती हुई देय बकाया राशि का मुख्य कारण अधिकतर राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत उपयोगिताओं की खराब वित्तीय स्थिति है। ताप विद्युत गृहों को आपूर्ति किए गए कोयले के वजन और गुणवत्ता के बारे में भी विवाद होने के कारण भी कुछ राशि बकाया देय है।

(घ) विभिन्न विद्युत बोर्डों को प्रेषित किए गए कोयले की कीमतों के भुगतान को वसूल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए :—

(1) राज्य विद्युत बोर्डों की 31-5-1990 को विवादरहित देय बकाया राशियों को राज्य

योजनाओं की केन्द्रीय सहायता द्वारा प्रत्येक 273 करोड़ रुपए की चार समान वार्षिक किश्तों में समायोजन करके वसूल किया जा रहा है। पहली दो किश्तों की वसूली कर ली गई है।

(2) 1-10-1991 से प्रभारी "कैश एण्ड कैरी" प्रणाली को शुरू किया गया है जिसके अनुसार विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ता कोयले की आपूर्ति के लिए अग्रिम अदायगी कर रहे हैं।

(3) देय कोयला बिलों के बदले राज्य सरकारों को कोयला कम्पनियों द्वारा देय रायल्टी और उपकर का समायोजन किए जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है।

(4) विभिन्न राज्य कोयला बोर्डों के विद्युत बिलों को कोयला कम्पनियों द्वारा कोयला बिलों के बदले समायोजित किया जा रहा है।

(5) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कोयला कम्पनियों की देय बकाया राशि को सम्बद्ध विद्युत बोर्डों द्वारा निपटारा किए जाने की व्यवस्था करें।

खादी और ग्राम उद्योग आयोग को दिया गया अनुदान

2334. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खादी व ग्राम उद्योग को विभिन्न मदों के अन्तर्गत अनुदान की कितनी राशि दी गई;

(ख) क्या आयोग इस धनराशि के इस्तेमाल का ब्यौरा प्रतिवर्ष देता रहा है;

(ग) क्या सरकार ने इस धनराशि के दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग को सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुदान राशि नीचे दी गई है :—

(रु० करोड़ में)

	1989-90	1990-91	1991-92
1. खादी अनुदान	75.50	86.00	87.00
2. ग्रामोद्योग अनुदान	15.00	18.00	19.00
3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुदान	1.00	1.00	1.00
4. बायो-गैस अनुदान	6.49	7.87	6.27
योग :	97.99	112.87	113.27

(ख) आयोग इन राशियों के लिए प्रत्येक वर्ष सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है। इसके अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लेखा-परीक्षित वार्षिक खाते प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों के सभा-पटल पर रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) सरकार को समय-समय पर धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। जब कभी ऐसी शिकायतें मिलती हैं, सरकार इनकी जांच करती है और उपयुक्त कार्रवाही की जाती है।

नैवेली ताप संयंत्र का बन्द होना

[अनुवाद]

2335. **श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आए तूफान और बाढ़ के कारण नैवेली ताप संयन्त्र में धीरे-धीरे ठहराव आ रहा है और यह बन्द होने वाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन प्रबन्ध मण्डल ने इस सयन्त्र को चलाने के लिए आवश्यक रक्षित भण्डार की व्यवस्था कर ली है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० डी० ग्यामगौड) : (क) और (ख) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की खान-II में चक्रवात और भारी वर्षा के कारण 14 और 15 नवम्बर, 1991 को बाढ़ आ गई थी। इसके परिणामस्वरूप कच्चे लिग्नाइट ईंधन के लिए खान-II से जुड़े ताप विद्युत संयंत्र-II ने भी दिनांक 15-11-1991 से विद्युत का उत्पादन करना बन्द कर दिया।

(ग) और (घ) विद्युत स्टेशनों और अन्य "डाऊन स्ट्रीम यूनिटों" में उपयोग किए जाने के लिए लिग्नाइट के रक्षित भण्डारों को परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर बनाए रखे जा रहा है। ग्रहीत लिग्नाइट की खान की समीपयता को देखते हुए उसे 5 दिन के भण्डारों की आमतौर पर व्यवस्था की जाती है।

गैर-कोकिंग कोयले के भण्डार की अनुमानित मात्रा

2336. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों से और आज की स्थिति के अनुसार "कोल इण्डिया लिमिटेड" की खानों के निकट गैर-कोकिंग कोयले का अनुमानत: कितना भण्डार पड़ा है और उसका मूल्य कितना है; और

(ख) इस भंडार को किस प्रकार समाप्त किए जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) कोल इण्डिया लि० द्वारा तैयार किए गए अनन्तिम अनुमानों के अनुसार दिनांक 31-1-92 की स्थिति के अनुसार उनके पास 37.62 मिलियन टन पिटहैड कोयले के भंडार विद्यमान थे। उक्त भण्डारों की कीमत कोयले की वर्तमान 322/- रुपए की औसत कीमत के हिसाब से 1211.36 करोड़ रुपए बैठती है।

(ख) कोल इंडिया लि० को रेल द्वारा कोयले के संचलन को बढ़ाकर जून, 1992 तक इन भंडारों के कुछ भाग को परिसमाप्त किए जाने और इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट की गई खानों से सड़क द्वारा कोयले का संचलन किए जाने के प्रयास करने की सलाह दी गई है।

वर्ष 1991-92 के दौरान मंजूर की गई कोयला परियोजनाएं

2337. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान सरकार ने कितनी कोयला परियोजनाओं को मंजूरी दी;

(ख) इन परियोजनाओं पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) इन परियोजनाओं से कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं की परियोजना-वार संशोधित लागत क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) वर्ष 1991-92 के दौरान निम्नलिखित नई कोयला परियोजनाएं और संशोधित लागत अनुमानों को सरकार द्वारा मंजूर किया गया :—

क्रम सं०	नई परियोजनाएं	लक्षित क्षमता मि०ट० प्र०व०	पूंजी लागत करोड़ रु० में
1.	अनंता ओपनकास्ट परियोजना सा० ई० को० लि०	4.00	156.49
2.	उकनी ओ० का० वे० को० लि०	1.10	100.37
3.	लखनपुर ओ० का०, सा० ई० को० लि०	5.00	221.51

क्रम सं०	संशोधित लागत अनुमान	लक्षित क्षमता मि०ट० प्र०व०	पूंजी लागत करोड़ रु० में
1	2	3	4
1.	जी०डी०के०-IIए के लिए सं०ला०अ०, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०	1.75	156.00

1	2	3	4
2.	मानुगुरू ओ०का०-II के लिए सं०ला०अ०, सि०को०क०लि०	2.75	199.94
3.	खादिया के लिए सं०ला०अनु०ना०को०लि०	4.00	588.75
4.	ब्लाक ओ०का०-II के लिए सं०ला०अ०, भा०को०को०लि०	2.50	174.25

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

2338. **श्री नन्दी येल्लैया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन औषधों की आवश्यकता है;

(ख) एच०ए०एल० और आई० डी० पी० एल० द्वारा उत्पादित किए जा रहे औषधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सरकारी क्षेत्र की औषध कम्पनियों के योगदान का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सम्बन्धित है। अपेक्षित ब्यौरे स्वास्थ्य मंत्रालय से एकत्र किए जाएंगे और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

बड़े शहरों में "मास रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम"

2339. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ बड़े शहरों में "11 मास रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम" शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्यक्रम किन-किन बड़े शहरों में लागू किया जायेगा; और

(घ) उन शहरों में रेल परिवहन कार्यक्रम को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) दिल्ली में यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने मैसर्स रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकनामिक सर्विसेज (आर० आई० टी० ई० एस०) से तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कराया है। दिल्ली

प्रशासन तथा भारत सरकार ने भी रिपोर्ट का अध्ययन किया है। सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ कई बार विचार-विमर्श किया गया है। भारत सरकार ने परियोजना इत्यादि के निर्माण के लिए निधियों के अभियान के साथ-साथ एकल परिवहन प्राधिकरण की स्थापना को शामिल करते हुए विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए उप-राज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में निर्देशों की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।

अन्य बड़े नगरों के बारे में जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली के लिए स्कीमों का प्रारम्भण राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है।

भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान

2340. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उन भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करने हेतु, जो गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक आर्थिक विकास उपक्रमों के कार्यकरण में अकुशल हैं, एक कृतक बल की स्थापना की है; और

(ख) कृतक बल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) योजना आयोग ने भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान के लिए ऐसे किसी कृतक बल की स्थापना नहीं की है, और जो गैर-सरकारी संगठनों आदि के कार्यकरण में अकुशल रहा हो। तथापि, योजना आयोग द्वारा एकीकृत विकास के लिए स्वप्रबंधित संस्थाओं के बारे में गठित दूसरे कृतक बल द्वारा अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1991 में प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में विकास प्रक्रिया में गैर-सरकारी संगठनों की महती भूमिका के सम्बन्ध में सिफारिश की गई है।

उत्तर प्रदेश में विकास केन्द्रों की स्थापना

2341. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में कहां-कहां औद्योगिक विकास केन्द्र खोलने का है; और

(ख) इन विकास केन्द्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को आठ विकास केन्द्र आवंटित किए गए हैं। बुलन्दशहर, इटावा, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, मुरादाबाद, पौड़ी-गढ़वाल और शाहजहांपुर जिलों में एक-एक विकास केन्द्र स्थापित किया जाएगा। ये विकास केन्द्र आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकसित किए जाएंगे और

इनमें पानी, बिजली, दूरसंचार इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि इन क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित किया जा सके।

विद्युत बल्ब निर्माता

[हिन्दी]

2342. **आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में संगठित क्षेत्र और लघु क्षेत्र में विद्युत बल्ब निर्माताओं की संख्या कितनी है और इनमें से प्रत्येक द्वारा प्रति वर्ष कितने जनरल लाइटिंग सर्विस लेम्पों (जी० एल० एस०) का निर्माण किया जाता है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : संगठित क्षेत्र में बिजली के बल्ब के निर्माताओं की संख्या लगभग 20 है। वर्ष 1990-91 में इन एककों द्वारा प्राप्त कुल वार्षिक उत्पादन लगभग 2700 लाख नग था। अनुमान है कि देश में 1000 लघु/अति लघु एकक (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) जी० एल० एस० लैम्पों के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। एक एकक द्वारा एक वर्ष में औसतन 3,00,000 बल्बों का निर्माण किया जाता है। स्थापित, लघु/अति लघु एककों द्वारा किए जा रहे बल्बों के उत्पादन के आंकड़े विकास आयुक्त के कार्यालय, लघु उद्योग, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

शहरी विकास एजेंसी

2343. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी की तरह शहरी विकास एजेन्सी का गठन करना है; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों एजेन्सियों के अधिकार-क्षेत्र तथा कार्यों को किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) नेहरू रोजगार योजना के मार्गनिर्देशनों में राज्य सरकारों को जिला नगर विकास अभिकरणों की स्थापना करने जैसे समुचित संगठनात्मक प्रबन्ध करने की पूरी स्वतन्त्रता है।

(ख) जिला नगर विकास अभिकरण शहरी क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने वाला तन्त्र है जब कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यकलाप ग्रामीण क्षेत्रों पर केन्द्रित होते हैं।

सरकारी आवास का बारी-पूर्व आवंटन

[अनुवाद]

2344. **श्री पी० सी० थामस :**
श्री प्रवीन डेका :
श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को, श्रेणी-वार, बारी-पूर्व कितने सरकारी मकान आवंटित किए गए;

(ख) सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास के आवंटन हेतु क्या नीति अपनाई जाती है;

(ग) क्या इस प्रकार के आवंटन के कारण पात्र कर्मचारियों को काफी लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(घ) सरकारी आवास के लिए आवंटन के लिए इस समय प्रतीक्षा-सूची में शामिल कर्मचारियों की श्रेणी-वार, संख्या कितनी है;

(ङ) राजधानी में आवास की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए मकानों की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(च) क्या अनेक कर्मचारी ऐसे मकानों में रह रहे हैं जो उनकी पात्रता से नीचे के हैं और इस प्रकार पात्र कर्मचारियों की आवश्यकता को उन्होंने संकट में डाल दिया है; और

(छ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विवरण-I में दिए अनुसार ।

(ख) विवरण-II में दिए अनुसार ।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपनी आवंटन की बारी के लिए प्रतीक्षारत कर्मचारी अनुचित रूप से प्रभावित न हो, तदर्थ आवंटन 1 : 4 के अनुपात में किए जाते हैं अर्थात एक विशेष मकान के लिए प्रदान की गई स्वीकृति के अतिरिक्त प्रत्येक 4 बारी के आवटन के बाद तदर्थ आधार पर एक आवंटन किया जाता है ।

(घ) विवरण-III में दिए अनुसार ।

(ङ) बजट प्रावधानों की सीमाओं के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के वास में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर रिहायशी मकानो का निर्माण किया जाता है ।

(च) और (छ) निकटतम निचली श्रेणी के लिए आवेदनों पर केवल टाइप-V और उससे ऊपर के टाइपों के लिए ही विचार किया जाता है और यह प्रावधान इससे छोटे टाइपों के लिए लागू नहीं होता। पात्रता टाइप से छोटे मकानों का आवंटन केवल निचली श्रेणियों को तदर्थ और बिना बारी के मामलों में किया जाता है।

विवरण-I

31-12-91 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारियों को बिना बारी में आवंटित सरकारी मकानों की संख्या :—

टाइप-I	267
टाइप-II	432
टाइप-III	419
टाइप-IV	213
टाइप-Vए (डी-II)-91	91
टाइप-Vबी (डी-I)	29
टाइप-VIए (सी-II)	19
होस्टल	
डबल सूट	20
सिंगल सूट, किचन सहित	15
सर्वेन्ट क्वाटर्स	86

विवरण-II

सरकारी कर्मचारियों को बिना-बारी के आवंटन निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं :—

I. टी० बी०, कैंसर और हृदय रोग परेशानी जैसे चिकित्सा के आधार पर।

II. शारीरिक रूप से विकलांग।

III. सेवानिवृत होने वाले/मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को।

IV. मन्त्रियों उच्चतम न्यायालय के जजों, योजना आयोग के सदस्यों के निजी स्टाफ आदि को।

VI. प्रधानमन्त्री कार्यालय के मुख्य कार्मिकों को।

आवंटन नियमों में छूट देते हुए व्यक्तिगत मामले के गुणदोष को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना बारी के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

विवरण-III

31-12-91 को वास के आवंटन हेतु प्रतीक्षा कर रहे सरकारी कर्मचारियों का विवरण

टाइप	सा० पू०	अ०जा०	अ०ज०जा०	विवाहित म०	अविवाहित म०
I.	2511	3205	0516	—	—
II.	5665	3027	0610	2053	0637
III.	6298	2024	0209	1594	0256
IV.	2100	0303	0043	0119	0021
V.-ए (डी-II)	400	—	—	—	—
V-बी (डी-I)	196	—	—	—	—
VI-ए (सी-II)	225	—	—	—	—
होस्टल					
डबल सूट	633	—	—	35	07
सिंगल सूट किचन सहित	715	—	—	52	31
सिंगल सूट बिना किचन	120	—	—	04	04

*उपर्युक्त सूचना आवंटन वर्ष 1990-91 के लिए सीमित आमन्त्रित आवेदनों के आधार पर है।

उत्प्रवासी श्रमिक

2345. श्री विजय नवल पाटील : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दूसरे देशों को श्रमिकों के उत्प्रवास की प्रवृत्ति में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर्मकारों के निम्नलिखित छः अतिरिक्त वर्गों को "उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं है" के अन्तर्गत, 4-10-1991 से छः महीनों तक के लिए लाकर उत्प्रवास प्रक्रिया को और सरल बना दिया गया है :—

(i) प्रयवेक्षक (सभी व्यवसाय)

(ii) कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय)

(iii) अर्ध कुशल कर्मकार (सभी व्यवसाय)

(iv) लघु-मध्यम-भारी वाहन चालक

(v) आशुलिपिकों, स्टोरकीपरों, टाईमकीपरों टंकको आदि सहित लिपिकीय कर्मकारों के सभी वर्ग।

(vi) घरेलू नियोजनों को छोड़कर रसोइये।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन

2346. **श्री राम नाईक** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा 7 जनवरी, 1992 को शुरू किए गए आन्दोलन की तरफ दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों ने परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन को ज्ञापन दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस ज्ञापन में उल्लिखित समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) वह ज्ञापन बम्बई में विभाग के कर्मचारियों विशेषरूप से कुछ श्रेणियों के वैज्ञानिकों तथा अभियन्ताओं की मकान सम्बन्धी गम्भीर समस्याओं के बारे में था।

(घ) ज्ञापन में बताई गई शिकायतों को दूर करने की दृष्टि से विभाग ने :

(I) सम्बद्ध श्रेणियों के और फ्लैटों का निर्माण करने के लिए आठवीं योजनावधि में अतिरिक्त धनराशि की मांग है।

(II) सरकार के अनुमोदन के लिए एक योजना प्रस्तुत की है जिसमें उन कर्मचारियों के

मकानों को किराए पर लेने का प्रस्ताव है जिन्होंने उनका निर्माण भवन निर्माण अग्रिम लेकर किया है और उनमें नहीं रह रहे हैं।

असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाएं

2347. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्रों में, को बड़े पैमाने पर विचार करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) इस समय विद्यमान सामाजिक सुरक्षा-योजनाओं के सीमा क्षेत्र का विस्तार करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिससे असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को उसके दायरे में लाया जा सके। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, जो एक मुख्य सामाजिक सुरक्षा योजना है, को 39 अतिरिक्त केन्द्रों में कार्यान्वित करने के लिए 1992-93 के लिए एक कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया है जिसके अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के लगभग 1.27 लाख अतिरिक्त कर्मकार आ जाते हैं।

लघु क्षेत्र हेतु योजनाएं

2348. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में लघु क्षेत्र के विकास हेतु कोई योजना लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां इस योजना को लागू किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) सरकार देश में लघु क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। कार्यान्वित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं औजार कक्षों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों, परीक्षण केन्द्रों, प्रक्रिया-सह-उत्पाद विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्रों, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, औद्योगिक प्रबन्ध प्रशिक्षण, अनुषंगी विकास, विपणन सहायता तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना से सम्बन्धित हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास की एक योजना को केन्द्र तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों के सम्बन्धित प्राधिकरणों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है। उपर्युक्त योजनाओं के तहत सेवाएं व सुविधाएं सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लघु उद्योगों के लिए उपलब्ध हैं।

केरल में उद्योग

2349. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से राज्य में नये उद्योगों की स्थापना करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) 1989 से 1992 (29-2-92 तक) के दौरान केरल राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए केरल सरकार से 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

1989	—	4
1990	—	6
1991	—	8
1992	—	शून्य

उपर्युक्त 18 आवेदनों में से 4 के लिए आशय पत्र जारी किए गए थे, 6 नामंजूर किए गए थे और 8 आवेदनों को अन्यथा निपटा दिया गया था।

एक ही फ्लैट का एक से अधिक व्यक्तियों को आवंटन

2351. **श्री विजय कुमार यादव** :
श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे दृष्टांत सामने आए हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक फ्लैट का एक से अधिक व्यक्तियों को आवंटन किया था;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उन सभी व्यक्तियों को आवंटन पत्र जारी किए गए हैं जिन्हें फ्लैट आवंटित किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कुछ व्यक्तियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध मामला दायर किया है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसके लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) विगत दो वर्षों के दौरान डी०डी०ए० फ्लैटों को दुबारा आवंटन किए जाने के 232 मामलों का पता चला था। इस प्रकार के मामलों का पता चलने पर, पात्र आवंटी को आमतौर पर उसी कालोनी/क्षेत्र तथा उस तल पर एक वैकल्पिक फ्लैट नियत/आवंटित करने की कार्रवाई की जाती है।

(ङ) और (च) दुबारा आवंटन किए जाने के विरुद्ध तीन व्यक्ति मामले को अदालत में ले गए हैं।

(छ) दुबारा आवंटन करने के लिए जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण ने असाधारण दण्ड की कार्यवाहियां आरम्भ करने का निर्णय लिया है।

कागज और कागज के गत्ते की मांग

2352. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कागज और कागज के गत्ते की मांग में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कागज और कागज के गत्ते के उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान वर्तमान कागज और कागज गत्ते के निर्माता एककों के विस्तार के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कूरियन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने कागज उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन लकड़ी की लुगदी और रद्दी कागज का आयात सीमा शुल्क की कम दर पर करने की अनुमति दे दी गई है।

(2) लिखाई व छपाई के कागज और बिना लेप वाले क्राफ्ट कागज, जिसमें जूट (रद्दी जूट सहित), मेस्टा अथवा खोई अथवा इसके मिश्रण अथवा उपर्युक्त सामग्रियों की दो या अधिक लुगदियों के मिश्रण से बनी लुगदी का वजन 75% से कम न हो, को उत्पाद शुल्क से छूट है।

(3) कम से कम 50% तक कृषि अवशेषों तथा अन्य गैर-परम्परागत कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करने वाली कागज मिलों से रियायती दरों पर उत्पाद-शुल्क लिया जाता है।

(4) कृषि अवशेषों पर आधारित कागज और गत्ता उद्योग को न्यूनतम किफायती क्षमता योजना के अधीन रखा गया है जो प्रति वर्ष 33,000 मी० टन निर्धारित की गई है ।

(5) ऐसे कागज एककों को औद्योगिक लाइसेंसीकरण से छूट दे दी गई है जिनमें खोई, कृषि अवशेषों और अन्य गैर-परम्परागत कच्ची सामग्री से बनी न्यूनतम 75% लुगदी का इस्तेमाल किया जाता है ।

मुम्बई के लिए भूमिगत रेल सेवा

2353. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे ने मुम्बई के लिए भूमिगत रेलगाड़ी चलाने की कोई योजना मंजूरी हेतु प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) बम्बई में पहले से ही सब-अर्बन सर्फेस रेलवे पद्धति है जो यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है । इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार ने शहरी परिवहन परियोजना शुरू करने के लिए एक परियोजना रूपरेखा भेजी है जिसमें रेलवे परिवहन पद्धति से सम्बन्धित घटक सम्मिलित है ।

दिल्ली में भूमि की कीमतें

2354. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमि की कीमतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार इन कीमतों को कम करने अथवा कम से कम तीन वर्षों तक इन पर नियन्त्रण रखने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) पूर्व निर्धारित रिहायशी दरें पिछली अधिसूचित दरों और दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीलामी कीमतों में यथा प्रतिबिम्बित बाजार के रुख और आयकर प्राधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर तय की जाती है ।

पूर्व-निर्धारित वाणिज्यिक दर केन्द्रीय जोन में, जो रिहायशी दर की तीन गुना है, के सिवाय दुगुनी निर्धारित की जाती है। बाजार दर अनुसूची सभा पटल पर रखे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है।

विवरण

भूमि तथा विकास कार्यालय के अधीन दिल्ली/नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भूमि की 1-4-1991 से 31-3-1992 तक प्रभावी बाजार दर अनुसूची

क्रम सं०	इलाके का नाम	रिहायशी (रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक (रु० प्रति वर्ग मीटर)
1	2	3	4
	जोन-I		
	केन्द्रीय जोन		
1.	कनाट प्लेस	16800	50400
2.	कनाट सर्कस	16800	50400
3.	कनाट प्लेस एक्सटेंशन कमर्शियल जोन तक	16800	50400
4.	बाराखम्बा रोड (कनाट एक्सटेंशन के बाहर) कमर्शियल जोन तक	16800	50400
5.	कनाट प्लेस एक्सटेंशन के बाहर कजंन रोड कमर्शियल जोन तक	16800	50400
6.	हनुमान रोड (कमर्शियल जोन)	16800	50400
7.	जनपथ (कनाट प्लेस एक्स० के बाहर विंडसर प्लेस तक)	16800	50400
8.	भगवान दास रोड	16800	50400
9.	हेली रोड	16800	50400
10.	हनुमान रोड (रिहायशी जोन)	16800	50400
11.	बेयर्ड रोड	16800	50400

1	2	3	4
12.	जैन मन्दिर रोड	16800	50400
13.	कनाट प्लेस एक्स० के बाहर जन्तर-मन्तर रोड	16800	50400
14.	लेडी हार्डिंग रोड	16800	50400
15.	मन्दिर मार्ग	16800	50400
16.	विस्तारित कमर्शियल जोन, संसद मार्ग के बाहर का क्षेत्र	16800	50400
17.	मिन्टो रोड	16800	50400
18.	पंचकुईयां रोड	16800	50400
19.	भगत सिंह मार्किट	16800	50400
20.	बाबर रोड	16800	50400
21.	कृष्णा मार्किट पहाड़गंज	16800	50400
22.	मथुरा रोड प्रेस	16800	50400
23.	झंडेवालान	16800	50400
24.	मोतिया खान ("सी" टाईप टेनामेंटों सहित)	16800	50400
जोन-II			
दक्षिण जोन			
1.	खान मार्किट	12600	25200
2.	डिपलोमेटिक एन्कलेव	12600	25200
3.	डिपलोमेटिक एन्कलेव एक्सटेंशन	12600	25200
4.	गोल्फ लिंक्स	12600	25200
5.	औरंगजेब रोड	12600	25200
6.	पृथ्वीराज रोड	12600	25200
7.	तीस जनवरी मार्ग	12600	25200
8.	राटेन्डन रोड	12600	25200
9.	हुमायूं रोड	12600	25200
10.	जोर बाग	12600	25200

1	2	3	4
11.	सुन्दर नगर	12600	25200
12.	एंड्रूज गंज	11600	23200
13.	सादिक नगर	11500	21200
14.	डिफेंस कालोनी	10500	21000
15.	आर० के० पुरम	10500	21000
16.	मोती बाग	10500	21000
17.	लोधी रोड	10500	21000
18.	लोधी एस्टेट	10500	21000
19.	अलीगंज	10500	21000
20.	सेवा नगर	10500	21000
21.	रिंग रोड के सामने लाजपत नगर	10500	21000
22.	वसंत बिहार (डी०डी०ए० भूमि को छोड़कर)	10500	21000
23.	लाजपत नगर (I से V)	8400	16800
24.	निजामुद्दीन	8400	16800
25.	जंगपुरा	8400	16800
26.	कालका जी	8400	16800
27.	मालवीय नगर (एक्सटेंशन) पुराना	7600	15200
28.	एम० बी० रोड	7600	15200
जोन-III			
पश्चिमी जोन			
1.	अजमल खां रोड	10500	21000
2.	गफ्फार मार्किट	10500	21000
3.	करोल बाग	10500	21000
4.	एम० एम० रोड	10500	21000
5.	रानी झांसी मार्किट	10500	21000

1	2	3	4
6.	लिंक रोड (करोल बाग)	10500	21000
7.	देशबन्धु गुप्ता मार्किट	10500	21000
8.	पटेल नगर (ईस्ट, वेस्ट व साऊथ)	10500	21000
9.	राजिन्द्र नगर (पुराना व नया)	10500	21000
10.	रोहतक रोड (पुराना व नया)	8400	16800
11.	नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र	6300	12600
12.	रामेश्वरी नेहरू नगर	6300	12600
13.	मोती नगर	6300	12600
14.	सराय रोहिल्ला	6300	12600
15.	तिलक नगर	6300	12600
16.	तिहाड़ I व II	6300	12600
17.	रमेश नगर	6300	12600
18.	औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार	6300	12600
	जोन-IV		
	उत्तरी दिल्ली		
1.	कमला नगर	6300	12600
2.	रूप नगर	6300	12600
3.	शक्ति नगर	6300	12600
4.	कुतब रोड	6300	12600
5.	रोशनआरा रोड	6300	12600
6.	लाजपतराय मार्किट	6300	12600
7.	अन्सारी मार्किट	6300	12600
8.	जवाहर नगर	6300	12600
9.	खुर्शीद मार्किट	6300	12600
10.	तेलीवाड़ा	6300	12600

1	2	3	4
11.	आजाद मार्किट	6300	12600
12.	माल रोड	6300	12600
13.	राजपुर रोड	6300	12600
14.	मलका गंज	6300	12600
15.	अलीपुर रोड	6300	12600
16.	गोखले रोड	6300	12600
17.	हाथी खाना	6300	12600
18.	खन्ना मार्किट (तीस हजारी के समीप)	6300	12600
19.	लहना सिंह मार्किट	6300	12600
20.	निकोलसन रोड	6300	12600
21.	विजय नगर	6300	12600
22.	अशोक मार्किट	6300	12600
23.	सब्जी मंडी	6300	12600
24.	इन्द्रा नगर	5300	10600
25.	आजादपुर	5300	10600
26.	अन्धामुगल	5300	10600
27.	बैस स्टेंड एरिया एक्स० (बी०एस०ए०)	5300	10600
28.	भारत नगर	5300	10600
29.	गुड़ की मंडी	5300	10600
30.	गुलाबी बाग	5300	10600
31.	किंग्जवे कैंप	5300	10600
32.	निमार पुर	5300	10600
33.	अंगुरी बाग	5300	10600
34.	एडवर्ड लाइन्स	5300	10600
35.	हकीकत नगर	5300	10600
36.	हडसन लाइन्स	5300	10600

1	2	3	4
	जोन-V		
	पूर्वी दिल्ली		
	1. शील कुरंजा	2550	5100
	2. गीता कालोनी	2550	5100
	3. नरेला एवं अन्य बाहरी कालोनियां	1800	3600

उड़ीसा की जल आपूर्ति योजनाएं

[हिन्दी]

2355. **श्री मृत्युञ्जय नायक :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए कुछ जल आपूर्ति योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना पर कितना व्यय किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इन योजनाओं की स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) योजनाओं के ब्यौरे तथा अनुमानित लागत को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) उड़ीसा की राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि वे राज्य सरकार को सौंपी गई शक्तियों के तहत केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 योजनाओं को तकनीकी अनुमोदन दे दें। कोरापुट, मयूरभंज, फूलबनी तथा गंजम जिले के पांच खण्डों में 1145.44 लाख रुपए की अनुमोदित लागत वाली पहले से ही अनुमोदित मिनी मिशन परियोजनाओं के लिए 195.39 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत वाले कोर प्लानों के संशोधित अनुमानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह योजनाओं के तकनीकी पहलुओं के बारे में कुछ स्पष्टीकरण भेजे।

विवरण

क्रमांक	उड़ीसा सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजी गई योजनाओं के नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)
1	2	3
जिला बाला-सोड़		
1.	प्रतापपुर	42.44
2.	खरसाहपुर	45.32
3.	गुजीदरेड़ा	47.46
4.	चूड़ामणि	51.39
बालांगीर		
5.	डुडुका	20.81
कटक		
6.	गोपालपुर तथा आस-पास के गांव	62.77
7.	मल्लिकापुर तथा आस-पास के गांव	61.92
8.	सुन्गुदा और आस-पास के गांव	66.60
9.	बारंबागढ़	42.43
ढेनकनाल		
10.	गोटामारा	43.57
गंजम		
11.	पतरापुर	50.14
12.	पदमनवपुर	31.97
13.	गुरण्डी	42.95
कोरापुट		
14.	काकिरीगुमा	24.28
15.	कालीमेला	50.67
16.	पोडिया	21.06

1	2	3
कालाहांडी		
17.	तेरासिंघा	24.23
18.	कंकेरी	18.43
19.	बाड़ापेडाजुड़ा	44.60
क्योंझर		
20.	झूमपुरा और अरसोला	28.40
21.	रिमूली	28.27
मयूरभंज		
22.	बादासाही और आस-पास के गांव	63.58
23.	कप्तीपाडे और आस-पास के गांव	53.17
24.	चित्रादा और आस-पास के गांव	47.14
फूलबनी		
25.	खजूरीपाड़ा	41.78
26.	हरीभंगा	22.40
पुरी		
27.	रूपेदईपुर	33.89
सम्बलपुर		
28.	अरादा और आस-पास के गांव	76.90
29.	सामन और आस-पास के गांव	29.21
30.	गुमादरा	39.41
सुन्दरगढ़		
31.	राइविही	34.54
	योग :	1291.73

मिनी मिशन परियोजनाएं

क्रमांक	जिला	अनुमानित अतिरिक्त लागत (लाख रुपए में)
1.	कोरापुट	52.40
2.	फूलबनी और गंजम के 5 आदिवासी खण्ड	89.49
3.	मयूरभंज	53.50
	योग :	195.39

बिहार में ग्रामीण सड़कों का निर्माण

2356. श्री ललित उरांव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र न मिलने के कारण बिहार की कौन-कौन सी ग्रामीण सड़क परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृति देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) बिहार सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन हेतु निम्नलिखित तीन सड़कों के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे :—

1. राष्ट्रीय राजमार्ग-33 को नए सिरे से सीधा करना—हजारी बाग

2. मैनजीन और पहुंच सड़क का निर्माण—गोड्डा

3. चितोली-बाघा रेल-सह रोड लिंक—पश्चिमी चम्पारन

उपर्युक्त (1) के सामने उल्लिखित प्रस्ताव जून, 1987 से बिहार राज्य सरकार के पास लम्बित है और (2) के सामने उल्लिखित प्रस्ताव जनवरी, 1989 से बिहार सरकार के पास अनिवार्य जानकारी न भेजने के कारण लम्बित है। (3) के सामने उल्लिखित प्रस्ताव को 21 जनवरी, 1992 को प्रथम चरण की स्वीकृति दे दी गई है।

सिलिकोसिस के कारण मौतें

2357. श्री बारे लाल जाटव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले में सिलिकोसिस रोग के कारण अनेक श्रमिकों की मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की कोई रिपोर्ट मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

पेपर मिलें

[अनुवाद]

2358. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेपर मिलों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) उनकी अधिस्थापित क्षमता कितनी है और वर्ष 1990-91 के दौरान उनमें कितना उत्पादन हुआ;

(ग) कितनी मिलें लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) पेपर उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) सरकार अलग-अलग कागज मिलों के लिए उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती ।

(घ) सरकार ने कागज उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन लकड़ी की लुगदी और रद्दी कागज का आयात सीमा-शुल्क की कम दर पर करने की अनुमति दे दी गयी है ।

(2) लिखाई व छपाई के कागज और बिना लेप वाले क्राफ्ट कागज, जिसमें जूट (रद्दी जूट सहित), मेस्टा अथवा खोई अथवा इसके मिश्रण अथवा उपर्युक्त सामग्रियों की दो या अधिक लुगदियों के मिश्रण से बनी लुगदी का वजन 75% से कम न हो, को उत्पाद-शुल्क से छूट है ।

(3) कम से कम 50% तक कृषि अवशेषों तथा अन्य गैर-परम्परागत कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करने वाली कागज मिलों से रियायती दरों पर उत्पाद-शुल्क लिया जाता है ।

(4) कृषि अवशेषों पर आधारित कागज और गत्ता उद्योग को न्यूनतम किफायती क्षमता योजना के अधीन रखा गया है जो प्रति वर्ष 33,000 मी० टन० निर्धारित की गयी है।

(5) ऐसे कागज एककों को औद्योगिक लाइसेंसीकरण से छूट दे दी गयी है जिनमें खोई, कृषि अवशेषों और अन्य गैर-परम्परागत कच्ची सामग्री से बनी न्यूनतम 75% लुगदी का इस्तेमाल किया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कागज मिलों की सं०	अधिष्ठापित क्षमता (मी० टनों में)	1991 (जनवरी से नवम्बर) के दौरान उत्पादन (मी० टन लाख में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	18	4,10,641	2.713
2.	असम	4	2,28,000	1.084
3.	बिहार	8	91,500	0.024
4.	गुजरात	43	2,74,334	1.670
5.	हरियाणा	17	1,49,610	1.110
6.	हिमाचल प्रदेश	13	49,400	0.213
7.	जम्मू और कश्मीर	1	3,300	0.009
8.	कर्नाटक	15	1,93,370	1.196
9.	केरल	3	39,350	शून्य
10.	मध्य प्रदेश	15	1,81,450	0.991
11.	महाराष्ट्र	52	4,67,730	3.515
12.	नागालैंड	1	33,000	0.218
13.	उड़ीसा	7	2,13,572	1.207
14.	पंजाब	17	1,37,830	0.820
15.	राजस्थान	9	43,350	0.064

1	2	3	4	5
16.	तमिलनाडु	21	2,05,135	1.616
17.	उत्तर प्रदेश	58	3,11,845	2.096
18.	पश्चिम बंगाल	21	2,38,630	0.858
19.	चण्डीगढ़	1	3,000	0.016
20.	पांडिचेरी	1	9,000	0.032

नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यों को दी गई धन-राशि

2359. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार धन-राशि आवंटित की गई/प्रदान की गई; और

(ख) यदि प्रदान नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) नेहरू रोजगार योजना में तीन स्कीमें शामिल हैं : शहरी लघु उद्यम योजना, शहरी मजदूरी रोजगार योजना तथा आवास एवं आश्रय उन्नयन योजना। 1991-92 के दौरान, शहरी लघु उद्यम योजना तथा शहरी मजदूरी रोजगार योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित/जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। आवास एवं आश्रय उन्नयन के लिए निधियां, हुडको को नियतित की जाती है तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को योजना-दर-योजना के आधार पर हुडको द्वारा रिलीज की जाती है।

विवरण

1991-92 के दौरान नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित/रिलीज की गई अनन्तिम निधियां

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	शहरी लघु उद्यम योजना तथा शहरी मजदूरी रोजगार योजना के लिए 1991-92 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित निधियां*	अब तक रिलीज की गई निधियां
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	575.90	324.50

1	2	3	4
2.	बिहार	632.20	295.50
3.	गुजरात	271.80	140.50
4.	हरियाणा	119.00	119.00
5.	कर्नाटक	607.60	342.10
6.	केरल	238.90	142.60
7.	मध्य प्रदेश	611.40	361.30
8.	महाराष्ट्र	784.90	686.90
9.	उड़ीसा	223.20	223.20
10.	पंजाब	214.30	214.30
11.	राजस्थान	422.50	355.00
12.	तमिलनाडु	670.80	418.00
13.	उत्तर प्रदेश	1642.50	637.10
14.	पश्चिम बंगाल	527.60	263.20
15.	गोवा	25.20	25.20
16.	अरुणाचल प्रदेश	27.30	27.30
17.	असम	139.20	90.90
18.	हिमाचल प्रदेश	52.60	52.60
19.	जम्मू तथा कश्मीर	73.60	64.10
20.	मणिपुर	34.50	34.50
21.	मेघालय	33.00	33.00
22.	मिजोरम	22.10	22.10
23.	नागालैंड	33.20	33.20
24.	सिक्किम	24.60	24.60
25.	त्रिपुरा	21.80	21.80
26.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	10.90	10.90

1	2	3	4
27.	चण्डीगढ़	17.70	17.70
28.	दादर तथा नगर हवेली	09.80	09.80
29.	दमन एण्ड द्वीव	16.70	16.70
30.	पांडिचेरी	15.20	15.20
31.	दिल्ली	40.00	19.80
	योग :	8140.00	5042.60

*एस० यू० एम० ई० : शहरी लघु उद्यम योजना ।

एस० यू० डब्ल्यू० ई० : शहरी मजदूरी रोजगार योजना ।

केरल में विकास योजनाएं

2360. **श्री टी० जे० अंजलोस** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में विश्व बैंक अथवा कुछ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से विकास योजनाएं शुरू करने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है;

(ग) इन पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(घ) इन योजनाओं को कब तक पूरा कर दिए जाने की सम्भावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पाइराइट फास्फेट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार

[हिन्दी]

2361. **श्री छेदी पासवान** : क्या प्रधानमन्त्री 27 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 926 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विस्थापित परिवारों के 33 व्यक्तियों को कब से प्रशिक्षण दिया जा रहा और उन्हें किस प्रकार कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा इनका प्रशिक्षण कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :—

क्रमांक	प्रशिक्षण की प्रकृति	व्यक्तियों की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण आरम्भ होने की तिथि
1.	यांत्रिक रख-रखाव	9	2 वर्ष	3-1-91
2.	वैद्युत रख-रखाव	9	2 वर्ष	3-1-91
3.	खनन प्रशिक्षार्थी (भूमिगत खानों में मर्किंग, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, रुक बोल्टिंग, ट्रेक फिटिंग, टिम्बरिंग, एल० एच० डी० क्रियान्वयन आदि पर प्रशिक्षण)	12	3 वर्ष	1-4-91
4.	आशुलिपि प्रशिक्षण	1	2 वर्ष	1-7-91
5.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	2	2 वर्ष	4-10-91

मुम्बई के लिए विश्व बैंक सहायता

[अनुवाद]

2362. श्री गुरुदास कामत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई पर्यावरण योजना के लिए विश्व बैंक ने कुल कितनी राशि मन्जूर की है;

(ख) किस योजना के अन्तर्गत यह राशि मन्जूर की गई है; और

(ग) यह पर्यावरण-योजना कब तक शुरू की जाएगी ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) विश्व बैंक ने बम्बई पर्यावरण योजना के लिए अभी तक कोई राशि स्वीकृत नहीं की है । विभिन्न पर्यावरण अध्ययनों के लिए बम्बई शहरी विकास परियोजना हेतु आई० डी० ए० ऋण से 7.5 मिलियन अमेरिकी डालर मुहैया करने का विश्व बैंक से अनुरोध किया गया है ।

केन्द्रीय भण्डार के टेलीफोन का दुरुपयोग

2363. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भण्डार के सरकारी टेलीफोन से भारी संख्या में लम्बी अवधि तक आई० एस० डी० तथा० एस० टी० डी० टेलीफोन कालें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान भण्डार के अधिकारियों द्वारा अन्य क्या सुविधाएं प्राप्त की गई सामान्यता जिनके वे अधिकारी नहीं हैं; और

(ङ) बचत सम्बन्धी उपायों को ध्यान में रखते हुए भण्डार में किए गए बचत उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. इस समय दिल्ली में केन्द्रीय भण्डार में बारह टेलीफोन लगे हुए हैं जिनमें से तीन मे एस० टी० डी० की सुविधा है । केन्द्रीय भण्डार की दिल्ली से बाहर मद्रास, बम्बई, हैदराबाद, बंगलौर, चण्डीगढ़ इत्यादि में भी शाखाएं हैं तथा यह संगठन अपने नेटवर्क का अन्य स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकारी कार्यालय स्थित हैं, प्रसार करने की योजना बना रहा है । अत: प्रबन्धकों को न केवल ऐसे स्थानों पर तैनात अपने कर्मचारियों अपितु केन्द्रीय भण्डार से व्यापार करने वाले आपूर्तिकर्त्ताओं तथा उत्पादकों की फर्मों मे भी सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है । अत: समिति के सुचारू कार्य-संचालन के लिए उन स्थानों मे सम्पर्क बनाए रखना अनिवार्य है जहां समिति की शाखाएं नहीं हैं ।

2. तथापि, यह रिपोर्ट दी गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय एस० टी० डी० कालें भण्डार के टेलीफोन से उन स्थानों पर की गई थी जो समिति के कार्य-संचलन के क्षेत्र में नहीं है । इन आई० एस० डी० कालों पर 4470/ रु० का खर्च बैठता है । सम्बन्धित कर्मचारियों से यह प्रमाणित करने के लिए कहा गया है कि क्या काले कार्यालय के काम से की गई थी और यदि नही तो इस व्यय को वापिस लौटाया जाए ।

3. पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई एस० टी० डी० तथा आई० एस० डी० कालों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	अंशदाता ट्रंकडायलिंग तथा ट्रंक कालें		अन्तर्राष्ट्रीय अंशदाता डायलिंग कालें	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1989-90	114	4143.00 रु०	1	63.47 रु०
1990-91	145	21297.70 रु०	7	4406.00 रु०
1991-92 (15-2-92 तक)	47	3341.80 रु०	शून्य	शून्य

4. केन्द्रीय भण्डार के अधिकारियों को समान सहकारी समितियों/निगमित निकायों के अपने समकक्षों को मिलने वाली सुविधाओं के अलावा कोई अन्य विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर ाई गई है। इनमें महाप्रबन्धक द्वारा भुगतान के आधार पर निजी प्रयोजनों के लिए स्टाफ कार का सीमित प्रयोग शामिल है, जैसाकि सुपर बाजार के महाप्रबन्धक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों के मुख्य कार्यपालकों को उपलब्ध है।

5. समिति अपने व्यय में अत्यधिक मितव्ययता बरत रही है तथा प्रबन्ध समिति द्वारा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए किफायत सम्बन्धी अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

प्रेसों में रिक्त पड़े पद

2364. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी प्रेसों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित श्रेणियों में काफी समय से, बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये सभी रिक्त पद मार्च, 92 से पूर्व भरे जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चार यूनिटों को बन्द किए जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप मुख्य रूप से भर्ती पर लगाए गए प्रतिबन्ध के कारण ये रिक्तियां हुई हैं। जब उत्पादन के हित में प्रतिबन्ध पर छूट देते हुए भर्ती की जाती है तब विद्यमान अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने में समुचित ध्यान रखा जाता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

2365. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारी दहेज लेने/अपने जीवन साथी को सता कर हत्या करने, बलात्कार और बहुविवाह के मामलों में अन्तर्ग्रस्त पाये गए हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) उनके विरुद्ध लम्बित मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ठेका मजदूर और बन्धुआ मजदूर

[हिन्दी]

2366. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्धुआ मजदूरों और ठेका मजदूरों में क्या अन्तर है;

(ख) क्या सरकार का विचार शोषण से बचाने के लिए बन्धुआ मजदूरों की तरह ही ठेका मजदूर प्रणाली को समाप्त करने का है;

(ग) क्या सरकार का ठेका मजदूरों की सेवाएं नियमित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 में बन्धुआ श्रमिकों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि "कोई श्रमिक जिस पर बन्धुआ ऋण है या रहा है या जिस पर बन्धुआ ऋण होने की सम्भावना है।" ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अनुसार किसी प्रतिष्ठान के कार्य में या उसके सम्बन्ध में किसी कर्मकार को "ठेका श्रमिक" के रूप में नियोजित तभी माना जाएगा जब वह मुख्य नियोक्ता की जानकारी या जानकारी के बिना किसी ठेकेदार द्वारा या ठेकेदार के माध्यम से ऐसे कार्य में या ऐसे कार्य के सम्बन्ध में भाड़े पर नियोजित किया जाता है ।

(ख) ठेका श्रम (विनियमन उत्सादन) अधिनियम, 1970 में ठेका श्रमिकों के विनियमन तथा केवल कुछ परिस्थितियों में ही इसके उत्सादन का प्रावधान है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । इस प्रकार का व्यापक प्रस्ताव अव्यवहारिक होगा । इस मामले में प्रत्येक प्रतिष्ठान को अपना निर्णय स्वयं लेना होता है ।

सुपर बाजार की शाखाओं में दवाइयों की कमी

[अनुवाद]

2367. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थित सुपर बाजार की शाखाओं में दवाइयों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थित सुपर बाजार की शाखाओं में दवाईयों की कोई भारी कमी नहीं है। तथापि, कभी-कभी विनिमाताओं द्वारा कुछ दवाइयों की आपूर्ति कम की जाती है और ऐसी कमियां बाजारों में भी सामान्यतया महसूस की गई हैं।

भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) का विस्तार

[हिन्दी]

2368. **श्री राजवीर सिंह** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय अंगोला स्थित भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड के विस्तार का कार्यक्रम किस चरण में है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : इफको ने अपने आंवला संयंत्र की क्षमता को दुगुनी करने का प्रस्ताव किया है। इफको से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।

खाद्य तेलों के विशोहन की क्षमता

[अनुवाद]

2369. **श्री मुमताज अन्सारी :**
श्री मोहन सिंह :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1990 में उपयोग की गई क्षमता की तुलना में वर्ष 1992 के दौरान खाद्य तेलों की कितनी क्षमता का उपयोग किया गया;

(ख) पूरी क्षमता का उपयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1992 के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने हेतु बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तेल वर्ष 1991-92 के दौरान खाद्य तेलों की अभिज्ञात क्षमता का 84% तक उपयोग किया गया, जब कि तेल वर्ष 1990-91 में लगभग 82% क्षमता का उपयोग किया गया था जिसके परिणामस्वरूप खाद्य तेलों का अनुमानित उत्पादन क्रमशः 57 लाख मी० टन और 54 लाख मी० टन रहा।

(ख) अप्रधान स्रोतों की पूरी क्षमता का उपयोग न कर पाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) हलर चावल मिलों की अधिकता होना जिसके परिणामस्वरूप चावल भूसी की हानि;

(2) छिलका सहित बिनौलों की पिराई करना;

(3) किसानों द्वारा पशु-आहार के लिए खली का उपयोग किया जाना तथा देश भर में फैली ग्रामीण घानियों से प्राप्त होने वाली खली की उपलब्धता में कठिनाई होना; और

(4) दुर्गम क्षेत्रों से तिलहन एकत्र करने में कठिनाई होना ।

(ग) 1992 के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बधाओं को हटाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन संवर्द्धन परियोजना नामक दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओ का, जो 1989-90 तक चल रही थीं, 1990-91 के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम नामक एक ही योजना में विलय कर दिया गया । इस योजना के जरिए वस्तुतः राज्यों को उत्तम किस्म के बीजों के उत्पादन और वितरण करने, पौध संरक्षण उपाय करने, जिनमें पौध संरक्षक रसायनों और उपकरणों की आपूर्ति शामिल है, और उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन आयोजित करने के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है;

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को तिलहन परियोजनाए चलाना;

(3) उत्पादन, संसाधन और प्रबन्ध सम्बन्धी सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करना;

(4) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना;

(5) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-परम्परागत तिलहनों की फसल के तहत क्षेत्र को बढ़ाना तथा वृक्ष और वनोपज तिलहनों, चावल की भूसी इत्यादि का दोहन करना;

(6) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप गति बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन और आधार-ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं की स्थापना करना;

(7) तेलों के नए स्रोतों का पता लगाने के लिए तिलहनों की वन्य सम्पदा की खोज करने हेतु योजना स्कीमें चलाना;

(8) हलरों में सुधार हेतु धनराशि देना । इसके साथ-साथ तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन ने भी तेल निकालने के लिए भूसी प्राप्त करने हेतु साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को धनराशि मुहैया करने हेतु सहायता का हाथ बढ़ाया है;

(9) प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करके किसानो को बेहतर प्रोत्साहन देना;

(10) संसाधन एककों के अद्यतनीकरण के लिए उपकरणों की पहचान करना, कुछ उपकरणों के आयात पर सीमा-शुल्क को रियायत देना; और

(11) तेलयुक्त वस्तुओं से तेल के पूर्ण दोहन के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू करना।

नई दिल्ली नगर निगम द्वारा कुशक नाले पर कार्य

2370. **श्री जीवन शर्मा :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर निगम ने आई० एन० ए० मार्किट के पास कुशक नाले को ढकने के लिए बिना निविदा आमन्त्रित किए ठेका दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। आई० एन० ए० मार्किट के पास कुशक नाले की 200 मीटर लम्बाई को ढकने के कार्य नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा एक ठेकेदार को प्रदान किया गया है।

(ख) भीड़-भाड़ को कम करने तथा आई० एन० ए० में अरविन्द मार्ग पर पार्किंग के स्थानान्तरण के लिए वैकल्पिक स्थान का पता लगाने के उद्देश्य से कार्य हाथ में लिया गया है।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी हटाओ योजनाएं

2371. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**
श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोजित विकास के लिए संस्थागत ढांचे सम्बन्धी विशेषज्ञ पैनल ने स्वयंसेवी संगठनों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए, विशेष रूप से गरीबी हटाओ को कार्यान्वित करने में अधिक भूमिका निभाने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या इस पैनल ने गरीबी समाप्त करने तथा कल्याण योजनाओं में सुधार के लिए अनेक योजनाओं की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा नियोजित विकास के लिए विशेष रूप से गरीबी हटाओ योजनाओं को

कार्यान्वित करने के सन्दर्भ में संस्थागत ढांचे सम्बन्धी किसी विशेषज्ञ पैनल की स्थापना नहीं की गई है। तथापि एकीकृत विकास के लिए एक स्व-प्रबन्धित संस्थाओं के सम्बन्ध में एक कृतिक बल गठित किया गया था तथा इसकी रिपोर्ट दिसम्बर, 1991 में प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में विकास गतिविधियों में स्वयं सेवी संगठनों की और अधिक भूमिका की सिफारिश की गई है। यह रिपोर्ट योजना आयोग के विचाराधीन है।

गटर तथा मेनहोल में गिरने से लोगों की मौत

[हिन्दी]

2372. **श्री राम टहल चौधरी :**
डा० अनीस बाला :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गटर और मेनहोल में गिरने से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं; और

(ग) दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात् 7-4- 987 से 13-4-1991 के दौरान खुले मेनहोलों में अचानक गिरने के कारण, संतलित की गई अंकतम सूचना के अनुसार, 12 मौत होने की सूचना दी गई है।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका ने रख-रखाव तथा सफाई कर्मचारियों और अधिक सतर्कता बरतने के अनुदेश दिए हैं। मैनहोलों के लोहे के ढक्कनों की चोरी को कम करने के लिए स्टील-फाइबर-प्रचलित ढक्कनों का प्रयोग किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि खुले हुए मैनहोलों को किसी प्राधिकरण अथवा व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट करते ही यथा-शीघ्र बन्द करने/बदलने के काम को सुनिश्चित करने के लिए फील्ड कर्मचारियों को पहले ही अनुदेश दे दिए हैं।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि काम में बरती गई लापरवाही के कारण निम्न-लिखित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ की गई थी :

(i) श्री चरण सिंह, कनिष्ठ इंजीनियर (ड्रेनेज)

(ii) श्री बिनोद कुमार, कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल)

(iii) श्री रघुबीर डबास, सेनेट्री निरीक्षक

(iv) श्री राम किशन, सहायक सेनेट्री निरीक्षक

(v) श्री कुलदीप, सफाई कर्मचारी।

दिल्ली में पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए योजना

2374. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया :**
श्री बलराम पासी :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री राम कृष्ण कुसमारिया :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में केवल पैदल चलने वाले यात्रियों को ही अनुमति देने की कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि कनॉट प्लेस क्षेत्र के सम्पूर्ण कायाकल्प के लिए एक स्कीम तैयार की गई है। इस बृहद् स्कीम में क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, भूमिगत मार्गों का निर्माण पैदल पथ और मल्टी-टॉयर पार्किंग का निर्माण अतिरिक्त जन सुविधाओं का प्रावधान, कनॉट प्लेस से होकर गुजरने वाले यातायात को निरुत्साहित करना, मुख्य रेडियल मार्गों का सुधार, वायु और शोर प्रदूषण के स्तरों को कम करना, कनॉट प्लेस विशेषकर आंतरिक सर्कल में वाहन यातायात की भीड़भाड़ को कम करना, वाहन यातायात तथा पैदल यात्रियों के लिए आंतरिक सर्कल मार्ग बन्द करना शामिल है।

मैसर्ज राइट्स, भारत सरकार के संगठन को भी कर्नाट प्लेस क्षेत्र में पैदल आवागमन पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। अन्तिम रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। इस सम्बन्ध में नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा आगामी कदम मैसर्ज राइट्स तथा इसके द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उठाए जाएंगे।

विदेशी निवेश

2375. **श्री रार पुक्षन पटेल :**
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की उदार विदेशी निवेश नीति के परिणामस्वरूप विदेशी उद्यमियों द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था पर नीतिगत नियन्त्रण कर लिए जाने को रोकने के लिए सुरक्षोपाय के रूप में कुछ कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) :(क) से (ग) 24 जुलाई, 1991 को लोक सभा में सभापटल पर रखे गए औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अनुसार देश के लिए महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों को या तो सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित कर दिया गया है अथवा उसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है । इन उद्योगों में पूंजी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है ।

राज्यों को औद्योगिक लाइसेंस

2376. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान अब तक औद्योगिक लाइसेंस हेतु कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इसके लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए तथा उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन पत्र रद्द किए गए और सरकार के पास कुल लम्बित आवेदन पत्रों की, राज्य वार, संख्या कितनी हैं, और

(ख) इन्हें लाइसेंस जारी न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या, जारी किए गए अनुमोदनों (औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र) की संख्या, नामंजूर किए गए आवेदनों की संख्या और लम्बित पड़े आवेदनों की कुल संख्या संलग्न विवरणियों में उल्लिखित हैं ।

विवरण-I

वर्ष 1989, 1990, 1991 और 1992 (फरवरी, 1992 तक) के दौरान औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों के राज्यवार ब्यौरे का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1989	1990	1991	1992
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2		1	—
2.	आंध्र प्रदेश	270	187	233	13
3.	अरुणाचलम प्रदेश	2	—	2	1

1 2	3	4	5	6
4. असम	21	11	6	4
5. बिहार	63	58	27	1
6. चंडीगढ़	2	3	1	—
7. दादरा एण्ड नगर हवेली	10	6	5	—
8. दमन एण्ड दीव	9	6	13	—
9. दिल्ली	13	5	13	1
10. गोवा	32	11	7	2
11. गुजरात	226	155	142	15
12. हरियाणा	156	101	106	10
13. हिमाचल प्रदेश	55	34	31	—
14. जम्मू और कश्मीर	21	14	9	—
15. कर्नाटक	151	146	117	7
16. केरल	30	24	22	7
17. लक्यद्वीप	—	—	—	—
18. मध्य प्रदेश	252	139	144	6
19. महाराष्ट्र	475	436	295	19
20. मणिपुर	10	1	—	—
21. मेघालय	5	1	4	—
22. मिजोरम	—	—	—	—
23. नागालैंड	2	2	—	1
24. उड़ीसा	61	49	36	2
25 पांडीचेरी	42	7	6	—
26. पंजाब	174	101	60	5
27. राजस्थान	97	68	105	2
28. सिक्किम	2	2	1	—
29. तमिलनाडु	207	159	128	15
30. त्रिपुरा	1	—	1	—

2	3	4	5	6
31. उत्तर प्रदेश	588	495	235	17
32. पश्चिमी बंगाल	97	70	53	10
33. एक से अधिक राज्य	31	25	21	—
योग :	3107	2316	1824	138

विवरण-II

वर्ष 1989, 1990, 1991 और 1992 (जनवरी तक) के दौरान जारी किए गए आशय पत्रों (एल० ओ० आई०) और औद्योगिक लाइसेंसों (आई० एल०) के राज्यवार ब्यौरे का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1989		1990		1991		1992 (फरवरी 1992 तक)	
		एल ओ आई	आई एल	एल ओ आई	आई एल	एल ओ आई	आई एल	एल ओ आई	आई एल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	103	37	55	23	58	12	13	3
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	—	—	—	1	1	—
4.	असम	5	3	4	2	4	—	—	—
5.	बिहार	15	5	11	8	7	5	1	—
6.	चंडीगढ़	1	—	1	1	2	—	—	—
7.	दादरा और नगर हवेली	4	—	2	1	—	—	—	—
8.	दमन और द्वीव	3	2	—	—	—	1	—	—
9.	दिल्ली	4	3	5	6	3	4	—	—
10.	गोवा	11	3	7	2	6	2	1	—

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. गुजरात	133	49	69	38	101	34	27	1
12. हरियाणा	68	15	44	13	32	18	5	3
13. हिमाचल प्रदेश	17	4	13	6	14	2	5	—
14. जम्मू और कश्मीर	9	5	8	1	1	1	1	—
15. कर्नाटक	75	39	59	30	54	16	4	2
16. केरल	13	7	7	4	13	4	1	—
17. लक्यद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—
18. मध्य प्रदेश	52	25	47	16	46	10	1	1
19. महाराष्ट्र	198	72	160	79	173	54	22	3
20. मणिपुर	5	—	—	1	—	—	—	—
21. मेघालय	2	1	—	—	—	—	—	—
22. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—
23. नागालैंड	—	—	2	—	—	1	—	—
24. उड़ीसा	24	4	12	5	12	6	—	—
25. पांडीचेरी	6	4	3	2	3	2	1	—
26. पंजाब	51	14	36	14	32	14	6	1
27. राजस्थान	28	12	23	6	26	6	4	—
28. सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—
29. तमिलनाडु	119	44	97	53	68	28	18	5
30. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—
31. उत्तर प्रदेश	196	51	124	55	108	23	10	1
32. पश्चिमी बंगाल	33	14	32	10	28	3	3	1
33. राज्य जिसका उल्लेख नहीं किया गया/एक से अधिक राज्य	6	4	4	3	4	4	1	—
योग :	1182	418	825	387	795	251	124	21

विवरण-III

वर्ष 1989, 1990, 1991 और 1992 (फरवरी तक) के दौरान मामंजूर किए गए मामलों के राज्यवार ब्यौरे का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1989	1990	1991	1992 (फरवरी तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	1	—
2.	आंध्र प्रदेश	110	80	46	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	—	—	—
4.	असम	8	6	1	—
5.	बिहार	23	15	6	—
6.	चंडीगढ़	—	1	—	—
7.	दादरा और नगर हवेली	—	5	1	—
8.	दमन और द्वीव	1	1	3	—
9.	दिल्ली	4	4	3	—
10.	गोवा	8	6	1	—
11.	गुजरात	85	66	25	—
12.	हरियाणा	39	35	29	—
13.	हिमाचल प्रदेश	8	14	—	—
14.	जम्मू और कश्मीर	5	4	1	—
15.	कर्नाटक	41	44	11	—
16.	केरल	9	10	3	—
17.	लक्ष्यद्वीप	—	—	—	—
18.	मध्य प्रदेश	76	65	22	—
19.	महाराष्ट्र	152	116	39	—
20.	मणिपुर	3	1	—	—
21.	मेघालय	2	—	1	—

1 2	3	4	5	6
22. मिजोरम	—	—	—	—
23. नागालैंड	—	1	—	—
24. उड़ीसा	27	24	2	—
25. पांडिचेरी	18	4	1	—
26. पंजाब	71	40	16	—
27. राजस्थान	17	26	18	—
28. सिक्किम	—	—	—	—
29. तमिलनाडु	66	71	22	—
30. त्रिपुरा	—	—	—	—
31 उत्तर प्रदेश	212	157	33	—
32. पश्चिमी बंगाल	37	26	7	—
33. राज्य, जिसका उल्लेख नहीं किया गया/एक से अधिक राज्य	5	8	1	—
योग :	1029	830	293	—

विवरण-IV

लम्बित पड़े मामलों के राज्यवार ब्यौरे का विवरण

क्रम सं• राज्य/शासित क्षेत्र	
1 2	3
1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—
2. आंध्र प्रदेश	413
3. अरुणाचल प्रदेश	2
4. असम	22
5. बिहार	69

1 2	3
6. चंडीगढ़	2
7. दादरा और नगर हवेली	7
8. दमन और द्वीव	22
9. दिल्ली	4
10. गोवा	16
11. गुजरात	60
12. हरियाणा	144
13. हिमाचल प्रदेश	52
14. जम्मू और कश्मीर	17
15. कर्नाटक	159
16. केरल	30
17. लक्यद्वीप	—
18. मध्य प्रदेश	173
19. महाराष्ट्र	478
20. मणिपुर	1
21. मेघालय	5
22. मिजोरम	—
23. नागालैंड	2
24. उड़ीसा	33
25. पांडिचेरी	23
26. पंजाब	85
27. राजस्थान	122
28. सिक्किम	4
29. तमिलनाडु	94
30. त्रिपुरा	—
31. उत्तर प्रदेश	546
32. पश्चिमी बंगाल	60
33. एक से अधिक राज्य	17
योग :	2662

सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में गिरावट

[अनुवाद]

2377. श्री भाग्ये गोचर्वन :
श्री रवि राय :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में गिरावट आने के क्या कारण हैं;

(ख) घरेलू और निगमित क्षेत्र की बचतों में वृद्धि की तुलना में सरकारी क्षेत्र की बचतों में तेजी से गिरावट आने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) में विकास की दर 1980 के दौरान देखी गई प्रवृत्तियों के अनुरूप 5.6 प्रतिशत है। जिनमें 5.6 प्रतिशत की औसत संयुक्त विकास दर रिकार्ड की गई थी। 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि 1989-90 की तुलना में कम रही है क्योंकि पूर्ववर्ती वर्ष (1989-90) में औसत संवृद्धि अधिक रही जबकि सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि 6 प्रतिशत थी।

(ख) 80 के दशक में सार्वजनिक बचतों में कमी की प्रवृत्ति रही है जो 1990-91 में जारी रही। सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के अनुसार सार्वजनिक बचतों में 1980-81 में 3.4 से 1989-90 में 1.6 तथा 1990-91 में 0.9 की कमी आयी है। यह कमी मुख्यत: सरकार के व्यय में उनके राजस्वों की तुलना में तीव्र वृद्धि होने के परिणामस्वरूप सरकारी बचत की चिन्ताजनक स्थिति के कारण है।

(ग) सरकार ने व्यय को कम करने तथा राजस्व आय में वृद्धि करने के कई उपाय किए हैं। इन उपायों में सरकारी व्यय सहित इमदाद में कमी, अन्य व्यय में कमी करके अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान, सार्वजनिक ऋण तथा ब्याज भुगतान में कमी करके बजट घाटे में कमी करना शामिल है। इन उपायों से प्रत्यक्ष आधार कर में विस्तार करने तथा अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाने में राजस्व में वृद्धि होगी।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा रक्षा उपकरणों का निर्यात

2378. श्री हरिकिशोर सिंह : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भेल" द्वारा किए जाने वाले रक्षा उपकरणों के निर्यात में धीरे-धीरे कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990 में किए गए निर्यात की तुलना में "भेल" द्वारा वर्ष 1991 के अंत तक रक्षा उपकरणों के निर्यात में कितने प्रतिशत कमी आई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जिनको किए जाने वाले निर्यात में कमी आई है; और

(ङ) सरकार ने "भेल" द्वारा रक्षा उपकरणों के निर्यात हेतु विदेशी बाजारों से सम्पर्क करने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) भेल रक्षा उपकरणों का निर्यात नहीं कर रहा।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं की लागत को सकल घरेलू उत्पाद में शामिल करना

2379. श्री के० पी० रेड्डय्या मालय : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की सेवा लागत को सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्वदेशी उद्योगों तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा घरेलू उत्पाद में किए गए योगदान की मात्रा तथा प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार विभागीय उद्यमों जैसे रेलवे, संचार आदि को चलाने के लिए तथा प्रशासनिक और रक्षा सेवाओं के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से सम्बन्धित समुदाय सेवाओं के लिए सेवाएं प्रदान करती है। इन सेवाओं की लागत में वस्तुओं और सेवाओं पर साधन भुगतान तथा व्यय शामिल है। वस्तुओं तथा सेवाओं के मध्यवर्ती उपभोग को छोड़कर, यह लागत सकल घरेलू उत्पाद में शामिल की गई है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग तथा आपूर्ति उत्पन्न करती है।

(ग) ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड

2380. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का गठन कब हुआ तथा इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों में कुल निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बोर्ड के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य के पैरा 39 ख(5) में दिए गए निर्णय के अनुसरण में सरकार ने 22 अगस्त, 1991 को विदेशी पूंजी निवेश संवर्धन बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति हैं :—

1. प्रधान मन्त्री के मुख्य सचिव ।
2. वित्त सचिव ।
3. वाणिज्य सचिव ।
4. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग ।

(ख) से (घ) बोर्ड की सिफारिश पर सरकार ने फरवरी, 1992 के अन्त तक 10 प्रस्ताव मंजूर किए हैं, जिनमें 505 करोड़ रुपए से अधिक कुल विदेशी पूंजी निवेश की परिकल्पना की गयी है ।

स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्तावों के ब्यौरे, अर्थात भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम, सहयोग का प्रकार और विनिर्माण की मदें भारतीय निवेश केंद्र, नई दिल्ली द्वारा अपने मंथली न्यूजलैटर के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किए जा रहे हैं । इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं ।

नीतिगत मामला होने के कारण लम्बित परियोजनाओं के ब्यौरे जनहित में प्रकट नहीं किए जाते ।

टेलिविजन उद्योग

[हिन्दी]

2381. **श्री रामलखन :**
श्री आर्य फर्नान्डीज :
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्पाद शुल्क की दरों में वृद्धि के कारण 30 प्रतिशत टेलिविजन निर्माण इकाइयों के बन्द होने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार टेलिविजन उद्योग को बढ़ावा देने का है;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में 36 सेंटीमीटर के श्वेत-श्याम टेलिविजन सैटों का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे कितने निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही की है; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) टी० वी० उद्योग के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किए गए/शुरू किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

I. सामान्य नीति तथा कार्य प्रणाली संबंधी उपाय

लाइसेंसिंग

(क) समूचे इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को अन्य उद्योग के मामले में लगाए गए स्थापना स्थल संबंधी प्रतिबन्धों से मुक्त कर दिया गया है।

(ख) श्याम तथा श्वेत टी० वी० सेटों के लिए सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मामले में जिनमें एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियां शामिल हैं, लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई है।

(ग) अलग-अलग मामले में चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पी० एम० पी०) प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।

(घ) लघु उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। अनुमोदनों/पंजीकरणों का पूरी तरह विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और अब राज्य स्तरीय उद्योग निदेशालयों के स्तर पर यह कार्य किया जा सकता है। इस क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश की सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दी गई है तथा सहयोगी इकाइयों के मामले में यह सीमा 75 लाख रुपए कर दी गई है।

(ङ) विद्यमान इकाइयों को एक ही लाइसेंस के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने

की अनुमति के अंतर्गत किसी प्रकार के अतिरिक्त पूंजीनिवेश के बिना ही किसी भी वस्तु का विनिर्माण करने की अनुमति कुछ शर्तों के अधीन दी जाती है।

(च) एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति (एम० आर० टी० पी०) अधिनियम में संशोधन होने के फलस्वरूप एम० आर० टी० पी० के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों की सम्पत्ति की आरम्भिक सीमा समाप्त हो गई है।

आयात तथा निर्यात नीतियां

(क) आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं, कलपुर्जों तथा संघटक-पुर्जों के आयात के लिए 1992-93 के बजट में लागू की गई आंशिक परिवर्तनशीलता प्रणाली के माध्यम से मुक्त रूप से विदेशी मुद्रा की उपलब्धता का प्रावधान किया गया है।

(ख) औजार, सांचे, मोल्ड, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत घटे हुए सीमा शुल्क पर उपलब्ध हैं।

(ग) उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से आयात नीति को उदार बनाया जा रहा है।

इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी पार्क

सरकार द्वारा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक कम्पनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, ताकि अद्यतन प्रौद्योगिकी से विश्वस्तरीय विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की जा सकें। इससे भारतीय उद्यमों को प्रचालन के विश्वव्यापी स्तर को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार उनके उत्पाद तथा प्रक्रिया की गुणवत्ता और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी।

व्यापार की गति

इलेक्ट्रानिक उद्योग में व्यापार की गति में सुधार लाने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रानिकी उद्योग के विकास की गति में तेजी लाने के लिए लाइसेंसिंग, सीमा शुल्क, मूल संरचनात्मक सुविधाओं आदि से सम्बन्धित प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करना है।

II. मूलसंरचनात्मक तथा अन्य सुविधाएं

(क) गुणवत्ता के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इनमें से कुछ प्रयोगशालाएं गुणवत्त सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय मानकों के परीक्ष तथा प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत हैं। इससे इलेक्ट्रानिक उत्पादों के निर्यात में अवश्य सहायता मिलेगी।

(ख) उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी के उत्पादन का सुनिश्चय कराने की दृष्टि से, श्याम तथा श्वेत टी० वी० तथा रंगीन टी० वी० के लिए प्रमाणीकरण की योजनाएं आरम्भ की गई हैं।

(ग) "वर्ष 1992 के उपरांत एकल यूरोपीय बाजार" में निर्यात के प्रयोजन से आई० एस० ओ० 9000 की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से उचित साधन जुटाने के लिए उद्योग की सहायता करने तथा उन्हें सहयोग प्रदान करने की कोशिश की जा रही है ।

(घ) प्रौद्योगिकी विकास परिषद, राष्ट्रीय रेडार परिषद, राष्ट्रीय सूक्ष्म इलेक्ट्रानिकी परिषद तथा इलेक्ट्रानिकी सामग्री विकास परिषद द्वारा उत्पाद डिजाइन तथा विकास और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जो किसी भी इलेक्ट्रानिकी उद्योग के विकास के मूलभूत तत्व हैं, कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(ङ) चुने हुए क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के कार्य करने के लिए इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों की भी स्थापना की गई है जो आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार का विकास करने का उपाय है ।

(च) देश के विभिन्न भागों में कई इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्रों (सी० ई० डी० टी०) की स्थापना की गई है जिसका मूल उद्देश्य डिजाइन, उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण, विश्वसनीयता, अनुरक्षण आदि का सम्यक् रूप से ध्यान रखते हुए विनिर्माण प्रक्रिया जैसे पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर देना है ।

(छ) आम उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक उत्पादों की मरम्मत-सेवा तथा रख-रखाव के लिए 101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छः महीने की अवधि का मरम्मत-सेवा तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ।

मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

2382. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री योगानन्द सरस्वती :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के डकैत ग्रस्त क्षेत्रों और वन क्षेत्रों से होते हुए सड़कों के निर्माण कार्य में क्या-क्या समस्यायें आ रही हैं; और

(ख) इन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मन्त्रालय मध्य प्रदेश राज्य सरकार को राज्य के दस्यु ग्रस्त क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली अनुमोदित सड़कों के निर्माण के लिए निधियां स्वीकृत करता है । अनुमोदित सड़कों का वास्तविक निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के अपवर्तन के लिए मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बित नहीं है ।

नैवेली बिजली यूनिट

[अनुवाद]

2384. डा० आर० थीधरण : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैवेली बिजली यूनिट में 19 नवम्बर, 1991 को उत्पादन बन्द हो गया था;

(ख) क्या तोड़-फोड़ के कारण उत्पादन बन्द हुआ था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० डी० श्यामगौड) : (क) से (ग) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की खान-II में चक्रवात और भारी वर्षा होने के कारण 14 और 15 नवम्बर, 1991 को बाढ़ आ गई थी। इसके परिणामस्वरूप कच्चे लिग्नाइट ईंधन के लिए खान-II से जुड़े ताप विद्युत संयंत्र-II ने भी दिनांक 15-11-1991 से विद्युत का उत्पादन करना बन्द कर दिया था। इस संबंध में कोई विस्फोटक कार्रवाई की आशंका करने की कोई संभावना नहीं है।

(घ) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को निर्देश दिए गए थे कि दूसरी खान से लिग्नाइट के उत्पादन को पुनःस्थापित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएं और दूसरे ताप विद्युत स्टेशन से यथा-संभव शीघ्र ही विद्युत उत्पादन को सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को सतही जल निकासी (सर्फेस ड्रेनेज) की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु लघु अवधि कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए थे और उन्हें दीर्घावधि उपायों के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ परस्पर सम्पर्क रखने की सलाह दी गई थी।

खान-II को जलरहित बनाने के लिए नेयवेली लिग्नाइड कारपोरेशन के प्रबन्धन द्वारा शीघ्र कदम उठाए गए। बाढ़ के पानी की निकासी के कार्य को जनवरी, 1992 के प्रथम सप्ताह तक संतोषप्रद ढंग से पूरा कर लिया गया। संयंत्रों में सुधार किए जाने के पश्चात् मलबा उत्पादन की प्रणाली को पुनः चालू करने के लिए प्रबन्धन द्वारा समानांतर कार्रवाई की गई। मलबा हटाने का कार्य 19 नवम्बर, 1991 से पुनः चालू किया गया और इसे धीरे-धीरे सुदृढ़ कर लिया गया। 1 जनवरी, 1992 को बाढ़ से जमा गाद को साफ करने की कठिन कार्रवाई को समाप्त करने के पश्चात् लिग्नाइट उत्पादन को पुनः चालू किया गया। जलमग्न हुए सभी खनन और विद्युत उपकरणों को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लिया गया और आवश्यक मरम्मत कार्य करके उन्हें पुनः चालू कर दिया गया। ताप विद्युत स्टेशन-II की प्रथम यूनिट ने दिसम्बर, 91 के अन्तिम सप्ताह में और चौथी यूनिट ने जनवरी, 1991 के तृतीय सप्ताह में उत्पादन पुनः चालू कर दिया है।

तमिलनाडु में अरबी में कोयले की उपलब्धता

2385. श्री आर० जीवनरत्नम् : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में अरणी और तिरूवलामलाई में कोयले की उपलब्धता का पता लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी०न्यामगौड) : (क)और (ख) तमिलनाडु के अरणी तथा तिरूवनामलाई क्षेत्रों में भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा कोयले का कोई क्षेत्रीय अन्वेषण नहीं किया गया है चूंकि उक्त क्षेत्रों में कोयले के भण्डारों के होने की कोई गुंजाइश नहीं है। भारतीय भू-सर्वेक्षण का उक्त क्षेत्रों का अन्वेषण किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में खनिज आधारित एकक

[हिन्दी]

2386. **डा० लाल बहादुर राय** : क्या प्रधानमंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में खनिज पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए किसी उपयुक्त स्थान का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले के मूल्यों में वृद्धि

[अनुवाद]

2387. **श्री रामकृष्ण मोल्ताला** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से विभिन्न श्रेणियों के कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) इस मन्त्रालय में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

सोयाबीन के तेल का आयात

[हिन्दी]

2388. **श्री मोहन सिंह** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने सोयाबीन के कितने तेल का आयात किया;

(ख) क्या सोयाबीन के तेल के स्थान पर सोयाबीन का आयात किया जा सकता है;

(ग) 1992-93 के दौरान खाद्य तेलों में कितनी कमी आई है; और

(घ) क्या केवल तेल आयात से यह कमी पूरी हो जाएगी; यदि हां, तो कितनी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) तेल वर्ष 1988-89 के दौरान डच ऋण के तहत परिष्कृत सोयाबीन के तेल की 0.1 लाख मी० टन मात्रा का आयात किया गया था। इसके बाद सोयाबीन के तेल का कोई आयात नहीं किया गया है।

(ख) इस मन्त्रालय ने खाद्य तेलों के बजाए तिलहन का आयात करने के सम्बन्ध में एक विस्तृत अध्ययन किया था और यह पाया कि तिलहन की तुलना में खाद्य तेलों का आयात करना किफायती है।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान खाद्य तेलों की कमी सात लाख मी० टन के लगभग होने का अनुमान है।

(घ) इस कमी को आमतौर पर खाद्य तेलों के आयात के जरिए पूरा किया जाता है। तथापि, किसी वर्ष विशेष में यह आयात विभिन्न बातों, जैसे विदेशी मुद्रा की उपलब्धता, खाद्य तेलों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, खाद्य तेलों का देशीय उत्पादन इत्यादि पर निर्भर करता है।

डी० डी० ए० कालोनी, मोतियाखान

2389. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोतियाखान में डी० डी० ए० कालोनी का निर्माण योजना के अनुसार अभी तक पूरा नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) मोतिया खान आवास परिसर में विभिन्न कारणों से निम्नलिखित मकान पूरे नहीं किए जा

सके । इनको पूरा किए जाने की संभाव्य तारीख के साथ इनके ब्यौरे निम्नांकितानुसार हैं :—

क्रम सं०	कार्य का नाम	पूरा होने की संभाव्य तारीख
I.	मोतिया खान में 24 मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों का निर्माण	1992-93
II. (क)	मोतिया खान में 84 (बहुमंजिले) स्व-वित्त पोषित योजना फ्लैटों का निर्माण, ब्लाक 2 और 5	1993-94
(ख)	मोतिया खान में 66 स्व-वित्त पोषित योजना (बहुमंजिले) फ्लैटों का निर्माण, ब्लाक 1	1993-94
(ग)	मोतिया खान में ब्लाक 3 और 4 में 108 (बहुमंजिले) स्व-वित्त पोषित फ्लैटों का निर्माण	इस समय भूमि झुग्गियों से अतिक्रमणाधीन है । तथापि, अतिक्रमण के हटने की शर्त पर फ्लैटों को 1994-95 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की वैज्ञानिक पत्रिकाएं

2390. **श्री विनय कटियार** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही वैज्ञानिक पत्रिकाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल पत्रिकाओं में से उन पत्रिकाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें हिन्दी भाग नहीं है; और

(ग) इन पत्रिकाओं में शामिल करने के लिए हिन्दी में अनुसंधान लेख कब तक स्वीकार किए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) निम्नांकित विज्ञान पत्रिकाएं सी०एस०आई०आर० के प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय (पी०आई० डी०), नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की जाती है :—

1. साइंस रिपोर्टर (अंग्रेजी—मासिक)
2. सी०एस०आई०आर० न्यूज (अंग्रेजी—पाक्षिक)

3. विज्ञान प्रगति (हिन्दी—मासिक)

4. सी०एस०आई०आर० समाचार (हिन्दी—पाक्षिक)

5. साइंस की दुनिया (उर्दू—त्रैमासिक)

प्रत्येक पत्रिका की सामग्री अनन्य रूप से उसी भाषा की होती है जिसमें उसे प्रकाशित किया जाता है।

(ग) पी०आई०डी० ने जून, 1991 से वर्ष में दो बार एक हिन्दी अनुसंधान पत्रिका के प्रकाशन के लिए कार्रवाई शुरू की। इसका व्यापक प्रचार किया गया। इस सम्बन्ध में हिन्दी में केवल 3 अनुसंधान पत्र प्राप्त हुए, तथापि रेफरीज (निर्णायकों) द्वारा प्रकाशन के लिए कोई भी अनुसंधान पत्र स्वीकार नहीं किया गया।

उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म के कोयले की सप्लाई

[अनुवाद]

2391. श्री पी० जी० नारायणन : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड का विचार अपने बड़ी मात्रा में कोयला खरीदने वाले उपभोक्ताओं को निकट भविष्य में 100 प्रतिशत अच्छी किस्म के कोयले की सप्लाई करना है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कोयला उद्योग से श्रमिकों की छंटनी करना है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितने श्रमिकों की छंटनी करने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन्हें अन्य क्षेत्रों में रोजगार देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० जी० न्यामगौड) : (क) और (ख) समान आकार के कोयले के लदान को सुनिश्चित किए जाने के लिए जोकि बाह्य पदार्थों से रहित हो, उसके लिए लदान केन्द्रों पर कोयला रख-रखाव सयंत्रों की व्यवस्था की जा रही है। कोल इंडिया लि० गुणवत्ता नियंत्रण पर अब बहुत जोर दे रही है। उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों पर निगरानी रखी जाती है और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। कोलियरियों पर वैगन लदान के पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्य को भी सख्त कर दिया गया है और विद्युत उपयोगिताओं को लदान केन्द्रों पर भी लदान के निरीक्षण की सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान कार्य

2392. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री उद्धव बर्मन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में कार्यरत अनुसंधान प्रयोगशालाओं, केन्द्रों, वैज्ञानिकों तथा अन्य कर्मचारियों का ब्योरा क्या है; वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा इन पर प्रतिवर्ष कुल कितना खर्च किया जाता है तथा इसकी परिसम्पत्तियों पर कुल कितना पूंजी-निवेश किया गया है;

(ख) उन उद्योगों और उनके उत्पादों का ब्योरा क्या है, जिन्होंने भौतिक विज्ञान; रसायन विज्ञान; जीव विज्ञान; इंजीनियरिंग; औषधि; सूचना विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में अब तक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के औद्योगिक अनुसंधान की उपलब्धियों का उपयोग किया;

(ग) अब तक निकाले गये अनुसंधान सम्बन्धी पत्रों का ब्योरा क्या है और उनमें से कितनों ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं में स्थान पाया है;

(घ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं और केन्द्रों को या तो सम्बद्ध मन्त्रालयों अथवा विभिन्न विश्वविद्यालयों से जोड़ने के सुझावों पर कब विचार किया गया था और उसके परिणामों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) कुछ अनुसंधान प्रयोगशालाओं/केन्द्रों को कतिपय संस्थाओं/उद्योगों अथवा विश्वविद्यालयों के अनुसंधान और विकास विंगों से जोड़ने के सम्बन्ध में क्या प्रयास किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) अनुसंधान प्रयोगशालाओं/केन्द्रों का ब्योरा 'विवरण-I' में दिया गया है। अन्य अपेक्षित विवरण निम्नांकित है :—

I. **जन शक्ति**

(क) वैज्ञानिक	—	6000 (लगभग)
(ख) अन्य तकनीकी स्टाफ	—	13000 (लगभग)
(ग) प्रशासनिक स्टाफ	—	5700 (लगभग)

II.	वर्ष 1990-91 के दौरान हुआ कुल व्यय	—	308.05 करोड़ रुपये
III.	वर्ष 1991-92 के दौरान व्यय (आकलित)	—	339.62 करोड़ रुपये
IV.	31-3-1991 तक नियत परि-सम्पत्तियों में किया गया निवेश	—	655.20 करोड़ रुपये

(ख) अद्यतन सी०एस०आई०आर० प्रयोगशालाओं से 1800 से अधिक प्रक्रियाओं/तकनीकी जानकारियों का लाइसेंस उद्योग के लिए दिया जा चुका है, जिनमें से लगभग 45 प्रतिशत का व्यावसायिक उपयोग किया गया है। उद्योग द्वारा प्रयोग में लाई गई सी० एस० आई० आर० की कुछ प्रमुख तकनीकी जानकारियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) गत पांच वर्षों में प्रकाशित 9451 अनुसंधान पत्रों में से 5830 पत्र अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं में थे।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, सी० एस० आई० आर० सोसायटी ने 23 नवम्बर 1977 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में, सी० एस० आई० आर० की चार प्रयोगशालाओं, जिनके नाम हैं—केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून को सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभाग को प्रयोगात्मक आधार पर हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जो 1-4-1978 से प्रभावी था। तथापि, केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के उत्तरवर्ती निर्णय पर सी०एस०आई०आर० सोसायटी द्वारा 15 दिसम्बर, 1980 को सम्पन्न हुई इसकी बैठक मे विचार करके इन प्रयोगशालाओं को पुन: सी० एस० आई० आर० के अधीन कर दिया गया। हस्तांतरण इस तथ्य पर आधारित था कि वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक गतिविधियां स्वायत्तशासी रूप मे अधिक लाभकारी हो सकती हैं।

सी० एस० आई० आर० के अध्यक्ष के रूप मे प्रधानमन्त्री द्वारा 1986 में नियुक्त की गई सी० एस० आई० आर० रिव्यू कमेटी ने भी सी०एस०आई०आर० की कुछ प्रयोगशालाओं को सम्बद्ध सरकारी वैज्ञानिक विभागो को हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी। तथापि, सी०एस०आई०आर० सोसायटी ने इन प्रयोगशालाओ को सी०एस०आई०आर० पद्धति मे ही बनाए रखा और सी०एस०आई० आर० के निर्णयकारी विभिन्न निकायों और इसकी प्रयोगशालाओं मे वैज्ञानिक विभागो/एजेंसियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मुहैया कराने के लिए संशोधित संगठनात्मक स्वरूप की और इस प्रकार सम्बद्ध प्रयोगशालाओं के अनुसंधान कार्यक्रमों के नियोजन, सूत्रण तथा अनुवीक्षण मे यथोचित समन्वयन और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की सिफारिश की।

विवरण-I

परिषद के प्रतिष्ठान

भौतिक एवं भू-विज्ञान समूह

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली	(एनपीएल)
केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी	(सीईईआरआइ)
केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़	(सीएसआइओ)
राष्ट्रीय भू-भौतिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	(एनजीआरआइ)
राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, दोना पॉला, गोवा	(एनआइओ)

रासायनिक विज्ञान समूह

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे	(एनसीएल)
केन्द्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान, कारैकुड़ी	(सीईसीआरआइ)
केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर	(सीएसएमसीआरआइ)
भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	(आइआइसीटी)
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट	(आरआरएल-जोरहाट)
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून	(आइआइपी)
केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास	(सीएलआरआइ)
केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जियालगोड़ा	(सीएफआरआइ)

जैव विज्ञान समूह

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर	(सीएफटीआरआइ)
केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	(सीडीआरआइ)
राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	(एनबीआरआइ)
भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, कलकत्ता	(आइआइसीबी)
केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ	(सीआइएमएपी)
औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	(आइटीआरसी)
कोशकीय एवं अणु जीव विज्ञान केन्द्र, हैदराबाद	(सीसीएमबी)
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू	(आरआरएल-जम्मू)

सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान, चण्डीगढ़	(इम्टैक)
सीएसआइआर काम्प्लेक्स, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	(सीएसआइआर कांप्लेक्स, पालमपुर)
सीएसआइआर जैवरसायन केन्द्र, दिल्ली	(सीएफबी)
इंजीनियरी विज्ञान समूह	
केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की	(सीबीआरआइ)
केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	(सीआरआरआइ)
केन्द्रीय कांच तथा सिरैमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता	(सीजीसीआरआइ)
राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर	(एनएमएल)
केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, धनबाद	(सीएमआरएस)
केन्द्रीय यांत्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर	(सीएमईआरआइ)
राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर	(एनईईआरआइ)
राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, बंगलूर	(एनएएल)
संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, मद्रास	(एसईआरसी-मद्रास)
संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, गाजियाबाद	(एसईआरसी-गाजियाबाद)
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर	(आरआरएल-भुव०)
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम	(आरआरएल-त्रिवेन्द्रम)
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल	(आरआरएल-भोपाल)
सूचना विज्ञान समूह	
प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय, नई दिल्ली	(पीआइडी)
भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केन्द्र, नई दिल्ली	(इन्सडाक)
राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली	(निस्टैड्स)

विवरण-II

उद्योग द्वारा प्रयोग में लाई गई सीएसआईआर की प्रमुख/महत्वपूर्ण जानकारी

औद्योगिक यूनिट/लाइसेंसधारी	प्रौद्योगिकी/जानकारी	सीएसआइआर प्रयोगशाला
1	2	3
I. भौतिकी		
1.1 इलेक्ट्रानिक्स एवं यंत्रीकरण		
भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलूर	1 कि०वा० क्लाइस्ट्रान	सीईईआरआइ
मिनी सर्केट्स प्रा० लि०, बंगलूर	हाइब्रिड माइक्रोसर्केट्स	सीईईआरआइ
मात्विक इलेक्ट्रिक कन्ट्रोल्स प्रा० लि०, नासिक तथा अन्य दो	माइक्रोप्रोसेसर आधारित पैन मानिटरिंग सिस्टम	सीईईआरआइ
इण्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी, लिमि० कलकत्ता एवं वी० के० इण्डस्ट्रीज, पिलानी	माइन वाइण्डर के लिए माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित मानिटरिंग सिस्टम	सीईईआरआइ
कम्प्यूटर कन्ट्रोल्स, गाजियाबाद तथा अन्य दो	शुगर इण्डस्ट्री के लिए प्रोसेस कन्ट्रोल इन्स्ट्रूमेंट	सीईईआरआइ
सैन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमि०, साहिबाबाद	150 कि०वा० थाइरिस्टर कन्वर्टर	सीईईआरआइ
तोशनीवाल इन्स्ट्रूमेंट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, अजमेर	—डिजिटल फोन मीटर —डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर	सीएसआइओ सीएसआइओ
नैना इलेक्ट्रानिक्स, चण्डीगढ़	—डिजिटल पैनल मीटर —डिजिटल पीएच मीटर —डिजिटल मल्टीमीटर —डिसाल्व्ड आक्सीजन एनालाइजर	सीएसआइओ सीएसआइओ सीएसआइओ सीएसआइओ
नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमि०, कलकत्ता	ब्रेथ अल्कोहल एनालाइजर	सीएसआइओ
इंडियन फेराइट्स इण्डस्ट्रीज, बंगलूर	मापट फरोइट्स	एनपीएल

1	2	3
फेराइट्स एण्ड इलेक्ट्रो काम्पोनेंट्स, बंगलूर तथा अन्य दो पार्टियां	हार्ड फेराइट्स	एनपीएल
विन्दल साइंटिफिक इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली एवं श्रेयस इंजी० ए ण्ड कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज, बंगलूर	मिडगेट इलेक्ट्रोड्स	एनपीएल
केएलबी इलेक्ट्रानिक्स, नई दिल्ली	माइक्रोवेव काम्पोनेंट्स	एनपीएल
अडवानी ओरलिकान प्रा० लि०, बम्बई एवं अन्य तीन पार्टियां	प्रोजेक्टर कार्बन	एनपीएल
सिस्ट्रानिक्स, अहमदाबाद	फोटोकापींग मशीन	एनपीएल
सराफ इलेक्ट्रानिक एप्लायंसेज,	—इंडक्शन करैंट मीटर	एनआइओ
कोचीन	—टाइड एण्ड वेव टेलीमीटर	एनआइओ
जिओ इन्स्ट्रूमेंट्स, हैदराबाद	—डी सी अर्थ रेजिस्टिविटी	एनजीआरआइ
	—प्रोट्रान प्रिसिजन मेग्नेटोमीटर	एनजीआरआइ
	—साइसमिक टाइमर	एनजीआरआइ
	—मैलो ई एम प्रोस्पेक्टिंग यूनिट	एनजीआरआइ
टेरा साइंस, हैदराबाद	—प्रोटन प्रिसीजन मेग्नेटोमीटर	एनजीआरआइ
	—डीसी अर्थ रेजिस्टिविटी मीटर	एनजीआरआइ
	—डीसी टू डीसी इन्वर्टर	एनजीआरआइ
II. रसायन आधारित		
2.1 औद्योगिक रसायन		
बुश बोक एलेन इण्डिया लि०, मद्रास	ग्लाइआक्सेलिक एसिड	सीईसीआरआइ
गोदावरी कैल्शियम ग्लूकोनेट कैमिकल्स लिमि०, हैदराबाद	कैल्शियम ग्लूकोनेट	सीईसीआरआइ
ईस्टर्न नैफथा कैमिकल्स, धनबाद	बी-नेफथाल, क्रीसाल एवं रिसार्सिनाल	सीएफआरआइ
कडवानी कैमिकल्स, गोंडल	प्रेसिपिटेटेड सिलिका	सीएसएमसी आरआइ

1	2	3
पार्सिन कैमिकल्स प्रा० लिमि०, हैदराबाद	सोडियम एजाइड	आइआइसीटी
राजस्थान ग्लाइआक्सल लिमि०, उदयपुर एवं अन्य दो पार्टियां	ग्लाइआक्सल	आइआइसीटी
हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स, रासायनी	ब्यूटीनेडायल	एनसीएल
हिन्दुस्तान पालीमर्स, विशाखापत्तनम	ईथाइल अल्कोहल और बेंजीन से इथाइल बेंजीन	एनसीएल
डायमाइन्स एण्ड कैमिकल्स लिमि०, कलोल	एथिलीनडाइऐमीन	एनसीएल
हाइको प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बम्बई	—मिथाइलक्लोरोसिलेन्स —मोनोक्लोरो एसीटिक एसिड	एनसीएल
मेज प्रोडक्ट्स, अहमदाबाद	सारबाइटल	एनसीएल
मीटाइल कारपोरेशन, जमशेदपुर	मेटासव, कोरोजन इन्हिबिटर	एनएमएल
आइपीसीएल, वडोदरा	आरथो एण्ड पैरा जाइलिन	एनसीएल
फास्ट बान्ड्स प्रा० लि०, बंगलूर	साइनोएक्रीलेट्स एडहैसिव्स	आइआइसीटी
2.2 कृषि रसायन		
हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली	—ब्यूटेक्लर —डीडीवीपी —एण्डोसल्फेन	आइआइसीटी आइआइसीटी एनसीएल
सुदर्शन कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पुणे	—डीडीवीपी —डायाजिनान —मोनोक्रोटोफोस —फासफामिडन —क्विनैलफास	आइआइसीटी आइआइसीटी आइआइसीटी आरआरएल, जोरहाट आइआइसीटी और आरआरएल, जोरहाट

1	2	3
नेशनल आरगेनिक कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई	—डीडीवीपी —मोनोक्रोटोफास	आइआइसीटी आइआइसीटी
शॉ वालेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	—डाइमेथोएट —इथीआन	एनसीएल आइआइसीटी
2.3 पेट्रोरिफाइनिंग एवं पेट्रोरासायनिक		
बीपीसीएल, बम्बई	बेंजीन एवं टालूईन के लिए नैफथा का ऐरोमैटिक एक्सट्रैक्शन	आइआइपी
बीपीसीएल, बम्बई	फूड ग्रेड हैक्सेन	आइआइपी
आइपीसीएल, बडोदरा	पाइरोलाइसिस गैसोलाइन हाइड्रोजेनेशन	आइआइपी
ओएनजीसी, देहरादून एवं अन्य कई पार्टियां	ल्यूब आयल रिफाइनिंग	आइआइपी
2.4 चमड़ा एवं चमड़े की अन्य वस्तुएं		
बामर लारी कम्पनी लि०, कलकत्ता	—अलक्रोटन एवं अल्यूटन —फास्फोराइल्टेड फैट लिकर	सीएलआरआइ
एलाइड रेजिन्स एण्ड कैमिकल्स, लि०, कलकत्ता एवं अन्य कई पार्टियां	सिंथेटिक टैनिंग एजेन्ट्स	सीएलआरआइ
III. जीव विज्ञान		
ए० वी० थामस एण्ड कम्पनी लि०, मद्रास एवं तीन अन्य पार्टियां	इलायची के लिए प्लांट टिशू कल्चर	एनसीएल
बायोप्राडक्ट्स, बंगलूर एण्ड ट्वैन्टीफर्स्ट सैन्चुरी एंटरायट्स, हल्दिया	बीपीपीएस (प्लांट ग्रोथ) रेगूलैन्ट	आरआरएल, जोरहाट
धामपुर शुगर मिल्स लि०, नई दिल्ली	मोलैसेज का फरमेंटेशन	एनसीएल
टाटा टी लि०, मुन्नार केरल	बेलाडोना कल्टीवेशन	सीआइएमएपी
एस० एच० केलकर एण्ड कम्पनी लि०, बम्बई	लेवेंडर कल्टीवेशन एण्ड प्रोसेसिंग	सीआइएमएपी

1	2	3
डा० पटनी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, बम्बई	पाइरेथ्रम कल्टीवेशन एण्ड प्रोसेसिंग	सीआइएमएपी
भूटान सरकार	पामरोजा कल्टीवेशन	सीआइएमएपी
अनेक छोटे किसान	जावा सिट्रोनेला	आरआरएल, जोरहाट
IV. इन्जीनियरी		
4.1 मशीनरी एवं संयंत्र		
पंजाब ट्रैक्टर्स एण्ड पीएसआइडीसी, चण्डीगढ़	ट्रैक्टर (20 एच पी)	सीएमईआरआइ
ग्रीनफील्ड ट्रैक्टर, नई दिल्ली	रोटीवेटर	सीएमईआरआइ
भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स, वाइजाग एण्ड टिटेनियम इक्यूपमेंट एण्ड एनोड मैं० कम्पनी मद्रास एवं बिमको लिमिटेड, बम्बई	टिटेनियम सब्स्ट्रेट इन्साल्यूबल एनाड्स	सीईसीआरआइ
कच्छ सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, कच्छ एवं अन्य कई पार्टियां	सीमेंट बनाने के लिए वर्टीकल शाफ्ट किन	आरआरएल, जोरहाट
अनेक लघु इकाइयां	—हाइड्रोलिक प्राप्स — सफारी/क्विक सैटिंग क्लैंप्स	सीएमआरएस
गणेश ट्रेडर्स, लटूर एण्ड धूमदादरी स्टील इंडस्ट्रीज, गाजियाबाद	आटोमैटिक ब्रिक मोलिडंग मशीन	सीएमईआरआइ
विजया स्विंग प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता	इंडस्ट्रीयल स्विंग एण्ड आटोमेटिक क्लाथ कटिंग मशीन	सीएमईआरआइ
मैक्नली भारत इंजी० कम्पनी, कलकत्ता	केबल स्ट्रैन्डिंग मशीन	सीएमईआरआइ
टूल क्राफ्ट, बंगलूर	ई डी एम—25 एम्पीयर	एनएएल
4.2 सामग्री		
टिस्को, जमशेदपुर	ग्रिप बार्स	एसईआरसी, (मद्रास)

1	2	3
जगधात्री ब्रिक इंडस्ट्रीज, पश्चिम बंगाल एवं दस अन्य	फ्लाई ऐश ब्रिक्स	सीएफआरआइ
सुर इनेमल एण्ड स्टैंपिंग वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	राइस हस्क ऐश से इन्सूलेटिंग ब्रिक्स	सीजीसीआरआइ
पाइल इंजीनियर्स, पटना एवं 16 अन्य पार्टियां	पाइल्स, वेधित काम्पैक्शन	सीबीआरआइ
जियोटेक फाउन्डेशन्स एण्ड कन्सट्रक्शन, कोचीन तथा दो अन्य पार्टियां	पाइल्स, स्कर्टिड पेनूलर	सीबीआरआइ
इंडियन कंकरीट प्रोडक्ट्स, मेरठ	फैरोसीमेंट बीन्स	एसईआरसी, (गाजियाबाद)
V. औषध भेषजीय		
सिप्ला लिमिटेड, बम्बई	—गुगलीपिड	सीडीआरआइ
	—विनब्लास्टाइन एवं विनक्राइस्टाइन सल्फेट	एनसीएल
	—इबुप्रोफेन	एनसीएल
	—एजिडोथायमाइडिन (ए जैड टी)	आइआइसीटी
	—ओमेफ्लोज	आइआइसीटी
	—इटोपोसाइड	आइआइसीटी
	—नाफ्लोक्सेसिन	आइआइसीटी
हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड तिरूवनन्तपुरम् एवं टारेन्ट फार्मास्यूटिकल्स, अहमदाबाद	सेन्टक्रोमन	सीडीआरआइ
एफ डी सी लि०, बम्बई	—टिमोलोल मैलिएट	आइआइसीटी
	—फ्लूबीप्रोफेन	आइआइसीटी
कैडिला लैबोरेटरीज लि०, अहमदाबाद	जैमफायब्रोजील	आइआइसीटी
लूपिन लैबोरेटरीज	विटामिन बी 6	आइआइसीटी
बुकहार्ड लिमिटेड, बम्बई	डी-प्रोपाक्सीफीन एचसीएल	सीडीआरआइ

1	2	3
VI. सूचना विज्ञान		
6.1 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		
एसपीबी प्रोजेक्ट्स एण्ड कन्सलटेंसी, मद्रास	इन्फान (इंटरएक्टिव फ्रेम एनालिसिस)	एसईआरसी (मद्रास)
टयूटीकोरीन पोर्ट ट्रस्ट	—इन्स्पेस (इंटरएक्टिव स्पेस फ्रेम एनालिसिस)	एसईआरसी (मद्रास)
	—मिक्सट्रान (ट्रस, ग्रिड एवं फ्रेम सिस्टम के एनालिसिस के लिए माइक्रो कम्प्यूटर)	एसईआरसी (मद्रास)
VII. अन्य		
7.1 आहार		
कायरा मिल्क को-आ० यूनियन लिमिटेड, कायरा एवं एपीडीडीसी, हैदराबाद	भैंस के दूध से बाल आहार	सीएफटीआरआइ
डालमिया डेयरी इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली	ओप्टीमिस्ड बेबी मिल्क फूड	सीएफटीआरआइ
माडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली	कोला फलेवर ब्लेन्ड्स	सीएफटीआरआइ
रसना फूड प्रोडक्शन्स प्रा० लि०, उदपी और 62 अन्य	इंसटेंट मिक्सेज-इडली, डोसा, बड़ा, जलेबी, जामुन, सांभर, रसम आदि	सीएफटीआरआइ
मिडलैण्ट फूट तथा बैंज (1) प्रा० लि०, नई दिल्ली और 8 अन्य	लिक्विड फूट्स	सीएफटीआरआइ
कोदगू फूड्स प्रा० लि०, बंगलूर और अन्य पार्टियां	तामारिंड जूस कान्सेंट्रेट तथा पाउडर	सीएफटीआरआइ

1	2	3
7.2 ग्लास तथा सिरेमिक्स		
इण्डो फलोगेट्स लिमिटेड, कलकत्ता और चार अन्य पार्टियां	लो माइस्चर कास्टेबल्स	सीजीसीआरआइ
ईनेमलनगर डेवलपमेंट कारपोरेशन, कलकत्ता	सिरेमिक कोलोर्स	सीजीसीआरआइ
हिन्दुस्तान जिपबोर्ड इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली और दस अन्य पार्टियां	जीआरजी कम्पोजिट बोर्ड तथा प्लास्टर आफ पेरिस	सीजीसीआरआइ
कुमारघुबी फायर क्ले तथा सिलिका वर्क्स लि०, कलकत्ता और छह अन्य पार्टियां	मट्ट ग्लेज्ड टाइल्स	सीजीसीआरआइ
भारत आप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर	न्यू वेराइटीज आफ आप्टीकल ग्लास	सीजीसीआरआइ
पीजोइलेक्ट्रिक सिरेमिक्स (I), नई दिल्ली और शिल्पी इन्टरनेशनल, नासिक	पीजोइलेक्ट्रिक सिरेमिक मैटीरियल्स	एनपीएल
7.3 विविध		
स्ट्रोबेल इंडस्ट्रीज	स्पेशिऐलिटि पेपर्स	आरआरएल, जोरहाट
	—थर्मोग्राफिक	
	—करेक्शन	
	—डाइरेक्ट कापी	
	—कार्बनलैस कापी	
श्रीनिवास पेपर इण्डस्ट्रीज, हैदराबाद	फिल्टर पेपर	आइआइसीटी
प्रकाश कैमीकल लैब्स०, पुणे	गेलेटिन आप्टीकल फिल्टर	आइआइसीटी
मैसूर लेक एण्ड पेंट लिमिटेड, मैसूर	—इंडैलिबल इंक —ब्लैक स्टांप कंसीलेशन इंक	एनपीएल

1	2	3
बीएचईएल, हैदराबाद	रिवर्स ओसमोसिस डिसेलिनेशन प्लांट	सीएसएमसी आरआइ
नार्दन बायोलाजीकल्स, फरीदाबाद	डाइएग्नोस्टिक किट्स	सीएफबी
किर्लोस्कर ब्रदर्स पुणे	रोटेटिंग रोप बायोलाजीकल कान्ट्रेक्टर	एनईईआरआइ
नेशनल वाटर मिशन, नई दिल्ली	मोबाइल वाटर एनालाइसिस वेन	आइटीआरसी
एल-टेक सिस्टम्स, नागपुर	वाटर एनालाइसिस किट्स इनक्यूबिंग बायोलाजीकल किट	एनईईआरआइ
एसएसके प्लास्टिक, नागपुर	वाटर एनालाइसिस किट	एनईईआरआइ
गुडिमनी एन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली	क्लोरिन टेबलेट्स तथा एम्पाउल्स	एनईईआरआइ

सोनपुर बाजारी में कोयला खानों के लिए सहायता

2393. **डा० असीम बाला :** क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में रानीगंज के निकट सोनपुर बाजारी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि की सहायता की है;

(ख) यदि हां, तो पश्चित बंगाल और बिहार में कोयले की खानों के बिकास और इनका पता लगाने पर कितनी राशि खर्च हुई है; और

(ग) अन्य कार्यों के लिए कितनी राशि का दुरुपयोग किया गया ?

कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की सोनपुर बाजारी परियोजना के लिए विश्व बैंक से 1.4.8 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण की राशि उपलब्ध है। यह पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जा रही विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एकमात्र परियोजना है। बिहार में भारत कोकिंग कोल लि० की ब्लाक-II ओपनकास्ट परियोजना भी विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है जिसके लिए 57.7 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि उपलब्ध है। इन दो परियोजनाओं में 31-12-91 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित

रूप में ऋण उपयोग किया गया :—

	अमरीका मिलियन डालर
सोनपुर बाजारी	1.67
ब्लाक-II ओ० का० प० (झरिया कोकिंग कोल)	50.39

इन परियोजनाओं से निधियों का कोई अन्तरण नहीं किया गया है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौते

2394. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी अपने सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने बाकी हैं ;

(ख) सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों द्वारा समझौता ज्ञापनों पर कब तक हस्ताक्षर किए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के ऐसे 120 उद्यम हैं जिन्हें वर्ष 1992-93 के दौरान अपने प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अभिज्ञात किया गया है तथा उन्हें सलाह दी गई है कि वे 31 मार्च, 1992 को अथवा उससे पूर्व समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दें ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात/आयात

2395. **डॉ० (श्रीमती) के० एस० सौन्दम** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष 31 दिसम्बर, 1991 तक किन-किन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात तथा निर्यात किया गया;

(ख) इनमें अन्तर्ग्रस्त धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने निर्यात में वृद्धि करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) वर्ष 1991 के दौरान जिन प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्यात किया गया, वे इस प्रकार

हैं : कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, श्याम तथा श्वेत और रंगीन टी० वी० रिसीवर, टेपरिकार्डर, आडियो/वीडियो कैसेट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एक्स-रे मशीन, पराध्वनि क्रमवीक्षक (स्कैनर), प्रक्रिया नियंत्रण उपकरण, थाइरिस्टर पावर कन्वर्टर, वैयक्तिक कम्प्यूटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कम्प्यूटर ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज (ई० पी० ए० बी० एक्स०), संप्रेषण/प्रसारण उपस्कर और श्याम तथा श्वेत रंगीन टी० वी० ट्यूब जैसे इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जे, सेमीकण्डक्टर युक्तियां, रेजिस्टर (प्रतिरोधक), कैपेसिटर, कनेक्टर, रिले, स्विच, चुम्बकीय टेप, टी० वी० समस्वरित्र, चुम्बकीय शीर्ष, मुद्रित परिपथ बोर्ड आदि ।

वर्ष 1991 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के निर्यात का मूल्य 840 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।

चूंकि केवल व्यापक श्रेणी की वस्तुओं के मामले में ही विदेशी व्यापार के आंकड़े रखे जाते हैं, अतः इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों/वस्तुओं के आयात के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं :

(i) निर्यात से होने वाले लाभों में सुधार करने के लिए भारतीय मुद्रा में आंशिक परिवर्तन-शीलता लागू की गई है ।

(ii) निर्यात से प्राप्त होने वाले लाभ पर आयकर से छूट दी गई है ।

(iii) अधिकांश वस्तुओं पर लगने वाले सीमा-शुल्क को कम कर दिया गया है ।

(iv) शुल्क के ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है ।

(v) पूंजीगत माल (चाहे वह नया हो अथवा पुराना) कच्ची सामग्रियों उपभोग्य वस्तुओं, अतिरिक्त कल-पुर्जों, औजार सम्बन्धी अथवा पैकेजिंग सामग्रियों के आयात के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है ।

(vi) सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शत-प्रतिशत निर्यात उन्मुखी इकाइयों के रूप में देश के विभिन्न भागों में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए गए हैं ।

(vii) एक मूल्य संवर्धित आंकडा संचार नेटवर्क की स्थापना की जा रही है ताकि आरम्भतः दिल्ली, बम्बई तथा बंगलौर से विश्व के सभी भागों में सॉफ्टवेयर का निर्यात करने में सुविधा प्राप्त हो सके ।

(viii) निर्यात विपणन सम्बन्धी विभिन्न कार्यकलापों को सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है तथा उचित सुविधाएं जुटाई जाती हैं । इन कार्यकलापों में व्यवसाय-मिश्ट मण्डलों के दौरे तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना शामिल है ।

(ix) शत-प्रतिशत निर्यात उन्मुखी इकाई (ई०ओ०यू०) तथा निर्यात संसाधन क्षेत्र (ई० पी० जेड०) योजनाओं के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना भी की जा सकती है ।

मध्य प्रदेश में गन्दी बस्ती क्षेत्रों का विकास

[हिन्दी]

2396. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का गन्दी बस्ती क्षेत्रों के सुधार के लिए मध्य प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों को विशेष सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का दिल्ली में गन्दी बस्ती क्षेत्रों के विकास और सुधार के लिए आरम्भ की गई योजनाओं की भांति मध्य प्रदेश के भोपाल तथा अन्य जिलों में विकास योजनाओं को स्वीकृति देने और उन्हें कार्यान्वित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अच्चाचलम) : (क) केन्द्रीय सरकार का मलिन बस्तियों के भौतिक तथा पर्यावरणीय सुधार के लिए मध्य प्रदेश या अन्य किसी राज्य को विशेष सहायता देने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इन्दौर शहर में मलिन बस्तियों के सुधार हेतु एक व्यापक आवास सुधार परियोजना ब्रिटिश सरकार की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है ।

भोपाल में मलिन-बस्ती सुधार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित कोई विशेष योजना नहीं है ।

(घ) मलिन बस्ती-सुधार परियोजनाओं को आरम्भ करना राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य आयोजना प्रावधानों में ही अपेक्षित है ।

स्कूटरों का उत्पादन

[अनुवाद]

2397. श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटर इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रत्येक माह कितने स्कूटरों का उत्पादन किया जाता है;

(ख) स्कूटर इण्डिया लिमिटेड में दुपहिया स्कूटरों और तिपहिया स्कूटरों के उत्पादन की स्थापित क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इस उत्पादन-क्षमता का उपयोग कुछ अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 तक स्कूटरों (दु-पहिया और ति-पहिया) का मासिक उत्पादन विवरण में दिया गया है।

(ख) दुपहिया और तिपहिया स्कूटरों की स्थापित क्षमता क्रमश: 60,000 और 2500 प्रति-वर्ष है।

(ग) और (घ) दुपहिया स्कूटरों की उत्पादन क्षमता में परिवर्तन कर दिया गया है और इस क्षमता का उपयोग अन्य पार्टियों से लिए गए कार्यादेशों के लिए किया जा रहा है। अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 के दौरान निष्पादित किए गए कार्यादेशों का मूल्य निम्न प्रकार है :—

		(मूल्य लाख रुपए में)
1.	डी० एल० डब्लू० वाराणसी	10.79
2.	डी० एल० डब्लू० पटियाला	3.55
3.	दिल्ली परिवहन निगम	7.53
4.	टाटा इंजी० एण्ड लोकोमोटिव वर्क जमशेदपुर	3.36
5.	बी० एच० ई० एल०, भोपाल	2.00
6.	डीजल शेड, इज्जत नगर	1.17
7.	कन्ट्रोलर ऑफ स्टोर्स, लुधियाना	0.07
8.	वरि० ए० ओ० (उ० रे०) लखनऊ	0.09
9.	विविध पार्टियां	1.76
	योग :	30.32

विवरण

अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992 तक दुपहिया और तिपहिया स्कूटरों का मासिक उत्पादन

मास	दुपहिया स्कूटर	तिपहिया स्कूटर
1	2	3
अप्रैल	310	116

1	2	3
मई	180	160
जून	114	13
जुलाई	165	238
अगस्त	153	290
सितम्बर	20	291
अक्तूबर	112	254
नवम्बर	100	277
दिसम्बर	161	310
जनवरी	175	275
फरवरी	102	310
योग :	1592	2658

गन्दी बस्तियों में रहने वालों को इन्द्र लोक क्षेत्र में फ्लैटों का आवंटन

2399. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग ने दिल्ली में गन्दी बस्तियों के निवासियों को नकद आधार पर इन्द्र लोक क्षेत्र में फ्लैट आवंटित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ड्रा-वार और स्थान-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मलिन-बस्तियों के निवासियों के लिए घोषित पंजीकरण योजना, 1985 के पंजीकृत व्यक्तियों को इन्द्र लोक में नकद आधार पर 92 फ्लैट तथा अन्यों को भुगतान के तरीके बारे में उनका विकल्प प्राप्त करने के पश्चात आवंटित किए थे ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जनवरी, 1991 में विशिष्ट लाटरी निकाली गई थी ।

विदेशों में परमाणु परियोजनायें

2400. **श्री रमेश चेन्निथला** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किसी अन्य देश में परमाणु परियोजनाएं प्रारम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं। सरकार का किसी अन्य देश में परमाणु विद्युत परियोजनाएं प्रारम्भ करने का अभी कोई विचार नहीं है।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय विकास

2401. श्री वी० कृष्णाराव :
श्री एस० पी० मुदाल गिरियप्पा :
श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं योजना के बाद भी देश में समान रूप से क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) यह कहना सही नहीं है कि क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य समान रूप से प्राप्त नहीं किया गया है। अभी भी पिछड़े क्षेत्र हैं। किसी राज्य के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों के विकास सहित संतुलित क्षेत्रीय विकास योजना प्रक्रिया का एक समुचित उद्देश्य है। तथापि जहां तक क्षेत्रीय विकास का संबंध है का उद्देश्य का कार्यान्वयन संसाधन भण्डार, आधारिक संरचना सुविधाओं की उपलब्धता में विषमता, भू-आकृति सम्बन्धी कारकों तथा भौगोलिक परिस्थितियों जैसे क्षेत्रों की कतिपय अन्तर्निहित, ऐसिहासिक तथा अन्य विशेषताओं से नियन्त्रित होता है। जहां तक अपने-अपने राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास का सम्बन्ध है, वस्तुतः इसके लिए आयोजना तथा उनके द्वारा स्थापित उपयुक्त मशीनरी के जरिए कार्यक्रमों के निष्पादन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्यों का है। इस कार्य में, केन्द्र सरकार विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए संशोधित गाडगिल फार्मूले के तहत जो पहले गाडगिल फार्मूला के नाम से जाना जाता था, संसाधनों के हस्तांतरण की प्रक्रिया तथा वित्त आयोग द्वारा गैर-योजना संसाधनों के अन्तरण के जरिए उनकी सहायता करती है।

भारतीय महासागर में खान क्षेत्र

2402. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से भारतीय महासागर में अनेक खान क्षेत्रों का पता लगाने में सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये खान क्षेत्र देश के अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र से अन्यत्र स्थित है; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत ने इन क्षेत्रों का दोहन करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, वर्ष 1982 से राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा द्वारा मध्य हिन्द महासागर बेसिन में किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर पहले एक खान स्थल का पता लगाया गया था और अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण द्वारा वर्ष, 1987 में भारत को 1,50,000 वर्ग कि०मी० का एक स्थल आवंटित किया गया था।

(ग) यह खान स्थल भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाहर स्थित है।

(घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यनिष्पादन

2403. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान, सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में से कुछ की घाटे की स्थिति से निकलने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन एककों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकारी क्षेत्र के नौ उद्यम, जिन्होंने गत वर्ष के दौरान घाटा उठाया था, अब लाभ कमाया है। ये उद्यम हैं :

1. महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लि०
2. विश्वेश्वरैया आयरन लि०
3. नार्दन कोलफील्ड्स लि०
4. पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०
5. मझगांव डॉक लि०

6. नेपा लि०

7. एयर इण्डिया चार्टर्स लि०

8. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०

9. मसाला व्यापार कम्पनी लि०

(घ) सरकारी क्षेत्र के घाटा उठा रहे उद्यमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग उद्यमों के सम्बन्ध में सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अथवा उद्यमों के प्रबन्धकों द्वारा कार्रवाई की जाती है। ये उपाय हैं—आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी समुन्नयन, उत्पाद-मिश्र में सुधार, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय तथा प्रबन्धकीय पुनर्गठन करना आदि।

कर्नाटक में रायचूर और धारवाड़ औद्योगिक विकास केन्द्र

2404. **श्री आसकार फेरनान्डेस** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में रायचूर और धारवाड़ में औद्योगिक विकास केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी सहयोग

2405. **श्री के० पी० सिंहदेव** :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री राम नगीना मिश्र :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी औद्योगिक नीति के फलस्वरूप विदेशी कम्पनियों से पिछले छः महीनों के दौरान औद्योगिक उपक्रमों में सहयोग करने के कितने प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) क्या उनकी जांच की गई है और यदि हां, तो क्या इनमें से किसी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो स्वीकृत विदेशी सहयोग योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् अर्थात् 1 अगस्त 1991 से 29 फरवरी, 1992 तक सरकार और भारतीय

रिजर्व बैंक द्वारा कुल 890 से अधिक विदेशी सहयोग प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इनमें 300 से अधिक ऐसे प्रस्ताव शामिल हैं, जिनमें 1141 करोड़ रु० से ज्यादा विदेशी इक्विटी निवेश की परिकल्पना की गई है।

स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात् भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम, देश का नाम, सहयोग का प्रकार और विनिर्माण की मदें, भारतीय निवेश केंद्र, नई दिल्ली द्वारा अपने मन्थली न्यूज लैटर के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किए जा रहे हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

कोयले का मूल्य

2406. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस प्रस्तावित वृद्धि और कोयला उद्योग के आंशिक रूप से गैर-सरकारीकरण का कोई सम्बन्ध है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में किसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी से कोई सुझाव अथवा सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० श्यामगौड) : (क) कोयले की कीमतें पिछली बार दिसम्बर, 1991 में संशोधित की गई थीं। वर्तमान में, इन संशोधित कीमतों में और वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल

[हिन्दी]

2407. **श्री रामनारायण बैरवा :**
श्री रवि राय :
श्री बारे लाल जाटव :
श्री शरत चन्द्र पटनायक :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम या नीति बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) 31-1-92 की स्थिति के अनुसार असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में "पेयजल स्रोत रहित" 4581 समस्या वाले गांव थे जिन्हें अभी स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराई जानी हैं। इन राज्यों तथा अन्य राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में अन्य सभी गांवों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

पेयजल स्रोत रहित शेष समस्याग्रस्त गांवों को 31-3-93 तक पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उपरोक्त राज्यों द्वारा एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है। केन्द्रीय सरकार ने आठ राज्यों को अब तक 135.81 करोड़ रुपए की विशेष सहायता रिलीज की है।

नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की "जीरो यूनिट"

[अनुवाद]

2408. **डा० पी० वल्लल पेरूमान** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की "जीरो यूनिट" की स्थिति क्या है;

(ख) वहां पर बिजली का उत्पादन कब से शुरू हो जाएगा; और

(ग) इसकी कुल अनुमानित लागत कितनी है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) सरकार ने मार्च, 1989 में तापीय विद्युत गृह-II, जोकि जीरो यूनिट के नाम से जाना जाता है, को 397.26 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर 1 × 210 मे०वा० की अतिरिक्त क्षमता की मंजूरी दी है। इस समय निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए इस परियोजना को क्रियान्वित किए जाने की संभावनाएं जांचाधीन हैं। इसी अवधि में परियोजना की लागत बढ़ गई है और दिसम्बर, 91 के आधार पर अब इसके लगभग 712 करोड़ रु० होने का अनुमान है। संशोधित मंजूरी की तारीख से 48 महीने की अवधि परियोजना के लिए प्रतीक्षाधीन अवधि के रूप में है।

कोयला उद्योग को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपना

[हिन्दी]

2409. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला उद्योग को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कितनी प्रतिशत सफलता मिलने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) वर्तमान में कोयला उद्योग को निजी क्षेत्र को सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उकनी खुले मुहाने वाली (ओपन कास्ट) कोयला खानों का विकास

[अनुवाद]

2410. **श्री पोयूष तीरकी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी कोयला क्षेत्र के अन्तर्गत 11.37 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली उकनी खुल मुहाने वाली कोयला खानों के विकास के लिए स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उकनी में प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) उन खुले मुहाने वाली अन्य खानों का ब्योरा क्या है जिनका निकट भविष्य में विकास करने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) पश्चिमी कोयला क्षेत्र में कुल कितनी खुले मुहाने वाली खानें है तथा इनमें से प्रत्येक खान में वार्षिक उत्पादन का ब्योरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की उकनी ओपनकास्ट परियोजना (क्षमता 1.10 मि० ट० प्रति वर्ष) को सरकार ने 100.37 करोड़ रु० की अनुमानित पूंजीगत लागत पर जनवरी, 1992 में मंजूरी दी थी ।

(ग) और (घ) वर्तमान में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की दो परियोजनाएं अर्थात् गोडेगांव ओपन कास्ट और मुंगोली ओपनकास्ट, सरकार द्वारा मूल्यांकन किए जाने के लिए अग्रिम चरण में है । इन दो परियोजनाओं को निकट भविष्य में विकसित किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है । वर्ष 1990-91 के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की 19 ओपनकास्ट उत्पादन देने वाली खानें विद्यमान थी जिन्होंने उक्त वर्ष में 13.06 मि०ट० कोयले का उत्पादन किया ।

सरकारी क्वाटरों के निर्माण के लिए संगठन की स्थापना

2411. **श्री जी० माडे गौडा** :
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु कोई संगठन स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन द्वारा बंगलौर शहर में कितने मकानों का निर्माण किया गया है;

(ग) बंगलौर शहर में वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने मकानों का निर्माण किया गया और कितने मकान आवंटित किए गए; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान कितने मकानों का निर्माण किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विभिन्न श्रेणियों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यापक पैमाने पर आवास की सुगम्यता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने शहरी विकास मन्त्रालय के तत्वाधान में समितियों के पंजीयन अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन नामक एक संगठन का गठन किया है।

(ख) से (घ) चूंकि बंगलौर में अब तक कोई भूमि प्राप्त नहीं की गई है, अतः एजेंसी, बंगलौर में मकानों का कोई निर्माण नहीं कर सकी है।

भूकम्प-रोधी मकान

2412. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान ने भूकम्प-रोधी मकान विकसित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ने गौरी कुटीर (काष्ठीय ढांचेदार निर्मिति) तथा केदार कुटीर (इस्पाती ढांचेदार निर्मिति) नाम की दो भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाएं विकसित की हैं। इन संरचनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखितानुसार हैं :—

1. अनम्य संरचना।

2. उपरि संरचना का अलिपष्ठ भाग।

3. प्रत्येक अवयव की मानक लम्बाई इस्पाती ढांचेदार निर्मिति (केदार कुटीर) के मामले में प्रत्येक अवयव की लम्बाई 3 मीटर है।

   काष्ठीय ढांचेदार निर्मिति (गौरी कुटीर) के मामले में प्रत्येक अवयव की लम्बाई 2.44 मीटर है।

4. अस्थायी संरचनाओं के लिए केवल स्पाइक्ड नीच की आवश्यकता है।

5. करीब 130 कि०मी० प्रति घंटे की गति की हवा और 100 कि०ग्रा०/एम 2 के हिम भार को बरदाश्त कर सकता है।

6. यह एक पूर्व-निर्मित एकक है जो आसानी से ढोया जा सकता है।

7. इसे स्थापित करने में बहुत कम समय लगता है। करीब 16.15 मी० (53'.0") × 12.9 मी० (42'.0") माप की चार खण्डों वाली एक कुटीर को 2 बढ़ईयों, 2 फिटरों और 4 अकुशल श्रमिकों के दल द्वारा 3 दिन मे स्थापित किया जा सकता है।

नई कोयला खानें पट्टे पर देना

2413. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी उत्पादक एजेंसी को नई कोयला खानें पट्टे पर देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो खनन कार्य आरम्भ करने में कितनी एजेंसियों ने रुचि दिखाई है;

(ग) क्या कोल इंडिया लि० नई खानें खोलने के लिए पर्याप्त धनराशि जुटाने की स्थिति में नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० श्यामगौड) : (क) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि० की उत्पादन संबंधी योजनाएं और वित्त पोषण पद्धति को योजना आयोग तथा वित्त मन्त्रालय के साथ परामर्श करके निष्पादित किया जाता है।

अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी

2414. **श्री बी० धनंजय कुमार** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में कोई नए आविष्कार किए गए हैं;

(ख) इस समय कौन-सा अन्तरिक्ष कार्यक्रम चल रहा है; और

(ग) इस क्षेत्र में अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां। देश में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी मे किए गए उल्लेखनीय आविष्कारों मे अनेक उत्पाद और

प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिन्हें पहले ही पेटेन्ट करा दिया गया है । इसके साथ ही उपग्रह संचार तथा सुदूर संवेदन के क्षेत्रों में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभकारी उपयोगों को प्राप्त करने में अनेक नवीन विधि-तन्त्रों का पालन किया गया है । इनका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) वर्तमान अन्तरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य अन्तरिक्ष विज्ञान और अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्म-निर्भर आधार की स्थापना करना तथा विशेष रूप से संचार, मौसम विज्ञान, भू-संसाधनों का सुदूर संवेदन और पर्यावरण का मानीटरन के क्षेत्रों में व्यावहारिक उपयोगों के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है । वर्तमान कार्यक्रमों/परियोजनाओं के प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैं :—

(1) इन्सैट प्रणाली द्वारा प्रदत्त प्रचालनात्मक राष्ट्रीय सेवाओं को जारी रखना ।

(2) 1992 के मध्य में स्वदेशी दूसरी पीढ़ी के इन्सैट-2ए अन्तरिक्षयान के प्रमोचन द्वारा इन्सैट प्रणाली की अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता का संवर्धन करना ।

(3) अत्याधुनिक सुदूर संवेदन उपग्रह, आई०आर०एस० 1ए/आई०आर०एस० 1बी के कक्षीय प्रचालन को जारी रखना तथा देश के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन०एन०आर०एम०एस०) का प्रचालनीकरण करना ।

(4) परिज्ञापी राकेटों/बेलूनों के माध्यम से अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी परीक्षणों को जारी रखना ।

(5) निम्न की प्रगति करना :

—आई०आर०एम० 1ए/1बी की तुलना में बेहतर स्पेक्ट्रमी और त्रिविम विभेदन सहित द्वितीय पीढ़ी के भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई०आर०एस० 1सी और आई० आर०एस० 1डी) ।

—1993 में प्रमोचन के लिए इन्सैट-2बी अन्तरिक्षयान तथा इन्सैट-2 शृंखला के उप-ग्रहों का अनुसरण ।

—1992 में प्रमोचन के लिए संवर्धित उपग्रह प्रमोचन राकेट (ए०एस०एल०वी०) ।

—1992-93 में प्रमोचन के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी०एस०एल० वी०) ।

(6) निम्न का विकास करना :

—भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी०एस०एल०वी०); और

—ग्रामीण और विकासात्मक शिक्षा के लिए ग्रामसैट अन्तरिक्षयान ।

(ग) वर्षों के दौरान भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय परीक्षणों के लिए परिज्ञापी राकेटों, कृत्रिम भू-उपग्रहों के प्रमोचन के लिए प्रमोचक राकेट, संचार,

मौसम विज्ञान, दूरदर्शन प्रसारण, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध और आपदा चेतावनी, जोकि राष्ट्रीय विकास से तात्कालिक रूप में सम्बद्ध हैं, के क्षेत्र में उपयोगों के लिए अत्यन्त परिष्कृत, अत्याधुनिक उपग्रहों के डिजाइन और विकास में स्वदेशी क्षमताओं का विकास किया है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय संबद्धता के विविध उपयोगों के लिए भू-प्रणालियों की स्थापना उपग्रह और राकेट प्रचालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गई है।

उल्लेखनीय उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

(1) संचार, दूरदर्शन और रेडियो प्रसारण, आपदा चेतावनी, सुदूर क्षेत्र संचार और मौसम-विज्ञानीय आंकड़ा रिले जैसी सेवाएं प्रदान करते हुए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) प्रणाली का प्रचालनीकरण करना।

(2) कृषि, सूखा प्रबन्ध, बाढ़ क्षति आंकलन, वानिकी, भूमि उपयोग, जल संसाधन तथा खनिजों की खोज सहित अनेक क्षेत्रों में संसाधन प्रबन्ध में सहायता प्रदान करते हुए मुख्य संघटक के रूप में अत्याधुनिक भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई०आर०एस० 1ए और आई०आर०एस० 1बी) सहित राष्ट्रीय प्राकृतिक ससाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन०एन०आर०एम०एस०) का प्रचालनीकरण।

(3) द्वितीय पीढ़ी के इन्सैट-2ए अन्तरिक्षयान के स्वदेशी विकास को पूरा करना तथा एरियन राकेट से 1992 में प्रमोचन के लिए इसे तैयार करना।

(4) एस०एल०वी० 3 के सफल प्रमोचन के माध्यम से प्रमोचक राकेट प्रौद्योगिकी अर्जित करना तथा 1992 में प्रमोचन के लिए ए०एस०एल०वी०डी० 3 को तैयार करना। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट की विविध उप-प्रणालियों/चरणों का अनुकार और जांच।

(5) परिज्ञापनी राकेटों की रोहिणी शृंखला के माध्यम से अनेक सफल अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी परीक्षणों की आयोजना।

(6) भारतीय उद्योग को उत्पादनीकरण के लिए 180 प्रौद्योगिकियों का विकास और अन्तरण।

विवरण

अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में आविष्कार

1. भारत और विदेश में पेंटेंट उत्पादों/प्रक्रियाओं की सूची

(क) 1. मूल नाइट्रोजन वाले पॉलियालों का उत्पादन (यू०के०)

2. पॉलिस्टर आधारित पॉलियालों का उत्पादन (यू०के०)

3. पॉलिस्टर आधारित पॉलियालों का उत्पादन (यू०एस०ए०)

4. मूल नाइट्रोजन वाले पॉलियाल (यू०एस०ए०)

5. वनस्पति तेलों के तापांशन द्वारा हाइड्रोकार्बनों का उत्पादन (यू०के०)

6. वनस्पति तेलों के तापांशन द्वारा हाइड्रोकार्बनों का उत्पादन (यू०एस०ए०)

(ख) भारत में पेन्टेट कराए

1. अग्नि मन्दक दृढ़ पॉलियूरेथीन

2. वनस्पति तेलों से हाइड्रोकार्बनों का उत्पादन

3. नये अनुरूप बिस्फीनॉल का संश्लेषण

4. मूल नाइट्रोजन वाले पॉलियालों का उत्पादन

5. पॉलियालों के उत्पादन में एक उन्नत प्रक्रिया

6. पॉलियालों का उत्पादन

7. शुष्क पाउडर-अग्नि शामक यौगिक

8. नए फिनालिक रेजिन को तैयार करने की प्रक्रिया

9. सिलिकॉन पुटीज में सुधार

10. अनवरत प्रबलित प्लास्टिक मशीन

11. पॉलियूरेथीन फोम का उत्पादन

12. कृषिविज्ञानीय प्राचल के मापन के लिए एक वैद्युत-प्रकाशिकी यंत्र

13. जस्ता डाइऑक्साइड प्रलेपित एनोडें

14. उन्नत प्रक्रियाएं-निर्वात/विद्युत-अपघटनी प्रलेपन

15. धात्विक अथवा परावैद्युत सब स्टेटों पर निर्वात/विद्युत अपघटनी प्रलेपन धातुओं में अथवा इनसे सम्बद्ध सुधार

16. घरेलू विद्युत प्रघात संरक्षक

17. सिल्एर परावर्तकों की अग्र/पश्च सतहों में अथवा इनसे सम्बद्ध सुधार तथा इनके निर्माण की प्रक्रिया

18. ग्लास, धातु और परावैद्युत सब-स्ट्रेटों पर अग्र सतह प्रलेपन पर निर्वात लेपन में अथवा इनसे सम्बद्ध सुधार ।

II. अन्तरिक्ष उपयोगों में सफलतापूर्वक अपनाई गई नवीन विधि तंत्र

1. इन्सैट में ग्रामीण तटीय क्षेत्रों को स्थानिक विशिष्ट आपदा चेतावनी के लिए योजना ।

2. उपग्रह पर आधारित ग्रामीण टेलीग्राफी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त टेलीग्राफ कार्यालयों से सीधे प्रचालन की योजना ।

3. दूरदर्शन ट्रांसमीशनों के साथ प्रक्षिप्त वाहकों का प्रयोग करते हुए मूल्य आधारित सूचना प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए तथा रेडियो स्टेशनों के नेटवर्क के लिए योजना ।

4. उपग्रहों के उपयोग से अन्योन्य क्रियाशील दूरवर्ती शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी ।

5. परिवहनीय संचार तथा उपग्रह न्यूज संग्रहण के लिए असम द्रुत प्रस्तरणीय एन्टेनाएं ।

6. विभिन्न ध्रुवणों सहित 406 मेगाहर्त्स के खोज और बचाव प्रेषानुकर के संयुक्त एकल अभिग्राही प्रचालन ।

7. मिशन नियंत्रण तकनीकों और नियंत्रण प्रणाली डिजाइन का नवीनीकरण ।

8. माइक्रो स्तर पर दीर्घकालीन विकास के लिए भूमि तथा जल संसाधन प्रबन्ध । सुदूर संवेदर और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी०आई० एस०) बैंड ।

9. संचार के लिए लाम्बिक ध्रुवण तथा स्थिति अनुरक्षण तकनीकों का प्रयोग करते हुए एक कक्षीय स्थिति में दो उपग्रहों के सह-स्थापन की प्रौद्योगिकी ।

III. अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में स्वदेशी स्टेट-ऑफ-दी-आर्ट उप-प्रणाली

1. संहत इलेक्ट्रॉनिकी स्वत: क्रमवीक्षक प्रतिबिम्बन संवेदक प्रणाली ।

2. प्रतिबिम्ब विश्लेषण प्रणाली और उपयोग सोफ्टवेयर—(इसरोविजन, एस०आई० पी० एस०) ।

3. हस्तेन चालित भू-तथ्य रेडियोमीटर ।

4. निष्क्रिय माइक्रोवेव रेडियोमीटर ।

5. बहु-ध्रुवण, बहु-आवृत्ति, बहु-दृश्य कोण प्रकीर्णमापी ।

6. वायुयान के लिए संश्लेषित द्वारक राडार ।

7. मौसमविज्ञानीय उपयोगों के लिए इन्सैट-2 में भेजे जाने वाले दो बैण्ड के अत्यन्त उच्च विभेदन रेडियोमीटर (वी०एच०आर०आर०) ।

8. अवरक्त क्षैतिज संवेदक, संवेग/प्रतिक्रिया चक्र, शुष्क ट्यूनित जाइरो, तारा संवेदक, बृहत सौर व्यूह ।

9. अन्तरिक्षयान कक्षा/अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए नोदन प्रणाली ।

10. दूरगति, दूरादेश और आंकड़ा अभिग्रहण के लिए भू-केन्द्र ।

11. उपग्रह नियन्त्रण और आंकड़ा संसाधन सोफ्टवेयर ।

12. भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी०आई०एस०) विकास (इमरोजिस, जियोस्पेस) ।

13. बृहत अन्तरिक्षयान अनुकार कक्ष, प्रतिध्वनि कक्ष, ध्वानिकी जांच सुविधा ।

14. अन्तरिक्ष प्रतिबिम्बन प्रणाली के लिए प्रकाशिकी ।

15. एस०ए०डब्ल्यू० युक्तियां, संकर माइक्रोसर्किट, एम०आई०सी० ।

16. प्रकाशिकी परावर्तन प्रोजेक्टर (ओ०आर०पी०) ।

17. बृहन फार्मेट प्रकाशिकी प्रबन्धक ।

18. बहुउद्देशीय उपग्रह संरूपण, जिसमें मौसमविज्ञानीय तथा संचार नीतिभारों का युग्मन है ।

19. विश्व का तृतीय बृहतम बूस्टर मोटर ।

20. केवलार केस तथा सुनम्य नोजल नियन्त्रण सहित बृहत ऊपरी चरण की मोटर ।

21. द्रव इंजिनों का उपयोग करते हुए उच्च कार्यनिष्पादन वाला ऊपरी चरण ।

कोयला धोवनशालाओं की क्षमता

2415. **श्री वसुदेव आचार्य : क्या कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लि० की कोयला धोवनशालाओं की कुल कितनी क्षमता है;

(ख) क्या सरकार का कोल इण्डिया लि० की सभी कोयला धोवनशालाओं का आधुनिकीकरण करने का विचार है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का दो नई धोवनशालाएं स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) कोल इण्डिया लि० की कच्चे कोयले की आपूर्ति की कुल प्रचालन वार्षिक कोयला धुलाई क्षमता 25.62 मिलियन टन की है ।

(ख) विद्यमान पुरानी कोल इण्डिया की वाशरियों को आधुनिकीकृत किए जाने का कार्य सरकार द्वारा स्थापित की गई एक "विशेष समिति" द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में की गई है, ताकि इस्पात संयंत्रों को 17 0.5% राख धुले कोयले की आपूर्ति का सुनिश्चिय किया जा सके। वाशरियों को आधुनिकीकृत किए जाने का कार्य प्रगति पर है ।

(ग) और (घ) दो और नई वाशरियों का निर्माण किया जा रहा है और इन्हें आठवीं

पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान पूरा कर लिया जाएगा ; यह वाशरिया निम्नलिखित हैं—भारत कोकिंग कोल लि० की मधुबन्द वाशरी (2.5 मि० ट० वार्षिक कच्चा कोयला फीड) और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की केडला वाशरी (2.6 मि० टन वार्षिक कच्चा कोयला फीड)।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी विहीन केन्द्रीय सरकार के उपक्रम

24 ;6. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनमें इस समय चेयरमैन/चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक नहीं हैं;

(ख) ये उपक्रम कब से मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बिना कार्य कर रहे हैं;

(ग) इन नियुक्तियों में देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) इन पदों को कब तक भरा जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 28-2-1990 को केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक) के 34 पद खाली है। इन पदों के ब्यौरे संलग्न विवरण दिए गए है।

(ग) और (घ) ये रिक्तियां, पदधारी की अधिवर्षिता, सेवा की समाप्ति, कार्यविधि की समाप्ति त्यागपत्र तथा एक उद्यम से दूसरे उद्यम में पार्श्विक स्थानान्तरण जैसे विभिन्न कारणों से हुई थीं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लोक उद्यम चयन बोर्ड को बोर्ड स्तर के पदों के लिए चयन पर विचार करना तथा अपनी सिफारिश करनी होती है। इसके बाद सरकार द्वारा इन पर कार्यवाही की जाती है तथा अन्तिम नियुक्तियां केवल नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त का सत्यापन, उनके पूर्व कार्यनिष्पादन तथा सतर्कता अनापत्ति जैसी औपचारिकताओं के पूरा होने पर की जाती है। उन मामलों में देरी हो जाती है जहां नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति कार्यभार ग्रहण करने में समय लेता है अथवा अन्ततः कार्यभार ग्रहण नहीं करता है। कुछ मामलों में विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों को खोजने की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे पदों को भरने के लिए समय लगता है। बोर्ड स्तर के पदों का चयन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इन पदों को यथासम्भव शीघ्र भरने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

क्र० सं०	पद/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	रिक्ति की तारीख
1	2	3
1.	अध्यक्ष, एवं प्रबन्ध निदेशक, फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	22-3-1990

1	2	3
2.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान कापर लि०	7-9-1992
3.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन	15-2-1992
4.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि०	2-11-1991
5.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत यंत्र निगम लि०	3-2-1992
6.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन एयरलाइन्स	26-12-1991
7.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०	1-12-1991
8.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लि०	1-11-1991
9.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, फर्टीलाइजर्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०	18-9-1991
10.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन०टी०सी० (ए०पी०के०के० एण्ड एम०) लि०	9-9-1990
11.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, लूब्रीजोल इण्डिया लि०	15-11-1991
12.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम	1-1-1992
13.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अभ्रक व्यापार निगम लि०	9-1-1992
14.	अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक, हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवेल्पमेंट कार्पोरेशन	1-10-1991
15.	अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान वेजिटेबल्स आइल्स कार्पोरेशन	12-7-1990
16.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि०	30-11-1991
17.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आई०टी०डी०सी०	15-9-1990
18.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स कार्पोरेशन	22-3-90
19.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ऑयल इण्डिया लि०	22-4-1990
20.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बोगपी-गांव रिफायनरी एण्ड पेट्रो-कैमिकल्स कार्पोरेशन	11-5-1991
21.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आई०डी०पी०एल०	26-3-1991
22.	प्रबन्ध निदेशक, कन्टेनर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०	1-12-1991

1	2	3
23.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन०टी०सी० (यू०पी०) लि०	28-11-1985
24.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत रीफ्रेक्ट्रीस लि०	1-1-1992
25.	प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० ड्रग्स एण्ड फर्मेसियूटिकल्स लि०	7-4-1988
26.	प्रबन्ध निदेशक, टेनरी एण्ड फुटवेयर कार्पोरेशन	24-4-1991
27.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, मैगनीज ओर इण्डिया लि०	1-1-1992
28.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मेसियुटीकल्स लि०	23-4-1991
29.	प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन लि०	25-12-1990
30.	प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लि०	19-4-1991
31.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, स्पाइसेस ट्रेडिंग कार्पोरेशन	1-2-1992
32.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन०ई०पी०ए० लि०	1-2-1992
33.	प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन (बी)	1-1-1992
34.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उड़ीसा ड्रग्स एण्ड फोर्मेसियुटीकल्स लि०	8-1-1992

विद्युत तथा पानी के कनेक्शन रहित कालोनियां

2417. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी कितनी कालोनियां है जिनमें विद्युत और पानी के कनेक्शन नहीं हैं; और

(ख) इन कालोनियों में लोगों की जीवन दशा में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को रियायतें

2418. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कौन-कौन सी रियायतें उपलब्ध हैं;

(ख) उड़ीसा में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) किसी जिले के पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई राज्य सरकारें निवेश राजसहायता, ब्याज राजसहायता, कर स्थगन इत्यादि जैसी वित्तीय और राजकोषीय रियायतें दे रही हैं। केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तरी राज्यों के पहाड़ी इलाकों तथा संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए एक परिवहन राजसहायता योजना चला रही है, जिसके तहत चुनिंदा स्थान से औद्योगिक एककों तक कच्चे माल और तैयार माल की परिवहन लागत के 90% तक राजसहायता दी जाती है।

(ख) उड़ीसा मे केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े जिले ये है :—बालासोर, बोलनगीर, धनकनाल, कालाहांडी, क्योंझर, कोरापुट, मयूरभंज और फूलबनी।

(ग) औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए अपनाये गए मानदण्ड निम्न प्रकार थे :—

(1) प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसल उत्पादन जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या जिला प्रधानतया खाद्यान्न/नकदी फसल उत्पादक है। (अन्तर-जिला तुलनाओं/परिवर्तन के लिए खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों के बीच की दरें जहां आवश्यक हों वहां पूर्व-निर्धारित आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

(2) कृषि कामगारों की आबादी का अनुपात।

(3) प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन।

(4) प्रति लाख आबादी में कारखाना कर्मचारियों की संख्या अथवा वैकल्पिक रूप से प्रति लाख आबादी में दूसरे अथवा तीसरे दर्जे के कार्यकलापों में संलग्न व्यक्तियों की संख्या।

(5) बिजली की प्रति व्यक्ति खपत।

(6) आबादी की तुलना मे पक्की सड़कों की लम्बाई अथवा आबादी की तुलना में रेलवे मील दूरी।

गुजरात को वाष्प कोयला का आवंटन

[हिन्दी]

2419. **श्री दिलीप भाई संघानी** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उद्योगों के लिए कुल कितना वाष्प कोयला आवंटित किया गया है और इसकी कुल मांग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात में उद्योगों को उन्हें आवंटित कुल वाष्प कोयला नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाष्प कोयला की अनुपलब्धता के कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) गुजरात के औद्योगिक उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति अधिकांशत: रेल द्वारा की जाती है । रेलवे ने 1992 के कलेंडर वर्ष के लिए गुजरात में लघु उद्योगों सहित औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रति माह वाष्प कोयले के 1220 वाक्स वैगन आवंटित किए हैं । किन्तु राज्य को कोयले का संचालन किए जाने का कार्य, वाष्प कोयले और रेलवे वैगनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है । सरकार को इस सम्बन्ध में जानकारी है कि विद्युत, इस्पात और सीमेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को कोयले के संचलन में प्राथमिकता दिए जाने के कारण, औद्योगिक उपभोक्ताओं को कोयले का संचलन करने में कुछ कमी आई है जिसके कारण ऐसी यूनिटों का उत्पादन प्रभावित हुआ है । अत: सभी कोयला कम्पनियों को इस आशय के निर्देश जारी किए गए हैं कि वे गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों के औद्योगिक उपभोक्ताओं को रेल या सड़क द्वारा कोयले की संयोजित मात्रा का कम से कम 50% मात्रा की आपूर्ति करें ।

घाटा में चल रहे केन्द्र-सरकार के उपक्रम

[अनुवाद]

2420. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सदैव घाटे में चलने वाले जिन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बी० आई० एफ० की जांच/सिफारिश के पश्चात बन्द करने की सम्भावना है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनके अब तक संचित घाटों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० धुंगन) : (क) वर्ष 1990-91 तक के कार्य-निष्पादन के आधार पर सरकारी क्षेत्र के ऐसे 54 रुग्ण औद्योगिक उपक्रम हैं जिन्हें उपयुक्त पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन सम्बन्धी योजनाएं बनाने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी०आई०एफ० आर०) के पास भेजा जाना अपेक्षित है ।

(ख) 31-3-1991 को सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों का संचित घाटा 8494.04 करोड़ रुपए था ।

छत्तीसगढ़ में लीजहोल्ड प्रणाली

2421. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में लीजहोल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलने के मुद्दे को दिल्ली के तत्सम्बन्धी मुद्दे के साथ जोड़ा गया था और इस बारे में एक प्रारम्भिक निर्णय लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो चण्डीगढ़ पर इस निर्णय को लागू न करने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) इससे उद्भूत कतिपय कानूनी और प्रशासनिक रूपात्मकताओं का समाधान किया जा रहा है ।

कोयले की बिक्री सम्बन्धी नई नीति

[हिन्दी]

2422. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लि० ने जनवरी, 1992 से कोयले की बिक्री के सम्बन्ध में कोई नई नीति बनाई है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक विभिन्न राज्यों में भारी तथा लघु उद्योगों और ईंट-भट्ठियों को कोयले की बिक्री किन नीतियों के अन्तर्गत की जाती थी; और

(ग) क्या पूर्व नीति के अनुसार भारी तथा लघु उद्योगों और ईंट-भट्ठियों पर कोल इण्डिया लि० की कुछ धनराशि देय है अथवा क्या ऐसे कोई धनराशि माफ की गई है और हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, नहीं । एक नई वितरण नीति के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) वर्तमान कोयला वितरण नीति के अन्तर्गत प्रायोजित करने वाले प्राधिकारियों द्वारा भारी और लघु उद्योगों को तथा ईंट-भट्ठा उद्योगों को भी कोयले की बिक्री वैध प्रायोजनों के आधार पर की जाती है । महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात विद्युत, इस्पात, रेलवे आदि की तुलना में इन क्षेत्रों की मांग को कम प्राथमिकता दी जाती है ।

(ग) कोल इण्डिया लि० ने यह सूचित किया है कि किसी भी औद्योगिक अथवा ईंट-भट्ठा उद्योग के उपभोक्ताओं की देय बकाया राशि को बट्टे खाते नहीं डाला जाएगा । कोल इण्डिया लि० के पास उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 31-12-1991 की स्थिति के अनुसार विभिन्न क्षेत्र के

उपभोक्ताओं की ओर सकल देय बाकी राशि नीचे दर्शाई गई है ।

(करोड़ रु० में)

क्षेत्र	31-12-91 को सकल देय राशि
1. लेको	60.32
2. विद्युत	1757.37
3. इस्पात	217.16
4. सरकारी	69.02
5. अन्य	22.28
जोड़ :	2126.15

मध्य प्रदेश में उद्योग

2423. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, सरकारी क्षेत्र में कितने लघु, मझौले और भारी उद्योग स्थापित किए गए;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इन उद्योगों को धनराशि उपलब्ध कराने तथा सस्ती दरों पर बिजली प्रदान कराने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) विगत तीन वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई नया उद्यम स्थापित नहीं किया गया है। बहरहाल, इस राज्य में सकल परिसम्पत्ति के रूप में कुल पूंजीनिवेश 1-4-1985 के 5196.12 करोड़ रुपए से बढ़कर 31-3-1991 तक 12900.47 करोड़ रुपए हो गया तथा 31-3-1991 तक की स्थिति के अनुसार सकल परिसम्पत्ति के सन्दर्भ में इसका स्थान तीसरा है।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मारुति उद्योग लिमिटेड के शेयर

2424. **श्री राम विलास पासवान** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड में निजी शेयरों की प्रतिशतता में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शेयरों की कुछ प्रतिशतता श्रमिकों को भी देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) और (ख) सरकार ने सुजुकी मोटर कारपोरेशन के, मारूति उद्योग लिमिटेड में उसकी इक्विटी 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर देने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(ग) और (घ) मारूति उद्योग लिमिटेड ने मारूति उद्योग लिमिटेड कर्मचारी सहयोग लाभ निधि के पक्ष में, जिसके माध्यम से कर्मचारी अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी में इक्विटी के धारक हैं, अपनी कुल 60 प्रतिशत इक्विटी में से 9 प्रतिशत तक अनिवेश करने पर पहले ही सहमति दे दी है। वर्ष 1990-91 में कर्मचारियों ने 26,600 शेयर खरीदे जो इस योजना के अन्तर्गत, कुल इक्विटी का 0.24 प्रतिशत है। इस वर्ष, कर्मचारियों ने अभी तक 6,400 शेयरों की खरीद के लिए अदायगी की है।

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में कागज और गत्ते पर आधारित उद्योग

2425. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेष रूप से गढ़वाल क्षेत्र में कागज अथवा गत्ते पर आधारित उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के इस उद्योग-विहीन क्षेत्र में ऐसे उद्योग स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत सरकार लकड़ी पर आधारित कागज उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहन नहीं देती है। अतः उन सभी परियोजनाओं को औद्योगिक लाइसेंसीकरण के उपबन्धों से छूट दी गई है जिनमें कम-से-कम 75 प्रतिशत लुगदी खोई, पटसन इत्यादि जैसे गैर-परम्परागत कच्चे माल से प्राप्त की जाती है। जिन प्रस्तावों में कच्चे माल के रूप में लकड़ी के इस्तेमाल की परिकल्पना की जाती है उन सभी प्रस्तावों में लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है।

कम लागत आवास प्रौद्योगिकी

[अनुवाद]

2426. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम लागत आवास प्रौद्योगिकी को विकास करने मे अनुसंधान और विकास सम्बन्धी प्रयासों से वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रौद्योगिकी का प्रचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न संस्थानों जैसे केन्द्रीय भवन अनुसधान संस्थान, सरचनात्मक इन्जीनियरिंग अनुसधान केन्द्र, राष्ट्रीय भवन निर्माण सगठन, हुडको और भवन निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद आदि द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप कम लागत की विभिन्न भवन निर्माण सामग्रियो तथा प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ है जिन्हें विभिन्न आवास और विकास अभिकरणों द्वारा प्रारम्भ की गई अनेक आवास परियोजनाओं मे सफलतापूर्वक अपनाया गया ।

इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के निम्नलिखित प्रभाव होंगे :—

(i) सीमेंट और स्टील जैसी दुर्लभ और ऊर्जा गहन सामग्री की बचत;

(ii) इमारती लकड़ी का संरक्षण;

(iii) प्रदूषण के खतरों को कम करते हुए औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों का प्रयोग;

(iv) स्थानीय सामग्री और कौशल के आधार पर कम लागत निर्माण प्रौद्योगिकी का विकास; और

(v) भवन-निर्माण कार्यों में ऊर्जा संरक्षण । तथापि, दबावों का विविधता के कारण इन प्रौद्योगिकियों का फील्ड स्तर पर विस्तृत पैमाने पर उपयोग अभी किया जाना है ।

(ग) कम लागत की भवन निर्माण प्रौद्योगिकियो के प्रचार के लिए उठाए गए कदमों मे निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(i) कम लागत भवन निर्माण प्रौद्योगिकियों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और राज्य आवास एव निर्माण अभिकरणों के विनिर्देशो में सम्मिलित करना और भारतीय मानक ब्यूरो (बी० आई० एस०) द्वारा अलग से मानक तैयार करना;

(ii) लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियो के विस्तार और स्थानीय स्तरों पर कारीगरों को कम लागत की नवीन तकनीकों के प्रशिक्षण के लिए भवन निर्मित केन्द्रों की केन्द्रीय योजना का प्रचालन ।

(iii) कम लागत प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए प्रदर्शन आवास क निर्माण को प्रोत्साहन;

(iv) प्रौद्योगिकी उपयोग और अन्तरण के लिए अनुसंधान और विकास संगठनों को प्रोत्साहन;

(v) लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों के विस्तृत पैमाने पर फील्ड उपयोग के लिए और कम लागत की नवीन सामग्रियों तथा घटकों के उत्पादन के वाणिज्यिकरण प्रबन्धों को सुदृढ़ करना ।

(vi) लागत प्रभावी तथा नवीनतम भवन निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों विशेषकर औद्योगिक अपशिष्ट जैसे उड़न राख, फॉस्को-जिप्सम और रेड्-मड के आधार पर उत्पादन तथा उन्हें अपनाने के लिए वित्तीय रियायतों की व्यवस्था;

(vii) कम लागत सामग्रियों के वाणिज्यिक उत्पादन एककों की स्थापना के लिए सांस्थानिक वित्त की व्यवस्था; और

(viii) आवास वित्त संस्थानों जैसे हुडको, राष्ट्रीय आवास बैंक आदि द्वारा वित्त पोषित की जा रही आवास योजनाओं मे लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन ।

गुजरात में बन्द औद्योगिक एकक

[हिन्दी]

2427. **श्री काशीराम राणा** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में बन्द पड़े औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं और ये एकक कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) ये एकक कब से बन्द पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन्हें पुनः चालू करने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) इन एककों के कब तक पुनः चालू हो जाने की संभावना है; और

(ङ) इन एककों के बन्द होने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों की संख्या कितनी है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार गुजरात राज्य में मार्च, 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार लघु क्षेत्र में 6,174 एकक और गैर-लघु क्षेत्र में 155 एकक रुग्ण थे । सितम्बर, 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार गैर-लघु क्षेत्र में 111 रुग्ण/कमजोर एककों के बन्द होने की सूचना है । बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रुग्णता के प्रमुख कारण तकनीकी समस्याओं, कच्चे माल की अनुपलब्धता, श्रम समस्याओं, बिजली की कमी, प्राकृतिक विपदाओं, परिवहन व वित्तीय बाधाओं से सम्बन्धित हैं ।

(ग) लघु क्षेत्र के 6,174 रुग्ण एककों मे से 366 एकक संभावित रूप से जीव्य और 5,754 एकक अजीव्य पाए गए थे । 54 एककों के बारे मे जीव्यता का अभी निर्णय करना है । मार्च, 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार लघु क्षेत्र के संभावित रूप से जीव्य 366 रुग्ण एककों मे से 288 एककों

को उपचार कार्यक्रमों के अधीन रखा गया था। सितम्बर, 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार, गैर लघु क्षेत्र के 155 रुग्ण एककों में से 2 एकको को उपचार कार्यक्रम के अधीन रखा गया था।

(घ) ऐसी कोई समय सीमा नहीं बतायी जा सकती जिसके भीतर जीव्य एककों को पुनर्जीवित किया जा सकता हो।

(ङ) ऐसे आंकड़े केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

सुपर बाजार द्वारा फलों, सब्जियों की सप्लाई

[अनुवाद]

2428. **श्री नवल किशोर राय** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में सुपर बाजार और मदर डेरी द्वारा फलो और सब्जियों, मक्खन, वनस्पति तेलों इत्यादि की सप्लाई की जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, कुल कितनी मात्रा मे इनकी खरीद की गई तथा सप्लाई करने वालों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ग) क्या सुपर बाजार और मदर डेरी दोनों को इसकी स्थापना के समय से ही घाटा हो रहा है और यदि हां, तो प्रत्येक को अब तक कुल कितना घाटा हुआ है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी हां। विगत तीन वर्षों के दौरान मदर डेयरी और सुपर बाजार द्वारा फलों और सब्जियों, मक्खन और वनस्पति तेल की कुल खरीद निम्नवत है :—

(लाख रु० में)

वर्ष	मदर डेयरी	सुपर बाजार
1988-89	1126	524
1989-90	1348	611
1960-91	2400	552

(ग) यह परियोजना 1988 में शुरू की और तब से वे प्रति वर्ष लाभ कमा रहे हैं। तथापि, सुपर बाजार, दिल्ली ने अपने कार्यकरण के पहले छः वर्षों, अर्थात 1 66-67 से 1971-72 के दौरान 100.05 लाख रुपए का नुकसान उठाया। उसके बाद 1972-73 से सुपर बाजार लाभ पर चल रहा है।

नेचुरल रिसोर्सेज डाटा मेनेजिंग सिस्टम के अन्तर्गत कार्यक्रम

[हिन्दी]

2429. **श्री भेरूलाल मीणा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेचुरल रिसोर्सेज टाटा मेनेजिंग सिस्टम के अन्तर्गत कुछ अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता से विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं और परियोजनाओं का ब्योरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान सहायता दी गई है तथा उनमें से प्रत्येक परियोजना के क्या परिणाम निकले हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबन्ध प्रणाली के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को आमतौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। तथापि, इस प्रकार के कार्यक्रम की प्रासंगिकता और आवश्यकता को महसूस करते हुए विभिन्न प्रयोक्ता विभाग लागत के आंशिक हिस्से के आधार पर इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए आगे आ रहे हैं।

(ख) संयुक्त रूप से वित्त पोषित परियोजना का एक उदाहरण है, बांकुरा (पश्चिम बंगाल) जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय पेयजल मिशन और ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से लागू की जा रही है। स्थानीय क्षेत्रीय आयोजना की धारणा की सहायता के लिए कम्प्यूटरीकृत आंकड़ा आधारों और सॉफ्टवेअर पैकेजों को विकसित किया जा रहा है। विशेषकर, भूमि और जल प्रबन्ध की समस्याओं पर जोर दिया जा रहा है। अभी तक इन अध्ययनों से बांकुरा जिले के भूमिगत जल की क्षमता का ब्लॉकवार अनुमान लगाने में तथा वर्षा जल खेती के वास्ते कुछ संरचनाओं के लिए स्थलों का चयन करने में सहायता मिली है।

प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबन्ध प्रणाली के तहत जिन अन्य परियोजनाओं को सहायता दी जा रही है, वे पौड़ी (उत्तर प्रदेश) सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश), मुंगेर (बिहार), गुड़गांव (हरियाणा), अल्वर (राजस्थान), खेड़ा (गुजरात), कोरापुट (उड़ीसा), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) और इम्फाल (मणिपुर) में स्थित है। प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबन्ध के लिए निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इन जिलों के स्थानीय संसाधन प्रोफाइलों को विकसित किया जा रहा है। इन अध्ययनों के लिए सारा धन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार) द्वारा दिया जा रहा है।

पट्टे वाली भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में बदलने की दरें

[अनुवाद]

2430. **श्री मुकुल वासनिक :**
श्री मोरेश्वर सावे :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डी० डी० ए० कालोनियों की एवेक्स एसोसिएशन से पट्टे वाली भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में बदलने सम्बन्धी दरों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अभ्यावेदकों ने परिवर्तन शुल्क और अधिसूचित भूमि दर के बीच संयोजन न करने, परिवर्तन शुल्क को वार्षिक भू-किराए का 10 गुणा से अधिक न करने, परिवर्तन शुल्क किश्तों में लिए जाने के मामलों में ब्याज न लगाने, परिवर्तन शुल्क पर किसी प्रकार का स्टैम्प शुल्क न लेने और फ्लैटों के मामले में यदि कुल भूमि इस पर बने फ्लैटों की संख्या में बांट देने के बाद 50 वर्गमीटर प्रति फ्लैट से कम ठहरती है तो उसके मुफ्त परिवर्तन सहित और किसी प्रकार के पंजीकरण की औपचारिकताएं न करने आदि के लिए अनुरोध किया है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए तथा इस सम्बन्ध में इसी प्रकार के प्राप्त अन्य सुझावों पर विचार किया जा रहा है। इस पर लिए जा रहे निर्णय को लीज शासित करने वाले प्राधिकरणों द्वारा निश्चित समयावधि के भीतर जारी किए जाने वाली प्रस्तावित पुस्तिका में शामिल कर लिया जाएगा।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड का कार्यकरण

2431. **श्री चित्त बसु** :

श्री राम बदन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स घाटे में चल रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के लाभ तथा कारोबार का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कम्पनी को लाभप्रद बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० के० चुंगन) : (क) जी, नहीं।

(करोड़ रुपयों में)

(ख)	1988-89	1989-90	1990-91
कारोबार	2620	2921	3154
करपूर्व लाभ	193	213	201

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पेन्ट एसोसिएशन का अभ्यावेदन

2432. **श्री पी० एम० सैयद** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय पेन्ट एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेन्ट उद्योग पर लगे भारी शुल्कों और करों को कम करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) भारतीय पेन्ट एसोसिएशन से जनवरी, 1992 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पेंट्स तथा हाई परफारमेंस कोटिंग्स और विलायक रहित व जल आधारित पेन्ट्स पर लगे उत्पाद शुल्क व भारी शुल्क में कमी करने, उत्पाद शुल्क के प्रयोजन के लिए लघु क्षेत्र हेतु कतिपय छूट सीमाओं में वृद्धि करने और लारमिश्रित बारनिशों पर लगे शुल्क में छूट देने जैसी राहतें मांगी गई थी।

(ग) और (घ) अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए वर्ष 1992-93 के बजट में पेन्ट्स पर उत्पाद शुल्क में पांच प्रतिशत अंश तक वृद्धि की गई है। 1-3-1992 से विभिन्न प्रकार के पेन्ट्स व वार्निशों पर मूल्यानुसार 20% और 35% की दर से मूलभूत उत्पाद शुल्क लगेगा। इसके अलावा, आधारभूत शुल्क का 15% विशेष उत्पाद शुल्क भी लगेगा, जिसके फलस्वरूप कुल शुल्क 23% और 40.25% हो जाता है। चूंकि शुल्क की दरों में हाल में संशोधन किया गया है, इसलिए इस समय पेन्ट उद्योग पर लगे उत्पाद शुल्क की संरचना में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रंगीन पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन

2437. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डवलपमेंट कारपोरेशन ने हालैंड के मैसर्स फिलिप्स के सहयोग से रंगीन पिक्चर ट्यूबें निर्मित करने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या मैसर्स वीडियोकोन ने भी संयुक्त उद्यम के रूप में यह कार्य आरम्भ करने में रुचि दिखाई है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा विदेशी सहयोग प्राप्त करने का एक मिलाजुला प्रस्ताव मैसर्स आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लिमिटेड (ए० पी० ई० डी० सी०) से प्राप्त हुआ है। इस आवेदन-पत्र को औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय द्वारा दिनांक 11-4-86

को पंजीकृत किया गया। यह प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। दिसम्बर, 1988 में मैसर्स ए. पी. ई. डी. सी. ने इस निर्णय के खिलाफ अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इस बीच, मैसर्स ए. पी. ई. डी. सी. के सहयोगकर्ता मैसर्स फिलिप्स, हालैंड ने भारत सरकार को सूचित किया कि उन्होंने मैसर्स ए. पी. ई. डी. सी. को सहयोग देने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है तथा रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी अन्तरण से सम्बन्धित अपनी पिछली सभी व्यवस्थाओं को रद्द कर दिया है। किन्तु, बाद में मैसर्स फिलिप्स ने अपना निर्णय बदल दिया तथा मैसर्स ए. पी. ई. डी. सी. तथा/अथवा मैसर्स वीडियोकोन को रंगीन पिक्चर ट्यूबों के लिए प्रौद्योगिकी अन्तरित करने का प्रस्ताव रखा। मैसर्स फिलिप्स, हालैंड के सहयोग से रंगीन पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण करने का लाइसेंस प्रदान करने के लिए मैसर्स वीडियोकोन के अभ्यावेदन-पत्र पर विचार करने के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार को तथा मैसर्स ए. पी. ई. डी. सी. को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते :

1. मैसर्स वीडियोकोन केवल आंध्र प्रदेश राज्य में ही अपना संयंत्र स्थापित करे।

2. इस परियोजना में मैसर्स ए. पी. ई. डी. सी. की 3-5 प्रतिशत की साम्य-पूंजी सहभागिता हो।

3. इस परियोजना में मैसर्स ए. पी. ई. डी. सी. द्वारा पहले किए गए प्रचालन पूर्व उठाए गए खर्चे की प्रतिपूर्ति की जाए।

4. कम्पनी के निदेशक मंडल में आन्ध्र प्रदेश सरकार को एक प्रतिनिधि निदेशक के रूप में नामित किया जाए।

मैसर्स वीडियोकोन ने रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य में अपने संयंत्र के स्थापना-स्थल की पुष्टि कर दी है। मैसर्स वीडियोकोन द्वारा इस परियोजना को संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, मैसर्स वीडियोकोन का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

ड्यूटी पर विकलांग होने वाले व्यक्तियों के लिए कानून

2434. **श्रीमती आरमुगम चन्द्रशेखर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन श्रमिकों के लिए कोई कानून पेश करने का है जो सेवा करते समय स्थाई रूप से विकलांग हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन श्रमिकों के न्यायसंगत हितों की सुरक्षा हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह चाटीवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। दोनों विधानों, अर्थात, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में उनके अन्तर्वस्तु आने वाले कर्मकारों के लिए नियोजन के दौरान प्रोद्भूत लाभ की व्यवस्था की गई है।

राशन कार्ड जारी करने के बारे में शिकायतें

[हिन्दी]

2435. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली प्रशासन के खाद्य और आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध जोन 36 में राशन कार्ड जारी करने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि कथित दुर्व्यवहार की एक शिकायत प्राप्त हुई थी; तथापि इसकी प्रतिपुष्टि नहीं हुई ।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

राजामुन्द्री नगर पालिका के लिए विदेश विकास प्रबंधन ऋण

[अनुवाद]

2436. **श्री के० वी० आर० चौधरी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजामुन्द्री नगर पालिका ने जल योजनाओं तथा गन्दी बस्ती क्षेत्रों के विकास के लिए विदेश विकास प्रबन्धन ऋण मांगा है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं । तथापि, ओ० डी० ए० की सहायता से राजामुन्द्री में मलिन-बस्तियों के उन्नयन पर विचार करने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । राज्य सरकार को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि आंध्र प्रदेश में किसी अतिरिक्त परियोजना की वित्त-सहायता करना सम्भव नहीं है क्योंकि ओ० डी० ए० की सहायता से हैदराबाद, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में तीन परियोजनाएं पहले ही प्रगति पर है ।

कोल इण्डिया लि० द्वारा कलपुर्जों की खरीद

[हिन्दी]

2437. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लि० प्रति वर्ष लाखों रुपए के कलपुर्जे खरीद कर रहा है;

(ख) क्या ये कलपुर्जे बाजार मूल्यों से अधिक मूल्यों पर खरीदे जा रहे हैं;

(ग) क्या ये कलपुर्जे घटिया किस्म के हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या उपचारात्मक कदम उठाएगी ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० डी० श्यामगौड) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कोल इण्डिया लि० और इसकी सहायक कम्पनियों की नीति के अन्तर्गत मुख्य कलपुर्जे हमेशा मूल उपकरण निर्माताओं अथवा उनके मुख्य बिक्री एजेन्टों तथा पंजीकृत और प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदे जाते हैं। आकस्मिक मामलों में कोल इण्डिया लि०/सहायक कम्पनियों के पास कलपुर्जों की आपूर्ति किए जाने के लिए सहायक उद्योग भी विकसित हैं।

मूल उपकरण निर्माताओं से कलपुर्जे खरीदते समय कोल इण्डिया लि० उक्त निर्माताओं को इस आशय का प्रमाणपत्र देने पर जोर देती है कि अन्य उपभोक्ताओं से ली जा रही कीमतों के समान ही कीमतें ली जा रही है और उनसे अधिक नहीं ली जा रही है। डी० जी० एस० एण्ड डी० द्वारा अनुमोदित दर पर अन्य निर्माताओं से कल-पुर्जे खरीदे जाते हैं। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माता, जोकि डी० जी० एस० एण्ड डी० के अन्तर्गत नहीं आते है, और जोकि मूल उपकरण निर्माता भी नहीं है, वे ऊंची कीमतें प्राप्त कर रहे है और कोल इण्डिया लि० ने उनके द्वारा ली जा रही कीमतों की औचित्यता के सम्बन्ध में भी बातचीत शुरू कर दी है। आयातित कल-पुर्जों के सम्बन्ध में कीमतें परिवर्तित मुद्रों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं, जिसके सम्बन्ध में फार्मूला डी० जी० एस० एण्ड डी० द्वारा निर्धारित किया जाता है।

चूंकि कोल इण्डिया लि० की कल-पुर्जों की खरीद मूल उपकरण निर्माताओं की प्रमाणिक पार्टियों से और इनकी खरीद उचित जांच के बाद सहायक पार्टियों से भी की जाती है, अतः घटिया किस्म के कलपुर्जों के खरीदे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यदि इन कलपुर्जों में कोई खराबी होती है तो आपूर्तिकर्ताओं को उक्त कलपुर्जों को बिना किसी लागत के बदले जाने की सूचना दी जाती है। किन्तु ऐसे मामले बहुत कम देखने में आए हैं।

कर्नाटक में कोयले का स्टाकयार्ड

[अनुवाद]

2439. **श्रीमती चन्द्रप्रभा असं** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू के किसानों को कोयले की सप्लाई करने के लिए हुन्सूर मैसूर में कोयले का कोई स्टाकयार्ड है; और

(ख) यदि नहीं, तो वहां कोयले का एक स्टाकयार्ड स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) मैसूर में हुन्सूर के स्थान पर कोल इण्डिया लि० द्वारा कोयले का कोई स्टाकयार्ड नहीं चलाया जा रहा है।

(ख) वर्तमान स्टाकयार्ड नीति के अनुसार नए स्टाकयार्डों के प्रबन्धन तथा उनकी स्थापना किए जाने की जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकारों की होती है। कोयला कम्पनियों से स्टाकयार्डों को कोयले का प्रेषण किए जाने सम्बन्धी पेशकश उन्हें राज्य सरकारों द्वारा मुहैया किए गए प्रायोजनों के अनुसार की जाएगी।

पानी को नमकरहित बनाने सम्बन्धी संयंत्र

2440. **डा० रवि मल्लू** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में पानी को नमकरहित बनाने को प्रोत्साहन देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पानी को नमकरहित बनाने सम्बन्धी संयंत्रों में 1 मीटर पानी के उत्पादन की लागत कितनी है; और

(घ) इन संयंत्रों में किस प्रकार की बिजली का प्रयोग होता है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में लवण दूर करने के संयन्त्रों को अन्तिम उपाय के रूप में तभी स्थापित किया जाता है जब शुद्ध पेय जल के स्रोतों पर आधारित लागत प्रभावी वैकल्पिक योजनाएं व्यवहार्य नहीं होती हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में लवण दूर करने के संयन्त्रों की स्थापना पर आठवीं योजना परिव्ययों/नीति को अन्तिम रूप दिए जाने और सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा 1990-91 व 1991-92 में स्थापित किए गए लवण दूर करने के संयन्त्रों के प्रभाव के मूल्यांकन के बाद ही विचार किया जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पेयजल उत्पादन की लागत 10 घनमीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले संयन्त्र के लिए 5.8 पैसे प्रति लीटर, 20 घनमीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले संयन्त्र के लिए 3.4 पैसे प्रति लीटर, 30 घन मीटर की क्षमता वाले संयन्त्र के लिए 3.3 पैसे और 50 घनमीटर तथा 100 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता वाले संयन्त्र के लिए 2 पैसे है। यह पूर्ण क्षमता से 16 घंटे प्रतिदिन चलने वाले संयन्त्रों पर आधारित है।

(घ) लवण दूर करने के संयन्त्र में सौर ऊर्जा का उपयोग नही होता है परन्तु जब बिजली उपलब्ध नहीं होती तो डीजल, तेल के उपयोग से डी जी सैट का प्रयोग किया जाता है।

कनाट प्लेस में पैदल चलने वालों के लिए योजना

2441. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस में केवल पैदल चलने के प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा गठित की गई छह सदस्यीय समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उसने कनाट प्लेस पर नई दिल्ली व्यापारी संघ के अध्यक्ष की अध्यक्षता के साथ तथा तकनीकी विशेषज्ञों के अलावा व्यापारियों के प्रतिनिधियों तथा जनसाधारण के व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में लिए जाने के साथ एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है और न ही इस प्रयोजन के लिए कोई अन्तिम तारीख निश्चित की गई है।

उड़ीसा में शीत भण्डार क्षमता

[हिन्दी]

2442. **श्री श्रीकांत जेना** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में फल, सब्जियां तथा बाजरे इत्यादि के लिए पर्याप्त शीत भण्डार सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं अथवा करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) सरकार को उड़ीसा में फल, सब्जियों तथा बाजरे के लिए पर्याप्त शीत भण्डार सुविधा न होने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

उड़ीसा में 47 शीत भण्डार हैं जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 8365 मीटरी टन है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दो और शीत भण्डारों के निर्माण की अनुमति दी जा चुकी है।

राजस्थान में औद्योगिक रुग्णता

[अनुवाद]

2443. **श्री कुम्भी लाल** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में औद्योगिक रुग्णता बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) औद्योगिक रुग्णता को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी मार्ग निदेशों तथा विभिन्न सरकारों विशेषकर राजस्थान को उपलब्ध कराए गए संसाधनों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, मार्च, 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य में लघु क्षेत्र में 9987 एकक और गैर-लघु क्षेत्र में 46 एकक रुग्ण थे। औद्योगिक रुग्णता के लिए आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के कई कारण उत्तरदायी होते हैं। बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, रुग्णता के प्रमुख कारण विपणन, वित्त, श्रम व उत्पादन समस्याओं, प्रबन्धकीय कमियों, बिजली की कमी, मांग में मन्दी और प्राकृतिक विपदाओं से सम्बन्धित हैं।

(ग) जहां तक गैर-लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों का सम्बन्ध है, इनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कोई वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाता है। सीमान्त धन योजना के तहत केन्द्र सरकार रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन के लिए राज्य सरकारों को निधि उपलब्ध कराती है। 3 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार, रुग्ण लघु क्षेत्र के पुनरुज्जीवन के लिए सीमान्त धन योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को कुल 7.37 लाख रु० की राशि स्वीकृत की गई है।

सरकारी क्वाटरों में मरम्मत का कार्य

2444. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैक्टर-XII, आर० के० पुरम, नई दिल्ली में कुछ सरकारी क्वाटरों की नमूने के तौर पर मरम्मत की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य क्वाटरों में भी मरम्मत का कार्य किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) निवारक अनुरक्षण के एक भाग के रूप में सैक्टर-XII, आर० के० पुरम, नई दिल्ली के एक ब्लाक में टाइप-IV के 8 और एक ब्लाक में टाइप-II के 4 मकानों की मरम्मत की गई। इसे नवीकरण कार्य नहीं माना जा सकता।

(ख) और (ग) निधियों की उपलब्धता पर इस प्रकार की मरम्मत दूसरे मकानों में भी की जायेगी।

आरक्षित रिक्त पदों का भरा जाना

[हिन्दी]

2445. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम मन्त्रालय में इस वर्ष के प्रारम्भ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अधिकारियों और अन्य श्रेणियों के कितने पद खाली पड़े थे;

(ख) गत तीन महीनों के दौरान उन पदों को भरने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) वर्ष 1991-92 के प्रारम्भ में श्रम मन्त्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों जिसमें स्वायत्त निकाय शामिल हैं, में अधिकारियों तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के 423 पद रिक्त पड़े थे जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे तथा इन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना था।

(ग) ये पद कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

(ख) और (ग) अभी तक उपलब्ध सूचना के अनुसार इन रिक्तियों के लिए 145 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इन रिक्तियों को भरने के लिए सभी कार्यालयो को सूचित की गई अन्तिम तारीख 31-3-1992 है।

भारी उद्योग में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

[अनुवाद]

2446. **श्रीमती बिल कुमारी भण्डारी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ उपक्रम इन्जीनियरी क्षेत्र में भी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इन्जीनियरी क्षेत्र में ऐसे उपक्रम स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) अपेक्षित ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। ब्यौरे विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

सरकारी उद्यम विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एककों का राज्यवार अवस्थापन

क्रम सं०	एकक का नाम/अवस्थापन	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम	निर्मित मुख्य उत्पाद
1	2	3	4
1. असम			
1.	मिनियेचर बैटरी प्रोजेक्टट गुवाहाटी	एच० एम० टी० लि०	मिनियेचर बैटरी

1	2	3	4
2.	नौगांव पेपर मिल्स, नौगांव	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन	पेपर
3.	कछार पेपर मिल्स, कछार	वही	वही
4.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, यूनिट बंवेकाजन, कारबी, एंगलोंग	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	सीमेंट
5.	टी डिवीजन्स	एण्ड्रयू यूल एण्ड कं० लि०	खेती, चाय को तैयार करना और विपणन
2. आन्ध्र प्रदेश			
1.	एच० एम० टी० 5, हैदराबाद	एच० एम० टी० लि०	मशीन टूल, प्रेसें
2.	लैम्प डिवीजन, हैदराबाद	एच० एम० टी० लि०	लैम्प
3.	मशीन टूल डिवीजन, सिकन्दराबाद	प्रागा टूल्स लि०	मशीन टूल, सी एन सी मशीनी सेन्टर, फोर्जिंग
4.	फोर्ज एण्ड फाउण्ड्री डिवीजन एंड सी एन सी डिवीजन—रंगा रेड्डी जिला (आन्ध्र प्रदेश) के कुतबुल्लापुर में	वही	
4. क	एच एम टी बियरिंग्स, हैदराबाद	एच एम टी (बियरिंग्स) लि०	औद्योगिक बियरिंग्स
5.	हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट, हैदराबाद	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	थर्मल और औद्योगिक टीजी सैट, कम्प्रेससें आयल रिंग्स स्विचगियर्स, बो मिल्स, पम्पस एण्ड हीट एक्सचेंजर्स
6.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया येरागुंतला, कुडप्पा	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	सीमेंट
7.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, आदिलाबाद	वही	वही
8.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, तंदूर रंगा रेड्डी	वही	वही

1	2	3	4
9.	भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लि०, विशाखापत्तनम	भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि०	प्रेशर वेसल्स हीट एक्सचेंजर्स, मल्टी-लेयर वेसल्स, काल्मस रीयक्टर वाष्पीकरण संयंत्र, पल्प डायजेस्टर्स, एयर एण्ड गैस स्परेशन संयंत्र, क्रायोजेनिक स्टोरेज एण्ड ट्रांसपोर्टेशन टैंक और सिस्टम आदि
10.	हैदराबाद यूनिट, हैदराबाद	हिन्दुस्तान केबल्स लि०	ड्राई कोर केबल जेली भारी केबल,
3. बिहार			
1.	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	भारी मशीनें, इस्पात संयंत्र, मशीन टूल और फोजिंग
2.	गुलफाबारी वर्क्स, मुगामा, धनबाद	बर्न स्टैंडर्ड कं० लि०	फायर ब्रिक्स रिफ्रेक्ट्री एकक
3.	भारत वेगन एण्ड इंजीनियर लि० यूनिट मुज्जफरपुर, पो० आ० मुज्जफरपुर	भारत वैगन इंजीनियरिंग लि०	रेलवे वेगन, स्क्रू पाइल्स, पुल और इस्पात फेब्रिकेशन,
4.	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग लि०, यूनिट पो० आ० मोकामा	वही	90% से अधिक वेगनों का उत्पादन ।
5.	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कं० लि०, यूनिट बेला इंडस्ट्रियल इस्टेट, पी० ओ० आर० के० आश्रम, मुजफ्फरपुर	वही	वही
4. उत्तर प्रदेश			
1.	वाच फैक्टरी 5, रानीबाग	एच एम टी लि०	घड़ियां
2.	हेवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट प्लांट, हरिद्वार	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	थर्मल सैट, विद्युत मशीनें, गैसें टर्बाइन, प्रशिक्षक वायुयान पावर और ट्रांसफार्मर

1	2	3	4
3.	ट्रांसफार्मर प्लांट, झांसी	वही	एसी जोको डीजल जन्टर्स, बस डाक्टस
4.	सेन्ट्रल फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट, हरिद्वार	वही	स्टील कास्टिंग और फोर्जिंग, सी आई और नान फेरस कास्टिंग, बिलेट्स ब्लूमस ।
5.	इन्सुलेटर प्लांट, जगदीशपुर	वही	इन्सूलेटर ।
6.	कम्पोनेंट फेब्रिकेशन प्लांट, रुद्रपुर	वही	विन्ड इलेक्ट्रिक जेनरेटर, सौर जल तापक प्रणाली
7.	रामनगर यूनिट, नैनीताल	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	आयोडाइज्ड नमक
8.	स्कूटर्स इण्डिया लि०, लखनऊ	स्कूटर्स इण्डिया लि०	दुपहिया और तिपहिया
9.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०, नैनी, इलाहाबाद	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	परिष्कृत इस्पात स्ट्रक्चरल्स उत्पाद, पावर प्रसारण और संचार के लिए टावर और मास्टर दूरदर्शन प्रसारण हाइड्रोमेकेनिकल इक्विपमेंट आदि ।
10.	भारत लैदर कारपोरेशन लि०	भारत लैदर कारपो० लि०	बिचौलियों के रूप में चमड़ा वस्तुओं की डीलिंग सू लास्टों और कुछ हद तक जूतों का निर्माण ।
11.	हिन्दुस्तान केबल्स लि० नैनी, इलाहाबाद	हिन्दुस्तान केबल्स लि०	आप्टिक फाइबर केबल
12.	हिन्दुस्तान केबल्स लि०, नरेन्द्रपुर	वही	मशीन टूल एकक
13.	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि०, नैनी, इलाहाबाद	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि०	सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प, प्रमुख क्षेत्रों जैसे तेल, उर्वरक आदि हेतु

1	2	3	4
			फोजिगस, हाई प्रेशर औद्योगिक गैस सिलिंडर्स एल पी जी सिलिंडर्स आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेसीप्रोकेटिंग कम्प्रेसर्स और पम्प
14.	टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, कानपुर	टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपो० आफ इण्डिया लि०	फुटवीयर औद्योगिक चमड़ा प्रतिरक्षा जूते आदि ।
15.	नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि० यूनिट गाजियाबाद	नेशनल बाइसिकिल कारपो० आफ इंडिया लि०	बाइसिकिल
16.	यूपी न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट, अलीगंज, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद (यू पी)	नेपा लि०	अखबारी कागज
17.	भारत यंत्र निगम लि० नैनी इलाहाबाद	भारत यंत्र निगम लि०	सहायक कम्पनी बी एच पी बी, बी थी सी एल, बी एंड आर, आर एण्ड सी, टी एस एल और टी एस पी सहित ।
5. पश्चिम बंगाल			
1.	प्रोजेक्ट डिवीजन आसनसोल	रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०	कोयले / मैटीरियल हैंडलिंग प्लांट का निर्माण स्ट्रक्चरल फेब्रिकेशन आदि
2.	सुकुमार इंजीनियरिंग वर्क्स, बान हुगली	वही	हल्के और माध्यम स्टील ढांचों को बढ़ना ।

1	2	3	4
3.	शीट मेटल वर्क्स, हुगली	वही	लाइट फेब्रीकेशन, स्टील फर्नीचर आदि।
4.	कास्ट आयरन फाउण्ड्री दुर्गापुर	वही	ग्रे आयरन कास्टिंग
5.	फ्रूट केनिंग यूनिट, बान हुगली	वही	फलों के जैम, जैली, जूस, सास आदि
6.	लेदर यूनिट, बाद हुगली	वही	प्रतिरक्षा के लिए एंकल जूते/एम्यूनिशन प्रतिरक्षक जूते
7.	माल्दा सिल्क यूनिट, माल्दा	वही	कोरा सिल्क थान, सिल्क साड़ियां आदि
8.	टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट बान हुगली	वही	केलेन्डरिंग, साइजिंग, रंगाई आदि।
9.	थ्री गारमेंट फैक्टरीज बान हुगली	वही	प्रतिरक्षा के लिए युद्ध अवरोधी वर्दी औद्योगिक वर्दी आदि।
10.	ताहरपुर हैंडलू यूनिट, ताहरपुर	वही	जनता साड़ी, पी बी सूटिंग और शर्टिंग टर्किश टावल आदि।
11.	के बी एम हैंडलूम यूनिट, खुशबाश मोहल्ला	वही	वही
12.	गणेशपुर हैडलू यूनिट, गणेशपुर	वही	वही
13.	हरवा हैंडलूम यूनिट, अशोक नगर	वही	वही
14.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो०, दुर्गापुर	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन	खनन उपकरण और वाशरी लांगवाल फेसरोड लाइडरस आदि जैसी परियोजनाएं।
15.	साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, कल्याणी और आसनसोल	साइकिल कारपो०, आफ इंडिया लि०	दो पहियों वाली साइकिल

1	2	3	4
16.	कल्याणी यूनिट, कल्याणी नाडिया	वही	औद्योगिक पंखे, ब्लो-अरस धूल इकट्ठा करने वाले और चाय तैयार करने वाली मशीनें ।
17.	एयर पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट कल्याणी नाडिया	एण्ड्रयू यूल एण्ड कं० लि०	औद्योगिक वायु प्रदूषण नियंत्रक उपकरण, सिस्टम एवं सहायक उत्पाद
18.	बेल्टिंग डिवीजन, गणेशपुर, नाडिया	वही	रबड़ कन्वेयर बेल्टिंग औद्योगिक वी बेल्टस आटीमोटिव फेन बेल्टस ।
19.	इलेक्ट्रिकल यूनिट कलकत्ता	वही	वैक्यूम सर्किट ब्रेक्सं; फील्ड स्विच आदि विद्युत वस्तुएं ।
20.	तोगानी यूनिट बेहाला, 24 परगना	वही	इलेक्ट्रोमेगनेटिक कांट्रेक्टसं, मोल्डिड केस सर्किट ब्रेक्सं आदि ।
20.(क)	ब्रेंट फूड यूनिट पी 25, ट्रांसपोर्ट डिपो रोड कलकत्ता	वही	रेगुलेटर्स, पावर ट्रांसफार्मर्स आदि ।
20.(ख)	हुगलीप्रिंटिंग कं० लि० हावड़ा	हुगली प्रिंटिंग कं० लि०	मुद्रण कार्य
21.	जादवपुर, कलकत्ता	नेशनल इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०	सर्वेक्षण और अंकीय उपकरण ।
22.	इंजीनियरी कार्य अंगस	लगन जूट मशीनरी कं० लि०	जूट मशीनें (स्पिनिंग एण्ड ड्राइंग फ्रेम) कोल्ड सा ब्लेसिज, शार्पिंग मशीनें, मुद्रण मशीनों के लिए
23.	ग्रे आयरन फोंडरी आरिशप्त ग्राम		

1	2	3	4
			पालिमार प्लेट प्रोसेसिंग उपकरण, केपटिव प्रयोग के लिए ग्रे आयरन कास्टिंग।
24.	काकीनाड़ा एकक 24 परगना	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	आटोमोटिव टायर
25.	टांगड़ा एकक हावड़ा		आटोमोटिव ट्यूब,
26.	कल्याणी एकक हुगली		साइकिल टायर हासिल, सभी प्रकार के कन्वेयर और बेल्टिंग
27.	ब्रिज एण्ड रुफ कं० (इं०) लि० हावड़ा	बी एण्ड आर	प्रमुख इंजीनियरी निर्माण कम्पनी
28.	हावड़ा कारखाना, हावड़ा		बैगन प्वाइंट एण्ड क्रासिंग कपलसं ढांचा स्लीपर, एश/कोयला हैंडलिंग संयंत्र, ट्राम कार
29.	बर्नपुर कारखाना, बर्नपुर बर्दमान		बैगन, स्प्रिंग आदि
30.	आफ शोर प्रभाग, कलकत्ता		ओ एन जी सी के लिए बैल हील प्लेटफार्म
31.	रिफ्रैक्टरी एकक रानीगंज बर्दमान		सिलिका ईंटें, सिलिका जेनिस्टनं फायर ईंटें, फायरक्ले, क्यानिता अनफिल उत्पाद आदि।
32.	मालिकया एण्ड रामकृष्णपुर, हावड़ा	आर बी एस	11 किलोवाट तक के फलेमा प्रोफ और औद्योगिक स्विचगियर वेक्यूम सर्किट ब्रेकर्स आयल सर्किट ब्रेक्स आदि

1	2	3	4
33.	बी बी जे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि० कलकत्ता	बी बी जे कंस्ट्रक्शन कं० लि०	निर्माणकारी कंपनी तथापि कलकत्ता में इसका अनुरक्षण यार्ड है।
34.	कोचरा कारखाना कलकत्ता	बी बी बी एल	वेक्यूम एण्ड एयर ब्रेक्स प्वाइंट एण्ड क्रासिंग एक्जहास्ट्स आदि।
35.	दमदम में इंजीनियरी कार्य	जेसस एण्ड कं०	वैगन, ई एम यू कोच अर्थ मूविंग उपकरण विशेष गनस एण्ड टंग्स, ढांचा, पेपर मशीनें लांग वाल माइनिंग उपकरण-ग्रे आयरन कास्टिंग।
36.	ग्रे आयरन फांड्री दुर्गापुर	वही	
37.	क्लाइव कारखाना कलकत्ता	ब्रेथवेट एण्ड कं० लि०	वैगन ढांचा, ग्रे आयरन कास्टिंग फोर्जिंग, जूट मशीनों के ढांचों का निर्माण
38.	अंगस कारखाना कलकत्ता	वही	
39.	विक्टोरिया कारखाना, कलकत्ता	वही	
40.	रूपनारायणपुर एकक बर्द्धवान	एच सी एल	ड्राई कोर केबल्स, जेली भरी केबल्स प्लास्टिक केबल्स, तांबा मढ़ी इस्पात वायर
41.	भारत भारी उद्योग निगम लि० कलकत्ता	बी बी यू एन एल	होल्डिंग कम्पनी, जिसमें बी एस बी एल बी बी बी एस, जेसप बी पी एम ई, एम जे एम ब्रेथवेट, बी डब्लू ई एल, बी बी जे शामिल हैं।

1	2	3	4
42.	दखिनदार यूनिट, कलकत्ता	बी पी एम ई एल	जल शोधन संयंत्र,
43.	इंजीनियरी कारखाना टीटागढ़	वेबर्ड इंडिया लि०	जलमल परिशोधन संयंत्र, तेल और गैस प्रसंस्करण उपकरण, इ ओ टी क्रेन और ढांचे मेकेनिकल और इलेक्ट्रानिक भारो-तोलन उपकरणों की व्यापक किस्में, सेफ लोड आदि ।
44.	भारत आप्थैल्मिक ग्लास लि० दुर्गापुर	भारत आप्थैल्मिक ग्लास लि०	फिलट बटन आप्टिकल ग्लास रेडियेशन शील्डिग विंडो ।
6. कर्नाटक			
1.	एच एम टी 1 और 2, बंगलौर	एच एम टी लिमिटेड	मशीन टूल, डाई
2.	हार्सलाजिकल मशीनरी डिवीजन बंगलौर	वही	कास्टिग मशीन टूल
3.	घड़ी कारखाना 1 और 2, बंगलौर	वही	घड़ियां
4.	घड़ी कारखाना 4, तुमकुर	वही	घड़ियां, स्टापर मोटर्स
5.	स्पेशलाइज्ड वाच केसेज डिवीजन, बंगलौर	वही	वाच केसेज
6.	मिनियेचर बैटरी प्रोजेक्ट बंगलौर	वही	क्वार्टज एनालाग घड़ियां सी एन सी प्रणाली कम्प्यूटर प्रणाली
7.	एच एम टी (आई) बंगलौर	एच एम टी (आई) लि०	ट्रेडिंग यूनिट
8.	इलेक्ट्रो पोर्सलेन डिवीजन बंगलौर	भारत हेवी इले० लि०	इन्सुलेटर्स एण्ड बशिम्स सिरेमिक लाइनर्स
9.	मांडया नेशनल पेपर मिल्स लि० बेलागुला	मांडया नेशनल पेपर मिल्स लि० बेलागुला	कागज

1	2	3	4
10.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० कुरकुंटा यूनिट, गुलबर्गा	सी सी आई	सीमेंट
11.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडेक्ट्स लि०, तुंगभद्रा डेम	टी एस एल	हायस्टस, गेट, क्रेन, संचार लाइन मिनार इमारती ढांचे, पेन-स्टाक आदि।
12.	इलेक्ट्रानिक डिवीजन, बंगलौर	भारत हेवी इले० लि०	नियंत्रक उपकरण, पावर डिवाइसिस, ऊर्जा और जल फोटो वोल्टेइक पैनल, ई पी ए बी एक्स।
7. केरल			
1.	एच एम टी 4, कलमासेरी	एच एम टी लि०	मशीन टूल, प्रिंटिंग मशीनरी
2.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि० कोट्टायम	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.	न्यूजप्रिंट
3.	वालघाट एकक	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.	प्रोसेस कन्ट्रोल वाल्व्स सुरक्षा बचाव वाल्व्स विविध मद और सहायक पुर्जे।
8. हरियाणा			
1.	एच एम टी 3, पिन्जोर	एच एम टी लि.	मशीन टूल्स, ट्रैक्टर्स
2.	चरखी दादरी एकक भिवानी	सी सी आई	सीमेंट
3.	मारुति उद्योग लि., पालम गैंड़गांव रोड, गुड़गांव	मारुति उद्योग लि.	कारें, वैनें, जिप्सी
9. तमिलनाडु			
1.	उच्च दाब बायलर संयंत्र, तिरुची-पल्ली	बी एच ई एल	फाजिल और न्यू-क्लियर बायलर और वालव्स।

1	2	3	4
2.	सीमलेस इस्पात ट्यूब संयंत्र, तिरुचीपल्ली	वही	सीमलेस इस्पात ट्यूबें
3.	बायलर सहायिका संयंत्र, रानीपेट	वही	इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर पंखे, वायु प्रिहीटर।
4.	नियंत्रण उपकरण, बंगलौर	वही	ड्राइव कंट्रोल और विद्युत संयंत्रों के लिए नियंत्रण।
5.	ट्रांसफार्मर और स्विचगियर एकक सलाई अदयर, मद्रास	ए बाई एण्ड को	विद्युत/वितरण ट्रांसफार्मर, रिंग मुख्य एकक इत्यादि।
6.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड एकक, कासीमॉड और अम्बातार	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972), लि.	औद्योगिक ढांचे, जल परिशोधन संयंत्र, सेनेटरी प्लम्बिंग इत्यादि
7.	सलेम कारखाना, सलेम	बर्न स्टेण्डर्ड कं. लि.	कल० मेग्नसाइट, बेसिक ब्रिक्स, पीज, मेग० कार्बन ब्रिक्स आदि
8.	उटकमंड एकक	एच पी एफ	फोटो फिल्म आदि
9.	अम्बातुर एकक		सिने कलर पाजिटिव फिल्मों आदि का परिवर्तन आदि, आयातित जम्बो रोल
10. राजस्थान			
1.	एच एम टी-6 अजमेर	एच एम टी लि.	मशीन टूल
2.	साम्भार लेक, जयपुर	साम्भर साल्ट्स लि.	क्यार नमक, पान नमक और रेश्ता नमक आयोडाइज्ड नमक, परिशोधित

1	2	3	4
			नमक, टेबल नमक, डेरी नमक, फार्मसिटिकल ग्रेड आई पी/बीपी नमक आदि
3.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा	इंस्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा	नियन्त्रण और इंस्ट्रूमेंटेशन प्रणाली दूरसंचार उपकरण; अबाध विद्युत आपूर्ति प्रणालियों आदि के उपकरण, प्रक्रियाएं नियन्त्रण उपकरण; आपूर्ति, संस्थापन इत्यादि।
4.	राजस्थान इलेक्ट्रानिक इन्स्ट्रूमेंट्स लि., जयपुर	राजस्थान इलेक्ट्रानिक लि.	1 इलेक्ट्रानिक मिल्क विश्लेषण 2 सोलर पी वी मोड्यूल/सिस्टम
11. महाराष्ट्र			
1.	डेयरी मशीनरी औरंगाबाद	एच एम टी लि.	डेयरी मशीनरी
2.	नेशनल बाइसिकिल कार. लि., बम्बई	नेशनल बाइसिकिल कार. आफ इंडिया लि.	बाइसिकिल
3.	माइकुला आयरन कारखाना जे. जे. रोड, बम्बई	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि., बम्बई	इस्पात ढांचों की संरचना, रेलवे प्वाइंट एंड क्रासिंग्स, रबर मिलें, चीनी मशीनें, रसायन उपकरण
4.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि. एनक, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, मुलुन्द (पश्चिमी)	वही	प्रेशर वेसल्स, हीट एक्सचेंजर, रेल टैं, एल पी जी, बुलेट्स बायलर आदि।

1	2	3	4
5.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि. एकक नागपुर	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि. बम्बई	संचार रेखा, गौल-वनाइजिंग टावर परीक्षण बेड्स, टनकी परियोजनाएं इत्यादि
12. जम्मू और कश्मीर			
1.	घड़ी कारखाना-III श्रीनगर	एच एम टी लि.	घड़ियां
13. पंजाब			
1.	औद्योगिक वाल्व्स संयंत्र, गोइन्दवाल	बी एच ई एल लि.	औद्योगिक घड़ियां
2.	ट्रैक्टर संयोजन एकक, मोहाली	एच एम टी लि.	ट्रैक्टर संयोजन, ताप एन वी सी
14. मध्य प्रदेश			
1.	हेवी इलेक्ट्रिकल्स संयंत्र, भोपाल	बी एच ई एल	हाइड्रोसेट, ट्रांसफा-रमर, स्विच गियर्स एसी और डीसी दोनों प्रकार के मोटर, ट्रैक्शन और औद्यो-गिक मशीनें केन्द्रीय गियर इलेक्ट्रिक वेन्स और डीजल अनित्र सैट ।
2.	नेपाल लि. नेपा नगर	नेपा लि.	अखबारी कागज
3.	सी सी आई, मांढ़र, रायपुर एकक	सी सी आई	सीमेंट
4.	अकलतारा, बिलासपुर	सी सी आई	सीमेंट
5.	नयागांव, मनसर	सी सी आई	सीमेंट
6.	जबलपुर कारखाना, जबलपुर	बर्न स्टेण्डर्ड कं. लि.	फाइर ईंटे, फायर क्ले स्टोन
7.	विवार कारखाना जबलपुर	वही	बोट पाइट, अनभरी उत्पाद फायर ईंटें, फायर क्ले

1	2	3	4
15. गुजरात			
1.	खराघोड़ा एकक सुरिन्दर नगर	एच एस एल	करकुच नमक, बारागढ़ नमक, आयोडाइज्ड नमक, भा. मा. सं. के विनिर्देशों का खारा द्रव ।
16. नागालैंड			
1.	नागालैंड पल्प पेपर कारपोरेशन लि. तुली, नागालैंड	नागालैंड पल्प पेपर कंपनी लिमिटेड	कागज
17. हिमाचल प्रदेश			
1.	एच एस एल, एकक मंडी, मंडी	एच एस एल	चट्टान नमक, पान नमक
2.	सी सी आई एकक राजबन, सिरमोर	सी सी आई	सीमेंट
18. दिल्ली			
1.	नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन चाणक्य भवन अफ्रीका एवेन्यू, नई दिल्ली-21	नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन	नई दिल्ली स्थित उनके पंजीकृत कार्यालय के साथ परामर्शी ठेका लेने वाला संगठन ।
2.	इंजीनियरिंग प्रोजक्ट्स इंडिया लि. कैलाश बिल्डिंग कं. जी. मार्ग, नई दिल्ली	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड	
3.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (पंखा प्रभाग) नई दिल्ली ।	स्कूटर्स इंडिया लिमि.	पंखे

विवरण-II

क्रम सं०	इंजीनियरी एकक का नाम
1	2
1.	एण्ड्रयू यूल एण्ड कं. लि., कलकत्ता ।

1	2
2.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि., नई दिल्ली ।
3.	बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि. ।
4.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि., कलकत्ता ।
5.	रेरोल बर्न लि. ।
6.	जेसप एण्ड कम्पनी लि., कलकत्ता ।
7.	ब्रेथवेट एण्ड कं. लि., कलकत्ता ।
8.	भारत वेगन एण्ड इंजी. कं. लि., पटना ।
9.	भारत प्रोसेस एंड मेके. इंजी. लि., कलकत्ता ।
10.	वेबर्ड इंडिया लि. ।
11.	लगन जूट मशी. कं. लि., कलकत्ता ।
12.	भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लि., विशाखापत्तनम ।
13.	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लि., नैनी, इलाहाबाद ।
14.	रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लि., बम्बई ।
15.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि., नैनी, इलाहाबाद ।
16.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स (इंडिया) लि. ।
17.	साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि. ।
18.	हिन्दुस्तान केबल्स लि. ।
19.	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि., रांची ।
20.	एच एम टी लि., बंगलौर ।
21.	प्रागा टूल्स लि., सिकन्दराबाद ।
22.	एच एम टी (बियरिंग्स) लि. ।
23.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा ।
24.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक इन्स्ट्रूमेंट्स लि. ।
25.	माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि., दुर्गापुर ।
26.	मारुति उद्योग लि., नई दिल्ली ।
27.	नेशनल बाईसाइकिल कारपोरेशन लि., कलकत्ता ।
28.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि., कलकत्ता ।
29.	स्कूटर्स इंडिया लि., लखनऊ ।

राजस्थान की परियोजनाओं को मंजूरी

2447 **श्री गुमान मल लोढा** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राजस्थान में विभिन्न परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) योजना आयोग में निवेश अनुमोदन के लिए राजस्थान की निम्नलिखित स्कीमें लम्बित पड़ी हुई हैं :

1. मेजा आधुनिकीकरण और मेजा फीडर परियोजना

2. जयसमन्द आधुनिकीकरण परियोजना

3. नर्मदा नहर परियोजना (राजस्थान)

(ख) योजना आयोग में उपर्युक्त स्कीमों के लिए निवेश की मंजूरी के लिए निर्णय, राज्य सरकार के समग्र संसाधनों की उपलब्धता और आठवीं योजना में राजस्थान सरकार द्वारा अनेक क्षेत्रकों के लिए क्षेत्रक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

नारियल जटा का निर्यात

2448. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान नारियल जटा का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ख) नारियल जटा का अधिकतम मात्रा में निर्माण और निर्यात किस राज्य से किया जाता है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) नारियल जटा के निर्यात की मानीटरी वित्तीय वर्ष के आधार पर की जाती है । अप्रैल-जनवरी 1991-92 की अवधि के दौरान 24,822 मी० टन नारियल जटा तथा नारियल उत्पादों का निर्यात किया गया है ।

(ख) कयर यार्न तथा उत्पादों का अधिकतम निर्यात केरल राज्य द्वारा किया जाता है । कयर पिच और रबड़ीकृत कयर का भी थोड़ी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है । ये निर्यात मुख्यतः भूरा रेशा क्षेत्र से किए जा रहे हैं ।

ग्रामीण विकास केन्द्र

2449. **डा० कृपासिन्धु भोई :**
श्री यशवंतराव पाटिल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास केन्द्र विकसित करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए राज्यवार किन-किन स्थानों को चुना गया है तथा वर्ष 1992-93 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) छोटे, लघु और ग्रामीण उद्यमों को प्रोत्साहन देने और उन्हें सुदृढ़ बनाने हेतु ० अगस्त, 1991 को घोषित नीति-विषयक उपायों के अनुसरण में, ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए समन्वित आधारभूत ढांचा विकास (जिसमें प्रौद्योगिकीय जानकारी देना शामिल है) की एक प्रारूप योजना तैयार की गई है और आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के प्रस्तावों में शामिल की गई है। केन्द्र और राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों के सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

सीलमपुर रेल फाटक पर फ्लाई ओवर का निर्माण

[हिन्दी]

2450. **श्री राम सागर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर रेल फाटक पर फ्लाई ओवर के निर्माण के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। दिल्ली प्रशासन से उत्तर की प्रतीक्षा है।

दरभंगा बिहार में आदर्श ग्राम

2451. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दरभंगा, बिहार में खादी और ग्राम उद्योग आयोग की सहायता से एक आदर्श ग्राम की स्थापना करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दरभंगा, बिहार में आदर्श ग्राम की स्थापना हेतु सहायता के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

वैकल्पिक प्लाटों का आवंटन

[अनुवाद]

2452. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ऐसे बहुत से व्यक्तियों को वैकल्पिक प्लाटों का आवंटन नहीं किया है जिनकी भूमि दिल्ली के "योजनागत विकास" की योजनाओं के लिए अधिग्रहीत की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, यद्यपि उच्च न्यायालय के निर्देशों का शीघ्र पालन करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाते हैं फिर भी कभी-कभी उपयुक्त भूखण्डों की अनुपलब्धता निर्णय को कार्यान्वित करने में विलम्ब का कारण बनती हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली प्रशासन के भूमि तथा भवन विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण से वैकल्पिक भूखण्डों के आवंटन के सम्बित पड़े मामलों का शीघ्रता से निपटान करने का आग्रह किया गया है।

बिहार में केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं

2453. **श्रीमती कृष्णा शाही** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार में केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इस सम्बन्ध में परियोजनावार कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को लेखाओं के लेखा-परीक्षित विवरण प्रस्तुत कर दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान परियोजनावार दिए गए खर्च का ब्योरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सहकारी समूह आवास समितियां

2454. **श्री प्रवीन डेका** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की लगभग 400 सहकारी समूह आवास समितियों को हाल ही में भूमि-मूल्य की पहली किस्त जमा करने के लिए कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितनी समितियां इस किस्त को जमा करा चुकी हैं;

(ग) क्या इन समितियों से भूमि मूल्य की दूसरी किस्त जमा करने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय में भूमि-आवंटन हेतु इन समितियों की एक नई सूची तैयार करने के आदेश दिए थे; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) भूमि का 50% प्रीमियम जमा कराने के लिए 227 सामूहिक आवास समितियों को जनवरी, 1991 में मांग पत्र जारी किए गए थे । तथापि, केवल 22 समितियों ने निर्धारित प्रीमियम जमा किया । अन्य 187 समितियों ने प्रीमियम की भिन्न किन्तु मांगी गई 50% से कम राशि जमा की । 18 समितियों ने कोई प्रीमियम जमा नहीं किया ।

(ग) और (घ) आवंटन, जिसके आधार पर प्रीमियम का भुगतान करने के लिए कहा गया था, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10-5-91 के आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया गया था ।

(ङ) और (च) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने उपर्युक्त आदेश में सहकारी समितियों के पंजीयक को एक नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया था । सहकारी समितियों के पंजीयक ने जून, 1991 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को 400 समितियों की एक नई सूची भेजी थी । तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और मामला न्याय निर्णयाधीन है ।

माधोपुर में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कार्यालय

2454. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और कुछ अन्य जिले इस समय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माधोपुर (जम्मू और कश्मीर) स्थित कार्यालय से सम्बद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए इन जिलों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के शिमला (हिमाचल प्रदेश) स्थित कार्यालय से जोड़ने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, मण्डी तथा कांगड़ा जिले माधोपुर केन्द्रीय मण्डल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सम्बद्ध है ।

(ख) और (ग) इन जिलों को शिमला केन्द्रीय मण्डल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सम्बद्ध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था सन्तोषप्रद है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियां

2456. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और अब तक कितने लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ख) क्या पूरा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1-4-1989 से बन्द कर दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में नौकरियां दिलाने का कार्य रोजगार कार्यालयों को सौंपना

2457. **श्री राम निहोर राय** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में नौकरियां दिलाने का कार्य रोजगार कार्यालयों को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लाइसेंस देने की नीति को समाप्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार भरती एजेंटों द्वारा लाइसेंसों के लिए जमा कराई गई प्रतिभूति राशि को उन्हें बिना शर्त वापस लौटाएगी; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) एवं (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नेहरू रोजगार योजना

2458. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू रोजगार योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक के इसके कार्यान्वियन के बारे में विश्लेषण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार, विशेष रूप से हरियाणा के सन्दर्भ में ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) नेहरू रोजगार योजना शहरी बेरोजगारों और अल्परोजगार निर्धनों को रोजगार मुहैया करने के लिए तैयार की गई है। इसमें दो प्रकार के रोजगार पर विचार किया गया है, एक तो स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना से सम्बन्धित है और दूसरे शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक परिसम्पतियों के निर्माण और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभनुभोगियों के रिहायशी एककों में सुधार के माध्यम से मजदूरी-रोजगार की व्यवस्था से सम्बन्धित है।

(ख) और (ग) जी, हां। योजना के कार्यान्वियन का आवधिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। हरियाणा राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यान्वियन की स्थिति, उनसे प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, सलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शहरी लघु उद्यम योजना		शहरी मजदूरी रोजगार योजना		आवास तथा आश्रय उन्नयन योजना	
		स्वीकृत आर्थिक सहायता	प्रशिक्षित किए गए/ प्रशिक्षाधीन प्रशिक्षुओं की संख्या	सूचित किया गया व्यय	सृजित श्रम दिवसों की संख्या (लाखों में)	स्वीकृत आर्थिक सहायता	अनुमोदित ऋण राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	811.12	1504	715.29	7.84	325.34	1240.84
2.	बिहार	53.24	1787	850.00	6.77	360.00	1417.50

1 2	3	4	5	6	7	8
3. गुजरात	64.44	3784	524 21	6.95	6.68	25.27
4. हरियाणा	97.00	1303	204.17	1.90	62.62	234.84
5. कर्नाटक	707.40	2046	621.74	11.40	392.66	1472.49
6. केरल	196.97	2005	374.50	7.00	282.63	1112.85
7. मध्य प्रदेश	375.11	1823	900.46	9.70	366.16	1441.81
8. महाराष्ट्र	459.55	12927	905.50	23.91	317.23	1230.80
9. उड़ीसा	186.43	1441	376.73	6.40	110.20	432.15
10. पंजाब	123.28	751	291.32	2.00	120.99	453.72
11. राजस्थान	205.00	758	770.00	8.51	17.06	67.65
12. तमिलनाडु	337.18	9442	1008.18	22.10	664.00	2614.53
13. उत्तर प्रदेश	910.15	4300	2630.00	28.59	1161.62	4566.06
14. पश्चिम बंगाल	180.45	2320	640.52	45.54	443.78	1742.17
15. गोवा	—	—	24.70	0.46	—	—
16. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
17. आसाम	116.86	117	201.18	2.46	55.59	211.21
18. हिमाचल प्रदेश	34.90	—	81.68	0.03	2.10	7.86
19. जम्मू और कश्मीर	5.41	278	15.25	0.32	24.87	93.27
20. मणीपुर	—	789	62.83	1.34	7.59	28.81
21. मेघालय	0.35	—	0.93	0.01	2.36	8.96
22. मिजोरम	—	54	31.36	—	—	—
23. नागालैंड	—	—	—	—	—	—
24. सिक्किम	11.23	80	40.74	—	3.50	13.77
25. त्रिपुरा	4.45	537	67.41	0.90	2.61	9.93
26. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	6.53	0.10	—	—
27. चण्डीगढ़	1.04	—	15.57	—	1.82	6.81
28. दादर और नगर हवेली	0.16	—	0.59	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	दमन और द्वीव	—	—	4.00	0.89	—	—
30.	लक्षद्वीप	—	—	11.53	0.05	—	—
31.	पांडिचेरी	2.89	25	13.47	0.14	7.52	29.61
32.	दिल्ली	25.00	—	—	—	—	—
	योग :	4913.58	47571	10982.39	195.31	4738.93	18462.91

बिहार में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

[हिन्दी]

2459. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे प्रत्येक उपक्रम को हुए घाटे और लाभ का ब्यौरा क्या है, और घाटे पर चलने के कारण सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों को बन्द किया गया;

(ग) इनकी रुग्णता के मुख्य कारण क्या हैं और उन्हें पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या श्रमिको/कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की जाएगी; और

(घ) बिहार में सरकारी क्षेत्र में नये उपक्रमों की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगम) : (क) और (ख) 31-3-1991 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 15 उद्यमों का पंजीकृत कार्यालय बिहार में था। विगत तीन वर्ष के दौरान उनके लाभ एवं हानि का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। इनमें से किसी उद्यम को बन्द नहीं किया गया है।

(ग) रूग्णता के कारण उद्यम-विशेष के संदर्भ में अलग-अलग होते हैं। अप्रचलित प्रौद्योगिकी, अत्यधिक श्रमशक्ति, ब्याज का भारी बोझ आदि सामान्य कारण है। रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आने वाले सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाना अपेक्षित होता है ताकि उनके पुनर्नवीकरण/पुनर्स्थापन हेतु योजनाएं बनाई जा सकें। पुनर्नवीकरण सम्बन्धी ऐसी योजनाए बनाते समय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सुझाव मांग सकता है। बहरहाल, पुनर्स्थापन सम्बन्धी ऐसे पैकेजो से प्रभावित होने वाले कामगारों के हितो की रक्षा के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष का भी गठन किया गया है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम की स्थापना का निर्णय, परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा राष्ट्र के सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	निवल लाभ/हानि		
		1990-91	1989-90	1988-89
1.	भारत कोकिंग कोल लि०	—9627	5133	519
2.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि०	—1159	—1121	—862
3.	भारत वेगन एण्ड इंजी० कम्पनी लि०	79	4	—171
4.	सैंट्रल कोलफील्ड्स लि०	526	1030	641
5.	केन्द्रीय खान आयोजन एवं अभिकल्पन संस्थान लि०	147	203	200
6.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि०	—5387	—10432	—3829
7.	फैरो स्क्रैप निगम लि०	569	443	303
8.	हैवी इंजीनियरिंग कारपो० लि०	—9951	—3362	1253
9.	इंडिया फायरब्रिक्स एण्ड इंस्युलेशन कम्पनी लि०	—87	1067	—244
10.	मेटालर्जीकल एण्ड इंजी० कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि०	37	495	655
11.	माइका ट्रेडिंग कारपो० आफ इंडिया लि०	—492	17	—174
12.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि०	—1786	—1908	—952
13.	पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि०	20	125	99
14.	रांची अलोक बिहार होटल कारपो० लि०	—5	—5	—8
15.	यूरेनियम कारपो० आफ इंडिया लि०	143	657	552

कोल इंडिया लि० को दी गई राशि

[अनुवाद]

2460. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान बजटीय सहायता के रूप में कोल इंडिया लि० को कितनी धनराशि दी है;

(ख) क्या सरकार वित्तीय बाधाओं को देखते हुए कोल इंडिया लि० को वित्तीय सहायता बन्द करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कोल इंडिया लि० को दी गई सकल बजटीय सहायता नीचे दी गई है :—

1989-90	1991-92
1040 करोड़ रु०	600 करोड़ रु०

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि० को दी जाने वाली वार्षिक बजटीय सहायता की राशि का निर्धारण योजना आयोग से परामर्श करके निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए किया जाता है— वार्षिक योजना परिव्यय, कोल इंडिया लि० द्वारा जुटाए गए आंतरिक संसाधन, इसकी उधार लेने की क्षमता और अन्य अतिरिक्त बजटीय साधन ।

राज्यों में पेयजल योजनाओं के लिए धनराशि

2461. **श्री धर्मण्णा मोडम्या सादुल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान (दिसम्बर 1991 तक) पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकारों को वर्षवार और राज्यवार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निम्न वर्षों के दौरान ग्रामीण जल सप्लाई के लिए रिलीज की गई निधियां		
		1989-90	1990-91	1991-92 (दिसम्बर, 91 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	27.098	20.177	24.520

1 2	3	4	5
2. अरुणाचल प्रदेश	2.518	5.197	2.940
3. असम	15.500	10.770	13.700
4. बिहार	28.698	24.477	15.660
5. गोआ	0.318	1.057	1.550
6. गुजरात	12.082	18.327	17.580
7. हरियाणा	7.641	6.463	7.200
8. हिमाचल प्रदेश	7.208	8.057	7.770
9. जम्मू व कश्मीर	25.253	15.307	10.500
10. कर्नाटक	29.168	24.355	12.550
11. केरल	9.780	11.260	11.910
12. मध्य प्रदेश	33.378	21.584	31.950
13 महाराष्ट्र	25.794	35.854	29.300
14. मणिपुर	3.498	3.357	2.770
15. मेघालय	4.268	6.198	2.600
16. मिजोरम	2.356	2.167	1.290
17. नागालैंड	7.223	5.527	2.680
18. उड़ीसा	12.907	21.621	8.880
19. पंजाब	10.156	5.337	4.730
20. राजस्थान	44.618	42.587	40.400
21. सिक्किम	4.564	7.787	3.880
22. तमिलनाडु	25.348	21.987	20.440
23. त्रिपुरा	4.405	2.530	2.450
24. उत्तर प्रदेश	53.478	46.507	39.530
25 पश्चिम बंगाल	19.679	14.211	10.810
26. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.468	0.887	0.200
27. दमन व द्वीव	0.100	0.528	2.400
28. लक्षद्वीप	1.268	0.00	0.00

1 2	3	4	5
29. पांडिचेरी	..238	0.130	0.300
30. दिल्ली	0.065	0.130	0.00
31. चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
32. दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
योग :	420.075	390.376	330.500

परमाणु ऊर्जा विभाग में भर्ती नियम

2462. **श्री मोहन रावले** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आणविक ऊर्जा विभाग ने विभाग में सभी पदों के लिए भर्ती तथा पदोन्नति नियम बना लिए हैं और इन नियमों को अधिसूचित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अब तक ऐसे नियम न बनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन नियमों को कब तक बना लिए जाने तथा अधिसूचित कर दिए जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग ने विभाग में विद्यमान पदों में से अनेक पदों के भर्ती नियम बना लिए हैं तथा उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार अधिसूचित कर दिया है।

(ख) प्रशासनिक/लिपिक श्रेणी के पैंतीस पदों के भर्ती नियम बनाए गए तथा अधिसूचित कि गए हैं।

(ग) मुख्य रूप से "ग" और "घ" वर्ग के तथा एकल पदों के 48 पदों के लिए भर्ती नियम बनाए जाने तथा अधिसूचित किए जाने हैं। उन्नतीस पदों के नियमों का प्रारूप कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए तथा संघटक यूनिटों की टिप्पणियों के लिए तैयार किए गए हैं।

(घ) विभाग ने शेष पदों, जो अधिकांशतः वर्ग "ख", "ग" तथा "घ" में एकल श्रेणियों के हैं और जिन पर, उन्हें अन्तिम रूप देने से पहले, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करना आवश्यक है, के भर्ती नियम बनाने का कार्य शुरू कर दिया है।

प्रवासी श्रमिक

2463. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मूल राज्य सहित राज्यवार कितने प्रवासी श्रमिक कुछ ठेकों के अन्तर्गत एक निर्धारित अवधि के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य मे गए;

(ख) जब मूल राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य सरकार के आयुक्त अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा के मामलों पर विचार-विमर्श करते हैं तो क्या प्रवासी श्रमिकों के दावे नहीं निपटाए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) प्रवासी श्रमिको के कल्याण की नीतियों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) अन्तर्राजिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 में व्यवस्था है कि प्रतिष्ठान के कार्य, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है के सम्बन्ध मे अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकारो को नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि :—

(क) ऐसे कर्मकारों को वेतन का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए;

(ख) महिला और पुरुष (सैक्स) को ध्यान में रखे बिना समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए;

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे कर्मकारों के लिए कामकाज की उपयुक्त दशा को सुनिश्चित किया जाए कि वे अपने राज्य से भिन्न राज्य म काम करते है;

(घ) ऐसे कर्मकारों को उनके नियोजन की अवधि के दौरान उपयुक्त आवासीय मकान दिलाए जाएं और उनका रख-रखाव किया जाए;

(ङ) कर्मकारो को निर्धारित चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए;

(च) कर्मकारो को यथानिर्धारित सुरक्षात्मक कपड़े उपलब्ध कराए जाएं; और

(छ) यदि कोई कर्मकार घातक दुर्घटना का शिकार होता है अथवा उसे गम्भीर शारीरिक चोट लगती है तो दोनों राज्यो के निर्दिष्ट प्राधिकारियों और उस कर्मकार के घनिष्ठ रिश्तेदारो को भी उसकी सूचना दी जाए।

भुगकान की शर्तों में संशोधन

2464. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले की खपत वाले उद्योगों को कोयले की सप्लाई के लिए भुगतान की शर्तों को संशोधित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे वैगनों की कमी के कारण 15 दिनों से 3 महीनों के लिए विविध प्रकार के कोयले के आवंटन और वास्तविक लदान के बीच भारी अन्तर है;

(घ) गुजरात में कितने वस्त्र उद्योग कोयले की सप्लाई में कमी का सामना कर रहे हैं;

(ङ) आगामी वर्षों में कोयले की सप्लाई में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत कमी होने का अनुमान है; और

(च) सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० डी० न्यामगौड) : (क) और (ख) भारत सरकार के परामर्श पर कोल इंडिया लि० ने विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए अग्रिम भुगतान की पद्धति शुरू की है। इस पद्धति के तहत राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत उपयोगिताओं द्वारा कोयले का प्रेषण किए जाने से पहले ही अग्रिम भुगतान करना पड़ेगा।

(ग) रेलवे द्वारा वैगनों की वास्तविक आपूर्ति किए जाना वैगनों का रैक्स के रूप में उपलब्ध किए जाने और रैक्स संचलन के लिए रेल क्षमता की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः वैगनों के आवंटन और वास्तविक आपूर्ति के बीच आए कुछ अन्तराल की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(घ) से (च) विद्युत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को रेल द्वारा कोयले के संचलन को प्राथमिकता दिए जाने के कारण, गुजरात में कपड़ा मिलों सहित, कुछ उपभोक्ताओं को कोयले का वास्तविक संचलन किए जाने में कुछ विराव्ट आई है। किन्तु कोयला कम्पनियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी उद्योगों को कोयले की संयोजित मात्रा की कम से कम 50% मात्रा की आपूर्ति रेल द्वारा या सड़क द्वारा करें। कुछ उच्च गुणवत्ता वाले धातुकर्मी ग्रेड के कोयला को छोड़कर जिसका सम्मिश्रण के उद्देश्य से आयात किया जाता है, कोयले की उपलब्धता में चालू वर्ष या आने वाले वर्षों में कोई कमी आने की संभावना नहीं है। सरकार कोयले की सीधी आपूर्ति (फीड) में और घुले कोककर कोयले के उत्पादन को चालू वर्ष में 10.5 मिलियन टन से बढ़ाकर वर्ष 1996-97 में 13.97 मिलियन टन करने के लिए कदम उठा रही है।

कामगार यूनियन के साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का समझौता-ज्ञापन

2465. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को अपने कामगार यूनियन के साथ किसी वचनबद्धता अथवा किसी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो भारी मूल्य-वृद्धि और मुद्रास्फीति को देखते हुए कामगारों के हित की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) और (ख) कामगारों के साथ बातचीत के अगले दौर के लिए मजूरी नीति तथा औद्योगिक महंगाई भत्ता सूत्र से संबंधित मुद्दों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। जब तक सरकार मंजूरी संबंधी बातचीत के पांचवे दौर के लिए नई मजूरी नीति तैयार करती है तब तक कामगारों को मौजूदा महंगाई भत्ता योजना के अनुसार महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

[हिन्दी]

2466. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार में विभिन्न राज्यों से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे ऐसे अधिकारियों की संख्या का राज्यवार और वर्षवार ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां। विभिन्न राज्य संवर्गों से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर निम्नलिखित पद श्रेणियों पर लिया जाता है :—

(i) केन्द्रीय पुलिस संगठनों में पद;

(ii) केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय में पद; तथा

(iii) विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनो मे मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पद।

(ख) केन्द्रीय सरकार में विभिन्न राज्य संवर्गों से गत तीन वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य संवर्ग का नाम	इन तारीखों से भारत सरकार में कार्यरत अधिकारियों का विवरण			जोड़
		1-1-89	1-1-88	1-1-88 से पहले	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3	—	5	8

1 2	3	4	5	6
2. असम-मेघालय	3	1	9	13
3. बिहार	2	—	6	8
4. गुजरात	1	3	7	11
5. हरियाणा	1	2	—	3
6. हिमाचल प्रदेश	3	1	3	7
7. जम्मू तथा कश्मीर	—	1	1	2
8. कर्नाटक	2	2	6	10
9. केरल	2	—	2	4
10. मध्य प्रदेश	5	4	19	28
11. महाराष्ट्र	5	1	12	18
12. मणिपुर-त्रिपुरा	3	1	11	15
13. नागालैंड	—	—	—	—
14. उड़ीसा	1	2	9	12
15. पंजाब	1	3	5	9
16. राजस्थान	3	2	8	13
17. सिक्किम	—	—	1	1
18. तमिलनाडु	7	1	3	11
19. केन्द्र शासित प्रदेश	—	2	3	5
20. उत्तर प्रदेश	5	5	19	28
21. पश्चिम बंगाल	3	4	21	28
कुल :	49	35	150	234

पुनालूर पेपर मिल को पुनः चालू करना

[अनुवाद]

2467. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पुनालूर पेपर मिल को पुनः चालू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में केरल सरकार अथवा उक्त मिल्ज के वर्तमान प्रबन्ध अथवा किसी अन्य सरकारी उपक्रम से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) केरल राज्य सरकार ने भारत सरकार से मैं० पुनालूर पेपर मिल्स लि० का प्रबन्ध हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि० द्वारा अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर विचार करने का अनुरोध किया था। हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि० ने सम्भाव्यता अध्ययन करने के अनन्तर यह पाया कि पुनालूर पेपर मिल्स लि० को उसके संयंत्र और मशीनों की मौजूदा हालत में चला पाना संभव नहीं है, अतः मैं० पुनालूर पेपर मिल्स लि० के प्रबन्ध को हाथ में लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।

नगरपालिकाओं के बीच पारस्परिक सम्बन्ध

[हिन्दी]

2468. **श्री प्रतापराव जी० भोंसले** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों का विकास करने के लिए सरकार का नगरों के बेहतर प्रबन्धन एवं नगरपालिकाओं के बीच बेहतर पारस्परिक कार्य-सम्बन्ध सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) देश भर में समस्त स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने तथा उनके लिए एक समान रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से इस मन्त्रालय ने दिनांक 16-9-91 को लोक सभा में संविधान (73वां संशोधन) विधेयक पेश किया है। विधेयक इस समय संसद के संयुक्त समिति के विचाराधीन हैं। इस विधेयक में शामिल किए गए प्रावधानों में कार्यों तथा कराधानों और राजस्व के बंटवारे के लिए शक्तियों तथा व्यवस्थाओं के संदर्भ में राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच सम्बन्धों को मजबूत आधार प्रदान करने की व्यवस्था है। विधेयक के अन्य प्रावधान, नगर पालिकाओं का गठन, (वित्तीय सहित) उनकी शक्तियों, कार्यों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण, नियमित रूप से चुनाव करवाना, नगर पालिकाओं का कार्यकाल, राज्य स्तर पर नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए नियमित अन्तरालों पर वित्त आयोग का गठन, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा नगर निगमों के लेखों की लेखा-परीक्षा, नगर पालिका के चुनावों तथा सदस्यता के लिए अयोग्यता आदि की व्यवस्था करते हैं।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मे गिरावट

[अनुवाद]

2469. **श्री रूपचन्द पाल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में वर्ष 1991-92 के प्रथम छः महीनों के दौरान वर्ष 1990-91 की उक्त अवधि में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के प्रथम छ महीनों में सूचकांक में गिरावट दर कितनी रही है; और

(ग) किन औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन गिरा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर अप्रैल-सितम्बर 1991-92 के दौरान समग्र विकास दर वर्ष 1990-91 के उसी अवधि की तुलना में (—)0.9 प्रतिशत थी । जहां तक क्षेत्रवार उत्पादन का प्रश्न है, पिछले वर्ष के इसी अवधि की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में (—)2.8 प्रतिशत की कमी और खनन क्षेत्र में (—)2.2 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई । विद्युत क्षेत्र में इसी अवधि के दौरान 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई ।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा नेत्रहीनों के लिए बिना बारी के डी० डी० ए० फ्लैटों का आवंटन

2470. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बिना बारी के डी० डी० ए० फ्लैटों का आवंटन करने हेतु शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा नेत्रहीनों से अगस्त, 1989 में आवेदन पत्र आमन्त्रित किए थे;

(ख) यदि हां, तो इस आवंटन हेतु आवेदन करने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) डी० डी० ए० ने अब तक कितने आवेदकों को फ्लैटों का आवंटन किया है;

(घ) अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या डी० डी० ए० के उपाध्यक्ष ने ऐसे किसी आवेदक को व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति दी थी; यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) 2078 आवेदन प्राप्त हुए थे ।

(ग) 52 मामलों में आवंटन किया गया है ।

(घ) 1137 आवेदन नामंजूर किए गए थे क्योंकि बिना बारी के आधार पर फ्लैट आवंटन करने के योग्य नहीं पाए गए थे ।

(ङ) जी, हां । उनमें से उपयुक्त पाए गए मामले बिना बारी के आवंटन के लिए सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित किए गए ।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य पेपर को समाप्त करने संबंधी समिति की रिपोर्ट

[हिन्दी]

2471. **श्री शिवशरण वर्मा :**
श्री बारेलाल जाटव :
श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य पेपर को समाप्त करने सम्बन्धी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) इस मामले पर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए आवेदन

2472. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने आवेदन-पत्र मंजूर किए गए तथा कितने अस्वीकार किए गए;

(ग) शेष आवेदन पत्रों को मंजूरी न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) मंजूरी के लिए लम्बित पड़े इन आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योग स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश से कुल 1335 आवेदन प्राप्त हुए थे, इनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

1989	—	588
1990	—	495
1991	—	235
1992	—	17
		1335

इनमें से 317 स्वीकृत किए गए हैं, 396 अस्वीकृत किए गए हैं तथा 155 को अन्यथा निपटाया गया है।

(ग) और (घ) औद्योगिक स्वीकृति देने के आवेदनों को निपटाने हेतु निर्धारित समय-सीमा है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जाते हैं कि आवेदनों को तकनीकी प्राधिकरणों से परामर्श करके इस समय-सीमा के भीतर निपटान किया जाए।

उर्वरकों का उत्पादन और उसकी खपत

2473. **श्री केशरी लाल :**
श्री भपेन्द्र सिंह हुडडा :
श्रीमती वासवाराजेश्वरी :
प्रो० के० वी० थामस :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अब तक उर्वरकों का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ और कितनी खपत हुई;

(ख) इस अवधि के दौरान उर्वरकों के आयात पर वर्षवार कितना खर्च हुआ और वर्ष 1992-93 के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(ग) उर्वरकों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिंता मोहन) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 1991-92 (जनवरी, 1992 तक) के दौरान देश में उर्वरकों का राज्यवार उत्पादन तथा गत तीन वर्षों के दौरान खपत के आंकड़े, जो क्रमशः संलग्न विवरणों 1, 2, 3 एवं 4 में दिए गए हैं, संलग्न हैं। चालू वर्ष 1991-92 के दौरान देश में न्यूट्रियंट्स के रूप में 135.73 लाख टन उर्वरक खपत का अनुमान है तथापि राज्यवार ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (दिसम्बर, 1991 तक) के दौरान उर्वरकों के आयात पर किया गया खर्च क्रमश: 644.53 करोड़ रुपए, 1538.77 करोड़ रुपए; 1335.82 करोड़ रुपए और 1947.96 करोड़ रुपए (अनन्तिम) थी।

1992-93 में उर्वरकों, मध्यवर्तियों और कच्चे मालों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की सम्पूर्ण आवश्यकता लगभग 6,000 करोड़ रु० अनुमानित है। केवल उर्वरको के आयात के लिए वास्तविक आवश्यकता चालू वर्ष में वास्तविक खपत और 1-4-1992 को प्रणाली में उपलब्ध अवशेष भंडार के स्तर पर निर्भर करेगी।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के उत्पादन के लिए वर्तमान संयंत्रों के आधुनिकीकरण, पुनर्वास तथा रेट्रोफिटिंग के अलावे नए एकक स्थापित करना तथा वर्तमान एककों के विस्तारण का भी प्रस्ताव किया गया है तथापि आठवीं योजना को अभी मंजूर किया जाना है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल, 91 से जनवरी, 1992) के दौरान नाइट्रोजन और फास्फेट का राज्यवार उत्पादन

राज्य का नाम	1988-89		1989-90		1990-91		1991-92 (अप्रैल-जनवरी)	
	एन	पी	एन	पी	एन	पी	एन	पी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
दक्षिणी क्षेत्र								
आंध्र प्रदेश	194.3	189.1	185.1	188.8	182.8	229.7	205.7	229.5
केरल	276.9	135.4	198.1	109.1	237.6	120.3	211.5	128.2
कर्नाटक	152.2	6[illegible]9	104.2	30.6	131.7	42.5	119.6	62.7
तमिलनाडु	572.0	318.6	517.9	268.7	514.3	291.7	512.5	333.6
योग (दक्षिणी क्षेत्र)	1195.4	704.0	1005.3	597.0	1069.4	680.2	1049.3	754.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिमी क्षेत्र								
गोवा	205.4	118.1	194.4	71.3	208.9	75.2	209.6	103.0
मध्य प्रदेश	284.2	52.9	379.8	65.0	396.0	72.4	356.3	68.6
महाराष्ट्र	993.2	169.7	838.7	188.3	909.1	186.3	688.7	147.5
गुजरात	1701.	559.1	1664.1	321.7	1690.0	477.2	1531.3	545.6
राजस्थान	142.0	68.8	164.8	44.0	169.8	45.4	139.7	35.1
योग : पश्चिमी क्षेत्र	3326.0	968.6	3241.7	790.3	3373.8	856.5	2925.6	899.8
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	207.5	21.0	150.1	30.3	168.4	44.4	105.0	24.0
उड़ीसा	195.0	294.1	165.5	120.3	179.7	161.4	188.3	268.7
पश्चिम बंगाल	57.3	93.7	30.4	67.8	56.6	99.9	62.0	98.1
आसाम	147.3	1.0	185.0	1.1	120.9	1.0	93.4	0.4
योग : पूर्वी क्षेत्र	607.1	409.8	431.0	225.0	523.6	306.7	448.7	389.2
उत्तरी क्षेत्र								
हरियाणा	206.1	21.0	219.7	14.0	217.4	19.2	167.1	16.6
पंजाब	388.4	42.4	427.9	71.2	393.3	80.1	370.3	44.4
उत्तर प्रदेश	989.4	105.8	1321.7	103.3	1413.1	105.2	1043.7	91.2
योग : उत्तरी क्षेत्र	1583.9	169.2	1969.3	188.5	2024.3	204.5	1581.1	152.2
योग : अखिल भारत	6712.4	2251.6	6747.3	1795.8	6993.1	2051.9	6004.7	2195.2

विवरण-II

वर्ष 1988-89 के लिए उर्वरकों की राज्यवार खपत

(टन)

क्रमांक	राज्य का नाम	नाइट्रोजन	फास्फेट	पोटाश	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	903608	345686	106033	1355327
2.	कर्नाटक	438035	230200	131617	799032
3.	केरल	80238	50884	82605	213927
4.	तमिलनाडु	416349	149251	202987	768587
5.	अंडमान और निकोबार	170	137	119	4436
6.	पांडिचेरी	10033	3259	4896	18188
7.	गुजरात	134738	164456	44273	643467
8.	मध्य प्रदेश	386689	258401	39071	684131
9.	महाराष्ट्र	533070	234002	124029	891101
10.	राजस्थान	211931	89748	3696	305375
11.	दादरा नागर हवेली	746	241	23	610
12.	गोवा दमन और दीव	2624	1768	1661	6053
13.	हरियाणा	383610	119618	5944	509172
14.	हिमाचल प्रदेश	22219	4672	3407	30298
15.	जम्मू और कश्मीर	38412	11859	3245	53516
16.	पंजाब	795541	301829	19542	1116912
17.	उत्तर प्रदेश	1600504	434257	101208	2135869
18.	चण्डीगढ़	1339	311	22	1572
19.	दिल्ली	7018	1918	200	9131
20.	आसाम	13697	6206	5577	25480
21.	मणिपुर	5179	1928	197	7304
22.	मेघालय	1603	1233	226	3062

1	2	3	4	5	6
23.	नागालैंड	173	120	6	299
24.	सिक्किम	1072	663	64	11799
25.	त्रिपुरा	4789	2775	1355	8919
26.	अरुणाचल प्रदेश	201	110	47	358
27.	मिजोरम	130	138	54	322
28.	दी बोर्ड (एन० ई०)	21315	5636	17376	44327
29.	बिहार	456557	111713	39759	603029
30.	उड़ीसा	114190	28910	18590	161690
31.	पश्चिमी बंगाल	365667	158957	110324	634948
	सम्पूर्ण भारत	7251012	2720686	1068353	11040051

विवरण-III

वर्ष 1989-90 के लिए उर्वरकों की राज्यवार खपत

(टन)

क्रमांक	राज्य का नाम	नाइट्रोजन	फास्फेट	पोटाश	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1013792	401681	111949	1532422
2.	कर्नाटक	391935	248989	138170	779104
3.	केरल	78638	47252	86564	212454
4.	तमिलनाडु	400088	158630	223407	782125
5.	अण्डमान और निकोबार	177	98	55	330
6.	पांडिचेरी	8682	3242	5025	16949
7.	गुजरात	434395	213664	47118	695377
8.	मध्य प्रदेश	372588	263728	38372	674688
9.	महाराष्ट्र	681000	326000	175000	1182000

1	2	3	4	5	6
10.	राजस्थान	194353	86387	4851	285591
11.	दादरा नागर हवेली	387	217	90	774
12.	गोवा दमन और दीव	2502	1766	1426	5717
13.	हरियाणा	497595	129057	3822	535484
14.	हिमाचल प्रदेश	23620	5800	3819	32711
15.	जम्मू और कश्मीर	32609	11110	3146	47512
16.	पंजाब	817558	314711	12538	1144873
17.	उत्तर प्रदेश	1547683	455416	88613	2091712
18.	चण्डीगढ़	1306	207	22	1625
19.	दिल्ली	6972	1981	127	9080
20.	असम	12802	6511	4315	23628
21.	मणिपुर	5594	1161	149	6904
22.	मेघालय	1573	1089	196	2858
23.	नागालैंड	299	328	65	692
24.	सिक्किम	986	484	196	1666
25.	त्रिपुरा	5857	1066	1376	3101
26.	अरुणाचल प्रदेश	230	110	50	390
27.	मिजोरम	201	218	82	501
28.	टी बोर्ड (एन० ई०)	16069	5620	36274	51971
29.	बिहार	411959	106655	45481	564095
30.	उड़ीसा	132867	43894	27974	204735
31.	पश्चिम बंगाल	381625	175756	113714	671095
	सम्पूर्ण भारत	7385942	3014236	1167936	11588164

विवरण-IV

वर्ष 1990-91 (अनुमानित) के लिए उर्वरकों की राज्यवार खपत

(टन)

क्रमांक	राज्य का नाम	नाइट्रोजन	फास्फेट	पोटाश	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1085801	417017	132378	1635196
2.	कर्नाटक	407527	251355	152446	811328
3.	केरल	99396	59220	96302	254918
4.	तमिलनाडु	445527	178782	255034	879353
5.	अण्डमान और निकोबार	177	98	55	330
6.	पाण्डिचेरी	10974	4097	5978	21049
7.	गुजरात	412263	213039	63516	688818
8.	मध्य प्रदेश	460600	248093	43637	792330
9.	महाराष्ट्र	726000	360000	208000	1294000
10.	राजस्थान	254398	128928	6920	390246
11.	दादरा नागर हवेली	559	379	133	1071
12.	गोवा दमन दीव	3735	2654	2121	8510
13.	हरियाणा	440479	150516	5622	596617
14.	हिमाचल प्रदेश	25320	5780	4098	35198
15.	जम्मू और कश्मीर	29620	9606	3839	43065
16.	पंजाब	863872	345212	15047	1224081
17.	उत्तर प्रदेश	1682298	492226	99867	2274391
18.	चण्डीगढ़	1306	297	22	1625
19.	दिल्ली	8024	2345	205	10574
20.	असम	19365	8186	7646	35197
21.	मणिपुर	6353	2865	488	9706

1	2	3	4	5	6
22.	मेघालय	1579	1073	164	28:6
23.	नागालैंड	496	469	148	1113
24.	सिक्किम	1081	588	189	1858
25.	त्रिपुरा	6197	2783	2749	11729
26.	अरुणाचल प्रदेश	246	149	47	442
27.	मिजोरम	299	414	112	825
28.	टी बोर्ड (एन० ई०)	20732	5882	26771	53385
29.	बिहार	444241	120833	47729	612803
30.	उड़ीसा	133578	42177	24460	200215
31.	पश्चिम बंगाल	373813	191080	119109	684002
	सम्पूर्ण भारत :	7965816	3286143	1324832	12576791

समेकित बुनियादी विकास योजना के अंतर्गत मदें

[अनुवाद]

2474. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए समेकित बुनियादी विकास योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु कौन-कौन सी मदें मान्य हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : 6 अगस्त, 1991 को लघु, बहुत छोटे और ग्राम्य उद्यमों को बढ़ावा देने और इन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए घोषित नीति सम्बन्धी उपायों के अनुसरण में ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए एक समेकित मूलभूत विकास (प्रौद्योगिकीय सेवाओं सहित) ड्राफ्ट योजना को 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) प्रस्तावों में शामिल किया गया है। केन्द्र और राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों में सम्बन्धित प्राधिकरणों के साथ परामर्श करके इस योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

डी० डी० ए० द्वारा भूमि अधिग्रहण

[हिन्दी]

2475. **श्री जनार्दन मिश्र :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार अपनी कार्य-योजना के अन्तर्गत भूमि अधिगृहीत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी भूमि अधिगृहीत की जानी है और यह भूमि कब तक अधिगृहीत कर दिए जाने की सभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) शहरीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शताब्दी के अन्त तक लगभग 15,000 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है।

लघु रुग्ण औद्योगिक एककों के लिए पृथक नीति

[अनुवाद]

2476. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु रुग्ण औद्योगिक एककों को उबारने के लिए एक पृथक नीति तैयार कर रही है;

(ख) क्या ऐसी नीति तैयार करके लघु एवं छोटे एककों पर सभी नियन्त्रण समाप्त करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार लघु रुग्ण उद्योगों के लिए तैयार की गई पृथक नीति की मुख्य बातें प्रख्यापित करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) लघु उद्योगों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने और रुग्ण लघु उद्योगों की पुनर्स्थापना करने सम्बन्धी प्रबन्धों की समीक्षा करने तथा लघु उद्योगों से सम्बद्ध अन्य किन्हीं पहलुओं की जांच करने के लिए आर० बी० आई० के दिनांक 9-12-91 के ज्ञापन के अनुसार एक समिति गठित की गई है। समिति के 30-6-1992 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा है।

लघु उद्योगों के अंतर्गत मदें

2477. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल लघु उद्योग में निर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची में नई मदें शामिल करने की गुंजाइश अब अधिक हो गई है;

(ख) लघु उद्योग आरक्षण की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार किए जाने के बाद आरक्षित सूची का विस्तार करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) सरकार लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और उसके आरक्षण हेतु अन्य क्या उपाय कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) केवल लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए मदों का आरक्षण करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत गठित आरक्षण सम्बन्धी सलाहकार समिति की सामयिक बैठक होती है तथा आरक्षित की जाने वाली मदों, अनारक्षित की जाने वाली मदों पर विचार करती है तथा उसके समक्ष रखे गए प्रस्तावों के आधार पर मदों के नाम बदले जाने पर विचार करती है। आज तक केवल लघु क्षेत्र म विनिर्माण के लिए 830 मदें आरक्षित है।

(ग) लघु, अति लघु तथा ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने और मजबूत करने हेतु नीति सम्बन्धी उपाय 6 अगस्त, 1991 को ससद मे रखे गए थे। ये नीति सम्बन्धी उपायों का उद्देश्य लघु क्षेत्र के हितों की रक्षा करना और बढ़ावा देना है।

जैव प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन

2478 **श्री सनत कुमार मडल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल 1990 में जैव-प्रौद्योगिकी पर पहली बार आयोजित "साइन्स-इण्डस्ट्री नेशनल कन्सोर्टियम" के क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या सरकार का जैव-प्रौद्योगिकी की शिक्षा और इसके प्रदर्शन के माध्यम से जनता की भागेदारी के रूप मे जनता की व्यापक जागरूकता के लिए इसका प्रचार करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और जैव-प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) अप्रैल, 1990 की बैठक, जिसमें वैज्ञानिक जैव प्रौद्योगिकीविद, उद्योग विशेषज्ञ, उद्यमकर्ता, वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे, में भागीदारों द्वारा यह सर्व-सम्मति से स्वीकार किया गया था कि जैव प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादो एव सेवाओं के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैव प्रौद्योगिकी संघ स्थापित किया जाये। सितम्बर, 1990 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एव अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा उद्योगों द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित मैसर्स बायोटिक कसोर्सियम इण्डिया लि० (बी० सी० आई० एल०), नई दिल्ली नामक कम्पनी गठित की थी। इस कम्पनी ने सूचना सेवा के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी के विषय मे जनता में व्यापक जागरूकता पैदा करने की पहल की है और एक "वृत्त पत्र" प्रकाशित करना शुरू किया है। बायोटिक कन्सोर्सियम इण्डिया लि० ने कार्यशालाओं बैठकों, उद्योग-विश्वविद्यालय समारोह, प्रौद्योगिकी मेलो तथा जैव प्रौद्योगिकी संवर्धन के विभिन्न अन्य पहलुओं सम्बन्धी आयोजन किए है और उनमे भाग लिया है। इसने अनुसंधान एवं विकास, वित्तीय और औद्योगिक सस्थाओ, उद्यमियो एवं आम जनता के बीच जैव प्रौद्योगिकी के

वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय तथा वाणिज्यिक पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उद्योगों के इस्तेमाल के लिए प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकीविदों एवं पेटेंटों की निर्देशिकाएं तैयार की जा रही हैं।

अनुसंधान और विकास संस्थान तथा उद्योग

2479. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में औद्योगिक विपणन के क्षेत्र में ठोस प्रगति सुनिश्चित करने हेतु अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच कोई प्रभावी संपर्क विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम की स्थापना विशेष रूप से देश में विभिन्न अनुसन्धान और विकास संस्थानों से उद्भूत होने वाली स्वदेशी जानकारी, अविष्कारों, पेटेन्ट्स और प्रक्रियाओं को विकसित करना और इन्हें उपयोगी बनाना। निगम, प्रयोगशाला जानकारी के व्यवसायीकरण, अविष्कारों का विकास और व्यवसायीकरण, ग्रामीण प्रौद्योगिकी का विकास और संवर्धन, प्रौद्योगिकी का निर्यात, और प्रौद्योगिकी अन्तरण के सम्बन्ध में सूचना देने का कार्य करता है। 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम ने स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का निर्यात करके 98.72 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की इसके अलावा वित्तीय संस्थान, अनुसन्धान और विकास तथा प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण के बीच सम्पर्क को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में भाग भी लेते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औषध कम्पनियां

2480. **श्री येल्लैया नंदी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के स्वामित्व में चल रही औषध कम्पनियों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक में कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) इनमें से प्रत्येक कम्पनी में कौन-कौन सी औषधियों का उत्पादन होता है और कुल फार्मास्युटिकल क्षेत्र में उनका कितना योगदान है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनीवार तथा वर्षवार इन कम्पनियों द्वारा बल्क औषधियों तथा फार्मायूलशन का कुल कितना उत्पादन हुआ तथा कितना-कितना लाभ तथा हानि हुई;

(घ) क्या सरकार का विचार इनमें से कुछ कम्पनियों को बन्द करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के पांच औषध एकक हैं, अर्थात इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०, गुड़गांव, हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि०, पिम्परी, पुणे, बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०, कलकत्ता, बंगाल इम्युनिटी लि०, कलकत्ता, और स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि० कलकत्ता। सरकारी क्षेत्र के इन पांच औषध एककों में से दो अर्थात इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० और हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि०, प्रपुंज औषधों और अनेक सूत्रयोगों का विनिर्माण कर रहे हैं। अन्य तीन कम्पनियां मुख्यतः सूत्रयोगों का विनिर्माण करती हैं। आई० डी० पी० एल० विटामिन बी-1 और बी-2, फोलिक एसिड का प्रमुख स्त्रोत है। आई० डी० पी० एल० और एच० एल० पेनिसिलिन "जी" फर्स्ट क्रिस्टल के प्रमुख उत्पादक हैं। संगठित क्षेत्र और लघु क्षेत्र दोनों में अनेक डाउन स्ट्रीम एकक इन कम्पनियों द्वारा उत्पादित प्रपुंज औषधों पर निर्भर करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिकृत, प्रदत्त पूंजी, उत्पादन, शुद्ध लाभ और हानि के ब्यौरे विवरण के रूप में दर्शाए गए हैं।

(घ) और (ङ) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के पास इन कम्पनियों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

(आंकड़े रु०/लाखों में)

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	अधिकृत पूंजी	प्रदत्त पूंजी	उत्पादन			शुद्ध लाभ/हानि		
				1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	120.00	112.00	193.92	204.44	158.17	(—)46.42	(—)42.74	(—)88.26
2.	हिंदुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड	45.00	40.34	90.66	100.93	107.16	(+)2.80	(+)2.26	(+)0.79
3.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	14.00	12.80	17.35	19.86	17.32	(—)7.05	(—)8.41	(—)9.46
4.	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड	18.00	15.73	5.08	9.34	14.39	(—)5.85	(—)5.77	(—)6.03
5.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	7.00	5.96	12.50	11.82	9.69	(—)3.47	(—)3.66	(—)4.67

कोयले की खोज

[हिन्दी]

2481. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला भंडारों का ब्यौरा क्या है और ये किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) वर्ष 1991-92 के लिए इसकी खोज हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 31 दिसम्बर, 1991 तक इस लक्ष्य की कितनी प्राप्ति हुई है;

(ग) सन् 2000 ई० तक कोयले की खोज के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए राज्य सरकारों और विद्युत बोर्डों तथा कोल इंडिया की सहायता लेने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या विद्युत उत्पादन को निजी क्षेत्र को सौंपने की संभावना को देखते हुए "कैपटिव माइनों" में प्राइवेट पार्टियों को कोयले की खोज करने की अनुमति देने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा 1-1-92 की स्थिति के अनुसार 1,200 मीटर की गहराई तक 196.07 बिलियन टन कोयले के भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। भारत में कोयले के भंडार पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के तलछट प्रदेशों में विद्यमान हैं।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान ड्रिल किए जाने का मीटरी लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि नीचे दी गई है :—

(आंकड़े लाख मीटर में)

कंपनी	लक्ष्य (91-92)	वास्तविक (अप्रैल-दिसम्बर, 91)
कोल इंडिया लि०	3.21 (कोल इंडिया लि० द्वारा संशोधित 2.66)	2.02
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०	1.20	0.65

(ग) योजना आयोग ने समग्र रूप में आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए कोल इंडिया लि० के लिए 15.06 लाख मीटर और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० के लिए 5.40 लाख मीटर

का ड्रिलिंग कार्यक्रम को निर्देशित किया है। योजना आयोग द्वारा नौवीं योजना अवधि के लिए लक्ष्य अभी निर्देशित नहीं किए गए हैं।

(घ) से (च) कोल इंडिया लि० के अन्तर्गत आने वाले कोयला क्षेत्र में विस्तृत अन्वेषण किए जाने के लिए केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान एक नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यरत है। गोदावरी घाटी कोलफील्ड्स में अन्वेषण कार्य सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० द्वारा किया जाता है। वास्तविक ड्रिलिंग कार्य आंशिक रूप में विभागीय रिगों द्वारा और आंशिक रूप में खनिज अन्वेषण निगम लि०, राज्य सरकार की एजेन्सियों, आदि को कार्यरत करके किया जाता है। वर्तमान में कोयला खानों को निजी पार्टियों को सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खादी आन्दोलन

[अनुवाद]

2482. **श्री आर्थर फर्नांडीज** . क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खादी आन्दोलन को तेज करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) देश में कम पूंजी लागत पर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर जुटाने में के० वी० आई० सी० की अद्वितीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए के० वी० आई० सी० तथा इसके संस्थानों के जरिए सरकार ने सदैव खादी क्षेत्र को बढ़ावा तथा विकसित किया है। इस दिशा में समय-समय पर अनेक उपाय किए गए हैं। हाल में किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास इस प्रकार हैं :—

(1) खादी उद्योग को बढ़ावा देने तथा उनके संरक्षण के लिए सस्ती, सुलभ तथा व्यापक सहायता का प्रावधान करना जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ये लाभ समाज के कमजोर तथा दुर्बल वर्गों तक पहुंच सकें।

(2) गुणवत्ता तथा मात्रा दोनों दृष्टि से सूती खादी को बढ़ाने के लिए उच्च गति वाले 6 तकुओं के नए मॉडल चरखों और ग्राम लक्ष्मी हथकरघों की शुरूआत करना।

(3) डी० आर० डी० ए० के सक्रिय सहयोग से देश के विभिन्न भागों में अत्यधिक खादी उत्पादन और रोजगार सृजन सम्बन्धी योजनाएं शुरू कर दी गयी हैं।

(4) कातने वालों के लिए नियमित रूप से तथा बढ़िया कच्चा माल सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय स्लाइवर प्लांट्स की स्थापना करना।

(5) देश के विभिन्न भागों में चरखों का उपयोग करते रहने की दृष्टि से न्यू मॉडल चरखों के लिए कल पुर्जों की आपूर्ति एवं भंडारण की सेवाओं का विस्तार करना।

(6) नाबार्ड और एस० आई० डी० बी० आई० के वित्तीय सहयोग से नये खादी भंडारों/भवनों की स्थापना करना ताकि खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए मार्ग प्रशस्त किए जा सकें।

(7) क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करके खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करना।

(8) नये संस्थानों की सूची बनाने के लिए कार्यपद्धतियों को सरल बनाना, रुग्ण और समस्याग्रस्त संस्थानों को पुनर्जीवित करना और सहयोग इत्यादि के लिए राज्य स्तरीय महासंघ की स्थापना करना।

इसके अलावा, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी उत्पाद विकास केन्द्रों, गारमेंट उत्पादन केन्द्रों और खादी निर्यातोन्मुख एककों के विकास का कार्य हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

विदेशी पूंजी-निवेश का आगम

2484. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितनी विदेशी पूंजी का निवेश हुआ;

(ख) मूल देश द्वारा तथा औद्योगिक उप-क्षेत्र द्वारा विदेशी पूंजी-निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी विदेशी पूंजी के आगम का अनुमान है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) औद्योगिक क्षेत्र में हुए कुल विदेशी पूंजी निवेश के बारे में सांख्यिकीय सूचना इस मन्त्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है। तथापि, वर्ष 1990 और 1991 के दौरान विदेशी सहयोग के प्रस्तावों में अनुमोदित विदेशी पूंजी निवेश के क्षेत्रवार ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न हैं। वर्ष 1991 के दौरान अनुमोदित विदेशी सहयोग के प्रस्तावों में विदेशी पूंजी निवेश के उद्योगवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं।

वर्ष 1991 और 1992 के दौरान अनुमोदित विदेशी सहयोग के प्रस्तावों में निहित विदेशी पूंजी निवेश की कुल राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि
1991	534.11 करोड़
1992 (फरवरी, 1992 तक)	729.05 करोड़

विवरण-I

(लाख रु० में)

क्रमांक	देश का नाम	1990	1991
1	2	3	4
1.	आस्ट्रेलिया	62.80	261.94
2.	आस्ट्रिया	74.35	159.03
3.	बेलजियम	—	161.00
4.	ब्राजील	7.98	1.14
5.	कनाडा	66.00	485.99
6.	डेनमार्क	272.32	1117.50
7.	जर्मनी	1951.22	4180.37
8.	फिनलैंड	56.66	253.70
9.	फ्रान्स	888.00	1933.69
10.	हांगकांग	115.00	2115.20
11.	इटली	682.74	1781.68
12.	जापान	500.15	5271.44
13.	कोरिया (द०)	706.24	615.40
14.	कोरिया (उ०)	—	16.85
15.	मलेशिया	12.50	18.00
16.	नीदरलैंड	376.61	5592.75
17.	नार्वे	4.00	38.23
18.	पुर्तगाल	—	16.00
19.	पोलैंड	—	4.00
20.	सिंगापुर	—	137.34
21.	स्पेन	—	33.00
22.	स्वीडन	33.82	698.81
23.	स्विटजरलैंड	1350.70	3550.07

1	2	3	4
24.	ताइवान	64.18	45.00
25.	यू० के०	906.70	3210.67
26.	यू० एस० ए०	3448.24	18585.46
27.	यू० एस० एस० आर०	710.80	861.90
28.	एन० आर० आई०	524.88	1970.00
29.	चीन	—	75.00
30.	यू० ए० ई०	—	220.00
31.	थाइलैंड	16.25	—
	योग :	12832.14	53411.20

विवरण-II

वर्ष 1991 के दौरान अनुमोदित विदेशी पूंजी निवेश के ब्यौरों का उद्योगवार विवरण

क्रमांक	उद्योग का नाम	निहित विदेशी निवेश की राशि (रु० लाख में)
1	2	3
1.	धातुकर्मी उद्योग	223.00
2.	ईंधन	230.00
3.	बॉयलर तथा स्टीम जनरेटिंग प्लांट्स	72.00
4.	विद्युत उपकरण	10139.06
5.	दूर-संचार	1357.91
6.	परिवहन	2010.88
7.	औद्योगिकी मशीनरी	5569.79
8.	मशीन औजार	196.56
9.	अर्थ मूविंग मशीनरी	8.00
10.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग	84.29

1	2	3
	11. चिकित्सा तथा शल्य-चिकित्सा उपकरण	425.09
	12. औद्योगिक उपकरण	206.73
	13. वैज्ञानिक उपकरण	165.06
	14. उर्वरकों को छोड़कर रसायन	14632.39
	15. औषध एवं भेषज	79.52
	16. वस्त्र (रंजक सहित) (प्रिन्टेड या अन्यथा प्रोसेस्ड)	1854.70
	17. कागज तथा लुगदी (कागज उत्पादों सहित)	440.00
	18. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	5408.90
	19. वनस्पति तेल तथा वनस्पति	302.50
	20. रबड़ का सामान	108.62
	21. चमड़ा, चमड़े का सामान तथा पिकसं	313.63
	22. कांच	75.00
	23. सिरेमिक	1274.36
	24. सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	1200.40
	25. परामर्शदायी	561.00
	26. उर्वरक	99.84
	27. विविध उद्योग	6351.97
	योग :	53411.20

बिहार में मारुति उद्योग लिमिटेड के अधिकृत डीलर

2485. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मारुति के अधिकृत डीलरों की, राज्य-वार, संख्या कितनी है;

(ख) बिहार में अधिकृत डीलरों के नाम क्या हैं, उनकी नियुक्ति किस-किस तारीख को हुई, तथा उनके व्यापारिक क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिकृत विक्रेताओं की नियुक्ति के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना विवरण I, II और III में दी गई है।

विवरण-I

भारति उद्योग लिमिटेड के अधिकृत डीलरों की राज्यवार अद्यतन संख्या

राज्य	संख्या
आंध्र प्रदेश	2
असम	1
बिहार	4
गोआ	1
गुजरात	2
हरियाणा	2
जम्मू-कश्मीर	2
कर्नाटक	2
केरल	2
मध्य प्रदेश	4
महाराष्ट्र	7
नागालैंड	1
उड़ीसा	1
पंजाब	4
राजस्थान	3
तमिलनाडु	2
संघराज्य क्षेत्र दिल्ली	7
उत्तर प्रदेश	6
पश्चिम बंगाल	3
योग :	56

विवरण-II

बिहार में अधिकृत डीलरों के नाम, उनकी नियुक्ति की तारीख और व्यावसायिक क्षेत्र

डीलर का नाम	नियुक्ति की तारीख	बिक्री क्षेत्र
1. मिथिला मोटर्स लिमिटेड	मई, 1983	पटना, सारन, वैशाली, बेगुसराय, गोपालगंज, समस्तीपुर, पश्चिमी चम्पारन, पूर्वी चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, भोजपुर, सीतामढ़ी सवर्सा, सिवान, मधेपुरा, नालन्दा, खगरिया।
2. पारिख इंजीनियरिंग एण्ड बॉडी बिल्डिंग कम्पनी लिमिटेड	फरवरी, 1985	सिंहभूम
3. आशिष इन्वेस्टमेंट लि०	जनवरी, 1987	रांची, पलामू, हजारीबाग, रोहतास, गया, औरंगाबाद।
4. जोहल ट्रकटर्स	जनवरी, 1987	धनबाद, गिरीडीह, सन्थाल परगना, भागलपुर, मुंगेर, नवादा, पूर्णिया, कटिहार।

विवरण III

मारुति डीलरों की नियुक्ति के लिए वर्तमान प्रणाली इस प्रकार है :—

1. सार्वजनिक विज्ञापनों द्वारा आकांक्षी पार्टियों से, उन शहरों के लिए, जहां डीलरों की आवश्यकता है, निर्धारित फार्मों पर आवेदन आमंत्रित करना।

2 निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर सभी वैध आवेदनों की संवीक्षा और मूल्यांकन किया जाना।

(1) शो-रूम और वर्कशाप बनाने के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाओं/भूमि की उपलब्धता।

(2) ऊपर लिखी सुविधाओं का अवस्थिति सम्बन्धी लाभ।

(3) व्यापार में उम्मीदवार का अनुभव (अधिमान्यतः, मोटरगाड़ी उद्योग में)।

(4) उम्मीदवार की वैत्तिक/व्यवसायिक योग्यताएं।

(5) उम्मीदवार की वित्तीय स्थिति ।

3. इस कार्य की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी उम्मीदवारों की, साक्षात्कार के बाद एक संक्षिप्त सूची तैयार करना ।

4. संक्षिप्त सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों से डीलरशिप प्राप्त करने के लिए मोहरबन्द निविदाएं मंगवाना, जिनमें मारुति के पास जमा की जाने वाली राशि का उल्लेख हो ।

5. उच्चतम बोलीदाता को डीलरशिप दिया जाना ।

एन० सी० डी० सी० द्वारा उपभोक्ता सहकारी समितियों को सहायता

2486. **श्री बलराज पासी :**
श्री नरेश कुमार बालियान :
श्री चेतन पी०एस० चौहान :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 199.-92 के दौरान राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन०सी०डी०सी०) ने राज्यों की उपभोक्ता सहकारी समितियों को अलग-अलग कितनी मार्जिन राशि की सहायता प्रदान की; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओ के वितरण के लिए दो योजनाएं, अर्थात (i) निगम प्रायोजित योजना और (ii) मार्जिन धनराशि सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलाता है; जिसके लिए धनराशि प्रतिपूर्ति आधार पर नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई जाती है । ग्राम स्तर की सोसाइटियों को मार्जिन धनराशि सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने वर्ष 1991-92 के दौरान 3-3-9 तक 100.10 लाख रु० की राशि मुहैया की है, जबकि इसी अवधि में सीड सोसाइटियों को मार्जिन धनराशि सहायता की निगम प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 157.28 लाख रु० की राशि मुहैया की है । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में दिखाया गया है ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने निगम प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 12 करोड़ रुपए और मार्जिन धनराशि सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपया की राशि का प्रस्ताव किया था । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना इस मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति आधार पर दी गई धनराशि से कार्यान्वित की जा रही है । परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए ग्राम स्तरीय सोसाइटियों को मार्जिन धनराशि सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सहायता देने के लिए आठवीं

पंचवर्षीय योजना के वास्ते कोई परिव्यय अभी तक निश्चित नहीं किया गया है, क्योंकि 4-4-1992 से इस योजना को राज्य सरकारों को अन्तरित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

1991-92 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित/निगम प्रायोजित/विद्यार्थी उपभोक्ता भंडारों की योजना के तहत सहकारी समितियों को दी गई मार्जिन धनराशि सहायता—4-3-92 की स्थिति

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	केन्द्रीय प्रायोजित योजना (ग्रामीण समितियां)	निगम प्रायोजित योजना (लीड सोसाइटी) प्राथमिक सहकारी विपणन सोसाइटी/थोक भंडार/राज्य सहकारी उपभोक्ता संघों की शाखाएं	विद्यार्थी उपभोक्ता भंडार	कुल योग (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	22.70	—	8.30	23.00
2.	हिमाचल प्रदेश	3.40	7.00	—	10.40
3.	कर्नाटक	6.20	22.08	0.15	28.43
4.	केरल	3.40	1.60	3.00	7.90
5.	महाराष्ट्र	1.10	3.90	1.40	6.20
6.	मध्य प्रदेश	1.65	23.00	—	21.05
7.	नागालैण्ड	0.30	2.00	—	2.80
8.	उड़ीसा	—	27.30	—	27.30
9.	पंजाब	3.15	4.40	—	7.55
10.	राजस्थान	12.70	7.00	—	19.70
11.	तमिलनाडु	18.15	—	0.10	18.25
12.	उत्तर प्रदेश	20.85	59.10	—	35.95
	योग :	100.10	157.28	4.95	262.33

बंदेर खंडों के लिए परियोजना रिपोर्ट

2487. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **कोयला मंत्री** 12 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3490 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंदेर खण्डों सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी;

(ख) इसके पूरा होने में क्या बाधाएं हैं;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो शेष खंडों का सर्वेक्षण कब तक पूरा करने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले के बंदेर ब्लाक में दो कोयला खनन परियोजनाओं को विनिर्दिष्ट किया गया है । वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने मोरपार परियोजना नामक एक परियोजना को 0.28 मिलियन टन प्रतिवर्ष की लक्षित क्षमता और 18.14 करोड़ रु० के पूंजीगत निवेश के साथ जून, 1989 में मंजूरी दे दी है ।

(ख) भूमि अधिग्रहण की समस्या और वन क्षेत्र में ब्लाकों की परिस्थिति के कारण संरचनात्मक ढांचे की अनुपलब्धता होने से इन परियोजनाओं को पूरा किए जाने में मुख्य बाधा के रूप में समझा जा रहा है ।

(ग) और (घ) मोरपार परियोजना द्वारा वर्ष 1994-95 तक उत्पादन शुरू कर लेने की संभावना है । अन्य परियोजना रिपोर्ट अर्थात् बंदेर (भूमिगत) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के निष्पादन अधीन है ।

अमरीकी उद्योगपतियों द्वारा उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

2498. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के उद्योगपतियों ने भारत में अपने एककों की स्थापना में रुचि दिखाई है;

(ख) क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ रियायतों की मांग की है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो०पी०जे० कुरियन) : (क) से (ग) जुलाई 1991 में घोषित सरकार की नयी औद्योगिक नीति से अमरीका सहित अनेक देशों के विदेशी निवेशकर्त्ताओं में काफी रुचि दिखाई दी है । विभिन्न देशों के विदेशी निवेशकर्त्ताओं द्वारा नयी औद्योगिक नीति के बारे में अतिरिक्त जानकारी लेने अथवा स्पष्टीकरण मांगने की प्रतिक्रिया जारी है । नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद जारी विदेशी सहयोग अनुमोदनों के प्रस्तावों में 31 दिसम्बर, 1991 तक अमरीकी कम्पनियों

द्वारा प्रस्तावित भारत में सीधे पूंजी निवेश करने की कुल राशि 177.29 करोड़ रु० है। यह राशि कलेंडर वर्ष 1990 के दौरान स्वीकृत अमरीकी पूंजी निवेश से 5 गुणा अधिक है।

सेवानिवृत्त औद्योगिक श्रमिकों को आवासों का आवंटन

2489. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औद्योगिक क्षेत्र से सेवानिवृत्त होने वाले श्रमिकों को सस्ती दरों पर आवासों का आवंटन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों को इस बारे में कोई मार्ग निदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें सस्ती दरों पर आवास आवंटित करने की कोई योजना तैयार नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड में पूंजी-निवेश

[अनुवाद]

2490. **श्री हाराधन राय** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

मैसर्स बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण के बाद से इसमें एकक-वार, आज तक कुल कितना पूंजी-निवेश किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड में, इसके राष्ट्रीकरण के पश्चात्, 31 दिसम्बर, 1991 तक किए गए एककवार निवेश के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

	(लाख रुपयों में)
(क) हावड़ा फैक्ट्री	1806.64
(ख) बर्नपुर फैक्ट्री	653.26
(ग) रानीगंज फैक्ट्री	256.93
(घ) गुलफारबाड़ी फैक्ट्री	141.60
(ङ) जबलपुर फैक्ट्री	71.11

(च) निवार फैक्ट्री	101.32
(छ) सलेम फैक्ट्री	2393.41
(ज) आफ-शोर प्रभाग	2341.45
(झ) प्रधान कार्यालय (अनुसंधान और विकास परियोजनाओं सहित)	93.72
कुल :	7859.44

कर्नाटक में कमजोर वर्गों को आवंटित भूखण्ड

2491. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने गरीब लोगों को भूखण्ड आवंटित किए हैं; यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन लोगों को मकान बनान के लिए वित्तीय सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में "हुडको" जैसे आवासीय संगठन ने कितनी सहायता उपलब्ध कराई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०अरुणाचलम) : (क) से (ग) आवास राज्य का विषय है तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी प्राथमिकता तथा वित्तीय संसाधनों के अनुसार, और राज्य योजना प्रावधानों के माध्यम से विभिन्न लक्ष्य ग्रुपों के लिए आवास स्कीमें तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा निर्धन लोगों को आवंटित किए गए भूखंडों तथा राज्य अभिकरणों द्वारा दी गई गृह निर्माण सहायता के ब्यौरे केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

हुडको ने प्रारंभ से तथा 31-1-1992 तक कर्नाटक राज्य में विभिन्न टाइप की स्कीमों के लिए विभिन्न ऋण लेने वाले अभिकरणों को 606 परियोजनाएं स्वीकृत की है। ये स्कीमें, 871869 करोड़ रुपये की परियोजना लागत तथा 419.79 करोड़ रुपए की हुडको ऋण वचनबद्धता के साथ, विभिन्न आय वर्गों के लिए 634185 रिहायशी एककों, 368 गैर रिहायशी भवनों और 4110 विकसित भूखण्डों की व्यवस्था करेगी। स्वीकृत किए गए 90% से अधिक रिहायशी एकक तथा 50% भूखण्ड आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्गों के लिए हैं।

रामानुजम समिति की सिफारिशें

2492. **श्री धर्मभिक्षम :**
श्री मुकुल वासनिक :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रामानुजम समिति की सिफारिशों की जांच करने तथा कार्मिक संघ और औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन सम्बन्धी सुझाव देने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रम मंत्रियों के 40वें सम्मेलन में रामानुजम समिति की अनेक सिफारिशों को सर्व-सम्मति से स्वीकार कर लिया गया था;

(घ) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सम्मेलन द्वारा अस्वीकृत सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन सिफारिशों का कार्यान्वियन कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (च) 6 फरवरी, 1992 को आयोजित किए गए राज्यों के श्रम मंत्रियों के 40वें सम्मेलन में यह मतैक्य था कि नए औद्योगिक सम्बन्ध कानून पर रामानुजम समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों को स्वीकार किया जाना चाहिए। सम्मेलन में यह भी सिफारिश की गई कि सहमति पर पहुंचने के उद्देश्य से इस रिपोर्ट के असहमति वाले मामलों की जांच करने के लिए राज्यों के पांच श्रम मंत्रियों का एक दल बनाया जाए; यह दल अपनी रिपोर्ट देगा जिस पर भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा विचार किया जाएगा। तदनुसार श्रम मंत्रालय ने कोयला राज्य मंत्री श्री पी० ए० सगमा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है इसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री शामिल हैं।

सिंगरेनी कोयले की खानों की निविदाओं में कथित अनियमितताये

2493. **श्री धर्म भिक्षम** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोयले की खानों की निविदाओं के आवटन में अनियमितताएं बरती गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) सिंगरनी कोलियरीज क० लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० में निविदाएं आवंटित करने के मामले में कोई अनियमितताएं नहीं बरती गई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

[हिन्दी]

2494. **श्री राजेश कुमार :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और इनमें से भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ख) दोषी पाए गए अधिकारियो के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा आवंटित धनराशि

2495. **श्री दाउ दयाल जोशी** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भाषाओं की तकनीक में विकास करने और संस्कृत व्याकरण और विधि की जानकारी देने हेतु चार संस्थाओं में प्रारम्भ किए गए कार्यक्रमों के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या इस उद्देश्य हेतु आवटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : क) इलेक्ट्रानिकी विभाग के भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टी० डी० आई० एल०) कार्यक्रम के अन्तर्गत भाषाविदों तथा कम्प्यूटर वैज्ञानिकों को संस्कृत व्याकरण, न्याय, मीमांसा तथा निरुक्त का परिचय कराने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत तथा पाठ-सामग्री तैयार करने की एक परियोजना के लिए निम्नलिखित चार संस्थानों को कुल 5.00 लाख रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है :

1. श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय सस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली (व्याकरण के लिए)
2. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति (मीमांसा के लिए)
3. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (निरुक्त के लिए)
4. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (न्याय के लिए)

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कारों का निर्माण

[अनुवाद]

2496. **प्रो० राम कापसे** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने कतिपय आवेदकों को कारों का निर्माण करने के लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) यात्री कारों के निर्माण के लिए वर्ष 1990 और 1991 के दौरान निम्नलिखित कम्पनियों/व्यक्तियों से प्राप्त प्रस्तावों को सरकार ने नामन्जूर कर दिया था क्योंकि अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पहले से सृजित क्षमता को पर्याप्त समझा गया था :

1. मैं० आइसर मोटर्स लि०।

2. उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन।

3. मैं० ऐक्वा मैरीन लि०।

4. श्री एस० एन० काजा०।

5. श्री सुरिन्दर कपूर।

चक्रवात पूर्वानुमान के लिए दूरसंवेदी तंत्र

2497. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संवेदी तंत्र भी चक्रवात के पूर्वानुमान सम्बन्धी कोई संदेश भेज रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या संदेशों को चक्रवातोन्मुख तटीय क्षेत्रों में भेजा जा रहा है ताकि वहां के लोग प्राकृतिक आपदाओं से सचेत हो सकें; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में विशेषत: आंध्र प्रदेश में कौन सा प्रशासनिक नेटवर्क देख-रेख कर रहा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत में चक्रवात चेतावनियां देने की एक नोडीय एजेन्सी है। ये चेतावनियां पूर्वी समुद्रतट पर चार और पश्चिमी समुद्रतट पर दो चक्रवात चेतावनी केन्द्रों द्वारा दी जाती है। समुद्रतटीय आंध्र प्रदेश के लिए चक्रवात चेतावनी बुलेटिन, विशाखापत्तनम में स्थित चक्रवात चेतावनी केन्द्र के द्वारा जारी किए जाते हैं। यह केन्द्र निदेशक ओहदे के एक वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में कार्य कर रहा है।

आंध्र प्रदेश में, चक्रवात चेतावनियां विशाखापत्तनम स्थित चक्रवात चेतावनी केन्द्र द्वारा जारी की जाती हैं जोकि इन्सैट से मिली सूचना को उपयोग में लाता है और इसे विशाखापत्तनम एवं मच्छलीपत्तनम स्थित दो उच्च-शक्तिशाली चक्रवात संसूचन राडारों से भी सहायता मिलती है। विशाखापत्तनम केन्द्र, हैदराबाद स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के साथ अधिक तालमेल के साथ कार्य करता है और ये दोनों केन्द्र राज्य सरकार और अन्य प्रयोक्ता ऐजेन्सियों के साथ सम्पर्क बनाए रखते हैं।

आंध्र प्रदेश में तूफान की चेतावनी देने वाले केन्द्र

2498. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में तूफान आने की चेतावनी देने वाले यंत्रों का कोई नेटवर्क स्थापित है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में तूफान आने की चेतावनी देने वाले इस नेटवर्क को और सुदृढ़ बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां।

(ख) विशाखापत्तनम में एक चक्रवात चेतावनी केन्द्र है जो आंध्र प्रदेश के समुद्रतटीय क्षेत्रों को चक्रवात चेतावनियां जारी करने का कार्य करता है। इस केन्द्र में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनमें मौसम और वायु सूचक राडार, उपग्रह प्रतिबिम्ब अभिग्रहण उपस्कर तथा समुचित संचार सम्पर्क सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में दो शक्तिशाली राडार, एक विशाखापत्तनम में और दूसरा मच्छलीपत्तनम में कार्यरत हैं। सरकारी अधिकारियों सहित सभी प्रयोक्ता ऐजेन्सियों को चेतावनियां जारी करने के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के समुद्रतटीय क्षेत्रों में स्थित 47 निर्दिष्ट अभिग्राही केन्द्रों को आपदा चेतावनी प्रणाली नामक एक अत्यन्त विश्वसनीय उपग्रह आधारित सीधी संचार प्रणाली के माध्यम से तेलुगु और अंग्रेजी में चक्रवात चेतावनियां भी प्रसारित की जाती हैं। जनसाधारण के लिए छपे तथा इलैक्ट्रानिकी संचार माध्यमों के द्वारा व्यापक रूप में चक्रवात चेतावनियां प्रसारित की जाती हैं।

(ख) जी हां।

(घ) चालू वर्ष में 992 में, आंध्र प्रदेश के समुद्रतटीय क्षेत्रों में 10 आपदा चेतावनी प्रणालियां स्थापित करने का विचार है।

भरतपुर, राजस्थान में अमोनिया संयंत्र

[हिन्दी]

2499. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार से भरतपुर, राजस्थान में अमोनिया/डाई-अमोनिया फास्फेट/एक्रिलिक फाइबर/नाइट्रो सेल्यूलोज संयंत्र स्थापित किए जाने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या मथुरा तेलशोधक कारखाने ने इस प्रयोजन हेतु प्रतिवर्ष 2 लाख टन नेफ्था देने का आश्वासन दिया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) भरतपुर, राजस्थान में अमोनिया, डाई-अमोनिया फॉस्फेट और एक्रिलिक फाइबर प्लांट स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार से केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। नाइट्रो सेलूलोज के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि क्षेत्र में निवेश

2500. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कृषि क्षेत्र में कितना पूंजी निवेश किया गया और यह कुल पूंजी-निवेश की तुलना में कितने प्रतिशत है; और

(ख) कृषि क्षेत्र में पूंजी-निवेश बढ़ाने के लिए संघ सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार कृषि निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रही है तथा इन प्रयत्नों को पिछले दो वर्षों के दौरान भी जारी रखा गया है। सिंचाई में सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय, जो कृषि

में मुख्य निवेश है, वर्ष 1990-91 में 4109.61 करोड़ रु० तथा 1991-92 में 4698.95 करोड़ रु० था। इसके अतिरिक्त कृषि में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देने उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की गई हैं जैसे खोह-खड्ड क्षेत्रों में भूमि-उद्धार तथा स्थिरीकरण, आवाह-क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, वर्षा से पोषित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कार्यक्रम, लवणीय तथा अम्लीय मृदा-उद्धार, उथले ट्यूबवैलों के निर्माण/कुंए खोदने के लिए लघु तथा सीमान्त कृषकों को सहायता, संस्थागत अभिकरणों जैसे कि सहकारी वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किसानों को पर्याप्त तथा सामयिक ऋण की व्यवस्था। सरकार ने कृषि में उत्पादकता को प्रोत्साहन देने तथा किसानों के लाभों की रक्षा के लिए भी कई कदम उठाए हैं।

विवरण

विवरण-पत्र : प्रचलित मूल्यों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण अनुमान

(स० स्था० पूं० नि० करोड़ रु० में)

राज्य	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5
1. गुजरात*				
कृषि में स० स्था० पूं० नि०	184.5	251.72	352.34	उ० न०
कुल स० स्था० पूं० नि	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०
कुल में से कृषि की प्रतिशतता				
3. हरियाणा (पी०)				
कृषि में स० स्था० पूं० नि०	315.95	331.52	251.7	उ० न०
कुल स० स्था० पूं० नि०	1258.65	1281.59	1370.91	उ० न०
कुल में से कृषि की प्रतिशतता	25.1	25.87	18.36	उ० न०
3. केरल				
कृषि में स० स्था० पूं० नि०	192.78	उ० न०	उ० न०	उ० न०
कुल स० स्था० पूं० नि०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०
कुल में से कृषि की प्रतिशतता				
4. पंजाब				
कृषि में स० स्था० पूं० नि०	322.85	563.55	512.82	उ० न०

1	2	3	4	5
कुल स० स्था० पूं० नि०	447.92	1850.37	2174.78	उ० न०
कुल में से कृषि की प्रतिशतता	22.3	30.46	23.58	उ० न०
5. राजस्थान				
कृषि में स० स्था पूं० नि०	371.88	414.33	उ० न०	उ० न०
कुल स० स्था० पूं० नि०	1751.15	2094.24	उ० न०	उ० न०
कुल मे से कृषि की प्रतिशतता	21.24	19.78	उ० न०	उ० न०
6. तमिलनाडु**				
कृषि में से स० स्था० पूं० नि०	71.95	83.25	96.35	76.50
कुल स० स्था० पूं० नि०	उ० न०	उ० न०	उ० न०	उ० न०
कुल मे से कृषि की प्रतिशतता				

उ० न० : उपलब्ध नहीं पी० : अनन्तिम आंकड़े

*राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित (सरकारी प्रशासन तथा विभागीय उद्यम)

**केवल सार्वजनिक क्षेत्र में कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप से सम्बन्धित कुछ केन्द्रीय विभागीय तथा गैर-विभागीय उद्यम शामिल नहीं । आंकड़े अनन्तिम हैं ।

स्रोत : अलग-अलग सरकारों के अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय ।

टिप्पणी 1 : राज्य स्तर पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व अलग-अलग राज्य सरकारों का है । ऊपर सूचीबद्ध राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में ये अनुमान तैयार नहीं किए गए है ।

टिप्पणी 2 : राज्यों के बीच अनुमान भिन्न-भिन्न आकड़ा स्रोतों के कारण तुलनीय नहीं है ।

आली कम्पनियों को कोयले की सप्लाई

2501. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला मंत्री का ध्यान आली कम्पनियों को तथाकथित कोयले की सप्लाई के बारे में आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आधारभूत सुविधाएं देने वाली इकाइयों का कार्य निष्पादन

[अनुवाद]

2503. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 से 1991 के दौरान आधारभूत सुविधाएं देने वाली इकाइयों का कार्य निष्पादन बहुत खराब रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां उनका कार्य निष्पादन खराब रहा; और

(घ) उनके कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ग) योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग वित्त वर्ष के लिए लक्ष्यों के संदर्भ में 9 आधारी संरचना क्षेत्रों अर्थात्, विद्युत, कोयला, इस्पात, रेलवे, दूरसंचार, उर्वरक, सीमेंट, पैट्रोलियम तथा नौवहन एवं पत्तन के निष्पादन का प्रबोधन करता है । 9 आधारी संरचना क्षेत्रों के निष्पादन का ब्यौरा क्रमश: अप्रैल, 90 मार्च, 91 तथा अप्रैल, 91 मार्च, 92 तक की अवधि का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है । पैट्रोलियम तथा दूरसंचार को छोड़कर, सभी क्षेत्रों का निष्पादन गत (पिछली) अवधि की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक रहा है, यद्यपि अधिकतर मामलों में उनका निष्पादन लक्ष्य से कम रहा है ।

(ख) पैट्रोलियम उत्पादन पर बम्बई हाई के कुओं में अधिक गैस-तेल अनुपात, गुजरात खण्ड में पानी की कमी तथा असम में अशांत हालात और तेल तथा प्राकृतिक गैस के अधिकारियों की हड़ताल के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा । दूरभाष के उपकरणों के उत्पादन पर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कम क्षमता उपयोग तथा दूरसंचार विभाग से मिलने वाले आदेशों में कमी के कारण कुप्रभाव पड़ा ।

(घ) औद्योगिक आधारी संरचना क्षेत्रों के निष्पादन की संचालन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए राज्यमंत्री स्तर पर सावधिक समीक्षा की जाती है । प्रशासनिक मंत्रालय बाधाओं को दूर करने की कार्यवाही करते हैं ।

वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आधारी संरचना पर मंत्रीमंडल समिति का गठन किया गया है जो आधारी संरचना क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार करने के साथ-साथ उचित निर्देश देती है ।

विवरण-I

वर्ष 1990-91 का आधारी संरचना निष्पादन

क्रम सं०	क्षेत्र	1989-90 वास्तविक	1990-91 लक्ष्य	1990-91 वास्तविक	वर्ष 1990-91 की वास्तविक समाप्ति की प्रतिशत विभिन्नता	
					1990-91 लक्ष्य	1989-90 वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7
1.	विद्युत (बी० यू०) कुल	245.141	271.250	264.144	—2.6	—7.8
2.	कोयला (एम० टी०) कुल	200.89	221.000	211.730	—4.2	5.4
3.	इस्पात (एम० टी०)					
(i)	तप्त धातु	11.96	12.920	12.140	—6.0	1.5
(ii)	सिल्ली	10.59	12.250	11.060	—9.7	4.4
(iii)	बिक्री योग्य इस्पात	9.03	9.830	9.310	—5.3	3.1
4.	रेलवे राजस्व यातायात (एम० टी०)	309.97	325.000	318.52	—2.0	2.8
5.	सीमेंट (एम० टी०)	45.78	49.000	48.69	—0.6	6.4

1	2	3	4	5	6	7
6.	उर्वरक (एम० टी०) (एन+पी) कुल	8.54	9.080	9.040	—0.4	5.9
7.	पैट्रोलियम (एम० टी०)					
(i)	कच्चा तेल	34.08	35.900	33.030	—8.0	—3.1
(ii)	रिफाइनरी थ्रु पुट	51.94	51.180	51.770	1.2	—0.3
8.	बड़े पत्तनों पर संभाला गया कारगों (एम० टी०)	147.28	151.000	152.82	1.2	3.8
9.	दूरसंचार ("000 सं०)					
(i)	दूरभाष स्वीचिंग उपकरण	911.12	1019.600	852.60	—16.4	—6.4
(ii)	दूरभाष उपकरण उत्पादन	689.1	1000.000	777.80	—22.2	12.9
(iii)	प्रबोधित क्षेत्र में नए टेलीफोन कनैक्शन	193.95	276.070	216.34	—21.6	11.5

बी० यू० = बिलियन इकाई

एम० टी० = मिलियन टन

विवरण-II

आधारी संरचना का निष्पादन

(अप्रैल-91-जनवरी-91)

क्रम सं०	क्षेत्र	1991-92 लक्ष्य	अप्रैल, 91 जनवरी 92 लक्ष्य	वास्तविक अप्रैल, 91 जनवरी, 92 लक्ष्य	वास्तविक अप्रैल, 90 जनवरी, 91	अप्रैल, 91 जनवरी, 91 को वास्तविक समाप्ति की प्रतिशत विभिन्नता: अप्रैल, 91 जनवरी, 92 लक्ष्य	अप्रैल, 91 जनवरी, 91 को वास्तविक समाप्ति की प्रतिशत विभिन्नता: अप्रैल, 90 जनवरी, 91 वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	विद्युत (बी० यू०) कुल	283.450	234.909	236.846	218.042	0.8	8.6
2.	कोयला (एम० टी०) कुल	228.463	180.350	177.920	160.750	—1.3	10.7
3.	इस्पात (एम० टी०)						
(i)	तप्त धातु	12.990	10.688	10.769	9.981	0.8	7.9
(ii)	सिल्ली	12.310	10.186	9.946	9.023	—2.4	10.2
(iii)	बिक्री योग्य इस्पात	10.020	8.242	8.216	7.502	—0.3	9.5

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	रलवे राजस्व						
	यातायात (एम० टी०)	325.000	273.00	275.760	257.020	1.0	7.3
5.	सीमेंट (एम० टी०)	55.000	46.265	43.814	39.810	—5.3	10.1
6.	उर्वरक (एम० टी०) (एन+पी०) कुल	10.000	8.351	8.200	7.512	—1.8	9.2
7.	पैट्रोलियम (एम० टी०)						
(i)	कच्चा तेल	34.060	26.054	25.463	27.551	—2.3	—7.6
(ii)	रिफाइनरी थ्रूपुट	50.915	42.635	42.190	42.952	—1.0	—1.8
8.	बड़े पत्तनों पर संभाला गया कारगों (एम० टी०)	155.000	127.016	128.553	125.363	1.2	2.5
9.	दूरसंचार ("000 सं०)						
(i)	दूरभाष स्वीचिंग उपकरण	—	644.100	636.300	542.700	—1.2	17.2
(ii)	दूरभाष उपकरण उत्पादन	1000.000	569.000	371.600	591.900	—34.7	—37.2
(iii)	प्रबोधित क्षेत्र में नए दूरभाष कनेक्शन	251.560	177.293*	167.932	109.220	—5.3	53.8

*=यथा अनुपात लक्ष्य

बी० यू० = बिलियन इकाई

एम० टी० = मिलियन टन

तमिलनाडु के गांवों में पेयजल

2504. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के विभिन्न गांवों में शुद्ध पेयजल भण्डार हेतु कोई प्रबन्ध नहीं है;

(ख) क्या इन गांवों में जल निकास सुविधा भी उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) तमिलनाडु के सभी गांवों को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं ।

(ख) लगभग 16.62 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या (1981 की जनगणना) को ग्रामीण स्वच्छता की सुविधाए मुहैया कराई गई है ।

(ग) तमिलनाडु में आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों/बस्तियों को आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के सामान्य योजना कार्यक्रमों के तहत पूर्णरूप से पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष दर वर्ष के आधार पर अनुमोदित की जाने वाली उपलब्ध निधियों से ग्रामीण स्वच्छ शौचालयों का निर्माण भी किया जाएगा ।

विकास योजनाओं हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधार

[हिन्दी]

2506. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार विभिन्न विकास योजनाओं जिन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया जाना है के प्रभावी कियान्वयन हेतु विज्ञापन और प्रौद्योगिकी को आधार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों को एक स्वतंत्र विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग स्थापित करने के लिए कहा गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दिशात्मक पत्र में उल्लेख किया गया है कि विकास के सभी आधारभूत क्षेत्रों को शामिल करने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयासों का व्यापक उपयोग किया जाएगा ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास हेतु कार्यनीति निम्नलिखित होगी :

(i) सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में सभी कार्यक्रमों के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय विषयों पर अधिक महत्व देना;

(ii) समाज के अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव वाले कार्यक्रमों की कार्यान्विति को प्राथमिकता देना;

(iii) चुनिन्दा क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीय मिशनों और मिशन मोड़ में विज्ञान और प्रौद्योगिकीय का पता लगाना तथा कार्यान्वित करना;

(iv) सभी स्तरों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना;

(v) अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर पहुंचने के लिए उन्नत अनुसंधान के चुनिन्दा क्षेत्रों में सार्थक महत्व प्रदान करना;

(vi) वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि अनुसंधान, उत्पादन एवं सेवा क्षेत्रकों में और उनके द्वारा कार्यान्वित किया जाए;

(vii) अनुसंधान और उद्योग के बीच बड़े प्रयोजन तथा अच्छे सम्पर्क प्रेरित करने के लिए अनुसंधान के वाणिज्यिकरण की प्रक्रिया को तेज करना;

(viii) सूचना/टेलिमेटिक्स के युग में पदार्पण करने के लिए, सर्वतोमुखी, समुचित उपाय करना; और

(ix) परम्परागत व्यवसायों (अर्थात् कृषि और ग्रामीण शिल्पकारी) के उपकरणों तथा तकनीकियों में अनुसंधान और नवीनता को बढ़ावा देना तथा इसके व्यापक अनुकूलन को प्रेरित करना।

(ग) जी, नहीं। आयोग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्वतंत्र विभाग स्थापित करने के लिए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध नहीं किया है।

जल आपूर्ति और मल व्ययन योजना

2507. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों के प्रमुख नगरों की जल आपूर्ति और मल व्ययन योजनायें स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास भेज दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या नीति अपनाई जा रही है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त परियोजनाएं की सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) सामान्यत: राज्य सरकारों द्वारा सीवरेज परियोजनाएं तकनीकी दृष्टि से अनुमोदन हेतु तथा/अथवा बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को भेजी जाती हैं। स्कीमों की जांच, "जलापूर्ति तथा शोधन" और सीवरेज व सीवेज शोधन" पर मैनुअल में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर की जाती हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु०)
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	सिद्दिपेट में जलापूर्ति संवर्धन-जांच रिपोर्ट	1000
2.	रायदुर्ग व्यापक जलापूर्ति सुधार स्कीम-जांच रिपोर्ट	164
3.	रायछोटी तथा अन्य गावों में जलापूर्ति की व्यवस्था के लिए परियोजना	345
4.	युग्म नगरों, हैदराबाद और सिकन्दराबाद के लिए विश्व बैंक सहायता हेतु प्रस्तावित जलापूर्ति संवर्धन	103000 64000
5.	हैदराबाद और सिकन्दराबाद के लिए सीवरेज स्कीम की रिमाडलिंग	3270
	महाराष्ट्र	
6.	शोलापुर जलापूर्ति संवर्धन स्कीम	7454
7.	नाहवा शेवा उप क्षेत्र, स्टेज II, के लिए जलापूर्ति व्यवस्था	7090
8.	महाराष्ट्र जलापूर्ति तथा सीवरेज परियोजना स्टेज-II	61400
	तमिलनाडु	
9.	होसर तथा समीपस्थ क्षेत्रों के लिए सम्मिलित जलापूर्ति स्कीम	908.64

1	2	3
	गोवा	
10.	मारगावों नगर के लिए भूमिगत ड्रेनेज स्कीम	1450.1
	दिल्ली	
11.	यमुना विहार में 10 एम० जी० डी० क्षमता के सीवरेज शोधन संयत्र	521.0
	मध्य प्रदेश	
12.	रायपुर जलापूर्ति स्कीम की संवर्धन और सुधार परियोजना	3254.0
13.	गुना जलापूर्ति संवर्धन स्कीम	1535.0
14.	सीवरेज एवं सीवेज निपटान परियोजना (इन्दौर) चरण-I	5480.0
15.	शिवपुरी जलापूर्ति स्कीम	5653.0
	हिमाचल प्रदेश	
16.	शिमला में जलापूर्ति सुधार एवं संवर्धन तथा यू० डी० परियोजना	3962.0
17.	एच० पी० यू० डी० परियोजना के अन्तर्गत शिमला सीवरेज पद्धति का सुधार और विस्तार	3047.0
18.	एच० पी० यू० डी० परियोजना के अन्तर्गत मनाली में जलापूर्ति संवर्धन तथा सीवरेज पद्धति हेतु परियोजना	542.0
	उत्तर प्रदेश	
19.	आगरा तथा मथुरा नगरों को जलापूर्ति के सम्बन्ध में गोकुल बान्ध परियोजना	929.0
	राजस्थान	
20.	आई० डी० ए० सहायता प्राप्त जलापूर्ति तथा सीवरेज परियोजना के लिए प्रारम्भिक प्रस्ताव	40640.0
21.	रामगंज मंडी सुकेट तथा तहसील रामगंज मंडी जिला कोटा, के 14 गांवों के लिए जलापूर्ति स्कीम का पुनर्गठन	1135.0

1	2	3
	जम्मू तथा कश्मीर	
22.	ग्रेटर श्रीनगर एरिया के लिए एकीकृत पर्यावरणात्मक परियोजना	संशोधनाधीन
23.	ग्रेटर जम्मू एरिया की सीवरेज तथा इमेज परियोजन	—वही—
	पांडिचेरी	
24.	पांडिचेरी नगर के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाट एक्टिवेटिड स्लज प्रोसेस	292.0
25.	पांडिचेरी के मुथियलपेट-जोन-II के लिए जलापूर्ति स्कीम	4.51
26.	पांडिचेरी शहर के IX-रेड्डियार पालायम के लिए जलापूर्ति स्कीम	280.0
	पश्चिम बंगाल	
27.	मिदनापुर नगर पालिका, मिदनापुर के लिए जलापूर्ति स्कीम का सुधार	—
28.	सिलीगुड़ी नगर बस्ती के लिए बृहद जलापूर्ति स्कीम	4596.0
	बिहार	
29.	पटना के लिए जलापूर्ति, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंध हेतु एकीकृत परियोजना पर व्यवहार्यता रिपोर्ट	19,558.0
30.	रांची के लिए जलापूर्ति, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंध हेतु एकीकृत परियोजना पर व्यवहार्यता रिपोर्ट	14707.0
	असम	
31.	गुवाहाटी शहर के लिए जलापूर्ति स्कीम	15420.0
32.	जोरहाट शहर के लिए जलापूर्ति	2910.0
33.	ग्रेटर गुवाहाटी सिटी के लिए सीवरेज, सीवेज-शोधन और बरसाती जल निकास स्कीम	16730.0

ग्राम सभा की भूमि पर गोदामों का निर्माण

2508. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में ग्राम सभा की भूमि पर गोदामों के अवैध निर्माण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ग्राम सभा भूमि पर गोदामों का अवैध निर्माण किए जाने सम्बन्धी कितने मामलों का सरकार को पता चला है;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा चार ऐसे मामलों की सूचना दी गई है ।

(ग) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 86-ए के तहत् बेदखली कार्यवाहियां प्रारम्भ किए जाने की सूचना है तथा राजस्व सहायक (के० डब्ल्यू० सी०), दिल्ली के न्यायालय में आज कल प्रगति पर हैं ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में परिवर्तन

2509. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के एम० आई० जी०, एल० आई० जी० और जनता फ्लैटों में परिवर्तन करने अथवा कमरे के रूप में उपयोग करने हेतु बालकनी को ढकने के लिए पूर्व मन्जूरी लेनी आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध मे आबंटितियों को अनेक बार प्राधिकरण के कार्यालय में जाना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का विचार आबंटितियों की सुविधा के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों में आवश्यक संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) मौजूदा नीति के अनुसार आबंटिती को दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास उप-

लम्ब मानक नक्शे के अनुसार फ्लैट में परिवर्तन करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की अनुमति लेनी पड़ती है। इस समय, इस नीति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान में सड़कों का निर्माण

2510. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगनाथन समिति ने राजस्थान के कोटा जिले के सवाई माधोपुर, धौलपुर और शाहबाद क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक सवाई माधोपुर और धौलपुर के लिए तो अपनी स्वीकृति दे दी है लेकिन शाहबाद क्षेत्र को इस बारे में वरीयता नहीं दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार रंगनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार इस क्षेत्र को वरीयता देने के राज्य सरकार के उक्त प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय सम्भवत: कब तक ले लिया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्यारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी हां। समिति का नाम रंगनाथन समिति नहीं है अपितु रामनाथन समिति है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के विशेष समस्या वाले क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत धौलपुर जिले में 15 सड़कों के निर्माण के लिए राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में 13 सडकों के निर्माण के लिए निधियां आवंटित की गई थी। राज्य सरकार ने कोटा जिले के शाहबाद क्षेत्र के लिए योजना के अन्तर्गत सहायता हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(घ) से (च) चूंकि योजना को राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित किया जा रहा है इसलिए कोटा जिले के शाहबाद क्षेत्र को वरीयता देने का प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

2511. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सूखा प्रवण राज्य राजस्थान को अधिक वित्तीय सहायता देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1-4-1989 से बन्द कर दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में गैस-क्रैकर का काम्पलैक्स

2512. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार से इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से, खांडपुर विद्युत संयंत्र को गैस की सप्लाई से पहले ही, सी-2/सी-3 को हटाकर राजस्थान में किसी स्थान पर उपयोगी लघु गैस क्रैकर उद्योग समूह स्थापित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब तक अनुमति दे दिये जाने की सम्भावना है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइपलाइन से गैस पर आधारित एक क्रैकर काम्पलैक्स के लिए राजस्थान सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) उत्पादों के समग्र मांग-पूर्ति अनुमानों, फीडस्टाक की उपलब्धता और अन्य तकनीकी-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में क्रैकर काम्पलैक्स स्थापित करने का विचार नहीं है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अधिकारियों का विदेश दौरा

2513. **श्री बलराज पासी** :
श्री रामकृष्ण कुसमारिया :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्योगों के संवर्धन हेतु वर्ष 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने कितने देशों का दौरा किया तथा उन्होंने किन-किन देशों की प्रदर्शनियों में भाग लिया;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा कितनी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां आयोजित की गई; और

(ग) ये प्रदर्शनियां किन-किन स्थानों पर आयोजित की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन) : (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अनुसार, अधिकतर ट्रेड फेयर अथारिटी द्वारा विदेशों में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों में भाग लेकर लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने 1990-91 के दौरान फिलिपिन्स, केन्या, अमेरिका, मारिशस, पश्चिमी जर्मनी, नेपाल, पूर्व सोवियत रूस तथा यू॰ के॰ में आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लिया। इन प्रदर्शनियों के साथ-साथ निगम के अधिकारियों ने इस अवधि के दौरान निगमित व्यापार के लिए 14 अन्य देशों का भी दौरा किया।

(ख) इस कार्पोरेशन ने विदेशों में किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी

[अनुवाद]

2514. **श्री रवि राय :**
श्री पी॰ एम॰ सईद :
श्री मृत्युन्जय नायक :
श्री जीवन शर्मा :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री मोरेश्वर सावे :
श्री हरिन पाठक :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के पास जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत व्यापक अधिकार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो माह के दौरान राज्य-वार अलग-अलग कितने छुपाए गए भण्डारों का पता चला है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में उन वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तथा व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण व विनियमन का प्रावधान किया गया है, जो इस अधिनियम के तहत आवश्यक घोषित की गई हैं। केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम के तहत राज्य

सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कुछ शर्तों पर विभिन्न शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विक्रेताओं को लाइसेंस देने, गुणवत्ता नियत्रण करने, मूल्यों को प्रदर्शित करने, वस्तुओं की स्टाक सीमाओं इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु नियंत्रण आदेश जारी किए हैं।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से 29-2-92 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार दिसम्बर, 1991 और जनवरी, 1992 के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त किए गए माल की कीमत का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से फरवरी, 1992 माह के लिए आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त किए गए माल की कीमत का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु० में)

क्रमसं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिसम्बर, 1991	जनवरी, 1992
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10.88	उ.न.
2.	असम	शून्य	शून्य
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.
5.	गुजरात	36.10	27.80
6.	गोआ	0.01	1.52
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
9.	जम्मू व कश्मीर	उ.न.	उ.न.
10.	कर्नाटक	0.90	उ.न.
11.	केरल	0.59	उ.न.
12.	मध्य प्रदेश	5.34	उ.न.
13.	महाराष्ट्र	7.03	13.93
14.	मणिपुर	शून्य	उ.न.

1 2	3	4
15. मेघालय	शून्य	उ.न.
16. मिजोरम	शून्य	शून्य
17. नागालैंड	शून्य	शून्य
18. उड़ीसा	0.17	उ.न.
19. पंजाब	0.49	1.57
20. राजस्थान	उ.न.	उ.न.
21. सिक्किम	शून्य	शून्य
22. तमिलनाडु	19.27	18.60
23. त्रिपुरा	शून्य	शून्य
24. उत्तर प्रदेश	68.15	2.16
25. पश्चिम बंगाल	13.13	उ.न.
26. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	उ.न.
27. चण्डीगढ़	शून्य	शून्य
28. दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य
29. दिल्ली	0.78	0.12
30. दमण व दीव	शून्य	शून्य
31. लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
32. पांडिचेरी	0.03	0.02

उ.न. : उपलब्ध नहीं।

बिहार में बन्द पड़े औद्योगिक एकक

[हिन्दी]

2515. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बन्द पड़े औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं तथा वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं, ये कब से बन्द पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) इन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) इन एककों के कब तक चालू होने की सम्भावना है; और

(घ) इन एककों के बन्द होने के कारण कितने कर्मचारी और श्रमिक बेरोजगार हुए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बिहार राज्य में मार्च, 1990 के अन्त में लघु क्षेत्र में 5007 एकक और गैर-लघु क्षेत्र में 40 एकक रुग्ण थे। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सितम्बर, 1990 के अन्त में गैर-लघु क्षेत्र में 23 औद्योगिक एकक रुग्ण/कमजोर बताए गए। बैंकों द्वारा यथासूचित रुग्णता के मुख्य कारण तकनीकी समस्याओं, कच्चे सामान की अनुपलब्धता, मजदूर समस्याओं, बिजली की कमी, प्राकृतिक विपदाओं, परिवहन और वित्तीय कठिनाइयों से सम्बन्धित है।

(ख) लघु क्षेत्र में 5007 एककों में से 476 एकक सम्भाव्यत: जीव्य और 4394 एकक गैर-जीव्य पाए गए थे। 137 एककों के बारे में जीव्यता का अभी निर्णय करना है। लघु क्षेत्र में सम्भाव्यत: 476 जीव्य रुग्ण एककों में से मार्च, 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार 321 एककों को उपचार कार्यक्रमों के अधीन रखा गया है। गैर लघु क्षेत्र में 40 रुग्ण एककों में से सितम्बर, 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार 2 एककों को उपचार कार्यक्रमों के अधीन रखा गया है।

(ग) ऐसी कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती जिसमें जीव्य एककों को पुन: चालू किया जा सके।

(घ) केन्द्र द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

कोयले की सप्लाई

[अनुवाद]

2516. **श्री आर्ल्ड फर्नान्डीज** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विद्युत और अन्य क्षेत्रों को सप्लाई किए जाने वाले सभी प्रकार के कोयले को परिष्कृत करने का है;

(ख) क्या अधिकांश कोयला भण्डारों में घटिया किस्म का कोयला है;

(ग) यदि हां, तो क्या विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० बी० म्यामगौड) : (क) इस्पात क्षेत्र की आपूर्ति किए जाने वाले अधिकांश कोककर कोयले को प्रेषित किए जाने से पूर्व धुलाई की जाती है। सरकार द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समिति ने कोयला क्षेत्रों से 1000 कि०मी० से अधिक दूरी पर स्थित नए ताप विद्युत केन्द्रों में परिष्कृत अकोककर कोयले के उपयोग की सिफारिश की है। तदानुसार दूरवर्ती विद्युत स्टेशन,

जोकि परिष्कृत की अतिरिक्त लागत को वहन करने के इच्छुक हैं, उनके मामले में विद्युत ग्रेड कोयले की आपूर्ति करने हेतु पिट-हैड कोयला परिष्कृत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) देश में घटिया किस्म के कोयले के स्रोत 60% से अधिक हैं।

(ग) और (घ) विद्युत और अन्य क्षेत्रों की आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता की शिकायत साधारणतः बड़े आकार के कोयले की आपूर्ति, स्लेटी पत्थर और पत्थर आदि जैसी अपशिष्ट सामग्री के मिश्रण के सम्बन्ध में होती है। इन कठिनाइयों से निपटने के लिए कोयला कम्पनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं—पर्याप्त कोयला रख-रखाव संयंत्रों की व्यवस्था, कोयले के खनन के दौरान बेहतर पर्वेक्षण को सुनिश्चित करना, लदान के समय पत्थर का पृथक्करण और परिष्कृत संयंत्रों को स्थापित किया जाना।

सरकारी सेवा में प्रवेश

[हिन्दी]

2517. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री पी० एम० सईद :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विचार केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिए जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए विद्यमान आयु सीमा कार्य के स्वरूप तथा शैक्षिक अर्हताओं को देखते हुए निर्धारित की गई है। इस समय आयु सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में मध्यम और बड़े उद्योग

2518. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में चालू वर्ष में और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्यम और बड़े उद्योग स्थापित करने हेतु कुल कितनी धनराशि का निवेश करने का प्रस्ताव है;

(ख) केन्द्रीय सरकार का उक्त अवधि के दौरान राज्य में लघु ग्रामीण उद्योग स्थापित करने के लिए कितनी धनराशि नियत करने का विचार है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने मध्यम औद्योगिक एकक स्थापित करने का विचार है; और

(घ) उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर ऐसे उद्योग स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कूरियन) : (क) से (घ) किसी राज्य के औद्योगीकरण की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार उनके प्रयासों में यथासम्भव मदद करती है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1992-97) के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में बड़े, मझौले तथा लघु उद्योगों की स्थापना के लिए स्वीकृत परिव्यय को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, योजना आयोग द्वारा चालू वर्ष (1991-92) के लिए उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना में बड़े तथा मझौले उद्योगों के लिए 4650 लाख रु० और ग्रामीण तथा लघु उद्योग के लिए 4436 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

संसद सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन

2519. **श्री बारे लाल जाटव** : क्या **शहरी विकास मन्त्री** 20 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 3 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के लिए फ्लैटों का निर्धारित कोटा और गत दस वर्षों के दौरान आवंटित किए गए फ्लैटों की वर्ष-वार संख्या के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुम्बई स्थित खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अनुदान

2520. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुम्बई स्थित क्षेत्रीय केन्द्र को दी गई अनुदान राशियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 में इस अनुदान राशि में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कूरियन) : (क) 1990-91 और 1991-92 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई को प्रदान किए गए अनुदान के

ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(रु० करोड़ में)

	1990-91	1991-92
1. खादी अनुदान	86.00	87.00
2. ग्रामोद्योग अनुदान	18.00	19.00
3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुदान	1.00	1.00
4. बायो-गैस अनुदान	7.87	6.27
योग :	112.87	113.27

(ख) और (ग) सरकार का 1992-93 के लिए उतनी ही राशि प्रदान करने का प्रस्ताव है जितनी वर्ष 1991-92 के दौरान दी गई थी।

सिंगरेनी कोयला खानों में कोयला उत्पाद

[अनुवाद]

2521. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के अप्रैल-जनवरी माह के दौरान इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सिंगरेनी कोयला खानों के उत्पादन में कोई सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रामागुण्डम ताप विद्युत संयंत्र की कोयले की समूची मांग सिंगरेनी कोयला खानों से पूरी की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० जी० न्यामगौड) : (क) और (ख) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा उपलब्ध किए गए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार उन्होंने अप्रैल, 91 से जनवरी, 92 तक 16.41 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में उन्होंने 14.24 मिलियन टन उत्पादन किया था जोकि 15.2% की वृद्धि है।

(ग) और (घ) रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत स्टेशन की मांग का बड़ा हिस्सा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा पूरा किया जाता है। सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० ने फरवरी, 1992 तक रामगुण्डम सुपर ताप विद्युत स्टेशन को 6.036 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की। सिंगरेनी

कोलियरीज कम्पनी लि० ने रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत स्टेशन को 1990-91 में 5.035 मिलियन टन और 1989-90 में 4.999 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की।

बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड को कच्चे माल की सप्लाई न किया जाना

2522. **श्री हाराधन राय** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मैसर्स बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड को कच्चे माल तथा अतिरिक्त कल-पुर्जों की आपूर्ति न होने तथा रेफरेक्टरी यूनिटों के चलाये जाने के सम्बन्ध में कम्पनी के कर्मचारी संघ से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अभ्यावेदनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड (बी० एस० सी० एल०) समूह के रिफ्रेक्टरी और सिरेमिक कर्मचारी संघ, रानीगंज के दो पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित, दो याचिकाएं लोक सभा सचिवालय को 29 मई, 1990 और 20 अगस्त, 1990 को प्रस्तुत की गई थीं। याचिकाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, कम्पनी के रिफ्रेक्टरी एककों को कच्चे माल तथा अतिरिक्त कल पुर्जों की आपूर्ति न होने तथा उनमें व्यक्तियों को तैनात किए जाने के बारे में भी प्रकरण था।

(ग) क्योंकि रिफ्रेक्टरी एककों का रानीगंज समूह, अपनी वर्तमान सुविधाओं से, केवल पारम्परिक रिफ्रेक्टरियों की आपूर्ति करने की स्थिति में है जो वर्तमान में आधुनिक इस्पात संयंत्रों द्वारा उपयोग में नहीं लाए जाते, अतः उनकी मांग भी सीमित है। इसको ध्यान में रखते हुए उपलब्ध क्रयादेशों की तुलना में कच्चे माल के अभाव के कारण उत्पादन में कमी नहीं आई है और कारोबार के वर्तमान स्तर के लिए जनशक्ति पर्याप्त से अधिक है। इन एककों के राष्ट्रीयकरण से, कम्पनी ने विद्यमान संयंत्र और मशीनों के नवीकरण और प्रतिस्थापन पर 256.93 लाख रुपये व्यय किए हैं।

मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड का आधुनिकीकरण

2523. **श्री हाराधन राय** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने के बाद नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उसका आधुनिकीकरण तथा इसके क्षेत्रों में उत्पादन करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसकी प्रत्येक इंजीनियरी यूनिट तथा ताप सह यूनिट में कौन-कौनसी आधुनिकीकरण योजनाएं शुरू की गई हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के बाद, सरकार ने इस कम्पनी के कार्यचालन को, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन

और विविधीकरण द्वारा सुधारने के लिए अनेक योजनाएं अनुमोदित की है। अनुमोदित योजनाओं के एकक-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

एकक	आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाएं	विविधीकरण योजनाएं
1	2	3
बीएससीएल हावड़ा कारखाना	1. फाउन्ड्री आधुनिकीकरण	1. ऐश हैण्डलिंग संयंत्र के लिए परियोजनाएं।
	2. पाइन्ट्स और क्रासिंग शाप आधुनिकीकरण	2. ढलाई लोहा कैसनब बोगी निर्माण परियोजना।
	3. संतुलन, आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन योजनाएं	3. एच० टी० कूपलर/ ड्राफ्ट गियर का निर्माण।
बीएससीएल	1. स्प्रिंग शाप आधुनिकीकरण	
बर्नपुर कारखाना	2. वैगन शाप आधुनिकीकरण	
	3. संतुलन, आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन योजनाएं	
बीएससीएल रानीगंज कारखाना	1. रानीगंज स्थित लालकोठी कारखाने का आधुनिकीकरण	
	2. संतुलन, आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन योजनाएं	
बीएससीएल गुलफरबाड़ी कारखाना	1. संयंत्र और मशीनरी पुनर्वास योजना	
	2. संतुलन, आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन योजनाएं	
बीएससीएल जबलपुर कारखाना	1. संतुलन, आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन योजनाएं	

1	2	3
बीएसमीएल निवार कारखाना	1. संयंत्र और मशीनरी पुनर्वास योजना	
	2. संतुलन, आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन योजनाएं	
बीएसमीएल सेलम कारखाना	1. पुनर्वास और आधुनिकीकरण कार्यक्रम	
	2. खानों और कारखानों का आधुनिकीकरण	
	3. संतुलन, आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन योजनाएं	

उपरोक्त योजनाओं के अलावा, सरकार ने, कम्पनी के सुदूर-तट प्लेटफार्मों के लिए डेकों, हेलिडेकों इत्यादि के निर्माण के लिए जेलिंगघम में एक यार्ड की स्थापना के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया था।

महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए वार्षिक लक्ष्य

2524. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए बिजली, कोयला, इस्पात, रेलवे, दूरसंचार, नौवहन और पत्तन, उर्वरक, सीमेन्ट और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आदि नौ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए गए वार्षिक लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन क्षेत्रों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थिर मूल्यों के आधार पर तथा उत्पादन की मात्रा के आधार पर अर्द्धवार्षिक वृद्धि दर क्या है; और

(घ) वर्ष 1992-93 में इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 में कोर क्षेत्रक के लिए वार्षिक लक्ष्य तथा उपलब्धियां

क्रम सं०	क्षेत्रक	1990-91		1991-92		1992-93
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	**बिजली**					
	(क) बिजली (मेगावाट)	4212.0	2776.5	3810.8	1532.5	
	हाइडल	1006.5	445.5	754.3	165.0	अभी निश्चित
	थर्मल	2970.5	2331.0	2586.5	1147.5	किया जाना
	नाभिकीय	235.0	—	470.0	220.0	है
	(ख) विद्युत उत्पादन					
	(मिलियन यूनिट)	271250	264231	283450	260686	
	हाइडल	63000	71535	64900	66647	अभी निश्चित
	थर्मल	201400	186452	211700	189034	किया जाना है
	नाभिकीय	6850	6244	6850	5005	
	वर्ष 1989-9 के पश्चात वर्ष 1990-91 उत्पादन में वार्षिक संवृद्धि 7.8 प्रतिशत तथा क्षमता वृद्धि में (—) 40.8 प्रतिशत थी।					
2.	**कोयला**					
	(मिलियन टन)	21.00	211.73	234.00	228.00	238.20
	वर्ष 1990-91 में वार्षिक संवृद्धि 5 प्रतिशत तथा 1991-92 में 7.7 प्रतिशत थी।					
3.	**इस्पात**					
	(क) एकीकृत इस्पात संयंत्र					
	(मिलियन टन)	9.63	9.42	10.78	10.40	11 77 (अनन्तिम)

1	2	3	4	5	6	7
	(ख) एकीकृत एवं छोटे इस्पात संयंत्र (मिलियन टन)	13.10	12.40 अनुमानित	14.15	13.12	15.55 (अनन्तिम)

अन्तर-वार्षिक संवृद्धि 10.4 प्रतिशत तथा 5.8 प्रतिशत ।

4. रेलवे

(मूल भाड़ा यातायात —मिलियन टन में)	353	341	360	362	375

वार्षिक संवृद्धि दर लागू नहीं है ।

5. दूर-संचार सेवाएं				दिसम्बर तक 1991	
(क) स्विचिंग कैपेसिटी (लाख लाइन)	6.5	5.7	9.5	3.26	9.5
(ख) डाइरेक्ट एक्सचेंज लाइन (लाख लाइनें) या टेलीफोन कनेक्शन (लाख में)	5.5	4.84	7.0	2.78	7.5
(ग) लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोन (एल०डी०पीटी) पचायत टेलीफोन	15000	1742	20000	7663	48500
(घ) टेलेक्स एक्सचेंज (सं०)	30	34	50	14	40
(ङ) टेलेक्स क्षमता (लाइनों में)	1766	1806	3084	850	3944

वार्षिक संवृद्धि दर लागू नहीं है ।

2	3	4	5	6	7
6. जहाजरानी एवं पत्तन					
(क) जहाजरानी (भारतीय बेड़े द्वारा धारित टन भार एम०जी०आर०टी०)	6.75	6.04	लागू नहीं	6.0	लागू नहीं
(ख) पत्तन (बड़े पत्तनों पर ढोया गया भार मिलियन टन में)	151	152.55	155	155	164
वार्षिक संवृद्धि दर लागू नहीं है।					
7. उर्वरक					
(क) नाइट्रोजनस (लाख टन)	70.75	69.93	73.50	72.65	अभी निश्चित नहीं किया है
(ख) फास्फेटिक (लाख टन)	20.00	10.51	26.50	26.00	वही
अन्तर वार्षिक संवृद्धि दर 3.6 प्रतिशत तथा 16.8 प्रतिशत है।					
8. सीमेंट					
(मिलियन टन)	49.00	49.04	लागू नहीं	53.00	60.00
अन्तर वार्षिक संवृद्धि दर 8.1 प्रतिशत है।					
9. पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस					
(क) तेल (एम एम टी)	33.90	32.99	35.91	30.67	28.46
(ख) गैस (एमएमएम 3)	22536.0	17997.92	20228.0	18270.95	19285.74
(ग) कूड थ्री-पुट (एमएमटी) (तेल शोधक)	51.18	51.77	52.35	51.39	52.23
अन्तर वार्षिक संवृद्धि दर क्रमशः—7.05 प्रतिशत, 1.57 प्रतिशत तथा—0.73 प्रतिशत है।					

आठवीं योजना के दौरान उर्वरक परियोजनाओं के लिए वित्तीय आवश्यकताएं

2525. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री नीतीश कुमार :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने हेतु वित्तीय आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालीय कार्य दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का पूरे देश की उर्वरक यूनिटों की उत्पादन क्षमता मे वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार उत्पादकों द्वारा उर्वरकों के उत्पादन पर लगातार निगरानी रख रही है । वर्तमान पुराने एककों के पुनरुद्धार तथा पुनर्वास तथा रेट्रोफिटिंग के अतिरिक्त यह उत्पादकों को प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम फीड स्टाक, कोयला आदि जैसे कच्चा माल तथा बिजली, जल आदि जैसे सेवाओं की प्राप्ति में भी सक्रिय सहायता प्रदान कर रही है । यह तैयार उर्वरकों के प्रेषण के लिए वैगनों के आवंटन में भी उनकी सहायता करती है । इन उपायों के परिणामस्वरूप वर्तमान संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता कुल मिलाकर काफी उच्च स्तर पर कायम रखी जा रही है ।

सरकारी क्षेत्र के लिए नीति

2526. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति ।**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कार्य में सुधार लाने के लिए तीन सूत्री नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों को भारी हानि उठानी पड़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो इन एककों को लाभप्रद बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० चुगन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने की नीति की घोषणा जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में कर दी गई है।

(ग) और (घ) वर्ष 1990-91 के दौरान सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन के आधार पर सरकारी क्षेत्र में 54 रुग्ण उद्यम हैं, जिन्होंने 1472.88 करोड़ रुपये का घाटा उठाया है। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आने वाले उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाना अपेक्षित होता है ताकि इन उद्यमों के पुनर्नवीकरण/पुनर्स्थापन हेतु योजनाएं बनाई जा सकें।

श्रमिकों और कृषकों के लिए आवश्यक वस्तुएं

[हिन्दी]

2527. **कुमारी उमा भारती** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमिहीन और गरीब श्रमिकों और लघु कृषकों को आवश्यक वस्तुएं उचित दर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्वरूप सर्वव्यापी है और इसमें आय या पेशे के आधार पर लाभानुभोगियों में भेद नहीं किया जाता। जहां केन्द्रीय सरकार ने मुख्य आवश्यक वस्तुओं, अर्थात चावल, गेहूं, लेवी चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल और साफ्ट कोक की वसूली, भंडारण और ढुलाई की जिम्मेदारी ले रखी है, वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के उपलब्ध न होने के बारे में शिकायतों पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा ध्यान दिया जाता है और उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा है कि वे उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और उपलब्धता की परिवीक्षा करें, अनुचित व्यापारिक व्यवहारों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को खुले बाजार में भेजे जाने से रोकने के लिए नियमित जांच करें और उचित दर दुकानों से उपभोक्ताओं को इन वस्तुओं के वितरण पर निगरानी रखें। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे उचित दर दुकानों/ग्राम स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियां गठित करें और उनमें उपभोक्ताओं, विशेषकर महिलाओं के

प्रतिनिधियों, स्वैच्छिक व उपभोक्ता संगठनों को शामिल करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना तथा सुप्रवाही बनाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

कोयले में मिलावट

2528. **श्री कुमारी उमाभारती** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खदानों से आपूर्ति किए जाने वाले कोयले में मिलावट की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या प्रतिशत है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) कोयला उपभोक्ताओं, विशेषकर विद्युत गृहों के उपभोक्ताओं ने कोयले का बड़ा आकार होने और पत्थर, स्लेटी पत्थर तथा अन्य अवशिष्ट सामग्री विद्यमान होने सम्बन्धी शिकायतें की हैं। कुछ खानों में मिट्टी की पतली परतें और पत्थर कोयला सीमों में इन्टर-बैडेड (मिश्रित रूप में) विद्यमान होता है। जब इन सीमों से कोयला खनन किया जाता है तो ये बैंड कोयले के साथ मिल जाती है। उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले कोयले में पत्थर और स्लेटी पत्थर की मात्रा को न्यूनतम किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) भूमिगत खानों में मुहानों पर कोयले का लदान किए जाने की स्थिति में अवशिष्ट सामग्री को पृथक किया जाता है;

(2) भू-तल पर पड़े भण्डारों में जहां भी संभव हो, स्लेटी पत्थर और पत्थर के टुकड़ों को हटाए जाने का कार्य श्रमिकों द्वारा किया जाता है; और

(3) कोयला रख-रखाव संयंत्रों में जहां स्लेटी पत्थर और पत्थर के टुकड़ों को हटाया जाता है, धीमी गति से चलने वाली पट्टियां मुहैया कराई गई हैं।

बन्द पड़ी कोयला खानों को पुनः चालू करना

2529. **श्री राजेश कुमार** :
श्री पीयूष तीरकी :
श्री राम विलास पासवान :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में उन कोयला खानों को पुनः चालू करने के लिए नीति तैयार की है जोकि अलाभप्रद घोषित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो ये खानें कब तक चालू किए जाने का विचार है;

(घ) उक्त खानों में कितने श्रमिक कार्य करते हैं;

(ङ) क्या बेरोजगार हुए श्रमिकों को पुनः रोजगार देने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (च) इस सम्बन्ध में बन्द पड़ी कोलियरियां दो श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं :—

(1) ऐसी कोलियरियां जिन्हें बन्द पड़ी स्थिति में हाथ में लिया गया था और जोकि अभी भी बन्द पड़ी हैं।

(2) ऐसी कोलियरियां, जोकि चालू हालत में हाथ में ली गई थीं अथवा जोकि राष्ट्रीयकरण के बाद खोली गई थीं, किन्तु जो अब बन्द पड़ी हैं।

श्रेणी-I के अन्तर्गत आने वाली कोलियरियां के निरन्तर बन्द पड़े रहने के कारण नीचे दिए गए हैं :

(1) जिन्हें पुनर्स्थापित खान के रूप में मिलाया/पुनः ग्रुप बनाए जाने अथवा सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

(2) भौगोलिक स्थिति के कारण संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव।

(3) कम मात्रा में कोयले के छोटे भण्डार तथा मौसमी उत्खनन क्रियाकलापों के साथ छुटपुट कोयले के भण्डार।

(4) ऐसी खानों के लिए अपर्याप्त रूप में भू-गर्भीय आंकड़े उपलब्ध हैं।

(5) पुराने खानों के सम्बन्ध में भरोसेमन्द कार्य योजनाओं की अनुपलब्धता।

(6) तकनीकी-आर्थिक रूप से अलाभकारी।

श्रेणी-II के अन्तर्गत आने वाली कोलियरियों के बन्द किए जाने के कारण निम्नलिखित हैं :

(1) निकाले जाने योग्य भण्डारों का समापन।

(2) भविष्य में लाभकारिता की किसी संभावना के बिना उच्च अलाभकारी खनन कार्य।

(3) विपरीत भू-खनन परिस्थितियां।

(4) सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से।

उन बन्द कोलियरीज को पुनः खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं जहां गहन अन्वेषण प्रयासों द्वारा उनका वाणिज्यिक दोहन किए जाने की संभावनाओं का संकेत मिलता है।

अभी हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार की बन्द पड़ी कोलियरियों में कार्य की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए संयुक्त जांच समिति संस्थापित की है। यह समिति बिहार सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस आशय का संकेत देना संभव नहीं है कि उक्त खानों के क्रियाकलापों को पुनः कब तक खोला जाएगा। श्रेणी-II के अन्तर्गत आने वाली कोलियरीज के मामले में कोल इंडिया लि० पुनः रोजगार, आदि प्रदान करके श्रमिकों को पुनर्वास कर रही है। चूंकि यह कोलियरियां बन्द पड़ी हैं, अतः इनमें श्रमिकों द्वारा कार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

राजारप्पा कोयला परियोजनाओं में बढ़िया किस्म के कोयले का निर्माण

2530. **श्री राजेश कुमार** : क्या **कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजारप्पा कोयला परियोजनाओं में वाशिंग मशीनों की सहायता से बढ़िया किस्म के कोयले का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या कोयला मशीनों से अपशिष्ट पदार्थ दामोदर नदी में छोड़ा जाता है, जिसके कारण प्रदूषण फैलता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रदूषण पर नियन्त्रण के लिए कोई कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) राजरप्पा परियोजना एक समेकित परियोजना के रूप में है जिसमें कच्चे कोककर कोयले के 3.00 मिलियन टन की निर्धारित क्षमता वाली एक ओपेनकास्ट खान और एक पिटहैड वाशरी शामिल है। राजरप्पा वाशरी में 17.5% की रेंज में राख की प्रतिशतता के साथ साफ कोयले को तैयार करने के लिए, जिसकी इस्पात संयंत्र में आपूर्ति की जाती है, मध्यम कोककर कोयले की धुलाई की जाती है।

(ख) से (घ) राजरप्पा वाशरी को एक बन्द जलीय सर्किट संयंत्र के रूप में विनिर्मित किया गया है, जहां से आम हालातों में किसी प्रकार का अवशिष्ट पदार्थ की निकासी नहीं की जाती है। कुछ अवशिष्ट पदार्थ संयंत्र के सामान्य क्रियाकलापों के दौरान अन्य अप्रत्याशित अवरोधों अथवा लम्बी अवधि तक विद्युत के खराब होने की स्थिति में बह जाते हैं, किन्तु अवशिष्ट पदार्थ का संग्रहण किए जाने के लिए कई तालाब बनाए गए हैं जिनसे अवशिष्ट पदार्थ बह जाता है। इसके बाद अवशिष्ट पदार्थ को संग्रहीत किया जाता है और इसकी इन तालाबों की अधिप्राप्ति की जाती है। अवशिष्ट पदार्थों की स्थिति में सुधार किए जाने के लिए सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा निम्न कार्रवाई की जा रही है :—

(1) अवशिष्ट पदार्थ की ठोस रूप में अधिप्राप्ति किए जाने के लिए तीन सलेरी तालाबों का निर्माण किया जाना;

(2) थिकनर फ्लोटेशन मशीन तथा फिल्टर को जुटाकर स्लेरी ट्रीटमेंट सर्किट का विस्तार; और

(3) स्लेरी तालाबों से सूखी स्लेरी की यंत्रीकृत रूप में अधिप्राप्ति किए जाने के लिए शावेलों की खरीद किए जाने सम्बन्धी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियों को सहायता

2531. **श्री राजेश कुमार :**
श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार शहरी उपभोक्ताओं को अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ग) उन सहकारी कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है जिनमें उक्त धनराशि का उपयोग किया गया ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को दी गई धनराशि तथा जिन सहकारी गतिविधियों में वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान उक्त धनराशि का उपयोग किया गया, उनका ब्यौरा विवरण I और विवरण II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1988-89 के दौरान शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारिताओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत दी गई राज्य-वार वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राशि (लाख रु० में)	प्रयोजन				
		बहु-विभागी भंडार	बड़े आकार के खुदरा बिक्री केन्द्र	छोटी शाखाएं	मोबाइल वैन	भवन का निर्माण
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	4.50	1	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
असम	9.00	1	2	3	—	—
बिहार	3.60	—	—	6	—	—
गुजरात	3.30	—	2	1	—	—
कर्नाटक	3.23	1	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	11.30	1	—	3	—	—
महाराष्ट्र	9.35	—	1	—	1	1
राजस्थान	5.70	—	2	5	—	—
तमिलनाडु	0.60	—	3	—	—	—
त्रिपुरा	13.73	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	9.20	1	4	3	—	—
पश्चिम बंगाल	1.95	—	1	1	—	—
योग :	75.46	5	15	22	1	1

विवरण-II

1989-90 के दौरान शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारिताओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत दी गई राज्यवार वित्तीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	धनराशि (रु०)	प्रयोजन							
		बहुविभागी भण्डार	बड़े आकार के खुदरा बिक्री केन्द्र	छोटी शाखाएं	मोबाइल वैन	व्यापारिक परिसरों का निर्माण	विस्तार और नवीकरण	पुन:स्थापना	उपभोक्ता उद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	12,55,000	—	1	2	—	1	—	—	—
असम	3,35,000	—	1	—	—	—	1	—	—
गुजरात	17,50,000	2	—	—	—	1	—	—	—
गोआ	6,00,000	—	—	—	—	—	3	—	—
जम्मू व कश्मीर	10,00,000	—	—	—	—	1	—	—	—
कर्नाटक	28,27,000	—	9	6	—	—	—	1	—
केरल	2,55,000	—	1	2	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	62,31,000	3	8	1	1	1	1	—	1
मणिपुर	60,000	—	—	1	—	—	—	—	—
राजस्थान	13,45,000	1	1	1	—	1	—	1	—
तमिलनाडु	10,30,000	—	1	5	1	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	19,35,000	—	1	5	—	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल	6,00,000	—	4	1	—	—	—	—	—
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	5,00,000	—	—	—	—	—	—	—	1
योग :	1,97,23,000	6	27	24	2	5	5	2	2

वर्ष 1990-91 के दौरान शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारिताओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत दी गई राज्यवार वित्तीय सहायता का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (रु०)	प्रयोजन							
		बहुविभागी भंडार	बड़े आकार के खुदरा बिक्री केन्द्र	छोटी शाखाएं	मोबाइल वैन	पुनःस्थापना	उपभोक्ता उद्योग	गोदाम और व्यापारिक परिसरों का निर्माण	बहुविभागी भंडार का विस्तार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	15,72,000	1	5	3	—	—	—	1	—
असम	7,05,000	—	2	2	—	—	—	—	—
बिहार	60,000	—	—	1	—	—	—	—	—
गुजरात	10,85,000	1	1	—	—	—	—	1	—
जम्मू व कश्मीर	10,00,000	1	—	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	11,70,000	—	2	15	—	—	—	—	—
केरल	4,50,000	—	2	3	—	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	2,55,000	—	1	2	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	11,45,000	—	1	1	—	—	—	—	1
मणिपुर	1,35,000	—	1	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	30,00,000	—	—	—	—	1	—	—	—
उड़ीसा	4,65,000	—	3	1	—	—	—	—	—
राजस्थान	9,30,000	1	—	8	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	17,05,000	1	7	1	1	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	17,15,000	—	3	1	1	1	—	—	—
पश्चिम बंगाल	15,25,000	1	1	5	—	—	—	1	1
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	9,10,000	—	—	—	—	—	1	—	—
दमण व दीव	3,90,000	1	—	—	—	—	—	—	—
योग :	1,82,17,000	7	29	43	2	2	1	3	2

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अतिरिक्त न्यायपीठों की स्थापना

[अनुवाद]

2532. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**
प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :
श्री चेतन पी० एस० चौहान :
श्री अन्ना जोशी :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की चार अतिरिक्त न्यायपीठें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन न्यायपीठों को किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा; और

(ग) ये कब से कार्य करना शुरू कर देंगे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की चण्डीगढ़, जबलपुर तथा कलकत्ता में तीन अतिरिक्त न्यायपीठें तथा नागपुर में एक नई न्यायपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होते ही न्यायपीठों की स्थापना कर दी जाएगी ।

राज्यों को औद्योगिक लाइसेंस

2533. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**
प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :
श्री महेश घनोजिया :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 और 199' के दौरान विभिन्न राज्यों में उद्योग स्थापित करने हेतु कितने आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए; और

(ख) इन उद्योगों को राज्य-वार कहां-कहां स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) उपक्रम का नाम और पता, विनिर्माण की मद (मदें), क्षमता तथा जारी किए गए सभी आशयपत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या एवं जारी करने की तारीख जैसे ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने 'मन्थली न्यूज लैटर' में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं । इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती है ।

विवरण

वर्ष 1990 और 1991 के दौरान जारी किए गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के राज्य-वार ब्यौरे का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1990		1991	
		आ० पत्र	औद्यो० ला०	आ० पत्र	औद्यो० ला०
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	—	—	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	55	23	58	12
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	1
4.	असम	4	2	4	—
5.	बिहार	11	8	7	5
6.	चण्डीगढ़	1	1	2	—
7.	दादरा और नागर हवेली	2	1	—	—
8.	दमन और दीव	—	—	—	1
9.	दिल्ली	5	6	3	4
10.	गोवा	7	2	6	2
11.	गुजरात	69	38	101	34
12.	हरियाणा	44	13	32	18
13.	हिमाचल प्रदेश	13	6	14	2
14.	जम्मू और कश्मीर	8	1	1	1
15.	कर्नाटक	59	30	54	16
16.	केरल	7	4	13	4
17.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
18.	मध्य प्रदेश	47	16	46	10
19.	महाराष्ट्र	160	79	173	54

1 2	3	4	5	6
20. मणीपुर	—	1	—	—
21. मेघालय	—	—	—	—
22. मिजोरम	—	—	—	—
23. नागालैंड	2	—	—	1
24. उड़ीसा	12	5	12	6
25. पांडिचेरी	3	2	3	2
26. पंजाब	36	14	32	14
27. राजस्थान	23	6	26	6
28. सिक्किम	—	—	—	—
29. तमिलनाडु	97	53	68	28
30. त्रिपुरा	—	—	—	—
31. उत्तर प्रदेश	124	55	109	23
32. पश्चिम बंगाल	32	18	28	3
33. न दर्शाया गया राज्य/ एक से अधिक राज्य	4	3	4	4
योग :	825	387	795	251

राजमहल पर्वतमाला में कोयला खाने

2534. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी बिहार में राजमहल पर्वतमाला में बड़ी संख्या में कोयला खानों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन कोयला खानों से कोयले का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन हुआ, कितने कोयले की बिक्री की गई और सरकार को इससे प्रतिवर्ष कितना लाभ हुआ;

(घ) क्या कोयले की बड़े पैमाने पर तस्करी और उसके अवैध निष्कासन के कारण भारी नुकसान हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इन क्षेत्रों की कोयला खानों का कब तक राष्ट्रीयकरण करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) पूर्वी बिहार की राजमहल पहाड़ियों में राजमहल ओपेनकास्ट खानें 10.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष की उत्पादन दर पर कार्यान्वयनाधीन है और पुरानी लालमटिया भूमिगत खान को राजमहल ओपेनकास्ट परियोजना के साथ समाहित कर दिया गया है। इसके अलावा, हुर्रा "सी" खान को निकट भविष्य में विकसित किए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) कोयला कम्पनी ने राजमहल खानों से प्राप्त कोयला के उत्पादन, बिक्री वसूली और हुई लाभ/हानि के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत किया है :—

	1988-89	1989-90	1990-91
कोयला उत्पादन (लाख टन में)	26.87	11.87	25.81
बिक्री वसूली (करोड़ रु० में)	23.95	36.64	34.19
लाभ/हानि (+)(—) (करोड़ रु० में)	(—)9.49	(—)26.30	(—)31.80

(घ) से (च) सरकार को कोयले की तस्करी होने और उनके अवैध खनन क्रियाकलापों के सम्बन्ध में किसी भारी क्षति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कोयले के अवैध खनन और चोरी होने सम्बन्धी विशिष्ट घटनाएं जब कभी भी कम्पनियों की जानकारी में आती हैं तो उन्हें स्थानीय कानून और व्यवस्था के प्राधिकारियों की मदद से कोयला कम्पनियों द्वारा निपटा लिया जाता है। सभी कार्यान्वयनाधीन खानों तथा परियोजनाओं का परिचालन ईस्टर्न कोलफील्डस लि० (कोल इण्डिया लि० की सहायक कम्पनी) द्वारा किया जा रहा है, अतः राष्ट्रीयकरण किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसेल्स लिमिटेड

[अनुवाद]

2535. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

आठवीं पंचवर्षीय योजना में विशाखापत्तनम स्थित भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसेल्स, लिमिटेड के विकास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम ने, आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में, कम्पनी के विकास के लिए 42.50 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। इस परिव्यय का उपयोग पावर-संयंत्रों गैस/कोयला आधारित स्पंज लोहा संयंत्रों तथा अन्य प्रक्रिया संयंत्रों आदि के लिए उपकरण के निर्माण हेतु किया जाएगा।

आवास परियोजनाओं के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को सहायता

2536. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में आज तक आवास परियोजनाओं के अन्तर्गत, आन्ध्र प्रदेश सरकार को कितनी वित्तीय सहायता आबंटित की गई है;

(ख) क्या इस राशि का पूरी तरह उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी वित्तीय सहायता आबंटित की जाएगी ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्व-नियोजन हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को धनराशि

2537. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान स्व-नियोजन हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत लाभ भोगियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अन्तर्गत आवंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) 1989-90 और 1990-91 के दौरान ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत आवर्ती खर्चों के लिए कोई अलग आवंटन नहीं किए गए थे। इस मद्दे खर्च को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु समग्र आवंटनों में से पूरा किया जा रहा था। 1991-92 के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को 132.10 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। ट्राइसेम ढांचा शीर्ष के अन्तर्गत 1989-90

1990-91 और 1991-92 के दौरान आवंटन क्रमश: 92.68 लाख रुपए, 110.84 लाख रुपए और 117.20 लाख रुपए था।

(ख) प्रशिक्षित किए गए युवाओं की संख्या निम्नलिखित है :—

1989-90	1990-91	1991-92
11,361	25,020	11,609 (जनवरी, 1992 तक)

(ग) आठवीं योजना के लिए आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

ग्रामीण विकास के लिए धनराशि का आवंटन

2538. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षवार, राज्यवार और कार्यक्रमवार कितनी-कितनी धनराशि निर्धारित की गई;

(ख) इस समय राज्यवार और कार्यक्रमवार कितनी धनराशि पड़ी है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में सम्बद्ध संसद सदस्यों सहित एक पर्यवेक्षक निकाय गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के लिए राज्यवार आवंटन विवरण-I से विवरण-VII में दर्शाए गए हैं।

(ख) किसी भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वित्तीय वर्ष के अन्त में खर्च न की गई कुछ राशि के बकाया रहने की सम्भावना रहती है। राज्य सरकारें ऐसी बकाया राशि को अगले वित्तीय वर्ष में शुरू में इस्तेमाल करती है।

(ग) और (घ) संसद सदस्य तथा विधायक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की शासी निकाय के सदस्य हैं जोकि वार्षिक योजनाएं तैयार करती हैं तथा इसके कार्यान्वयन की निगरानी रखती हैं।

विवरण-I

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4922.08	5502.91	5502.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	427.20	469.44	469.44
3.	असम	1493.76	1502.92	1502.92
4.	बिहार	9609.33	11025.89	11025.89
5.	गोआ	89.00	97.80	97.80
6.	गुजरात	2306.64	2266.10	2266.10
7.	हरियाणा	691.08	542.26	542.26
8.	हिमाचल प्रदेश	361.06	194.14	194.14
9.	जम्मू व कश्मीर	572.09	271.13	271.13
10.	कर्नाटक	2973.30	3444.34	3444.34
11.	केरल	1805.79	1871.12	1871.12
12.	मध्य प्रदेश	6599.79	7297.04	7297.04
13.	महाराष्ट्र	5076.53	5894.54	5894.54
14.	मणिपुर	118.61	43.51	43.51
15.	मेघालय	192.30	130.54	130.55
16.	मिजोरम	178.00	195.60	195.60
17.	नागालैंड	186.90	205.38	205.38
18.	उड़ीसा	3557.74	3605.01	3605.01
19.	पंजाब	718.50	458.57	458.57
20.	राजस्थान	3229.64	3514.63	3514.63
21.	सिक्किम	35.60	39.12	39.12

1 2	3	4	5
22. तमिलनाडु	4697.52	4940.56	4940.56
23. त्रिपुरा	164.18	153.97	153.97
24. उत्तर प्रदेश	13186.37	14727.97	14727.97
25. पश्चिम बंगाल	5389.59	6155.62	6155.62
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	44.50	48.90	48.90
27. चंडीगढ़	8.90	9.78	9.78
28. दादरा व नगर हवेली	8.90	9.78	9.78
29. दमन और दीव	17.80	19.56	19.56
30. दिल्ली	44.50	48.90	48.90
31. लक्षद्वीप	44.50	48.90	5.00
32. पांडिचेरी	35.60	39.12	39.12
अखिल भारत :	68795.30	74775.05	74731.16

विवरण-II

ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम)

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	94.00	117.28	117.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.24	9.88	9.88
3.	असम	28.14	32.02	32.02
4.	बिहार	183.28	234.98	234.98
5.	गोआ	3.40	4.08	4.08
6.	गुजरात	44.60	48.30	48.30

1 2	3	4	5
7. हरियाणा	12.60	11.56	11.56
8. हिमाचल प्रदेश	6.14	4.14	4.14
9. जम्मू व कश्मीर	11.00	5.78	5.78
10. कर्नाटक	57.24	73.40	73.40
11. केरल	33.96	39.88	39.88
12. मध्य प्रदेश	126.82	155.52	155.52
13. महाराष्ट्र	97.66	125.62	125.62
14. मणिपुर	2.58	0.92	0.92
15. मेघालय	3.88	2.78	2.78
16. मिजोरम	3.44	4.12	4.12
17. नागालैंड	3.60	4.32	4.32
18. उड़ीसा	68.90	76.82	76.82
19. पंजाब	13.26	9.98	9.78
20. राजस्थान	61.76	74.90	74.90
21. सिक्किम	0.70	0.84	0.84
22. तमिलनाडु	89.58	105.30	105.30
23. त्रिपुरा	2.90	3.28	3.28
24. उत्तर प्रदेश	252 26	313.88	313.88
25. पश्चिम बंगाल	102.18	131.18	131.18
26. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.85	1.02	1.02
27. चंडीगढ़	0.18	0.21	0.21
28. दादरा और नगर हवेली	0.18	0.21	0.21
29. दमन और दीव	0.35	0.42	0.21
30. दिल्ली	0.85	1.02	1.02
31. लक्षद्वीप	0.85	1.02	1.02
32. पांडिचेरी	0.68	0.82	0.82
अखिल भारत :	1316.06	1595.48	1595.28

विवरण-III

जवाहर रोजगार योजना

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1988-89		1989-90	1990-91
		राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	ग्रामीण* भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम		
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	8930.82	6834.30	19319.51	19166.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	99.40	52.64	307.15	330.68
3.	असम	1931.48	1431.04	5276.90	5114.59
4.	बिहार	13617.76	10054.43	38711.91	38466.78
5.	गोवा	100.36	82.43	378.75	357.28
6.	गुजरात	3076.90	2357.62	7954.79	8090.71
7.	हरियाणा	913.50	671.14	2068.19	1926.83
8.	हिमाचल प्रदेश	572.65	352.18	1153.50	1135.28
9.	जम्मू और कश्मीर	692.07	430.83	1682.74	2000.00
10.	कर्नाटक	4178.23	3297.80	12093.58	12059.70
11.	केरल	3586.04	2686.74	6569.99	6396.19
12.	मध्य प्रदेश	7555.18	5935.82	25618.79	26402.50
13.	महाराष्ट्र	7273.74	5714.19	20993.90	20424.84
14.	मणिपुर	116.06	74.07	441.73	423.83
15.	मेघालय	132.27	99.76	458.13	495.91
16.	मिजोरम	79.32	44.14	187.41	208.90
17.	नागालैंड	91.40	87.56	504.99	610.00

1 2	3	4	5	6
18. उड़ीसा	4004.76	3155.69	12655.81	13094.93
19. पंजाब	973.98	707.30	1608.66	1675.65
20. राजस्थान	3713.63	2811.27	12594.24	12805.28
21. सिक्किम	80.88	45.57	197.83	193.54
22. तमिलनाडु	7249.95	5630.88	17659.64	17223.66
23. त्रिपुरा	281.56	192.32	541.43	550.49
24. उत्तर प्रदेश	16755.55	12493.55	51706.13	51093.28
25. पश्चिम बंगाल	7246.64	5412.94	21610.16	21786.94
26. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	66.73	41.81	164.80	156.56
27. चण्डीगढ़	21.68	—	40.77	38.81
28. दादर और नगर हवेली	35.15	21.42	83.80	84.99
29. दमन व दीव	22.33	11.30	52.40	50.07
30. दिल्ली	43.81	46.50	187.42	184.18
31. लक्षद्वीप	35.44	20.39	81.75	78.49
32. पांडिचेरी	61.14	45.96	157.80	153.25
अखिल भारत :	93546.42	70843.59	263066.60	262780.27

*ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई राज्य अंश नहीं था।

विवरण-IV

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2504.00	2301.00	2301.00

1 2	3	4	5
2. अरुणाचल प्रदेश	454.00	417.00	417.00
3. असम	1370.00	1370.00	1370.00
4. बिहार	2950.00	2710.00	2710.00
5. गोवा	51.00	50.00	50.00
6. गुजरात	1612.00	1464.00	1464.00
7. हरियाणा	1000.00	867.00	867.00
8. हिमाचल प्रदेश	642.00	640.00	640.00
9. जम्मू व कश्मीर	1916.00	1913.00	1913.00
10. कर्नाटक	2304.00	2116.00	2116.00
11. केरल	1171.00	1076.00	1076.00
12. मध्य प्रदेश	2773.00	2547.00	2547.00
13. महाराष्ट्र	3334.00	3063.00	3063.00
14. मणिपुर	308.00	308.00	308.00
15. मेघालय	420.00	420.00	420.00
16. मिजोरम	133.00	117.00	117.00
17. नागालैंड	422.00	422.00	422.00
18. उड़ीसा	1312.00	1206.00	1206.00
19. पंजाब	418.00	384.00	384.00
20. राजस्थान	4172.00	3666.00	3666.00
21. सिक्किम	372.00	372.00	372.00
22. तमिलनाडु	1986.00	1824.00	1824.00
23. त्रिपुरा	350.00	350.00	350.00
24. उत्तर प्रदेश	4646.00	4268.00	4268.00
25. पश्चिम बंगाल	1793.00	1648.00	1648.00
26. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	40.00	40.00	40.00
27. चण्डीगढ़	—	—	—

1 2	3	4	5
28. दादर और नगर हवेली	12.00	12.00	12.00
29. दमन व दीव	28.00	20.00	20.00
30. दिल्ली	13.00	13.00	13.00
31. लक्षद्वीप	10.00	10.00	10.00
32. पांडिचेरी	26.00	26.00	26.00
अखिल भारत :	38542.00	35640.00	35640.00

विवरण-V

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	116.280	102.600	102.600
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.510	3.090	3.090
3.	असम	42.160	37.200	37.200
4.	बिहार	205.530	181.350	181.350
5.	गोवा	1.700	1.470	1.470
6.	गुजरात	56.440	49.800	49.800
7.	हरियाणा	19.210	16.950	16.950
8.	हिमाचल प्रदेश	18.530	16.350	16.350
9.	जम्मू व कश्मीर	22.780	20.100	20.100
10.	कर्नाटक	92.820	81.900	81.900
11.	केरल	83.810	73.950	73.950
12.	मध्य प्रदेश	137.360	121.200	121.200
13.	महाराष्ट्र	149.430	131.850	131.850

1 2	3	4	5
14. मणिपुर	4.760	4.200	4.200
15. मेघालय	6.120	5.400	5.400
16. मिजोरम	2.210	1.950	1.950
17. नागालैंड	4.420	3.900	3.900
18. उड़ीसा	71.400	63.000	63.000
19. पंजाब	20.910	18.450	18.450
20. राजस्थान	75.480	66.600	66.600
21. सिक्किम	1.870	1.650	1.650
22. तमिलनाडु	125.970	111.150	111.150
23. त्रिपुरा	9.350	8.250	8.250
24. उत्तर प्रदेश	300.390	265.050	265.050
25. पश्चिम बंगाल	123.930	109.350	109.350
26. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.340	0.300	0.030
27. चण्डीगढ़	0.030	0.030	0.750
28. दादर व नगर हवेली	0.340	0.750	0.300
29. दमन व दीव	0.680	0.030	0.030
30. दिल्ली	1.360	0.630	0.630
31. लक्षद्वीप	0.030	0.300	0.300
32. पांडिचेरी	0.850	1.200	1.200
अखिल भारत :	1700.000	1500.000	1500.000

विवरण-VI

सुझावग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्रम सं॰ राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
1 2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	1203.00	1203.00	1203.00

1 2	3	4	5
2. बिहार	828.00	828.00	828.00
3. गुजरात	746.00	746.00	746.00
4. हरियाणा	135.00	135.00	135.00
5. जम्मू व कश्मीर	214.50	214.50	214.50
6. कर्नाटक	1249.00	1249.00	1249.00
7. मध्य प्रदेश	809.00	809.00	809.00
8. महाराष्ट्र	1343.00	1343 00	1343.00
9. उड़ीसा	621.00	621.00	621.00
10. राजस्थान	514.00	514.00	514.00
11. तमिलनाडु	657.00	657.00	657.00
12. उत्तर प्रदेश	1386.00	1386 00	1386.00
13. पश्चिम बंगाल	517.50	517.50	517.50
योग :	10223.00	10223.00	10223.00

विवरण-VII

मरुभूमि विकास कार्यक्रम

(लाख रुपए में)

क्रम सं॰	राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	गुजरात	225.00	225.00	225.00
2.	हरियाणा	425.00	425.00	425.00
3.	राजस्थान	3800.00	3800.00	3800.00
4.	हिमाचल प्रदेश	200.00	200.00	200.00
5.	जम्मू व कश्मीर	300.00	300.00	300.00
	योग :	4950.00	4950.00	4950.00

गन्दी बस्तियों का विकास

2539. **श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियों के विकास हेतु केन्द्रीय योजना कार्यान्वियत की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कब से और गन्दी बस्तियों के विकास हेतु किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आठवीं योजना के दौरान कुछ प्रमुख नगरों में गन्दी बस्तियों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार कुछ कदम उठाना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और इसके लिए निर्धारित राशि क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) समुदाय समूहों के गठन के माध्यम से मलिनबस्तियों में सामाजिक सेवाओं और भौतिक सुख-सुविधाओं के समाभिरूपी प्रावधान के लिए प्रायोगिक आधार पर केन्द्र द्वारा प्रवर्तित "शहरी मूलभूत सेवा" नामक योजना 1986 में आरम्भ की गई थी । प्राप्त अनुभवों के आधार पर "निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा" नामक एक संशोधित योजना 1990-91 में आरम्भ की गई थी जिसमें राज्य क्षेत्र की "शहरी मलिन-बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार" की योजना के अन्तर्गत भौतिक सुख-सुविधाओं के प्रावधान के सहयोजन से सामाजिक सेवाओं जैसे मां और बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल स्कूल-पूर्व शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा तथा उपेक्षित वर्गों को सहायता के प्रावधान पर बल दिया गया है ।

(ग) और (घ) आठवीं योजना के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा किए जाने वाले निर्यात में गिरावट

2540. **श्री मोहन सिंह :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड निर्यात में गिरावट आने के कारण अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए अपने उत्पादों का विविधीकरण कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निर्यात में वर्ष 1989-90 की तुलना में कितने प्रतिशत गिरावट आई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) और (ख) बी० एच० ई० एल० के निर्यात में कोई कमी नहीं हुई है; अपितु, निर्यात में वृद्धि हो रही है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपयों में)

	1988-89	1989-90	1990-91
बी० एच० ई० एल० के निर्यात (वास्तविक तथा माने गए)	276	381	490

"एन० डी० एम० सी० लैंड स्कैम-एडमिनिस्ट्रेटर ऑन एलोटमेंट स्प्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2541. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
डा० ए० के० पटेल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 1992 के दैनिक समाचारपत्र "इंडियन एक्सप्रैस" में "एन० डी० एम० सी० लैंड स्कैम-एडमिनिस्ट्रेटर ऑन-एलोटमेंट स्प्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या नई दिल्ली नगरपालिका समिति के मसलों की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार ने इस बारे में एक रिपोर्ट मांगी है।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्तियां

2542. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
डा० ए० के० पटेल :
श्री मदन लाल खुराना :

क्या प्रधानमन्त्री 17 जनवरी, 1992 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "फारेन जौब्स ऑल्सो थ्रू एक्सचेंजेज" और "ब्लेयर होप टन्र्स इन टू फस्ट्रेशन" शीर्षक में प्रकाशित समाचारों के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब विदेशों में रिक्त पड़े पदों को भी केवल रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ही भरा जायेगा और प्राइवेट कम्पनियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई सरकारी/अर्द्ध-सरकारी/स्वायत्त/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम रिक्त पड़े पदों की अधिसूचना रोजगार कार्यालयों को नहीं देते हैं परन्तु ऐसे पदों को सीधे स्वयं ही भर देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि केवल रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ही भर्तियां की जाए और बेरोजगार युवकों की लम्बी सूचियों को कम किया जा सके ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार) : (क) श्रम मन्त्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार के कार्यालयों/प्रतिष्ठानों (अर्ध सरकारी संस्थानों और सांविधिक संगठनों सहित) के अन्तर्गत होने वाली सभी रिक्तियों को चाहे उनकी प्रकृति और अवधि कुछ भी हो (ऐसी रिक्तियों को छोड़कर जो संघ लोक सेवा आयोग, बैंकिंग भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा भरी जाती है) केवल रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ही भरा जाना है । रिक्तियों को अन्य स्वीकार्य स्त्रोतों के माध्यम से तभी भरा जा सकता है जब सम्बन्धित रोजगार कार्यालय अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करता है । इसी तरह सरकारी उद्यमों में 1250 रु० प्रतिमाह से कम वेतनमान वाले पदों पर भर्ती केवल रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जानी अपेक्षित होती है ।

विश्व बैंक की सहायता से पेयजल परियोजनाएं

2643. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री अन्ना जोशी :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री कुंजी लाल :
श्री मृत्युंजय नायक :
श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में विश्व बैंक या जीवन बीमा निगम की सहायता से राज्य-वार किन-किन स्थानों पर पेयजल परियोजनाएं लागू की जा रही हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सरकार का विचार विश्व बैंक या जीवन बीमा निगम की सहायता से किन-किन स्थानों पर नई पेयजल परियोजनाएं शुरू करने का है;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर सम्भावित खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा होने की क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) चूंकि जल आपूर्ति राज्य का विषय है, अतः भारतीय जीवन बीमा निगम से वित्तपोषित सहित पेयजल परियोजनाओं की स्थिति का प्रबोधन केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है । तथापि, विश्व बैंक जल-आपूर्ति की चालू परियोजनाओं, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्वअनुमोदन अपेक्षित है,की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) से (घ) इस क्षेत्र में विश्व बैंक सहायता के लिए कोई नई परियोजना प्रस्तुत नहीं की गई है।

विवरण

विश्व बैंक सहायता प्राप्त जल आपूर्ति तथा स्वास्थ्य की चालू परियोजना

1. गुजरात जल आपूर्ति तथा मलजल-निर्यास परियोजना	—	आणंद, गोधरा, नाडियाड, भावनगर, तथा जामनगर, 9 क्षेत्रीय तथा समस्याग्रस्त गांवो में ग्रामीण जल आपूर्ति।
2. तमिलनाडु जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना	—	कोयम्बटूर, 20 नगर, 521 ग्रामीण बस्तियां; मदुरै; सालेम, 11 नगर, 264 ग्रामीण बस्तियां; 44 छोटे/मध्यम दर्जे के नगर; मनपरै नगर-पालिका तथा 59 मार्ग के आस-पास के गांव; पट्टुकोटाई नगरपालिका, 3 नगर पंचायत तथा 15 मार्ग के आस-पास के गांव; पोल्लाची नगरपालिका तथा 11 रास्ते के आस-पास के गांव; तिरुवन्नामलै नगरपालिका; शंकरकोईल नगरपालिका, अलांगुलम नगर पंचायत तथा 88 मार्ग के आस-पास के गांव कांचीपुरम नगरपालिका।
3. केरल जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना	—	पुथेनकुज तथा निकटवर्ती चार पंचायतें; बृहत्तर कोचीन विकास क्षेत्र (12 पंचायतें; कोट्टायम की चार उप-नगर पंचायतें किलोन नगरपालिका तथा निकटवर्ती 6 पंचायतें, अडूर तथा पथनापुरम पंचायत, चिथारा तथा निकटवर्ती पंचायतें, विलाप्पिल्ल पंचायत)।
4. तृतीय बम्बई जल आपूर्ति तथा मलजल-निर्यास परियोजना	—	बम्बई
5. मद्रास जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना	—	मद्रास
6. हैदराबाद जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना	—	हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद
7. महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना	—	थाणे, पुणे, सतारा, सांगली, अहमदनगर औरंगाबाद बीड, लटूर, बुलढाणा तथा चन्द्रपुर जिले।

शहरी कला आयोग

[हिन्दी]

2344. **श्री मुमताज अन्सारी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरी कला आयोग के कुछ सदस्य नामजद/नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये नियुक्तियां कब तक होने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा 3 सदस्यों की नियुक्ति की जानी है।

(ग) इन नियुक्तियों को किए जाने के लिए कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता।

विकलांगों को नौकरी देना

2545. **श्री मुमताज अन्सारी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का "क" और "ख" वर्ग की सेवाओं में नेत्रहीनों और विकलांगों को भर्ती करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) समूह "क" और "ख" पदों में, नेत्रहीन व्यक्तियों सहित शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में बेलदारों के रिक्त पद

[अनुवाद]

2546. **श्री कड़िया मुंडा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विद्युत समन्वय मंडल, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित श्रेणी में बेलदारों के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या रोजगार नियोजन कार्यालय द्वारा भेजे गए व्यक्ति अपने चयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त चयन सम्बन्धी औपचारिकताएं कब तक पूरी होने की सभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अनुसूचित अनजाति के मस्टर रोल बेलदारो की अनुपलब्धता के कारण अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों का पिछला बकाया है ।

(ख) और (ग) रोजगार केन्द्र ने दिनांक 24-2-1992 को अभ्यर्थियों के नाम भेजे थे । अभ्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए 26-3-92 को बुलाया गया है तथा चयन की औपचारिकताएं यथा-संभव पूरी कर ली जाएंगी ।

बिहार में मोम उद्योग

2547. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में जहानाबाद जिले में मोम उद्योग को कच्चे माल की कमी के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो मोम उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) सरकार को बिहार के जहानाबाद जिले में लघु एककों से स्लैक मोम/पैराफिन मोम की अपर्याप्त उपलब्धता के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत धनराशि का नियतन

2548. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्री ललित उराँव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) 30 अप्रैल, 1992 तक कितनी धनराशि दिए जाने का विचार है; और

(ग) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यवार वास्तव मे कितनी धनराशि खर्च की गई और वास्तव में रोजगार के कितने अवसर पैदा किए गए ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) वर्ष

1992-93 के लिए जवाहर रोजगार योजना हेतु 2046.00 करोड़ रुपए का बजट अनुमान है। वर्ष 1992-93 के लिए राज्यवार आवंटन तथा 30 अप्रैल, 1992 तक रिलीज की जाने वाली राशि को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जनवरी, 1992 तक देश में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 1590.90 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं तथा रोजगार के 501.97 मिलियन श्रम दिवसों का सृजन किया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना के तहत खर्च की गई धनराशि तथा सृजित रोजगार

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	खर्च की गई धनराशि (लाख रुपए में)	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिन)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	11355.76	431.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	120.67	3.54
3.	असम	2576.12	56.53
4.	बिहार	18554.33	467.48
5.	गोवा	248.57	6.85
6.	गुजरात	6494.51	153.98
7.	हरियाणा	1097.14	18.26
8.	हिमाचल प्रदेश	689.59	21.25
9.	जम्मू व कश्मीर	788.92	26.76
10.	कर्नाटक	6100.11	219.92
11.	केरल	4368.38	107.36
12.	मध्य प्रदेश	20171.26	674.60
13.	महाराष्ट्र	11723.90	451.69
14.	मणिपुर	139.12	2.68
15.	मेघालय	341.62	8.71

1 2	3	4
16. मिजोरम	186.32	4.28
17. नागालैंड	366.01	14.91
18. उड़ीसा	7992.45	196.60
19. पंजाब	751.36	13.00
20. राजस्थान	9403.60	274.32
21. सिक्किम	198.97	7.32
22. तमिलनाडु	14749.50	579.44
23. त्रिपुरा	312.32	8.43
24. उत्तर प्रदेश	27929.53	959.51
25. पश्चिम बंगाल	12104.18	299.91
26. अंडमान व निकोबार	46.77	1.47
27. दादरा व नगर हवेली	69.45	2.07
28. दमन व द्वीव	23.25	1.75
29. लक्षद्वीप	39.18	1.74
30. पांडिचेरी	147.42	4.23
योग :	159090.31	5019.75

दिल्ली नगर निगम द्वारा भवनों को सील किया जाना

2549. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने गत 6 महीनों के दौरान दिल्ली के विभिन्न भागों में भवनों को सील किया है/गिराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भवनों के स्वामियों ने भवनों को सील किए जाने/गिराए जाने के बाद उस पर निर्माण कार्य चालू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सीलमपुर रेल फाटक पर फ्लाई ओवर का निर्माण

[हिन्दी]

2450. **श्री राम सागर** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर रेल फाटक पर फ्लाई ओवर के निर्माण के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। दिल्ली प्रशासन से उत्तर की प्रतीक्षा है।

कोयले का उत्पादन

2551. **श्री राजबीर सिंह** :
डा० लाल बहादुर रावल :
श्री साईमन मराण्डी :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1991 में देश में विभिन्न प्रकार के कोयले का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) कोयला उत्पादक कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) उनका महीनेवार उत्पादन कितना है;

(घ) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में कोकिंग कोयले की कुल मांग कितनी है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) इस सम्बन्ध में सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में सूचना विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) अन्य बातों के अलावा कोयले के उत्पादन में संवर्धन करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं—नई खानों को खोलना, मौजूदा खानों का आधुनिकीकरण करना, अधिकतम परिणामों को प्राप्त करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को लगाना और आदानों और संरचनात्मक ढांचा सम्बन्धी सुविधाओं की समय पर उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना।

(च) सम्भवत: माननीय सदस्य देश में कोककर कोयले की कुल आवश्यकता के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं । वर्ष 1991-92 के लिए समेकित इस्पात संयन्त्रों की कोककर कोयले की कुल आवश्यकता 32 मिलियन टन है ।

विवरण-I

जनवरी, 91 से जनवरी, 92 की अवधि के लिए कोयले का ग्रेडवार उत्पादन

(मिलियन टन)

अ-कोककर	
ए	3.24
बी	24.25
सी	50.31
डी	27.31
ई	35.55
एफ	57.10
ग्रेड रहित	1.12
जोड़ :	198.88
कोककर :	
धातुकर्मी और असंयोजित बाशरी ग्रेड	52.22
सकल जोड़ :	251.10

विवरण-II

कम्पनीवार/मासवार कोयले का उत्पादन

(मिलियन टन)

कम्पनी	जनवरी 91	फरवरी 91	मार्च 91	अप्रैल 91	मई 91	जून 91	जुलाई 91
1	2	3	4	5	6	7	8
ई० को० लि०	2.54	2.80	3.61	1.72	1.60	1.60	1.68
भा० को० को० लि०	3.03	3.29	4.30	1.74	1.86	1.91	1.93
से० को० लि०	3.26	3.66	4.06	1.93	2.12	2.18	1.73
ना० को० लि०	2.98	2.78	3.54	1.97	1.96	1.85	1.98
वे० को० लि०	2.44	2.36	3.53	1.86	1.76	1.71	1.64
सा० ई० को० लि०	5.70	5.55	7.03	4.63	4.71	4.59	4.64
ना० ई० को०	0.10	0.11	0.15	0.07	0.07	0.05	0.04
को० ई० लि०	20.05	20.55	26.22	13.92	14.08	13.89	13.64
सिं० को० कं० लि०	1.73	1.67	1.80	1.58	1.49	1.33	1.41
अन्य (टिस्को इस्को/ डा० चा० लि० की ग्रहीत कोलियरी)	0.38	0.36	0.38	0.38	0.37	0.36	0.39
अखिल भारतीय :	22.16	22.58	28.40	15.38	15.94	15.58	15.44

अगस्त 91	सितम्बर 91	अक्टूबर 91	नवम्बर 91	दिसम्बर 91	जनवरी 92	फरवरी 92	जोड़
9	10	11	12	13	14	15	16
1.60	1.48	1.72	1.85	2.14	2.68	2.97	30.00
1.88	1.61	1.94	2.07	2.62	2.90	2.93	34.01
1.86	1.94	2.22	2.64	3.18	3.55	3.87	38.20
2.04	2.07	2.88	2.91	3.14	3.23	3.30	36.63
1.50	1.76	1.91	2.06	2.49	2.61	2.60	30.23
4.32	4.55	5.22	5.97	6.53	6.60	6.72	76.76
0.05	0.07	0.07	0.11	0.10	0.12	0.09	1.20
13.25	13.48	15.96	17.62	20.20	21.69	22.48	247.03
1.60	1.49	1.59	1.82	2.01	2.09	1.91	23.52
0.37	0.36	0.38	0.39	0.40	0.42	0.39	5.33
15.22	15.33	17.93	19.83	22.61	24.20	24.78	275.88

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाना

[अनुवाद]

2552. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण युवकों को अपनी जीविका कमाने के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु व्यापक योजना प्रारम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1992-93 के दौरान उसके लिए कितना धन निर्धारित किया गया है; और

(घ) उस योजना के अन्तर्गत कुल कितने युवकों को प्रशिक्षण दिए जाने की अनुमान है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एल० पटेल) : (क) एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना (ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना) (ट्राइसेम) 15 अगस्त, 1979 को आरम्भ की गई थी।

(ख) योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के ग्रामीण युवाओं को तकनीकी उद्यमशीलता के रूप में हुनर प्रदान करना है ताकि वे मजदूरी रोजगार सहित स्वरोजगार शुरू कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत खर्च को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है।

(ग) 1992-93 के दौरान बजट आवंटन (केन्द्रीय अंश) निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) ट्राइसेम पर आवर्ती खर्च	20.00 करोड़ रुपए
(2) ट्राइसेम ढांचे को सुदृढ़ बनाना	8.00 करोड़ रुपए

(घ) ट्राइसेम के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण की कवरेज हेतु निदर्शी लक्ष्य प्रतिवर्ष 4.25 लाख युवा निर्धारित किया गया है।

पालम एक्सटेंशन की हरिजन बस्ती का गिराना

2553. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में पालम एक्सटेंशन में हरिजन बस्ती के मकानों को गिराया है;

(ख) क्या अधिकांश मकानों का निर्माण उन भूखण्डों पर किया गया था जिन्हें अनुसूचित जातियों की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसने हरिजन बस्ती, पालम में कोई मकान नहीं गिराये हैं। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 5-2-1992 को खसरा नम्बर 34 का 1, 9, 10, 11, 12 मिन की अपनी भूमि से अतिक्रमणों को हटाया है। यह भूमि तारीख 19-9-1986 के अवार्ड संख्या 157/86-87 के माध्यम से अधिग्रहीत की गई थी तथा भूमि अधिग्रहण समाहर्ता/भूमि और भवन विभाग, दिल्ली प्रशासन से इसका वास्तविक कब्जा 13-10-86 को लिया गया था।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास

[हिन्दी]

2554. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस उद्देश्य हेतु कोई आयोग गठित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता का हस्तांतरण उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों को (I) संशोधित फार्मूला के अन्तर्गत संसाधनों का हस्तांतरण, (II) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजाति उपयोजना आदि जैसे विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और (III) वित्त आयोग द्वारा गैर-योजना संसाधनों का हस्तांतरण की कार्यविधि द्वारा किया जाता है। राज्य के लिए सहायता समूचे रूप में दी जाती है न कि किसी एक अंश हेतु सिवाए विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों को छोड़कर जो राष्ट्रीय महत्ता के आधार पर पहचानी गई विशेष समस्याओं से निपटने के लिए दी जाती है। अतः विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए सहायता केवल उन्हीं राज्यों को दी जाती है जहां पहचानी गई समस्याएं विद्यमान होती हैं।

(ख) से (घ) 1962 में योजना आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री बी० पी० पटेल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के चार पूर्वी जिलों के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट देने और सुधार के उपायों का सुझाव देने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल का गठन किया था। राज्य ने सूचित किया है कि अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित कर लिया गया है।

मध्य प्रदेश को जल आपूर्ति परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता

2555. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार को जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे परियोजनाएं कब तक पूरी होंगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के लिए नीति

[अनुवाद]

2556. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए एक 3 सूत्री नीति बनाई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के रुग्ण इकाइयों की, इस समय, राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ग) इन इकाइयों के पुनरोत्थान में कितनी धनराशि व्यय होने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) सरकारी क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने की नीति की घोषणा जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में कर दी गई है ।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन के आधार पर 54 सरकारी उद्यमों को रुग्ण माना गया है । इनकी राज्य-वार सूची विवरण के रूप में संलग्न है । रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आने वाले रुग्ण सरकारी उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाना अपेक्षित होता है ताकि उनके पुनर्नवीकरण/पुनर्स्थापन हेतु योजनाएं बनाई जा सकें । पुनर्नवीकरण/पुनर्स्थापन सम्बन्धी योजनाओं पर विचार करते समय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल उद्यम-विशेष के अनुसार योजनाएं तैयार करेगा तथा पुनर्गठन सम्बन्धी ऐसे कार्यों में खर्च होने वाली राशि उद्यम-दर-उद्यम भिन्न-भिन्न होगी ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/सरकारी उद्यम का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	सदर्न पेस्टीसाइड्स लिमिटेड

1	2

असम

2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड

बिहार

3. भारत रीफ्रैक्टरीज लिमिटेड
4. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

गुजरात

5. ने०टे०का० (गुजरात) लिमिटेड

हरियाणा

6. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

कर्नाटक

7. भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड
8. विगनयन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
9. मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड
10. ने०टे०का० (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लिमिटेड

केरल

11. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

मध्य प्रदेश

12. ने०टे०का० (मध्य प्रदेश) लिमिटेड

महाराष्ट्र

13. महाराष्ट्र एण्टीबॉयोटिक्स लिमिटेड
14. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड
15. राष्ट्रीय बाइसिकल निगम लिमिटेड
16. ने०टे०का० (महाराष्ट्र नॉर्थ) लिमिटेड
17. ने०टे०का० (साउथ महाराष्ट्र) लिमिटेड

1	2

नागालैंड

18. नागालैंड पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड

उड़ीसा

19. उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

उत्तर प्रदेश

20. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
21. भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैसर्स लिमिटेड
22. स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड
23. टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन लिमिटेड
24. ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड
25. कानपुर टेक्सटाइल लिमिटेड
26. एल्गिन मिल्स लिमिटेड
27. ने०टे०का० (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड
28. उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

पश्चिम बंगाल

29. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड
30. बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
31. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
32. भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
33. ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड
34. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
35. वेबर्ड इण्डिया लिमिटेड
36. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड
37. बीको लारी लिमिटेड
38. भारतीय साइकिल निगम लिमिटेड

1	2

39. हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड

40. भारत ऑप्थालिक ग्लास लिमिटेड

41. नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कारपोरेशन लिमिटेड

42. उद्योग पुनर्स्थापन लिमिटेड

43. बर्डस, जूट एण्ड एक्सपोर्टस लिमिटेड

44. भारतीय टायर निगम लिमिटेड

45. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

46. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम

47. ने०टे०का० (पश्चिम बंगाल) लिमिटेड

48. बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड

दिल्ली

49. भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड

50. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर निगम

51. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

52. सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

53. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

54. इण्टेलिजेण्ट कम्युनिकेशन्स सिस्टम लिमिटेड

दिल्ली में पेयजल की कमी

2557. **श्री रामदेव राम :**
श्री तेजनारायण सिंह :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पानी की अत्यन्त कमी के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि पिछले प्रश्न मे उल्लिखित कालोनियों में से मात्र शाहदरा संघ शासित

प्रदेश दिल्ली में है तथा शेष उत्तर प्रदेश में आती हैं। यद्यपि, उत्तर प्रदेश के भीतर आने वाली कालोनियों से सम्बन्धित जल आपूर्ति के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। शाहदरा के सम्बन्ध में जल आपूर्ति सन्तोषप्रद होने की सूचना है।

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

2558. **डा० विश्वनाथम केलियो :**
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही :
श्री राम विलास पासवान :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में सरकार द्वारा आरम्भ की गई प्रक्रिया में आगे क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस नीति को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किस सीमा तक लागू किया जा रहा है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में श्रमिक संघ नेताओं से कोई बातचीत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता विधेयक, 1990 राज्य सभा में 30 मई, 1990 को पेश किया गया था। राज्य सभा के 155वें सत्र के दौरान उक्त विधेयक में संशोधन करने के लिए अनेक नोटिस प्राप्त हुए थे। विधेयक को सदन में विचारार्थ अभी तक नहीं उठाया गया है।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा 30 दिसम्बर, 1983 को प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी सम्बन्धी एक योजना अधिसूचित की गयी थी। यह केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों पर लागू है केवल उन उपक्रमों को छोड़कर जिन्हें विशेष रूप से छूट प्रदान की गयी है। अधिकांश केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने शॉप-फलोर तथा उद्यम स्तर पर प्रबन्ध में कर्मकारों की भागीदारी आरम्भ की है।

(ग) उपरोक्त विधेयक के बारे में व्यवसाय संघ नेताओं से कोई बातचीत नहीं की गयी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पदोन्नतियों पर प्रतिबन्ध लगाने का परिपत्र

2559. **डा० असीम बाला :**
श्री वी० एस० विजय राघवन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न संवर्गों में पदोन्नतियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए परिपत्र जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) सरकार ने पदोन्नतियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किए हैं।

नैमित्तिक कर्मचारियों के लिए योजना

2560. प्रो० कालिमी भट्टाचार्य : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी और नैमित्तिक कर्मचारियों के वेतनों और कार्य दशाओं में विसंगतियां हैं;

(ख) क्या वर्ष 1982 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर नैमित्तिक कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए एक योजना तैयार की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किस सीमा तक लागू किया जा रहा है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) स्थायी तथा नैमित्तिक कर्मचारियों के वेतन और कार्य दशाएं भिन्न-भिन्न नियमों द्वारा शासित की जाती है।

(ख) से (घ) उच्चतम न्यायालय ने एशियाई खेल परिसर द्वारा दायर किए गए मामले की रिट याचिका संख्या 8143/1981 के अपने निर्णय में कतिपय निर्देश जारी किए थे। एशियाड परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन में श्रम कानूनों के उल्लंघन के विशिष्ट सन्दर्भ सहित उनके निर्देशों को आवश्यक कार्रवाई के लिए केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के सबद्ध प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया था। कर्मकारों के वेतन से जमादारी कमीशन की अनियमित कटौतियां तथा श्रम कानूनों का उल्लघन करने के लिए दण्डों की अपर्याप्तता के बारे में न्यायालय की टिप्पणियां इस अनुरोध के साथ राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में लाई गयी थी कि वे जमादारी कमीशन प्रथा पर रोक लगाएं। उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वे लगाए गए दण्डों की अपर्याप्तता से सम्बन्धित मामले सम्बन्धित उच्च न्यायालयों के साथ उठाएं ताकि न्यायिक अधिकारियों एवं मजिस्ट्रेटों के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए जा सकें।

भूतपूर्व मन्त्रियों व भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा आवास खाली करना

[हिन्दी]

2561. श्री० राजा सिंह रावत :
श्री जे० माडे गौड़ा :

श्री जगत वीर सिंह द्रोण :
प्रो० प्रेम धूमल :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भूतपूर्व मन्त्रियों तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं;

(ख) इन भूतपूर्व मन्त्रियों तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों से सरकारी आवास खाली कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्योरा क्या है और इनके कब तक खाली होने की सम्भावना है;

(ग) भूतपूर्व मन्त्रियों तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों पर विभिन्न मदों के अन्तर्गत लम्बित बकाया राशि का ब्योरा क्या है और इसे प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई नए दिशानिर्देश बनाने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जिन भूतपूर्व मन्त्रियों तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों ने अभी तक साधारण पूल आवास खाली नहीं किए हैं उनका ब्योरा देते हुए एक विवरण संलग्न है । सभी मामलों में आवास का आवंटन रद्द किया जा चुका है तथा परिसरों को खाली कराने के लिए लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं । प्रधानमन्त्री ने भी भूतपूर्व मन्त्रियों और भूतपूर्व संसद सदस्यों के साथ परिसरों को खाली करने का मामला उठाया है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) जी, नहीं ।

विवरण

क्रम सं०	भूतपूर्व मन्त्री/भूतपूर्व संसद सदस्य का नाम	बंगला संख्या
1	2	3
	(सर्व/श्री)	
1.	दिनेश सिंह	1, त्यागराज मार्ग
2.	एच० के० एल० भगत	34, पृथ्वीराज रोड
3.	जनार्दन पुजारी	7, अकबर रोड
4.	महाबीर प्रसाद	17, तीन मूर्ति मार्ग

1	2	3
5.	वसन्त पी० साठे	2, कृष्णा मेनन मार्ग
6.	श्रीमती आर० के० बाजपाई	6, अशोका रोड
7.	एम० थम्बी दुराई	25, तुगलक रोड
8.	भजमन बहेरा	1, तीन मूर्ति लेन
9.	अजय सिंह	8, सफदरजंग लेन
10.	भक्त चरण दास	14, तीन मूर्ति लेन
11.	हरमोहन धवन	11, तीन मूर्ति लेन
12.	के० सी० पन्त	7, त्याग-राज मार्ग
13.	रामजी लाल सुमन	20, विलिंगडन क्रिसेंट
14.	पुरुषोत्तम कौशिक	13, बी० आर० मेहता लेन
15.	श्रीमती वैजयन्ती माला बाली	76, लोदी एस्टेट
16.	मनोज पाण्डे	सी-11/67, मोती बाग
17.	जी० के० मूपनार	24, अकबर रोड
18.	स्व० श्री दरबारा सिंह	9, कृष्ण मेनन मार्ग

बिहार में उद्योग रहित जिले

[हिन्दी]

2562. **राम लखन सिंह यादव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कौन-कौन से जिले उद्योग रहित जिलों की सूची में शामिल किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार उक्त जिलों में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो ये औद्योगिक एकक कब तक स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) बिहार में औरंगाबाद, भोजपुर, खगड़िया, नालन्दा, पूर्निया तथा सहरसा को उद्योगरहित जिले घोषित किया गया है ।

(ख) से (घ) किसी क्षेत्र के औद्योगीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की होती है । केन्द्र सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में यथासम्भव मदद करती है ।

विकास केन्द्र योजना के तहत बिहार को छः विकास केन्द्र आबंटित किए गए हैं, जिनमें से पांच के लिए स्थापना स्थलों का चयन कर लिया गया है और घोषणा कर दी गयी है। औरंगाबाद तथा पूर्निया जिलों में प्रत्येक के लिए एक-एक विकास केन्द्र विकसित करने का प्रस्ताव है। चुने गए केन्द्रों को औद्योगिक विकास के लिए सभी बुनियादी सेवाएं मुहैया करायी जाएंगी। यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में कार्यान्वित की जाएगी।

बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए आवेदन

2563. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को बिहार में उद्योगों की स्थापना करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किए गए;

(ग) इन आवेदनों के लम्बे समय से लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) उद्योग लगाने की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े इन आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) 1989-1992 (29-2-92 तक) तक की अवधि में बिहार में उद्योग स्थापित करने हेतु 149 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन 149 आवेदनों में से, 26 आवेदन स्वीकृत किए गए, 44 को नामंजूर किया गया और 15 अन्यथा निपटाए गए।

(ग) और (घ) औद्योगिक अनुमोदनों की स्वीकृति के आवेदनों को निपटाने हेतु निश्चित समय सीमा निर्धारित है। इन आवेदनों का निपटान निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करने की दिशा में सभी प्रयत्न किए जाते हैं।

द्वारिका में खोज

[अनुवाद]

2564. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान, गोवा द्वारा द्वारिका में कब से खोज की जा रही है;

(ख) इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या इन निष्कर्षों का कोई विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है;

(ङ) क्या सोमनाथ के निकट देहोत्सर्ग में खोज करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) वर्ष 1982 से द्वारका में पानी के अन्दर की गई खोजों से निम्नांकित महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं :—

— ए जेटी एण्ड इनर एण्ड आउटर फार्टिफिकेशन्स ।

— 12.5 मीटर गहरे पानी में पाए गए 1500 बी० सी० पुराने 3 बड़े-बड़े लंगर और ग्रेनाइट पत्थर ।

— भारी मात्रा में पुरावशेष जैसे मुहर, उत्कीर्णित ईंट, लंगर, पौटरी, लोहा, कांसा और तांबे के शिल्प तथ्य और फ्लेगपोस्टों के आधार का पता लगा है ।

(ग) और (घ) अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार ऐसा विश्वास है कि पौराणिक द्वारका शहर समुद्र की रिक्लेमिंग लैंड द्वारा बना एक विशाल किलाबन्दी वाला नगर-पत्तन (पोर्टसिटी) रहा है। तत्पश्चात इसमें जल मग्न हो गया है । यह उत्खनित नगरथार्मोल्यूमिनिसेंस तिथि पर आधारित 1600 बी० सी० का माना जा सकता है ।

(ङ) और (च) 10 मीटर पानी की गहराई तक सोमनाथ के निकट खोजें जनवरी, 1992 में की गई थी ।

ग्रामीण जल आपूर्ति तथा सफाई परियोजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था

2565. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :**
श्री रवि राय :
श्री गोपीनाथ गजपति :
श्रीमती वासवा राजेश्वरी :
श्री अर्म जिलम :

क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण जल आपूर्ति तथा सफाई परियोजनाओं के लिए जनता के अंशदान और निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु कोई राष्ट्रीय स्तर का वित्तीय संस्थान स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में भूमि की खरीद

[हिन्दी]

2566. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में दूसरे राज्यों के निवासी भूमि नहीं खरीद सकते; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

एग्जिट नीति का कामगारों पर प्रभाव

[अनुवाद]

2567. **श्री तरित बरण तोपदार :**
श्री रूपचन्द पाल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एग्जिट नीति" के फलस्वरूप आगामी वर्ष सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के बहुत सारे कर्मचारियों को अपना रोजगार खोना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों पर इस का प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इन कर्मचारियों की संख्या का आंकलन करने के लिए क्या आधार बनाया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) से (ग) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अनुसार सरकारी क्षेत्र की सभी रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनर्नवीकरण/ पुनर्स्थापन हेतु उपयुक्त योजनाएं बनाने के लिए, उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपे जाने की सम्भावना है। वर्ष 1990-91 तक के कार्य-निष्पादन के आधार पर सरकारी क्षेत्र में ऐसे 54 रुग्ण औद्योगिक उपक्रम हैं तथा 31-3-1991 तक की स्थिति के अनुसार इन 54 उद्यमों में नियमित कर्मचारियों की संख्या 3.33 लाख है । औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल, जो पुनर्नवीकरण/पुनर्स्थापन सम्बन्धी उपयुक्त योजनाओं के लिए विशिष्ट अर्थक्षम प्रस्तावों पर विचार करेगा, प्रत्येक मामले में फालतू घोषित होने वाले कर्मचारियों की संख्या की भी जांच कर सकता है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शेयरों का कम किया जाना

2568. **श्री चित्त बसु** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शेयरों को कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों के नाम क्या हैं और इनमें से प्रत्येक के कितने प्रतिशत शेयर कम किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के और कम करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के कुछ चुनिंदा उपक्रमों के शेयर कम किए गए हैं, जिनका ब्यौरा संलग्नक में दिया गया है । चालू वित्तीय वर्ष में और शेयरों को कम किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

संलग्न-क

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	बेचे गए शेयरों की प्रतिशतता
1	2	3
1.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	20.00
2.	इण्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड	0.27
3.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम	0.67
4.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	20.00
5.	भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड	20.00
6.	विदेश संचार निगम लिमिटेड	20.00
7.	राज्य व्यापार निगम	7.98
8.	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड	20.00
9.	भारतीय नौवहन निगम	20.00
10.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड	20.00
11.	एच० एम० टी० लिमिटेड	5.43

1	2	3
12.	ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया	1.44
13.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	20.00
14.	कोचीन रिफायनरीज लिमिटेड	10.01
15.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज	20.00
16.	एण्ड्रयू यूले	13.57
17.	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	20.00
18.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	3.64
19.	मद्रास रिफायनरी लिमिटेड	20.00
20.	महानगर टेलफोन निगम लिमिटेड	20.00
21.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	3.64
22.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	5.00
23.	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	5.00
24.	नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड	6.72
25.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	20.00
26.	बोंगाइगांव रिफायनरीज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	20.00
27.	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	2.28
28.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड	1.54
29.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस् मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	16.05
30.	सी० एम० सी० लिमिटेड	16.69

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक-एक करके बुलाऊंगा । आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री खेलसाय सिंह (सरगुजा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में विकास खण्ड बाड़फनगर भुखमरी की चपेट में आ गया है । ग्राम बीजाकुरा के रबई पंडो की बहु—बकली और नाती—बाबू लाल की मृत्यु दिनांक 16-2-1992 को भुखमरी के कारण हो गई थी । दिनांक

5-3-1992 को ग्राम नवगई के बिरजू पन्डो और ग्राम कोगवार के एक गोंड आदिवासी की मृत्यु भी भुखमरी से हो गई है । वहां स्थिति काफी गम्भीर हो चकी है । आदिवासियों के घर में न अनाज है, न पैसा है और न वहां राहत कार्य खोले गए हैं । कई वर्षों से कम बरसात हो रही है जिसके कारण अनाज की पैदावार भी कम होती जा रही है । इस समय जंगलों में कन्दमूल भी समाप्त हो चुका है अन्यथा पन्डो जाति के लोग कन्दमूल खाकर अपना अधिकांश समय व्यतीत कर देते थे । राहत कार्य खोले जाने की वहां आवश्यकता है नहीं तो और आदिवासी गरीबों की भूख से वहां मृत्यु हो सकती है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे माननीय कृषि मन्त्री और माननीय खाद्य मन्त्री जी को सरगुजा जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र में भेजकर, भुखमरी की जांच करायें और बड़े पैमाने पर वहां राहत कार्य खोलने के लिए, यहां से अनाज और पैसा भिजवाने की व्यवस्था करें ।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के उस आदिवासी इलाके में राहत कार्य बिल्कुल नहीं चल रहा है । मध्य प्रदेश सरकार ने कितने राहत कार्य चालू किए या नहीं किए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता लेकिन इतनी बात जरूर है कि केन्द्र सरकार के कृषि मन्त्री जी और खाद्य मन्त्री जी यहां हैं, आप उन्हें निर्देशित करें, इस मामले में मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं क्योंकि हालत वहां काफी गम्भीर हो चुकी है । लोगों के पास न अन्न है, न पानी है और लोग भूख से मर रहे हैं । हम आपका संरक्षण चाहते हैं, आप माननीय मन्त्री जी को निर्देशित करें, प्रधानमन्त्री जी तक हमारी बात पहुंचाएं, एक केन्द्रीय दल वहां भिजवाया जाए ।

इससे पहले 1967 में भी उस क्षेत्र में अकाल पड़ा था, उस समय वहां संविद सरकार सत्ता में थी । संविद सरकार ने भी ऐसा ही किया था, जो आज वहां की सरकार कर रही है । तत्कालीन प्रधानमन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी स्वयं वाड्रफनगर गई थीं और वहां जाकर उन्होंने राहत कार्य चालू करवाए थे । एक वर्ष में लगभग एक लाख लोगों को मजदूरी वहां दी जाती थी । लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में कोई राहत कार्य चालू नहीं किया गया है । जवाहर रोजगार योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है । वहां के मुख्यमन्त्री ने एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 13 हजार मजदूर वहां काम कर रहे हैं । जहां पहले लगभग डेढ़ लाख लोगों को मजदूरी मिलती थी, आज वहां केवल 13 हजार लोगों को काम मिल रहा है । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हम आपका प्रोटेक्शन इस मामले में चाहते हैं । हम लोग बेहद चिन्तित हैं । हम यहां बैठे हुए हैं लेकिन वहां लोग भूख से मर रहे हैं । अपनी कांस्टीटूएंसी में, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमें प्रोटेक्शन दें । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सारा का सारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खराब हो गया है जितना भी अनाज इसके माध्यम से वितरण के लिए जाता है, वह सारा का सारा काले बाजार में जा रहा है । केन्द्र सरकार की योजना थी कि आदिवासियों को सस्ती दरों पर अनाज देंगे, लेकिन उनको सस्ता तो क्या अनाज ही नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वे भूखे मर रहे हैं । इस कारण हम लोग बेहद दुखी हैं और आपका संरक्षण चाहते हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आदिवासियों की अन्न की समस्या है, तो हम चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट तो देखती ही है, लेकिन आगे सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। इसलिए मैं संसदीय कार्य मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वे सम्बन्धित मन्त्री महोदय से इसकी चर्चा करें और जितनी मदद हो सके, वह करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात भी सुनूंगा। यदि आप बारी-बारी से बोलें तो आप में से अनेक लोग अपने विचार व्यक्त कर पायेंगे। अब श्री ए० चार्ल्स बोलें।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, आठवीं लोक सभा में, 1988 में तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री श्री बसन्त साठे ने इस सम्मानित सभा में एक स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि केरल के लिए कयामकुलम ताप परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार काम शुरू होने के बाद परियोजना के पूरा होने में अधिक से अधिक 4 साल लगेंगे। हमें आशा थी कि वर्ष 1992 तक हमें केरल से यह ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी जिसका काफी लम्बे समय से इन्तजार था। केरल में गम्भीर विद्युत संकट उत्पन्न हो गया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 साल के बाद भी कयामकुलम ताप विद्युत परियोजना को अन्तिम स्वीकृति नहीं दी गई है। यह एक प्रतिष्ठित परियोजना है जिसकी क्षमता 3000 मेगावाट है। परन्तु परियोजना का विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकाला गया कि इसकी क्षमता 800 मेगावाट ही है और अब इस परियोजना को छोड़ देने का प्रस्ताव रखा गया है। मुझे पिछले सप्ताह यह उत्तर सुनकर आघात लगा था कि इस परियोजना पर फिर से विचार किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि किसी स्तर पर इसको रद्द कर दिया गया है। हमें इसका पता नहीं है। मैं स्वयं उस क्षेत्र के एक स्थान, जिसका नाम चूलातेरूवु है, गया था, जहां पर बड़ी संख्या में मछुआरों ने इस परियोजना का विरोध किया था। परन्तु हमने उनको वहां से हटा दिया। अब यह पर्यावरण मन्त्रालय के पास लम्बित पड़ी है। केरल में सभी पनबिजली परियोजनाएं रद्द कर दी गई हैं। बहुचर्चित साईलेन्ट वैली प्रोजेक्ट को जब रद्द किया गया, तो हमें यह आश्वासन दिया गया कि पूयामकुट्टी परियोजना भी पर्यावरण मन्त्रालय के पास विचाराधीन है। कोई पनबिजली परियोजना तैयार नहीं की जा रही है। केरल की एकमात्र आशा ताप विद्युत परियोजना अर्थात् कयामकुलम परियोजना पर टिकी हुई है। शायद दो या तीन दिन में वे इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लेने जा रहे हैं। अतः केरल के 2.5 करोड़ लोगों की ओर से मैं अपील करता हूं कि यह ताप विद्युत परियोजना केरल को दे दी जाए। मैं यह भी अपील करता हूं कि कयामकुलम वाले स्थान को बदलना नहीं चाहिए और इस परियोजना को अनुमति देकर केरल को गम्भीर विद्युत संकट से बचाया जाना चाहिए। धन्यवाद (व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : यह बहुत ही गम्भीर मामला है। केरल में विद्युत की स्थिति बहुत ही गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : हम सब इस मामले पर उत्तेजित हैं। सभी सदस्यों ने यह

मामला उठाया है। हम सभी इससे सीधे सम्बन्धित हैं। दुर्भाग्यवश सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। पर्यावरण मन्त्री यहां उपस्थित है। उन्हें कुछ कहना ही चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सब बोल रहे हैं तो इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री संकुट्टीन चौधरी (कटवा) : सरकार को उनकी मांगों को नोट करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस : केरल को बहुत ही गम्भीर विद्युत संकट का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कल मैं इस पक्ष के सदस्यों से बारी-बारी से बोलने का निवेदन कर रहा था आज मैं आप लोगों से बारी-बारी से बोलने का अनुरोध कर रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस : हम स्थिति की तात्कालिकता के कारण इस बात पर उत्तेजित हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि आप सब चिन्तित हैं और यह बात नोट कर ली गई है हम समझते हैं कि मन्त्री महोदय सहित आप सभी ने इसे नोट कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस : आपको सरकार को अवश्य कुछ निर्देश देने चाहिए। (व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस सम्बन्ध में सरकार को निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। मैं प्रत्येक बात पर निर्देश नहीं दे सकता हूं। मेरे पास यह अधिकार नहीं है। मैं इन सभी बातों पर निर्देश नहीं दे सकता हूं।

श्री पी० सी० थामस : कृपया आप सहानुभूतिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें।

श्री रमेश चेन्निथला : संसदीय कार्य मन्त्री महोदय यहां उपस्थित है। कम से कम उन्हें तो कुछ कहना ही चाहिए। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं इसको नोट कर लिया है और मामले पर विचार किया जाएगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने बड़े जोश के साथ खड़े होकर यह कहा है कि वह यह देखेंगे कि मामले पर विचार किया जाए। अब इतना ही काफी है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, अमरीकी प्रशासन अभी भी खालिस्तान की गतिविधियों को भड़का रहा है, उनकी सहायता कर रहा है तथा उन्हें बढ़ावा दे रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति बुश के एक सहायक ने संयुक्त राज्य अमरीका में तथाकथित खालिस्तान परिषद के प्रेजीडेंट डा० औलख को एक पत्र लिखा है जिसमें यह आशा व्यक्त की गई है कि डा० औलख को अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के लिए शक्ति एवं साहस प्राप्त होगा। राष्ट्रपति बुश के सी ग्रेग पीटरस्मेयर नामक एक अन्य सहायक ने भी कहा है कि बुश प्रशासन अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के बारे में निरन्तर चिन्तित रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : मामला गम्भीर हो सकता है, परन्तु मैं सदस्यों को चेतावनी दूंगा कि वे सावधान रहें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : बुश प्रशासन अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के मामले पर निरन्तर चिन्तित रहेगा और सभी देशों को मानवाधिकारों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा को मान्यता देनी चाहिए। यह बहुत गम्भीर बम है। बुश प्रशासन हमारे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जो भी मामला उठाते हैं, वह हमेशा गम्भीर होता है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : बुश प्रशासन खालिस्तान की गतिविधियों को भड़का रहा है, उनमें सहायता कर रहा है और उन्हें बढ़ावा दे रहा है। हम मांग करते हैं कि विदेश मन्त्री इस बात पर वक्तव्य दें कि क्या बुश प्रशासन की ओर से सीधा हस्तक्षेप किया जा रहा है और क्या श्री बुश के सहायकों ने हमारे देश में उग्रवादी तथा अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोई पत्र लिखा है। मैं मांग करता हूं कि विदेश मन्त्री इस पर वक्तव्य दें। **(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री बसुदेव आचार्य की बात से सहमत हूं कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। ऐसे में जबकि एक ओर तो भारत सरकार, संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध बनाने की कोशिश कर रही है दूसरी ओर राष्ट्रपति बुश के एक सहायक ने संयुक्त राज्य अमरीका में तथाकथित खालिस्तान के राष्ट्रपति डा० गुरमीत सिंह को पत्र लिखा है। यह एक चौंका देने वाला मामला है।...**...

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह रिकार्ड नहीं किया जाएगा। मैंने इस बारे में आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी। आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिनका जवाब विदेशी पदाधिकारी सभा में आकर नहीं दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : हम आरोप नहीं लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह के अनुमान लगाना, आरोप लगाने से भी बदतर है।

श्री मनोरंजन भक्त : हम उस पत्र के बारे में कह रहे हैं जिसके बारे में खबर छपी है।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो भी कहा है वह आरोप से भी बदतर है और मैं इसे रिकार्ड में जाने नहीं दूंगा। सब आप आगे अपने भाषण को जारी रखें।

श्री मनोरंजन भक्त : प्रश्न यह है कि जब राष्ट्रपति का कोई ए० डी० कोई पत्र लिखता है और वह अखबार में छप जाता है···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप पत्र को सही साबित कर रहे हैं ?

श्री मनोरंजन भक्त : आपने कई बार ऐसी चर्चा की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो आपको भी अनुमति दे रहा हूं। पर आप सत्तापक्ष के हैं, अतः आपको अधिक सावधान रहना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : आपने कई बार ऐसी चर्चा की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति दे रहा हूं। पर मैं आपको सावधान कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : मैं तो सिर्फ उसका जिक्र कर रहा हूं जिसकी खबर प्रेस में आई है। इसी लिए हमारा अनुरोध है कि यह काफी संवेदनशील मसला है और सरकार को यह बताना चाहिए कि इसमें क्या सच है और क्या नहीं। सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए। यदि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में खालिस्तानी कार्यकर्त्ताओं को संरक्षण या प्रोत्साहन देने सम्बन्धी कोई पत्र है तो भारत सरकार को इसके बारे में अमेरिकी सरकार को अपना विरोध प्रकट करना चाहिए। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार इस पर एक वक्तव्य दे। आप अपने पद का उपयोग करते हुए सरकार से यह कह सकते हैं क्योंकि लोगों के दिमोदिमाग में जो गलतफहमी पैदा हो गई है, उसे तो दूर किया ही जाना चाहिए। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई बयान दे।

महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। हमारे प्रधानमन्त्री ने यह स्पष्ट किया है कि आतंकवाद और ऐसे ही मसलों पर अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विचार-विमर्श होना चाहिए। यदि ऐसी बातें हो

रही हैं, तो सरकार को वक्तव्य देना चाहिए और इसका विरोध भी करना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस तरह के गम्भीर मामलों के उठाए जाने के सवाल पर अच्छी चर्चा हुई है। जब हमने 'पेंटागन के दस्तावेजों' का मुद्दा उठाया था, तब भी आपने यही बात कही थी। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि इस तरह का एक आंतरिक दस्तावेज है और उनके अधिकारियों ने हमारे विदेश सचिव से यह कहा है कि कृपया इसे गम्भीरता से न लें।

जब इन दस्तावेजों को गम्भीरता से नहीं लेना है तो उन्होंने इस तरह के दस्तावेजों को तैयार ही क्यों किया और जब हमारे विदेश सचिव को उनके देश का दौरा करना है, उसी समय यह जानकारी क्यों दी ? ये सभी दबाव डालने के तरीके हैं और अपने देश के साथ उनके बर्ताव के प्रति हमें सावधान रहना चाहिए। वे हमारे देश से चाहते क्या हैं ?

महोदय, इस खास पत्र को डा० औलख द्वारा राष्ट्रपति बुश को लिखे गए पत्र के जवाब में भेजा गया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप खुद कह रहे हैं कि यह पत्र जवाब में आया है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नहीं, महोदय, कुछ बातें अखबारों में आई हैं। जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या हमारे देश के किसी अधिकारी द्वारा इसका खण्डन नहीं किया गया'''**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको मैंने बोलने की अनुमति दी है। अब आप ही के अनुसार यह पत्र जवाब स्वरूप है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : निश्चय ही; पर मैं इस बारे में कैसे जान सकता हूं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं भी कह रहा हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह तो संयुक्त राष्ट्र के प्रशासन का काम है कि वह कहे कि उसने ऐसा पत्र नहीं लिखा है। यह एक समाचार था।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने भाषण को अपने अन्दाज में जारी रखें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि कोई राष्ट्रपति को पत्र लिखता है तो इससे मुझे कोई चिन्ता नहीं है। वे उसका जवाब देने को स्वतन्त्र हैं। प्रश्न यह है कि यदि इसमें किसी दूसरे देश से सम्बन्धित कोई बात हो तो उसे इतनी फिक्र तो करनी चाहिए कि जवाब में क्या लिखा जाए। यह जांच पड़ताल तो करनी चाहिए कि यह किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों से सम्बन्धित चीजों में से कुछ खास चीजों को प्रोत्साहित तो नहीं कर रहा है। राष्ट्रपति द्वारा किसी को पत्र लिखे जाने या उसके किसी सहायक द्वारा किसी को पत्र लिखे जाने से हमें कोई मतलब नहीं है। यदि किसी पत्र में किसी देश के मानवाधिकारों की चिन्ता की जा रही हो तो यह बिल्कुल दुरुस्त बात है। पर तब फिर पंजाब में हर रोज मारे जा रहे लोगों के मानवाधिकारों का क्या होगा ?

कल ही पन्द्रह मजदूरों की हत्या हुई थी और वे चुपचाप हैं। पर हो कुछ और रहा है वे इससे अन्य बात पर हंगामा मचाए हैं। यह दुहरा मानदण्ड है। हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसी बात की निन्दा किए जाने की जरूरत है और उन्हें साफ शब्दों में यह अवश्य कह देना चाहिए कि इस तरह के तालमेल और भीतरघात तथा सरकार पर दबाव डालने जैसी चीजों को यह देश कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही उस घोंसपट्टी को जिसका सहारा लेने की कोशिश वे कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र प्रशासन के इस रवैये की हम निन्दा करते हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सहमत हूं कि एक बहुत बड़े राष्ट्र अमरीका के राष्ट्रपति का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। मैं मन में सोचता हूं कि इस प्रकार की चिट्ठी उनको नहीं लिखनी चाहिए थी। इस प्रकार की चिट्ठी बुश के निकटतम अफसर ने लिखी है। मेरा यह कहना है कि हमारे देश में इंग्लिशस्तान और अमरीका के बारे में कुछ गलतफहमी रहती है। हमारे यहां से जाकर जो लोग वहां बसते हैं, और हिन्दुस्तान के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, ऐसे में वहां की सरकार उनका समर्थन करती है, लेकिन इंग्लिशस्तान के बारे में हम लोगों को तसल्ली हुई कि वहां की सरकार इसके बारे में पग उठा रही है और वहां के होम सेक्रेट्री भी यहां बात करके गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वहां कोई ऐसा गलत काम होगा तो वहां की सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन यू० एस० ए० के बारे में हमारे मन में शंका है और वह साफ नहीं हो पाई है। इसके बारे में बसुदेव आचार्य ने बात उठाई। यू० एस० ए० के बारे में दो बातें उठ चुकी हैं। एक तो गेहूं के बारे में उठाई जा चुकी है कि क्यूबा को चावल देंगे तो हमें वह गेहूं नहीं देंगे। इसके बारे में अच्छा हुआ कि आपने परमिशन दे दी जिससे सरकार और देश का रूख सफाई के साथ सामने आया। दूसरी, 46 देश के डाकुमेंट के बारे में उठी। इसके बारे में हरेक अखबार में आया है कि यह सही है कि चिंतन हो रहा है, पेंटागन में और इसको सिरियसली नहीं लिया जाए। एक्सट्रनल अफेयर्स के सचिव का भी बकायदा इसके बारे में बयान आया है। इसलिए हम नहीं चाहेंगे, सदन नहीं चाहेगा और आप भी नहीं चाहेंगे कि राष्ट्रपति बुश के निकटतम व्यक्ति खालिस्तान एक्टिविस्ट को इस प्रकार की चिट्ठी लिखें। इससे हमारे अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप होगा। इसलिए सरकार इसका खुलासा करे और सदन को और हमको यह खुशी होगी कि खालिस्तान के बारे में ऐसी चिट्ठी को वह न ले।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मुझे आपको बधाई देते हुए अपनी बात शुरू करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा क्यों ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं इसे स्पष्ट करूंगा। ऐसा इसलिए कि आप हमें ऐसे मामलों को उठाने की अनुमति देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह तो आप गुगली गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि यह क्रिकेट का मैदान नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमें तो सच्ची बात कहने की आदत है। आखिर हम खुद को रोकें भी क्यों ? मैं आपकी अनुमति से यह मुद्दा उठाना चाहता हूं कि···

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि आपने कहा है इसलिए मैं कहूंगा कि हम सभा में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने में काफी रुचि रखते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण मामले को सभा में उठाए जाने से रोका जाना गलत होगा। परन्तु साथ-साथ यह देश की सर्वोच्च संस्था है। आपके हरेक शब्द का अर्थ है। इसका देश के भीतर और बाहर असर होता है। इसीलिए हम जब भी बोलें, हमें इस तरह से बोलना चाहिए कि हम अपने अधिकार का प्रयोग सही तरीके से कर सकें और इससे समस्याएं हल हों, न कि और बढ़ जायें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : पिछले कुछ दिनों में हम सभा की सर्वोच्चता को साबित करने में सफल रहे हैं। इन सवालों को यदि नहीं उठाया जाता, जैसाकि रवि राय जी ने ठीक ही कहा है, तो सरकार ऐसा वक्तव्य नहीं देती कि अमेरिकी सरकार चाहे जो कहे, हम क्यूबा को चावल देंगे। सरकार द्वारा दावे के साथ जो बात कही गई है उसका हमारा दल स्वागत करता है।

इसी प्रकार, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों तथा संभवतः श्री रवि राय जी के साथ भी मतभेद होने के बावजूद हमने मानवीय अधिकारों के प्रश्न पर यह मांग की है। हमने यह प्रश्न उठाया है तथा हमने मानव अधिकारों के प्रश्न पर भारत सरकार द्वारा निश्चयपूर्वक कही गई बात का स्वागत किया है जिसका अधिक विकसित शक्तियों द्वारा विभिन्न देशों की आन्तरिक राजनैतिक स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह एक अन्य प्रश्न है।

एक बार पुनः मानव अधिकारों का प्रश्न उठाया गया है। सोवियत संघ के विघटित हो जाने से संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ क्षेत्रों में यह महसूस किया जा रहा है कि वह विश्व में सबसे आगे है तथा वह जो चाहे कर सकता है। अतः भारतीय लोगों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह इस रूप में उभर कर सामने आएं कि तृतीय विश्व के देशों के शेष लोगों, दक्षिण देशों के सभी शेष लोगों को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके कि ऐसा एक देश है जो संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार अथवा संयुक्त राज्य अमरीका में जो कोई भी हो, की ढिठाई के सामने साहसपूर्ण ढंग से खड़ा है। सरकार से यही अपेक्षा की जा रही है।

हमें विश्वास है कि आप भी सरकार को निदेश देंगे, जैसाकि आपने पिछले अवसरों पर किया है कि जो भी खबर हमारे पास आई उसे अस्वीकार करते हुए वह वक्तव्य दे अथवा यह कहे कि हां ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सरकार को बिना किसी हिचकिचाहट के संसद में सर्वसम्मति से ऐसे पत्राचार की निन्दा करनी चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैंने सामान्यतः आपका समय नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा का समय है।

श्री चित्त बसु : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मानव अधिकारों का प्रश्न उठाया गया है अथवा यह प्रश्न इसमे अन्तर्ग्रस्त है, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले अवसरो पर मैंने इस सभा में

उल्लेख किया था कि मानव अधिकारों का प्रश्न अव्यावहारिक विचार नहीं है। यदि संयुक्त राज्य अमरीका यह महसूस करता है कि पंजाब में उग्रवादियों द्वारा मानव हत्याओं के माध्यम से जो कुछ हो रहा है वह भी ऐसा ही प्रश्न है जो मानव अधिकारों के प्रश्न के समान ही है तो यह मानव अधिकारों के पूर्णतया अवमूल्यन को छोड़कर और कुछ नहीं है।

महोदय, संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे देश के आन्तरिक मामलों में जो हमारे देश में आतंकवादियों, आतकवादी गतिविधियों में लगे हुए हैं, को वित्तीय सहायता देकर और उकसाकर हस्तक्षेप कर रहा है। वह देश की एकता, अखण्डता और यहां तक कि देश की स्वतन्त्रता को भी चुनौती दे रहा है। इन तथ्यों के सम्बन्ध में, मैं चाहता हूं कि भारत सरकार संयुक्त राज्य अमरीका को यह स्पष्ट कर दे कि इस देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना उनके लिए एक अनुचित बात है। हमारे विदेश सचिव इस समय संयुक्त राज्य अमरीका में हैं और संयुक्त राज्य प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप संसदीय कार्य मन्त्री को हमारे विदेश सचिव, जो इस समय संयुक्त राज्य अमरीका में बातचीत कर रहे है, को यह सलाह देने के लिए परामर्श देंगे कि वह हमारी भावनाओं जो सभा के सभी पक्षों द्वारा कम अथवा अधिक रूप में व्यक्त की गई है, को वहां बताये। मैं समझता हूं कि आप माननीय मन्त्री को सलाह दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही यह करने के लिए अभिरूचि दिखाई है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, क्या मुझे समझना चाहिए कि बिना चिल्लाए आप ध्यान नहीं देंगे ? मैंने अपना हाथ बोलने के लिए उठा रखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मैं 542 सदस्यों को अवसर नहीं दे सकता। ठीक है, अब आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : मैं कभी-कभार कष्ट देता हूं। चूंकि आपने मुझे बोलने के लिए समय नहीं दिया है इसलिए इसका विरोध करते हुए मैं चुप रहूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको समय दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : मेरी यह आदत नहीं है। **(व्यवधान)** महोदय, आप मुझे बतायें। मैं कभी भी चिल्लाना अथवा ऐसा करना नहीं चाहता। **(व्यवधान)**

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : श्री झा, वह आपको बोलने के लिए कह रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा : मैं भीख नहीं मांग रहा हूं। कृपया आप सहायता मत करिए। **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, कई घटनाएं घटी हैं। परसों, कल और आज भी, हमें ज्ञात हो रहा है कि प्रेमलर समझौतों के बावजूद, संयुक्त राज्य अमरीका पाकिस्तान, जो इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करता है, को

शस्त्रास्त्र दे रहा है । हमें भी इन्हें बढ़ाना होगा जिससे पुनः हमारी अर्थव्यवस्था चरमराएगी । वित्त मंत्री संयुक्त राज्य अमरीका से कुछ मदद मांगने के लिए गए हैं जिससे रक्षा व्यय में वृद्धि होगी क्योंकि अमरीका प्रेसलर समझौते के बावजूद उनको शस्त्रास्त्र भेज रहा है ।

उस दिन हमने यह मामला उठाया था कि पेंटागन ने अपने गुप्त दस्तावेज में तथाकथित "भारत की दक्षिण-एशिया में अधिपत्य की इच्छा" की बात कही है इस प्रकार वह हमारे पड़ोसी देशों—मित्र पड़ोसियों, भाई पड़ोसियों को भारत के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए उकसा रहा है ।

वह दूसरी बात है । अतः संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा सम्पूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अशान्ति पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

यह एक संगठित नीति है । यह केवल एक गुप्त दस्तावेज का प्रश्न नहीं है न ही क्यूबा को चावल की सप्लाई का प्रश्न है, और न ही पाकिस्तान को केवल शस्त्रों की सप्लाई का प्रश्न है और न ही मानवीय अधिकारों के नाम पर खालिस्तान को समर्थन देने का प्रश्न है ।

अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछता हूं कि क्या सरकार इन सब मामलों को परस्पर सम्बद्ध रूप में ले रही है और इन पर एक सुस्पष्ट वक्तव्य देगी ताकि संयुक्त राज्य अमरीका यह जान जाए सोवियत रूस का विघटन हो चुकने के बावजूद—कि भारत एक राष्ट्र के रूप में, भारत एक गुट-निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में और विश्व के 125 से अधिक देशों के भाग के रूप में उठ खड़ा होगा और प्रभुसत्ता की कीमत पर समझौता नहीं करेगा तथा किसी प्रकार के दबाव में नहीं आएगा ।

इसलिए, महोदय, इस सभा की एकमत आवाज आपके माध्यम से सम्प्रेषित की जाएगी । मैं समझता हूं कि यदि सरकार को किसी प्रकार की हिचकिचाहट है तो आपको सभा की इस एकमत भावना को सम्प्रेषित करना चाहिए । मैं नहीं समझता कि इस मुद्दे पर दो राय हो सकती हैं क्योंकि हमारी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता, अखण्डता तथा राष्ट्र में शान्ति सभी परस्पर सम्बन्धित है तथा संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा इसमें बाधा डाली जा रही है । (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एगराजन कुमारमंगलम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के विचारों को निश्चय ही सरकार ने नोट कर लिया है । हम तथ्यों का पता लगाएंगे तथा शीघ्र ही सभा के समक्ष सम्पूर्ण स्थिति प्रस्तुत करेंगे ताकि यदि यह सही रिपोर्ट है, तो सरकार इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करेगी । यदि रिपोर्ट गलत भी होगी, तो भी हम आपको बताएंगे हम सभा में जानकारी देंगे ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच वायुदूत सेवाओं के अकुशल संचालन के कारण यात्रियों को हो रही गम्भीर कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं ।

आठवीं लोक सभा के दौरान, तत्कालीन सरकार ने आश्वासन दिया था कि विजयवाड़ा, जोकि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तक हवाई पट्टी का विस्तार करके बोइंग विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी अब तक यह कार्य शुरू नहीं हुआ तथा यात्रियों को बहुत अधिक कठिनाई होती है । मैं आपके माध्यम

से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हवाई पट्टी का विस्तार करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं तथा यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए विजयवाड़ा तक बोइंग विमान सेवाएं शुरू की जाएं। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, एक लेखक श्री पी० एन० ओक, जिनका नाम से हम में से कुछ लोग अवश्य जानते होंगे, ने '**सम ब्लन्डर्स आफ इण्डियन हिस्टोरिकल रिसर्च**' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमें उन्होंने पवित्र पैगम्बर के बारे में इस्लाम के बारे में, काबा और मक्का के बारे में कुछ वक्तव्य दिए हैं। ये भद्दी भूलें हैं तथा इनसे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। दुर्भाग्यवश, संसदीय ग्रन्थालय में उस किताब को रखा गया है। मैं कोई कठोर बात नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे विश्वास है कि सभा का प्रत्येक सदस्य इस बात से सचेत होगा कि किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : इसलिए, उस किताब को संसदीय ग्रन्थालय से हटा दिया जाना चाहिए (व्यवधान सरकार को शीघ्र ही उस किताब को गैर-कानूनी करार किया जाना चाहिए। मैं सत्ता पक्ष से यह मांग करता हूं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (पोन्नानी) : अब यह पुस्तक ग्रन्थालय में आ गई है। इसमें पैगम्बर की छवि खराब की गई है और कहा गया है कि उनका जन्म हिन्दु परिवार में हुआ था और काबा, मक्का स्थित बड़ी मस्जिद पहले एक मन्दिर था। उस पुस्तक में यह सब कहा गया है। इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। (व्यवधान) इससे हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच दुर्भावना पैदा हो रही है। यह इतिहास नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसे सिद्ध नहीं कर सकता। (व्यवधान) इससे जानबूझकर देश में तनाव पैदा किया जा रहा है। ऐसी पुस्तक अब संसद के ग्रन्थालय में आ गई है जिसमें गलत जानकारी प्रदान करके पैगम्बर की छवि दूषित की जा रही है, इस पुस्तक में कहा गया है कि मक्का की बड़ी मस्जिद एक मन्दिर थी। इसमें इस्लाम के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है और हिन्दु और मुसलमानों के बीच दुर्भावना पैदा की जा रही है। ऐसे में जबकि आप सांप्रदायिक सद्भावना चाहते हैं, तो शीघ्र ही ऐसी पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए और इसे ग्रन्थालय से हटा दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : अध्यक्ष महोदय, कहा गया है कि ताजमहल शाहजहां का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि एक राजा का है और बहुत चीजें इस प्रकार की हैं। अगर इसको हिस्ट्री माना जाएगा तो फिर हमारी हिस्ट्री ही खत्म होकर रह जाएगी। इस्लाम के ताल्लुक से उन्होंने जो बातें कही हैं, उसमें मैं समझता हूं कि कोई अकलमंद आदमी इसको अच्छा नहीं समझेगा। कहा गया कि मोहम्मद साहब मुसलमान नहीं थे। इस प्रकार की बातों से किसी के जजबात को ठेस पहुचाना है। यह हिस्ट्री नहीं है, किसी के जजबात को ठेस पहुचाना है। ये बातें इसी तरीके से हम किसी दूसरे फिरके के बारे में लिखें, तो क्या यह अच्छी बात समझी जाएगी। सबसे बड़ा अफसोस इस

बात का है कि वह किताब पार्लियामेंट की लाइब्रेरी के अन्दर रखी गई है। कम से कम जजबात का तो एहसास होना चाहिए कि उसमें हिस्ट्री को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि उस किताब को जब्त किया जाए और इस झगड़े को खत्म किया जाए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी भी पुस्तक, जो किसी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, के बारे में आपको या जो भी संसद ग्रन्थालय का प्रभारी हो उसको सावधान रहना चाहिए तथा इस बात को देखना चाहिए। यह आम प्रवृत्ति या दृष्टिकोण, कि किसी पुस्तक को केवल इसी कारण अवैध घोषित कर दिया जाए क्योंकि यह इतिहास की हमारी अवधारणा से मिलती-जुलती नहीं है या यह विशेष दृष्टिकोण इतिहास की मेरी अवधारणा से मिलता-जुलता नहीं है, सही नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहूंगा कि दोहरे स्तर की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है कि महाराष्ट्र में एक विवाद उत्पन्न हुआ था। जब मुझसे पूछा गया कि क्या उस पुस्तक को अवैध घोषित करना चाहिए या नहीं, मैंने कहा कि मैं उस पुस्तक को अवैध घोषित करने के पक्ष में नहीं हूं। यद्यपि कुछ लोगों ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति सम्मान की बात नहीं है।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : यह राम की पहेलियां हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी हां, अतः इस मामले में यह महत्वपूर्ण है कि जहां तक ऐतिहासिक व्याख्या का सवाल है सबको अपनी ओर से इसकी व्याख्या करने देना चाहिए। परन्तु यह कितना ही हास्यास्पद क्यों न हो इसे अवैध घोषित नहीं करना चाहिए। यह मेरी पहली बात है। दूसरे, इस सम्बन्ध में दो तरह के विचार नहीं होने चाहिए। अन्यथा क्या होगा, कि अगर आप एक पुस्तक को अवैध घोषित करते है तथा उसी प्रकार की दूसरी पुस्तक को अवैध घोषित नहीं करते हैं तो इससे दुर्भावना और तनाव पैदा होगा। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मैंने ग्रन्थालय को नहीं देखा है और यदि मैं उस ग्रन्थालय में रखी कुछ पुस्तकों के बारे में यह कहूं कि वे किसी न किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती हैं तो महोदय, आपको उन पुस्तकों को भी देखना होगा। (**व्यवधान**)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : मैं इस बात से सहमत हूं, कि दो तरह के विचार नहीं होने चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं माननीय सदस्यों से यह भी कहूंगा कि इस मामले को उठाने का यह तरीका नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या वे इस बात से बहुत खुश हैं क्योंकि उनके नाम का काफी प्रचार हो गया है जोकि सारे देश में प्रचार करने या विज्ञापन देने से भी नहीं होता। जब तक कि कोई इस पुस्तक का प्रचार न करना चाहे मामला उठाने का यह तरीका नहीं है। मुझे नहीं पता। परन्तु मैं यह बात सोच सकता हूं कि इस प्रकार के मामले में जो आपके दायरे में आता है, यदि आपको कोई पत्र लिखा जाए और यदि आपको उस पर निर्णय देना हो, तो यह सबसे अच्छा तरीका होगा।

(**व्यवधान**)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं। इस देश में ईशनिन्दा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धार्मिक अपराधों के विरुद्ध एक कानून है।

मैं यह चाहता हूं कि उस कानून को लागू किया जाना चाहिए। यह कोई शैक्षिक कार्य नहीं है। यह ईशनिन्दा का कार्य है अतः इस पुस्तक को अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : धार्मिक अपराध के नाम पर शाहाबुद्दीन जी ने 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस का बहिष्कार किया था, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को बड़ी सावधानी से सुना है और हम निश्चित रूप से इस पर बड़ी सावधानी से कार्यवाही करेंगे। जहां तक पुस्तक को उपलब्ध करने का सवाल है, हमारे पास एक तरीका है। वास्तव में पुस्तकों के स्थान पर पुस्तकों के नामों को ग्रन्थालय समिति के समक्ष रखा जाता है और ग्रन्थालय समिति के सदस्य इस स्थिति में नहीं हैं कि वे पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ें और जब यह सुझाव दिया जाता है कि पुस्तकों के नामों को ध्यान में रखते हुए पुस्तकें प्राप्त की जाती हैं और वे ग्रन्थालय में रखी जाती हैं।

जहां तक इस विशेष पुस्तक का सवाल है, मुझे इसकी विषय-वस्तु के बारे में पता नहीं है और हम निश्चित रूप से और सावधानीपूर्वक इन सभी बातों की जांच करेंगे। इस मामले के दो पहलू हैं, जिन पर बड़ी गहराई के साथ चर्चा की गयी तथा दोनों ही पहलुओं को नजरन्दाज नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हम एक पुस्तक के साथ करेंगे वही हमें अन्य किसी पुस्तक के साथ भी करना होगा। अब यह मामला ऐसा है जिसका विश्लेषण और मूल्यांकन हमें बहुत ही सावधानी से करना होगा। निस्सन्देह हम यह करेंगे। एक ओर हम ऐसी कोई चीज प्राप्त नहीं करेंगे या ग्रन्थालय में नहीं रखेंगे जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। दूसरी ओर हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जो पुस्तकें प्राप्त करने में भी समस्याएं उत्पन्न करें। अतः मैं इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक देखूंगा और जो आवश्यक होगा वह निश्चित रूप से किया जाएगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, एक पुस्तक को जब्त करने की मांग की गई है। हम इस मामले की जांच करेंगे, क्योंकि मुझे यह पता नहीं है कि उस पुस्तक में क्या लिखा है। सरकार इस मामले में छानबीन करेगी।

[हिन्दी]

डा० रमेश चन्द्र तोमर (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तथा चीनी उद्योग प्रदेश

का सबसे बड़ा उद्योग है जिससे लगभग 30 लाख गन्ना कृषक और लाखों श्रमिक सीधे जुड़े हुए हैं। प्रदेश में 105 चीनी मिलें हैं जो लगभग 33 प्रतिशत गन्ने की पिराई वर्तमान में कर पाती हैं और शेष 67 प्रतिशत गन्ना खाण्डसारी इकाइयां, गुड़, चारा, बीज में उपयुक्त होता है। इस दो तिहाई गन्ने का चीनी मिलों के न होने के कारण लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। इसका मुख्य कारण प्रदेश में उपयुक्त चीनी मिलों का न होना है।

मान्यवर, मेरे संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में गन्ने की बहुत अच्छी पैदावार होती है लेकिन उचित मात्रा में चीनी मिल न होने के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों का गन्ना मजबूरी में क्रेशर्स पर बहुत कम दामों पर डालना पड़ता है जिससे किसानों की आर्थिक हालत बहुत खराब होती जा रही है, मेरे क्षेत्र के किसानों को गन्ने का ठीक मूल्य मिल सके इसके लिए कम से कम दो चीनी मिलें लगना अनिवार्य है। अत: इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, बंगे मैं आपके द्वारा यह बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 80 स्थानों के लिए 154 आवेदन पत्र केन्द्र सरकार के यहां काफी समय से लम्बित हैं, जिन्हें स्वीकृति नहीं मिली है।

अत: अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही गन्ने के मिल के लाइसेंस देने की स्वीकृति दे।

अध्यक्ष जी, यह सर्वविदित है कि चीनी मिलों की पिराई से चीनी की रिकवरी 10-11 प्रतिशत होती है, जबकि खाण्डसारी एवं पावर कोल्हू से चीनी की रिकवरी मात्र 4-5 प्रतिशत होती है। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्र को कितना नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिल लगने से जहां किसानों को लाभ होगा, वहीं बेरोजगारी की समस्या के निदान में मदद मिलेगी।

अत: पुन: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि राष्ट्र हित और जनहित को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार चीनी मिलों के लाइसेंस अति शीघ्र प्रदान करेगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अखिल भारतीय ग्रामीण बैंकों की 196 शाखों के लाखों कर्मचारी पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। 31 मार्च से हड़ताल पर जाने का भी उन्होंने नोटिस दिया है। अखिल भारतीय ग्रामीण बैंकों की 196 शाखों को अमलगमेट करके नेशनल ट्रिब्यूनल अवार्ड को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान भी मैंने इस ओर आकर्षित किया था और उनसे निवेदन किया था कि इस ओर रचनात्मक और सृजनात्मक कदम उठाएं ताकि लाखों कर्मचारी जो सारे भारत में 196 ग्रामीण बैंकों की लगभग 400 शाखों में कार्यरत हैं, वे आन्दोलन कर रहे हैं। उनमें घोर असन्तोष है और उनके साथ अन्याय हो रहा है।

अत: आल इण्डिया रूरल बैंक का निर्माण कर दिया जाए और सब स्थानों पर नेशनलाइज करके, रेगुलराइज करके सर्विस कंडीशंस और कस्टमर्स कंडीशंस निर्धारित करके इनको आर्गनाइज

किया जाए। अभी यह होता है कि स्पोंसर्ड बैंकों के अधिकारी इन बैंकों में डेपूटेशन पर जाते हैं, वहां पर कन्फ्यूज करते हैं, 3 साल के लिए मैनेजर बन कर रह जाते हैं और स्केंडल करके चले जाते हैं।

अतः मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण बैंकों की सारी ब्रांचों को अमलगमेट किया जाए और नेशनल ट्रिब्यूनल अवार्ड को इम्प्लीमेंट किया जाए, जो सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के बाद स्वीकृत हुआ था और जिसको इम्प्लीमेंट करने का पूर्व वित्त मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं फिर बोल रहा हूं कि सदन में 542 सदस्य हैं। जिन्होंने क्वेश्चन ऑवर में बात की है, उनको 377 के तहत बात नहीं करनी चाहिए और जो नियम 377 के तहत बात कर चुके हों, उनको जीरो-ऑवर में बात नहीं करनी चाहिए, ताकि सब लोगों को चांस मिले।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के पत्रकारों और प्रैस फोटोग्राफरों की स्थिति बहुत खतरे में पड़ गयी है। एक नहीं अनेकानेक उदाहरण ऐसे हैं जहां प्रशासन से सांठ-गांठ कर के वहां पर पत्रकारों की पिटाई की जा रही है।

मान्यवर, कानपुर में मैं स्वयं गया था। वहां के छायाकार, प्रैस फोटोग्राफर अमीर सिंह, उर्फ लल्ला के ऊपर प्राणघातक हमला कराया गया। उनका सिर टूट गया और हाथ तथा पांव टूट गए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने केवल 10 हजार रुपया दे कर अपने कार्य की इतिश्री कर दी है। मान्यवर, सबसे शर्मनाक बात यह है कि छायाकार पर हमला इसलिए हुआ कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपनी "एकता यात्रा" पर जा रहे थे, उस समय कुछ प्रैस फोटोग्राफर्स और प्रैस के लोग उनके सभास्थल पर घुस गए थे।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलेंगे तो इसको ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी।

श्री सत्यपाल सिंह यादव : अध्यक्ष जी, इस पर वहां के वरिष्ठ पत्रकारों और छायाकारों से झगड़ा हुआ और वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चुनौती दी। जिसका अंजाम यह हुआ कि वहां छायाकार पर हमला कराया। मुख्यमन्त्री केवल जांच कराने की बात कर रहे हैं···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया, आप बस करिए। यह मामला बार-बार उठ रहा है। आप ज्यादा बोलेंगे तो इसको ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह यादव : तो मान्यवर, पत्रकार जो हैं, वे इसी तरीके से अपमानित होते रहेंगे।

[अनुवाद]

श्री एम चन्द्र शेखर (तुमकुर) : क्या प्रधानमन्त्री यह आश्वासन देंगे कि जूट-मजदूरों की हड़ताल···

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों ने एक-एक करके बोलने के लिए सहमति व्यक्त की थी। आप इस बात से भी सहमत हुए थे कि जो सदस्य प्रश्न काल में बोल चुके हैं वे शून्य काल में नहीं बोलेंगे।

अब श्री वीरेन्द्र सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया था। उसी पर बोलिए और दूसरे मुद्दे पर मत जाइए।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मीर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर बोलूंगा। अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र में गया था। क्षेत्र में जाने के बाद जिला स्तर के, प्रांतीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के बारे में चर्चा हुई थी तथा उनके जीवन की बदहाली के विषय में चर्चा हुई थी। सुन कर दिल दहल गया।

मैं सरकार का ध्यान बुनियादी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो राष्ट्रीय सम्मान के साथ जुड़ी हुई है। यह सवाल अध्यक्ष जी, गांव के खिलाड़ियों से सम्बन्धित है जो राष्ट्रीय, प्रान्तीय, जनपदीय तथा प्रखंडीय स्तर के होते हैं जो अपनी युवावस्था का महत्वपूर्ण समय खेल के जीवन में, राष्ट्र और प्रान्तीय तथा जनपदीय सम्मान को बढ़ाने में लगा देते हैं। परन्तु जब उनकी खेल की आयु समाप्त हो जाती है उस समय उनको जीवन-यापन के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होती है। जिससे गांव के रहने वाले खेल जगत से अपना सम्बन्ध तोड़ते जा रहे है। क्योंकि एक तरफ ग्रामीण खेलों की उपेक्षा होती रही और दूसरी तरफ इन खिलाड़ियों का अन्तिम समय बहुत ही दयनीय स्थिति में गुजरता है। जबकि किसी विभाग में नौकरी करने वाले राष्ट्र की सेवा में कार्यरत होते हैं, उसके परिणामस्वरूप उनको वेतन मिलता है और सेवाकाल समाप्त हो जाने के बाद यह विश्वसनीयता होती है कि नौकरी करने वाले व्यक्ति को पेंशन या जमाराशि मिलेगी। क्योंकि ये राष्ट्रीय सेवा करते समय राष्ट्र का सम्मान बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें सुविधा प्रदान होती है।

12.48 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लेकिन उपाध्यक्ष जी, सीधे-सादे गांव में रहने वाले खिलाड़ियों के जीवन की तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता, जो राष्ट्र सम्मान बढ़ाने में अपनी पूरी युवावस्था कड़ी मेहनत कर के राष्ट्र सेवा में अर्पित कर देते हैं। यही कारण है कि करोड़ों रुपया खेल की मद में खर्च होने के बावजूद भारत में खेल का स्तर गिरता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नौकरी करने वाले व्यक्तियों का विरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान के लिए अपना बहुमूल्य जीवन अर्पित करने वाले खिलाड़ियों की बदहाली और उनके जीवन के सुधार के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, यह मांग जरूर कर रहा हूं। आशा है आप इस राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का आदेश देने की कृपा करेंगे कि जो खिलाड़ी जिस तरह का हो उसको उसी स्तर की सुविधा प्रदान की जाएगी प्रखण्ड स्तर के खिलाड़ी, जिला स्तर के खिलाड़ी और प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पेंशन देने की व्यवस्था की जाएगी। इसी

तरह से ग्रामीण खिलाड़ियों की जो व्यवस्था की गयी है और उनमें जो बदहाली घुस गयी है, लगता है इसमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का समावेश हो गया है। इसलिए उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह शहरी खेलों का प्रचार-प्रसार होता है, क्रिकेट और टेनिस का मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह उनका प्रचार-प्रसार होता है, उस प्रचार-प्रसार को बन्द होना चाहिए और ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों का भी प्रचार-प्रसार उसी तुलना में होना चाहिए और ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को भी उसी तरह की सुविधा होनी चाहिए···(व्यवधान)···उपाध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान के तमाम हिस्सों में खेल का स्तर बढ़ेगा और विश्व में भी बढ़ेगा। जो खेल की व्यवस्था करने वाले और ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनका खेल से दूर का रिश्ता नहीं रहा है और ऐसे में ही खेल की व्यवस्था की है। इस सम्बन्ध में खेलों के बारे में चर्चा होनी चाहिए···(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली महानगरी के गरीबों की व्यथा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज से एक-डेढ़ महीने पूर्व हमारे बिहार के मजदूर रेलवे सीमेंट शेडिंग, शकरपुर बस्ती में लोडिंग और अन-लोडिंग करने का काम कर रहे थे और वहीं पर झोंपड़ी बनाकर रहने का काम करते हैं, उसी समय सी० आर० पी० एफ० और दिल्ली पुलिस ने मिलकर उनके घर में आग लगाई और सामान लूट लिया। इस बारे में मैंने प्रधानमन्त्री जी को और गृह मन्त्री जी को लिखा और अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दैनिक पत्रिका "राष्ट्रीय सहारा" में इस बारे में पूरी डिटेल्स लिखी गई है और एक मासिक मैगजीन में लिखा गया है। सरकार ने अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है और न राहत कार्य आरम्भ किया है। मैं मांग करता हूं कि प्रधानमन्त्री जी और गृह मन्त्री जी उस पर कार्यवाही करें और दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें और गरीब मजदूरों को राहत देने का कार्य करें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, कलकत्ता के जूट मिलों की हड़ताल का आज 44वां दिन है। जब संसद सदस्य प्रधानमन्त्री से मिलने गए थे तो प्रधानमन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि कामगारों और जूट मिलों के बीच के विवाद को निपटाने के लिए आप हरसंभव प्रयास करें। पश्चिम बंगाल सरकार ने हरसंभव कोशिश की है फिर भी इसका कोई हल नहीं निकला। पश्चिम बंगाल के 2 लाख से अधिक मजदूरों को इसके कारण कठिनाइयां हो रही हैं। यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। पर उनके आश्वासन के बाद भी भारत सरकार ने कुछ नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री सुदर्शन रायचौधरी (सीरमपुर) : महोदय, जनवरी के मध्य में मैं जब प्रधानमन्त्री के पास इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए गया था तो प्रधानमन्त्री ने मुझे और राज्य सभा के सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त को यह आश्वासन दिया था कि दो-तीन दिनों के भीतर इस मामले की जांच की जाएगी। सबसे पहले आप अशोक गहलोत का पता लगाने की कोशिश करें और फिर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि 44 दिन बीतने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। (व्यवधान) श्री हन्नान मोल्लाह ने इस मामले को प्रश्नकाल में उठाया है। जूट उद्योग विदेशी मुद्रा का अर्जन करने वाला एक प्रमुख उद्योग है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : या तो वस्त्र मन्त्री को इस विषय पर एक बयान देने को

कहें या फिर इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दें। यह एक गम्भीर विषय है उनका जीवन दांव पर लगा है। सरकार को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिए।

इस समय, श्री सुदर्शन रायचौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या नियम यह अनुमति देता है कि मन्त्री महोदय को उसी समय उत्तर देना चाहिए ? यह असम्भव है। आप इस मामले को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा अन्य किसी नियम के अंतर्गत सभा में रख सकते हैं। तत्पश्चात् सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन आप यह आज्ञा नहीं कर सकते कि सरकार उसी समय उत्तर दे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत इसकी अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रक्रिया नियमों का प्रयोग कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : हमने पहले ही सूचना दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल असाधारण मामलों को उठाने के लिए है जो प्रातः 10 बजे के बाद और 11 बजे से पहले घटते हैं इस प्रकार के मामले इस समय उठाए जा सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : हमने कई बार सूचनाएं दी हैं लेकिन सरकार ने उत्तर नहीं दिया है।

श्री रूपचन्द्र पाल : सरकार कुछ नहीं कर रही है।

श्री बसुदेव आचार्य : हम चाहते हैं कि वस्त्र मन्त्री यहां आएं और एक वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : वस्त्र मन्त्री ने आश्वासन दिया है कि कुछ कार्रवाई की जाएगी लेकिन कुछ नहीं किया गया है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे जानकारी मिली है कि आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए एक सूचना दी है; और आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अध्यक्ष के विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। दो लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पिछले 45 दिनों से हड़ताल चल रही है। सरकार इस मामले के बारे में चुप है। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है। इसलिए, आपको इस पर सभा में चर्चा करने के लिए अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : 45 दिनों की हड़ताल का मामला ऐसा नहीं है जिस पर मूक रहा जा सके। हमने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार हस्तक्षेप करे, हम सरकार से कुछ आश्वासन चाहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : मन्त्री महोदय वक्तव्य दे सकते हैं। दो लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 40 लाख जूट उत्पादकों का जीवन दांव पर लगा है। **(व्यवधान)**

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए अनुमति देना माननीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। आइए हम माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में चलें और उनसे चर्चा करें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : विरोध में हम सदन से बाहर जा रहे हैं।

1.00 म० प०

इस समय, श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

1.01 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं श्रीमती शीला कौल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1506/92]

(3) (एक) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1507/92]

(5) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का *वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुई देरी के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1508/92]

(6) (एक) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1509/92]

बाट और मानक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बाट और मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत

*राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे 16 मई, 1990 को सभा पटल पर रखे गए थे।

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) बाट और मानक (पैकेज्ड वस्तुएं) संशोधन नियम, 1992, जो 17 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 50(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बाट और मानक (पैकेज्ड वस्तुएं) दूसरा संशोधन नियम, 1992, जो 6 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 88(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1510/92]

सोसाइटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं और लेखापरीक्षित लेखे आदि

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (क) सोसाइटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1511/92]

(ख) (एक) सोसाइटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च मुम्बई के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सोसाइटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1512/92]

(ग) (एक) सोसाइटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सोसाइटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इन्जीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक, लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1513/92]

(.) सोसाइटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इन्जीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1514/92]

(3) उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1515/92]

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की पुनरीक्षा

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1516/92]

हिन्दुस्तान कीटनाशी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान कीटनाशी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कीटनाशी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1517/92]

(2) वर्ष 1991-92 के लिए राष्ट्रीय केमीकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय के बीच समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1518/92]

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1519/92]

भारत लैदर कारपोरेशन, आगरा का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1520/92]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1991 जो 21 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एन-12/13/2/91-पी एण्ड डी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (चौथा संशोधन) विनियम, 1991 जो 28 दिसम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एन-12/13/3/91-पी एण्ड डी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1521/92]

(2) सम्मेलन संख्या 160 पर की गयी कार्यवाही अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (जून, 1985) के 71वें सत्र में स्वीकृत सिफारिश संख्या 170 के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1522/92]

(3) सम्मेलन के बारे में की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (जून, 1986) के सामान्य सम्मेलन के बारे में 72वें स्वीकृत सिफारिश के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1523/92]

(4) (एक) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1524/92]

———

1.02 म० प०

प्राक्कलन समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : मैं वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग)—राष्ट्रीयकृत बैंकों में जनशक्ति अपेक्षाएं सम्बन्धी प्राक्कलन समिति (नौवीं लोक सभा) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.02½ म० प०

अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हाजोंग आदिवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के बारे में याचिका

[हिन्दी]

श्री ललित उरांव (लोहरदगा) : मैं अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हाजोंग आदिवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के बारे में बी-5/07, सफदरजंग इंक्लेव, नई दिल्ली के निवासी श्री उत्तम चकमा द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

1.03 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कोचीन में एक नए हवाई अड्डे का निर्माण करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी० सी० चक्को (त्रिचूर) : कोचीन के नौसैनिक हवाई अड्डे का उपयोग नागर विमानन विभाग द्वारा घरेलू उड़ानों के लिए किया जा रहा है परन्तु पिछले 15 वर्ष से कोचीन हवाई अड्डे में कोई सुधार नहीं किया गया।

एयरबसें अथवा अन्य बड़े विमान कोचीन हवाई अड्डे पर नहीं उतर सकते और छोटे हवाई जहाजों द्वारा कोचीन की यातायात की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता। कोचीन केरल राज्य का न केवल एक केन्द्रीय स्थल है अपितु यह पर्यटन का भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। अतः की

अत्यधिक पर्यटन सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, कोचीन हवाई अड्डे के विस्तार के बारे में उच्च प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाए ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री के साथ 14-9-91 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, इरनाकुलम के जिला कलक्टर ने कोचीन में नए हवाई अड्डे में निर्माण के लिए तीन प्रस्ताव प्रस्तुत किए ।

इस नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए नागर विमानन मंत्रालय की मुख्य आपत्ति धन की कमी के कारण है । इसलिए, यह सुझाव दिया गया कि कोचीन हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कोंकण रेलवे बोर्ड की पद्धति पर अप्रवासी भारतीयों की सहभागिता के बारे में विचार किया जाए तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में शीघ्र कदम उठाए जाएं ।

(दो) **कर्नाटक में "बाल्मीकि" और "बोया" जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता**

श्री गंगाधरा सानीपल्ली (हिन्दुपुर) : दक्षिण में बाल्मीकि और बोया जनजातियां मुख्य रूप से अर्द्ध-घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रही हैं । उनका मुख्य धन्धा शिकार करना तथा फल इकट्ठे करना है । परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के चार दशक बाद भी उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में कोई खास सुधार नहीं हुआ । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक सरकार ने उन्हें अनुसूचित जनजातियों का दर्जा प्रदान किया ।

मैं केन्द्रीय सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि उन्हें अनुसूचित जनजातियों का दर्जा प्रदान करे ।

(तीन) **आंवला, उत्तर प्रदेश में एक तेल डिपो का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, आंवला संसदीय क्षेत्र में आयल डिपो की स्थापना किए जाने हेतु वर्ष 1990 में स्वीकृति की गई थी जिसके लिए आवश्यकतानुसार किसानों को अधिग्रहीत की गई भूमि के बदले में उचित मुआवजा आदि का भुगतान नहीं हो पाया है । इसके अतिरिक्त आयल डिपो का निर्माण कार्य भी अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है जबकि निर्माण हेतु कई करोड़ की धनराशि सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है । इस आयल डिपो के निर्माण होने से क्षेत्र के पेट्रोल/डीजल सम्बन्धी समस्या का शीघ्र समाधान हो जाएगा । निर्माण में जितनी देरी होगी उतनी ही मूल्य वृद्धि के अनुपात में निर्माण कार्य की लागत बढ़ जाएगी इसलिए बिना किसी विलम्ब के शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना नितांत आवश्यक है ताकि क्षेत्र की आयल सम्बन्धी मांग की पूर्ति हो सके ।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आंवला में यथाशीघ्र आयल डिपो का निर्माण कराने की व्यवस्था की जाये ।

(चार) कृषि और ग्रामीण सहकारी ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत गुजरात सरकार को धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा (सूरत) : गुजरात सरकार ने भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्ग-निदेशों के अनुसार कृषि और ग्रामीण सहकारी ऋण राहत योजना, 1990 शुरू की है। इस योजना में केन्द्रीय सरकार तथा गुजरात राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वित्तीय भार वहन करने की व्यवस्था है। उ। 553.58 करोड़ रुपए के वित्तीय बोझ में से केन्द्रीय सरकार का हिस्सा बराबर का है, अर्थात् उसने 176.79 करोड़ रुपए है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार वहन की जाने वाली धनराशि उसे केन्द्रीय सरकार से ऋण के रूप में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से प्राप्त होती है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से अब तक राज्य सरकार को उसके अंश के रूप में 107.406 करोड़ रुपए का अनुदान तथा 107.406 करोड़ रुपए का ऋण जारी किया है। अतः कुल 214.812 करोड़ रुपए प्राप्त हुए है जो राज्य सहकारी बैंक तथा राज्य भूमि विकास बैंक को दिए गए हैं।

अब, भारत सरकार द्वारा 138.768 करोड़ रुपए दिए जाने की आवश्यकता है—इसमें से आधी धनराशि अनुदान सहायता के रूप में तथा शेष धनराशि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से ऋण रूप मे दी जानी जानी है। भारत सरकार से समय-समय पर शीघ्र धनराशि जारी करने के लिए अनुरोध किया जाता रहा है।

इन परिस्थितियों में, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शेष धनराशि शीघ्र जारी की जाए।

(पांच) पूरे देश में शीत भांडागारों में आलू के भंडारण के लिए एक समान दर नियत किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संजय लाल (समस्तीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। खासकर उत्तरी बिहार के किसान बाढ़ से तो पीड़ित रहते ही हैं, साथ ही कृषिजन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और बिचौलियों द्वारा अपनाई गई शोषण की नीति के कारण उनकी परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं। इस वर्ष बिहार में आलू की फसल पाला (अधिक सर्दी) पड़ने के कारण जल गई है। इसके बावजूद कोल्ड स्टोरेज के मालिकों द्वारा अपने कोल्ड स्टोर में आलू रखने के लिए स्थान आरक्षित कराने के लिए 15 रु० प्रति क्विंटल अग्रिम लिया जा रहा है जो अन्य वर्षों से अधिक है। साथ ही कोल्ड स्टोर में आलू रखने की दर पहले से बढ़ाकर अब 65 रु० प्रति क्विंटल कर दी गई है जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। अतः केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि विशेष परिस्थिति में बिहार के किसानों की इस परेशानी को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों के लिए कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने के लिए एक समान दर निर्धारित करें जिससे किसानों की परेशानी दूर हो और प्रत्येक राज्य के किसान अधिक आर्थिक शोषण से मुक्त हो सकें।

(छः) बिहार में सहरसा जिले में एक उच्च शक्ति का टी० वी० ट्रांसमीटर तथा सुपौल में कम शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सूर्य नारायण यादव (सरहसा) : मान्यवर, मैं अपने संसदीय क्षेत्र सरहसा के दूरदर्शन रिले केन्द्र की बात उठाना चाहता हूं। यहां पर जो दूरदर्शन का रिले केन्द्र है, उसकी प्रसारण क्षमता इतनी कम है कि उसके कार्यक्रम सहरसा शहर की पूर्ण आबादी भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही है। इस सम्बन्ध में मैंने पूर्व में भी यह मामला संसद में उठाया है परन्तु बात जहां की तहां रह गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो जिले हैं जिसमें एक सहरसा है और दूसरा सुपौल है। अब सहरसा के निवासी ही दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं तो फिर दूसरे जिले की जनता क्या कार्यक्रम देखेगी और इसी के कारण हमारे यहां की जनता में काफी रोष है और इसी के कारण यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र सहरसा के दूरदर्शन रिले केन्द्र में एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाया जाए तथा नए बने जिले सुपौल में भी एक कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाया जाए जिससे हमारे क्षेत्र के ये दोनों जिले दूरदर्शन के कार्यक्रम सही प्रकार से देख सकें और यहां की जनता को इसका पूर्ण लाभ मिल सके। इसके कार्यक्रम के देखने से मेरे क्षेत्र की जनता का शैक्षिक स्तर भी ऊंचा उठेगा, साथ ही पड़ोसी देश नेपाल में भी यहां के कार्यक्रम सही प्रकार से देखे जा सकेंगे। इस मामले में अब और अधिक विलम्ब न किया जाए।

(सात) कालीकट से शारजाह तक विमानों की उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, यह अत्यन्त प्रसन्नताजनक बात है कि इण्डियन एयरलाइन्स ने कालीकट से शारजाह तक ए-320 एयरबस विमान की नई उड़ान शुरू की है। यह उड़ान सप्ताह में केवल तीन दिन चलती है। यह देखा गया है कि इस रूट पर कई महीनों पहले से ही भारी बुकिंग रहती है। कालीकट-शारजाह उड़ानों की वर्तमान आवृत्ति को बढ़ाने के अतिरिक्त जनता द्वारा कलकत्ता से जेद्दा (सऊदी अरब), आबु धाबी (यू० ए० ई०) मस्कट (अमान) दोहा (कत्तर) की उड़ानें चालू किए जाने की मांग की गई है। इसलिए मेरा नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय से अनुरोध है कि कालीकट-शारजाह की उड़ान प्रतिदिन किए जाने के लिए इंडियन एयरलाइन्स को निदेश दें तथा कालीकट हवाई अड्डे से आबु धाबी, मस्कट, जेद्दा, दोहा इत्यादि के लिए नई उड़ानें शुरू की जाएं।

(आठ) डीजल चालित जेनरेटरों द्वारा विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कर्नाटक विद्युत परिषद् को एस० एस० एच० एस० इंधन आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री ओस्कार फर्नान्डीज (उदीपी) : कर्नाटक विद्युत बोर्ड ने बंगलौर के निकट चेलाहांका में छह डीजल जेनरेटर सेटों की स्थापना की परियोजना का कार्य शुरू किया है। प्रत्येक जेनरेटर सेट की विद्युत उत्पादन क्षमता 21.32 मेगावाट की होगी। बिद्युत की कमी वाले बंगलौर शहर के लिए जहां सरकारी

क्षेत्र के अनेक विशाल उपक्रम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, डीजल जेनरेटर सेटों की अत्यन्त आवश्यकता है।

पहली यूनिट, अर्थात् एक डीजल जेनरेटर सेट की स्थापना का कार्य चल रहा है तथा मार्च 1992 के अन्त तक इसमें कार्य शुरू हो जाएगा। परन्तु वह यूनिट केवल एल० एस० एच० एस० ईंधन से ही कार्य करेगा जो भारतीय तेल निगम के माध्यम से पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय द्वारा आबंटित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी मंत्रालय द्वारा एल० एस० एच० एस० ईंधन का आबंटन अभी तक नहीं किया गया। चूंकि पहली यूनिट इस माह में कार्य करना प्रारम्भ कर देगी, इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि एल० एस० एच० एस० ईंधन का शीघ्र आबंटन किया जाए। इससे अत्यधिक संख्या में बड़े और मध्यम आकार के उद्योगों, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता मिलेगी जिन्हें कर्नाटक विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत की कमी के कारण की जाने वाली कटौती का सामना करना पड़ रहा है और अन्ततः इससे देश के औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

1.11 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

श्री रति लाल वर्मा (धनुका) : महोदय, मैं गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.12 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.17 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.17 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लोक दायित्व बीमा (संशोधन) अध्यादेश 1992 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

लोक दायित्व बीमा (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 14 और 15 मदों को एक साथ लेंगे। सांविधिक संकल्प और लोक दायित्व बीमा (संशोधन) विधेयक।

श्री लोकनाथ चौधरी—उपस्थित नहीं । श्री इन्द्रजीत गुप्त—उपस्थित नहीं । श्रीमती गीता मुखर्जी—उपस्थित नहीं। श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे—उपस्थित नहीं । अब, श्री गिरधारी लाल भार्गव प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"कि यह सभा 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित लोक दायित्व बीमा (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 6) का निरनुमोदन करती है ।"

उपाध्यक्ष महोदय, अध्यादेश को निरस्त किया जाए इस सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है । मैं निवेदन कर रहा था कि यह बिल लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, इसको परिसंकट में पदार्थों के संचालन करते समय होने वाली जो दुर्घटनाएं थीं और उनसे जो पीड़ित थे उनको तत्काल राहत देने के उद्देश्य से यह शुरू में बनाया था । इस अधिनियम के तहत आपने परिसंकट में पदार्थों के संचालन पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को दोष न होने के सिद्धांत पर पीड़ितों को अन्तरिम राहत के रूप में निर्धारित राशि का भुगतान करने वाली बात की थी और कहा था परिसंकट में पदार्थों का संचालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस प्रयोजन के लिए बीमा पालिसी जरूरी है । लेकिन बीमा पालिसी वालों ने, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड मांग थी कि कितना पैसा देना पड़ेगा, कहीं पर सहयोग नहीं किया और सहयोग न करने के कारण यह लागू नहीं हो सका । उन्होंने कहा कि हम असीमित दायित्व के लिए बीमा पालिसी नहीं देंगे । अतः महसूस किया गया कि बीमा कम्पनी की देयता को बीमा पालिसी की राशि तक सीमित रखा जाए । यद्यपि अधिनियम के अन्तर्गत स्वामी का दायित्व असीमित रहेगा, मालिक को अनलिमिटेड रखा गया और बीमा पालिसी वाले जितना बीमा कराएंगे उतना देंगे । मेरा मतलब है कि परिसंकट में पदार्थों के संचालन पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से एकत्रित की गई अतिरिक्त राशि से एक कोष बनाने वाली बात कही है । इस कोष का नाम हिन्दी में पर्यावरणीय राहत कोष स्थापित करना होगा । इससे बीमा पालिसी से जो पैसा आएगा वह और मालिकों से जो अतिरिक्त पैसा लिया जाएगा वह और जितनी भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाएगी तो पीड़ित व्यक्ति को राहत दे सकेंगे । कोष बनाने का सारा उद्देश्य यह है । यह कोष बनाने का आपका जो उद्देश्य है, उसको मैं समझता हूं । आपने परिभाषाओं को स्पष्ट करने के बारे में कहा है और कितनी सम्पत्ति का बीमा हो सकेगा, यह बात भी कही है ।

इसके अलावा एक बात यह कही है कि जो कल-कारखाने का मालिक है, वह अपनी प्रापर्टी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकेगा । मान लो किसी का कोई नुकसान हुआ और दुर्घटना हो गई, उस रकम से जो बचना चाहता है, उससे वह बच नहीं सकेगा । मेरा मतलब यह है कि बिल का उद्देश्य तो ठीक है, लेकिन आप बिल सीधे लेकर आते । बार-बार महामहिम राष्ट्रपति जी से अध्यादेश को जारी करवाना मुनासिब नहीं है । सबसे पहली आबजैक्शन मेरी यह है कि बार-बार महामहिम राष्ट्रपति जी को इसके लिए कष्ट नहीं दिया जाए । अध्यादेश निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी । यह सीधे बिल की मार्फत आना चाहिए था । मन्त्री महोदय किस उद्देश्य से इस बिल को यहां रखना चाहते हैं,

क्या उनकी मंशा है, वह ये सब हमें बताएं। ऐसा लगता है कि बीमा पालिसी वालों ने उनके साथ सहयोग नहीं किया। अब वह इससे कितना बीमा करवायेंगे ? वह जो नया फंड क्रियेट करना चाहते हैं, उसके क्या ऐम्ज एण्ड आबजैक्ट्स होंगे ? जो व्यक्ति कल-कारखाने में काम करता है, उसको कैसे जल्दी राहत दी जाएगी और जो प्रापर्टी होल्डर हैं, जो कारखाने के मालिक हैं, वह अपनी प्रापर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ऐसे में कैसे इस पर आप रोक लगायेंगे। इन सब बातों का जब मुझे उत्तर मिल जायेगा, उसके बाद मैं फिर अपने विचार रखूंगा। यह जो आर्डिनेन्स लाया गया है, उसको निरस्त करने का मैं समर्थन करता हूं और इस प्रस्ताव को सदन के सामने रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित लोक दायित्व बीमा (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 6) का निरनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जैसाकि सदस्य जानते हैं कि लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 तत्काल राहत देने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसमें कुछ विद्वान सदस्यों को गलतफहमी है। यह विधेयक खतरनाक पदार्थों का प्रयोग करते हुए होने वाली दुर्घटनाओं में फैक्टरी के कामगारों के अतिरिक्त शिकार हुए व्यक्तियों को तत्काल राहत न कि मुआवजा देने तक सीमित है। अधिनियम मे यह उपबन्ध है कि मालिक, जिसका खतरनाक पदार्थों के प्रयोग पर नियन्त्रण होता है, शिकार हुए व्यक्तियों को अन्तरिम सहायता के रूप में बीमा नीति द्वारा निर्दिष्ट राशि का भुगतान करें। अन्तरिम सहायता दोषमुक्त दायित्व पर आधारित होगी, जिसका अर्थ है कि सहायता के दावेदार से अपराध स्वीकार करने और यह सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी कि जो दुर्घटना, क्षति अथवा नुकसान हुआ है, जिसके सम्बन्ध में दावा किया गया है, वह किसी व्यक्ति की गलती, असावधानी अथवा चूक के कारण हुआ है।

अधिनियम शिकार हुए व्यक्तियों को न्यायालयों का सहारा लेने और सहायता प्राप्त करने के लिए मुकदमा लड़ने से मुक्ति दिलाता है।

अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, खतरनाक पदार्थों का प्रयोग करने वाले एककों को 31 मार्च, 1992 तक बीमा पालिसी लेनी होगी। तथापि अधिनियम सामान्य बीमा निगम द्वारा अधिनियम में बताए गए असीमित दायित्व के लिए बीमा पालिसियां देने के लिए सहमत नहीं होने के कारण कार्यान्वित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, वह चाहता है कि बीमा केवल रासायनिक पदार्थों से हुई दुर्घटनाओं के लिए होना चाहिए और फैक्टरी में होने वाली अन्य किसी घटना के लिए नहीं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों को शारीरिक रूप से हानि उठानी पड़ती है। यह सुझाव दिया गया कि पालिसी के बारे में वित्तीय सीमा होनी चाहिए, ताकि सीमाओं और वित्तीय संरक्षण के

सम्बन्ध में बीमा पालिसी वाणिज्यिक और वित्तीय सूझ-बूझ के स्वीकार्य मानदण्डों के भीतर हो। इस समस्या को सुलझाने के लिए अन्तर-विभागीय स्तर पर विचार-विमर्श किया गया। सर्वसहमति यह थी कि बीमा कम्पनियों का दायित्व जोखिम वाले एककों के लिए बीमा पालिसी जारी करने की सुविधा देने तक सीमित होना चाहिए। यह केवल अधिनियम में संशोधन द्वारा ही सम्भव था। इसलिए, हमने लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है।

संशोधन की अधिक महत्वपूर्ण बात दुर्घटना के समय शिकार हुए व्यक्तियों को सहायता देने के लिए अवशिष्ट दायित्व को पूरा करने हेतु बीमा कम्पनियों के दायित्व को सीमित करना और पर्यावरण राहत निधि बनाना है। यह प्रस्ताव है कि मालिक बीमा पालिसी लेगा जोकि खतरनाक पदार्थों का प्रयोग करने वाली कम्पनी की प्रदत्त पूंजी से कम नहीं होगी। पचास करोड़ रुपए की राशि अधिकतम सीमा के रूप में निर्धारित की गई है।

दुर्घटना में शिकार हुए व्यक्तियों को शीघ्र वित्तीय सहायता देने के लिए बीमा कम्पनियों द्वारा राशि जमा करने के लिए एक समय सारिणी बनाने का प्रस्ताव प्रस्तावित संशोधन द्वारा रखा जाना है। जिला, जहां दुर्घटना हुई है, के कलक्टर के पास बीमा कम्पनी द्वारा धनराशि जमा करने के लिए यह अवधि 30 दिन रखी गई है कलक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि बीमा कम्पनियों का अधिकतम दायित्व बीमा पालिसी में दी गई सीमा से अधिक नहीं है।

जब दावे की राशि बीमे की राशि से अधिक होगी तब हमने एक सम्भाव्यता की कल्पना की है। इसके लिए मैं पर्यावरण राहत निधि बनाने का प्रस्ताव रख रहा हूं जिसे मेरा मन्त्रालय देखेगा। पालिसी धारक प्रत्येक मालिक इस निधि में इसकी प्रीमियम की राशि से अधिक जमा नहीं रखेगा। यह राशि प्रीमियम सहित बीमा कम्पनी को भुगतान कर दी जाएगी और बीमा कम्पनी द्वारा निधि में जमा कर दी जाएगी। तथापि, यह केवल तत्काल सहायता उपाय होगा। कुल मुआवजा देने के लिए अन्ततः दायित मालिक का होगा।

एक अन्य सम्भाव्यता, जिसकी हमने कल्पना की है, मालिक द्वारा भुगतान से बचने के लिए सम्पत्ति के अन्तरण को हटाना है। हमने फर्म द्वारा ऐसी कार्यवाही पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव किया है।

परिभाषाओं को और स्पष्ट करने के लिए उनमें कुछ परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव किया गया है। "घटनाओं" अथवा "प्रसंगों" को अब "दुर्घटनाओं" जिन्हें किसी अचानक, अनजाने में हुई घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है, के क्षेत्र से अलग कर दिया गया है। यह महसूस किया गया कि रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के लिए जिम्मेदार किसी फर्म के साझीदार, संघ के सदस्य, सभी अथवा कोई निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा कम्पनी के अन्य अधिकारियों को मालिक समझा जाना चाहिए। इन संशोधनों में इसी का प्रस्ताव है।

महोदय, संशोधन के कार्यान्वयन को प्रभावकारी बनाने के लिए हमने इस सम्बन्ध में नियम बनाए हैं और पर्यावरण राहत निधि के लिए योजना की रूपरेखा पर एक प्रारूप तैयार किया है जोकि शीघ्र सभी सम्बन्धित लोगों के साथ विचार-विमर्श के बाद अधिसूचित किया जाएगा।

मैं सभा के माननीय सदस्यों का समर्थन चाहूंगा और उनके सुझावों और टिप्पणियों का स्वागत करूंगा।

इन शब्दों के साथ, मैं सभा में विचार के लिए प्रस्ताव रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जाना है। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 15 जून, 1992 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दाऊ दयाल जोशी—अनुपस्थित। प्रो० रासा सिंह रावत।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, उस पर 30 जून, 1992 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा के लिए एक घंटे का समय दिया गया है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और समय को बढ़ाया जा सकता है ताकि सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : काफी संख्या में वक्ता हैं। सूची काफी बड़ी है और यह एक सुखद बात है। अतः जिन्हें पहले बोलने का अवसर मिले, उनको बाद के वक्ताओं का ध्यान रखना चाहिए। मैं श्री ए० चार्ल्स का नाम पुकारूंगा।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मैं लोक दायित्व बीमा (संशोधन) विधेयक, 1992, जोकि अब सभा के समक्ष लाया गया है, का समर्थन करता हूं।

इसके पारित होने के एक वर्ष बाद अब इसमें संशोधन आवश्यक हो गया है। यह इसलिए भी आवश्यक हो गया है क्योंकि उद्योगों के विकास ने खतरनाक प्रकृति के प्रचालनों में वृद्धि हो गई है और इससे न केवल श्रमिकों, बल्कि उन निर्दोष लोगों के भी दुर्घटनाग्रस्त होने का जोखिम बढ़ा है जो उन उद्योगों के आसपास रहते हैं। त्यौहारों के समय में आतिशबाजी का सामान बनता है। ये सभी

लाइसेंसधारी और गैर-लाइसेंसधारी व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं। लगभग 8,000 उद्योगों को खतरनाक माना गया है यह संख्या बढ़ रही है।

लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 उन लोगों को राहत देने के उद्देश्य से लाया गया था जोकि दुर्घटनाओं से प्रभावित हुए हैं और जो अधिकांश तौर पर समाज के गरीब वर्गों के आते है।

प्रसंगवश, मैं बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के अपराधों को अन्यायपूर्ण कार्यों पर लागू कानून के अन्तर्गत आना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश, अन्यायपूर्ण गतिविधियों पर लागू कानून इस देश में आरम्भिक अवस्था में है। तकरीबन सभी विकसित देशों में ऐसे अधिनियम आवश्यक नहीं हैं क्योंकि वे नुकसान के मुआवजे के रूप में बड़ी धनराशि प्राप्त करते हैं। अन्यायपूर्ण दायित्व मुख्यतया कानून द्वारा निर्धारित करार भंग से उत्पन्न होता है। यह करार में आमतौर पर व्यक्तियों की ओर होता है तथा इसका उल्लंघन होने पर नुकसान की क्षतिपूर्ति न किए जाने पर क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। दिए जाने वाले हरजाने की कोई सीमा नहीं है। सभी विकसित देशों में, छोटी-छोटी दुर्घटनाओं के लिए भी उन्हें बड़ी राशि मिलती है।

बहुत से दिलचस्प मामले हैं। मैं एक दिलचस्प मामले का हवाला दूंगा। इंग्लैंड में रेलगाड़ी से एक महिला यात्रा कर रही थी। उसके साथ एक छोटी सी दुर्घटना हुई और संयोगवश उसका होठ एक दरवाजे से जा टकराया जिसके कारण छोटी सी चोट आई। वह अस्पताल गई। कुछ दिनों के बाद वह पूर्ण तौर पर ठीक हो गई। लेकिन उसने न्यायालय में कहा कि उसके साथ एक दुर्घटना हुई और इस घाव से उसका काफी नुकसान हुआ है और उसने कहा कि उसे चुम्बन में सामान्यतया मिलने वाला आनन्द नहीं मिलता क्योंकि उसका होंठ क्षतिग्रस्त हो गया है। न्यायालय ने उसकी दलील स्वीकार कर ली और नुकसानी की तौर पर उसे एक बड़ी राशि दी गई।

हमारे देश में, यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और यदि उसकी मौत भी हो जाती है, तो भी बहुत कम धनराशि दी जाती है।

लगभग एक वर्ष पहले, केरल के एक सरकारी अस्पताल में एक मरीज को कुछ गलत दवाइयां दे दी गई थीं। दो व्यक्ति तुरन्त मर गए। राज्य सरकार ने मुआवजे के रूप में प्रत्येक के लिए 5000 रुपए दिए।

अतः इस देश में जो वस्तु कीमती नहीं है वह है जिन्दगी।

मुझे खुशी है कि इस विधेयक में, जहां कहीं भी आवश्यक है, पर्याप्त मुआवजा देने का उचित ध्यान रखा गया है। ऐसा मुआवजा यथासम्भव शीघ्र दिया जाना चाहिए।

वास्तव में 199। में, जब इस विधेयक पर सभा में चर्चा की गई थी, कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि इस विधेयक की व्यवस्थाएं तत्काल मुआवजा देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वे महसूस करते हैं कि इसे लेकर भी कुछ त्रुटियां हैं कि बीमा कम्पनियां बीमा नीतियों को कैसे चलने दें। उस समय ये सभी शंकाएं व्यक्त की गई थीं। लेकिन तब मन्त्री महोदय ने कहा था कि हर बात का ध्यान

रखा गया है। लेकिन अब यह पाया गया है कि उस समय व्यक्त की गई सभी शंकाएं सच साबित हुई हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उन त्रुटियों को सुधारने के लिए माननीय मन्त्री यह कानून लाए है।

महोदय, इस विधेयक को जांचते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसमें यथासम्भव शीघ्र राहत देने की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। कुछ परिभाषाएं बदल दी गई हैं, विशेषकर "स्वामी" की परिभाषा। जो प्रतिष्ठा के स्वामी हैं, उसको अब शामिल कर लिया गया है। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो वास्तविक अभियुक्तों के लिए बच निकलने का यह एक उपाय बचा रहा जाता। कानून के अन्तर्गत कब्जा प्रथम दृष्टया स्वामित्व है। यदि किसी व्यक्ति के पास ये खतरनाक वस्तुएं हैं और यदि कोई घटना या दुर्घटना होती है, तो स्वाभाविक तौर पर उसे ही जिम्मेवार माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो इनका नियन्त्रित कर रहा है वह जिम्मेवार है वास्तविक अभियुक्त वह होना चाहिए जिसके नाम में हैं। मेरे विचार म परिभाषा का विस्तार इस विधेयक के उद्देश्य को ध्यान मे रख किया गया है।

महोदय, माननीय मन्त्री ने खण्ड 4 में संशोधन के बारे में भी भलीभांति बताया है। 30 दिन के भीतर बीमाकर्त्ता को राशि जमा करानी होती है। मैं इस विशेष खण्ड की सराहना करता हूं। यथासम्भव कम समय में कम्पनी को इसकी देनदारी के लिए जवाबदेह बनाया गया है लेकिन मैं एक बात को स्पष्ट करूंगा। खण्ड 5(3) के अन्तर्गत यह कहा गया है :

> "केन्द्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस प्राधिकारी का हवाला देते हुए जिसमे राहत निधि निहित होगी। ऐसी योजना बनाएगी।"

विधेयक में संशोधन करने के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण खण्ड है। मैं माननीय मन्त्री जी मे यह जानना चाहूंगा कि वे अधीनस्थ विधान को पारित करने, नियमों को बनाने मे और आवश्यक आदेश जारी करने में कितना समय लेंगे ताकि बीमाकर्त्ता द्वारा जमा किया गया पैसा पीड़ित तक पहुंच सके। ये सभी कार्य इस बात को ध्यान में रखकर किए गए हैं कि पैसा पीड़ित तक पहुचे। ऐसा नहीं है कि बीमा कम्पनी केन्द्र सरकार के पास पैसा जमा कराए और वह वहीं रहे। मेरी इसके बारे में एक गम्भीर शंका है। मैं इसके बारे में गम्भीरता से चिन्तित हूं क्योंकि कई मामलों में, लाल-फीताशाही के कारण ऐसा करने में वर्षों लग जाते हैं। अधीनस्थ विधान पारित करने में वर्षों लग जाते हैं। अत: इसके लिए निश्चित अवधि होनी चाहिए। यह अवधि तीन महीने या छह महीने हो सकती है। उस समय के भीतर केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिए जाने चाहिएं। इस मामले में भी यह शर्त होनी चाहिए कि बीमाकर्त्ता से पैसा प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इसे वास्तव में पीड़ित व्यक्ति को दिया जाए। यदि नहीं दिया जाता तो संशोधन का सम्पूर्ण प्रयोजन ही नष्ट हो जाएगा। अत: मेरा विचार है कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में मेरे विचारों को समझेंगे। उत्तर देते हुए वह निश्चित तौर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि विधान निर्धारित समय में पारित किया जाएगा और एक निर्धारित समय में राहत भी वास्तविक पीड़ित तक पहुंचा दी जाएगी।

मैं अगले प्रश्न पर आता हूं। यह निर्धारित करने के लिए कि वास्तव में क्या दुर्घटना हुई है, इसके क्षेत्र का भी विस्तार किया गया है। इसमें भी एक अन्य मुख्य कठिनाई है। अत: मैं समझता हूं कि जो विधेयक सभा के समक्ष है इसका प्रारूप अच्छी तरह से तैयार किया गया है और इसमें कमजोर

वर्गों का ध्यान रखा गया है। मुझे एक बात कहनी है। वर्ष 1991 में भी, जब मूल अधिनियम पर चर्चा की गई थी, तो अनेक माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया था कि नैमित्तिक मजदूर, ठेका मजदूर इत्यादि को इस अधिनियम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जा रहा था। निश्चय ही, इनके लिए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम है। मैं समझता हूं कि सभी असंगठित मजदूर, जो इन दुर्घटनाओं के भी शिकार होते हैं, का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस साधारण से कारण में यह अब प्रस्तावित उपायों का स्वागत करूं अथवा उनका विरोध करूं क्योंकि वर्ष 1991 में पारित मूल अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने से पूर्व सरकार ने अधिनियम में अनेक संशोधन प्रस्तुत कर दिए हैं। मूल अधिनियम में 23 धाराएं थीं और इस विधेयक के माध्यम से अनेक संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

माननीय मन्त्री जी सभा के ध्यान में यह बात ला रहे हैं कि इस अधिनियम में किसी खतरनाक (विषैले) पदार्थ का उपयोग करते समय हुई दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को शीघ्र राहत प्रदान किए जाने का प्रावधान है। परन्तु हम देखते हैं कि न केवल शीघ्र राहत प्रदान की जानी चाहिए अपितु पर्याप्त राहत भी प्रदान की जानी चाहिए। इस उपबन्ध के अतिरिक्त, हम देखते हैं कि ऐसे मामलों में राहत के दावे के लिए कोई अन्य उपबन्ध नहीं है जिसमें एक तीसरी पार्टी, जो ऐसे खतरनाक पदार्थ के निर्माण में नहीं लगी हुई है दुर्घटना में शामिल हो जाती है और इसकी शिकार हो जाती है।

वर्तमान संशोधन द्वारा बीमा कम्पनी के दायित्व को सीमित करने के बारे में विचार किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में इस सामान्य कारण से सरकार के दृष्टिकोण को समझ नहीं पा रहा हूं कि मूल अधिनियम की अनुसूची में प्रदान की जाने वाली राहत की धनराशि निश्चित की गई है। दुर्घटना से मृत्यु हो जाने के मामले में चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त, 25,000 रु० प्रति व्यक्ति राहत सहायता प्रदान की जाएगी, जिसकी सीमा अधिकतम 12,500 रु० पुनः निर्धारित की गई है। ऐसी दुर्घटनाओं के मामले में शिकार हुए व्यक्तियों को राहत प्रदान करने का यह उपबन्ध, वाहन दुर्घटना में शामिल तीसरी पार्टी के जोखिम के मामले में उपबन्धों की तुलना में बहुत अधिक है। वाहन दुर्घटना के मामले में भी मूलत बीमाकर्त्ता का निश्चित दायित्व है। परन्तु उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार को तीसरी पार्टी के जोखिम के मामले में बीमाकर्त्ता के दायित्व को असीमित बनाने के लिए मोटर यान अधिनियम में भी संशोधन करना पड़ा था।

बीमा कम्पनी आखिरकार विधान के तहत बनाई गई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को राहत सहायता के भुगतान के लिए बीमा कम्पनियों द्वारा उनके दायित्व की सीमा निर्धारित करने के अनुरोध को स्वीकार करने में उतनी रुचि क्यों ले रही है। अब मालिक का दायित्व, जैसा कि मूल अधिनियम के मूल उपबन्धों में विचार किया गया है, असीमित रहेगा। स्वाभाविक रूप से यह संशय उत्पन्न होता है कि प्रदान की गई राहत सहायता की शेष धनराशि मालिक से किस प्रकार वसूली जा सकेगी जब तक कि पूरा बीमा नहीं कराया जाता। निश्चय ही, दुर्घटना के बाद, रकम

के संदाय का अपवचन करने के उद्देश्य से स्वामी द्वारा अपनी सम्पत्ति को हटाने या उसका व्ययन करने के कार्य को अवरुद्ध करने के अस्थायी व्यादेश देने के लिए एक उपबन्ध लागू किए जाने की आवश्यकता है। परन्तु क्या सरकार ने इस बारे में विचार किया है कि क्या सम्पत्ति का मूल्य, जो कि मालिक के हाथ में रहेगी, समाहर्त्ता द्वारा प्रदान की गई राहत की धनराशि देने के लिए पर्याप्त होगा।

महोदय, वाहन दुर्घटनाओं के मामले में, जहां तक तीसरी पार्टी का सम्बन्ध है, बीमाकर्त्ता को असीमित दायित्व वहन करना पड़ता है और ऐसे मामलों में बीमा कम्पनी द्वारा मालिक से प्राप्त किए जाने वाले प्रीमियम की धनराशि की मात्रा निर्धारित की जाती है। फिर इस मामले में भी ऐसा उपबन्ध क्यों नहीं किया जाता तथा बीमाकर्त्ता से, जो मालिक है, निश्चित प्रीमियम क्यो नहीं प्राप्त किया जाता ? उसके बजाए एक ऐसा उपबन्ध है अर्थात अलग से एक ऐसी निधि का सृजन किया जा रहा है जिसे "राहत धनराशि" कहा जाता है तथा बीमाकर्त्ता को बीमा कम्पनी को प्रीमियम देना पड़ेगा उसे राहत निधि में भी बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा ताकि राहत जो प्रदान की जाएगी इस प्रकार हो कि एक तरफ तो जहां तक बीमा कम्पनी का सम्बन्ध है, दायित्व सीमित हो तथा हम इस राहत निधि के अतिरिक्त इतनी ही मात्रा में धनराशि प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। अत: एक तरह से क्या हम राहत प्रदान करने के लिए समाहर्त्ता पर प्रतिबन्ध नहीं लगा रहे हैं ? अर्थात समाहर्त्ता को यह कहते हुए संकेत दे दिया जाता है कि बीमाकर्त्ता का दायित्व भी उतना ही है और राहत निधि में उतनी ही धनराशि उपलब्ध है तथा आपको एक निर्धारित मात्रा से अधिक धनराशि प्रदान नहीं करनी चाहिए। और यदि वह धनराशि प्रदान कर भी देता है तो ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि मालिक से किस प्रकार धनराशि वसूल की जाए। हम ऐसे ही सन्तुष्ट हो जाते हैं और हमें इस उपबन्ध के द्वारा सन्तुष्ट होने के लिए कहा जाता है कि मालिक का दायित्व असीमित है। परन्तु हम जानते हैं कि जैसे ही मालिक ऐसे दायित्व के बोझ में फंस जाता है, जब वह ऐसी परिस्थितियों में घिर जाता है तो स्वाभाविक रूप से वह इसे टालने का प्रयास करेगा, वह व्यक्ति कहेगा कि मेरे पास जो कुछ था, मैंने पहले ही बीमा कम्पनी को दे दिया है अथवा मैंने पहले ही बीमा कम्पनी में हिस्सा दे दिया है और मैंने राहत निधि में बराबर का हिस्सा दे दिया है जिसके कारण मेरे ऊपर अपनी सम्पत्ति बेचने पर भी रोक लगी हुई है; अत: मुझे कहां से धनराशि मिलेगी ? ऐसे मामले में क्या हम पुन: दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को न्यायालय में जाकर पर्याप्त मुआवजे की भीख मांगने के लिए बाध्य नहीं करते है ?

अत: सरकार अपनी सम्पूर्ण शक्ति से बीमा कम्पनी को निदेश दे सकती है कि उसके पास असीमित शक्ति हो जिससे वह समाहर्त्ता द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे की धनराशि दे सके।

महोदय, जैसाकि हमारे वरिष्ठ सहयोगी, श्री जार्ज फर्नान्डीस ने कल उल्लेख किया था जब वह "नाशक कीट और नाशक जीव (संशोधन और वैधता) विधेयक" पर बोल रहे थे कि हमने विदेशी बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को छूट प्रदान की है और हम आशा करते है कि अधिक से अधिक विदेशी नागरिक यहां आएं और पूंजी निवेश करें। इस समय, हमें भोपाल गैस त्रासदी की याद आती है। अत: जब कभी हम उपबन्ध तैयार करते हैं तो यह मार्गनिदेश अपनाए जाने चाहिए। हमें ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए और जब कभी भी ऐसी खतरनाक स्थिति उत्पन्न होती है तो अधिक से अधिक व्यक्ति इसके शिकार होते हैं। क्या हमें न्यूनतम राहत प्रदान करने में ऐसे उपबन्ध नहीं करने चाहिए जोकि अन्तिम राहत भी होती है। इस प्रकार की सहायता पर्याप्त होनी चाहिए। वास्तव में मैं नहीं जानता कि हम कानून का मजाक उड़ा रहे हैं अथवा संसद को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 1910 में बनाए

गए इस अधिनियम को कार्यान्वित करने से पहले सरकार को इसमे बहुत से संशोधन करने होंगे क्योंकि अधिनियम के प्रावधान बहुत लम्बे समय तक कार्यान्वित नहीं किए जा सकते ।

इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी भी इतनी देर नहीं हुई थी कि सरकार इस सारे मामले पर पुनः विचार करके उसमें उचित संशोधन न कर सके ताकि इससे दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को उचित मुआवजा दिया जा सके और पर्याप्त सहायता प्रदान की जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी सुरीली आवाज ने बहुत से माननीय सदस्यों को ध्यानमग्न कर दिया है ।

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, इसके लिए माननीय रेल मन्त्री द्वारा उपलब्ध कराया गया कीमती भोजन जिम्मेदार है ।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : उपाध्यक्ष महोदय, 4 माह से कुछ अधिक समय पहले जब मूल विधेयक पर, जो बाद में अधिनियम बना चर्चा की जा रही थी, इस बात को लेकर अनेक शंकाएं उठीं थीं कि क्या इसे कार्यान्वित कर पाना भी सम्भव होगा, क्या बीमा कम्पनियां इससे सहमत होंगी ? उस समय मन्त्री महोदय ने कहा था कि जनरल इन्श्योरेंश कारपोरेशन सहित सभी स्तरों पर व्यापक रूप से विमर्श किया जा रहा था ।

कुछ ही समय पहले, हमने जनरल इंश्योरेंश कारपोरेशन के चेयरमैन श्री एस० बी० मोनी के वक्तव्य में, जो 'इकनोमिक्स टाइम्स' में प्रकाशित हुआ था, पढ़ा था कि लोक दायित्व बीमा में संशोधन के परिणामस्वरूप जनरल इन्श्योरेंश कारपोरेशन को प्रतिवर्ष कम से कम 125 करोड़ रु० का भारी लाभ होगा । उन्होंने यह भी कहा कि 31 मार्च, 1992 तक लगभग 1.5 लाख बीमा पालिसियां जारी की जाएंगी । जनरल इन्श्योरेंश कारपोरेशन को इतना लाभ होने वाला है ।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी, जिसका उदारीकरण के इस दौर में तथा ट्रिम्स (टी० आर० आई० एम० सी०) ट्रिम्स (टी० आर० आई०सी०एस०) और गैट्स (आयात निर्यात शुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार) को मनवाने के लिए हम पर डाले जा रहे दबाव के सन्दर्भ में महत्व और भी बढ़ गया है उसे स्मरण किया जाय; और यह है कि यह स्मरण हो कि गतवर्ष संसद द्वारा पालिसियां जारी करने की सलाह दी जाती है । और वह यह है कि जनरल इन्श्योरेंश कारपोरेशन को संसद द्वारा पिछले वर्ष पारित अधिनियम के अनुसार उस समय इस बात पर जोर दिया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय बीमा कर्त्ताओं द्वारा असीमित दायित्व की लागत की जिम्मेदारी वहन नहीं की जा सकती और इसलिए उन्होंने निर्धारित सीमाओं के भीतर सहायता की राशि तय करने की मांग की । यही कारण है कि सरकार विधेयक में जनरल इंश्योरेंश कारपोरेशन के इस दावे के अनुरूप संशोधन लेकर आई है कि दायित्व को 50 करोड़ रुपए तक सीमित किया जाए ।

विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री श्री लारेंस समर्स, जिनके साथ हमने संरचनात्मक समझौता किया था, द्वारा हाल ही में दिए गए वक्तव्य की आपको जानकारी होगी । उन्होंने कहा कि धनी राष्ट्रों के गन्दे उद्योग तीसरी दुनिया के देशों में स्थानांतरित कर दिए जाने चाहिए । वहां कोई सुरक्षा नहीं है । भोपाल यूनियन कारबाइड की इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी हमने उससे कोई शिक्षा नहीं ली । हाल

ही में उदयपुर, राजस्थान से एच एमिड के बारे में समाचार मिले हैं जिसका रंगाई में प्रयोग किया जाता है। बहुत से रंगाई उद्योग अपने एच एसिड उत्पादक एकक तीसरे विश्व के देशों में स्थानांतरित कर रहे हैं और उनमें से अधिकांश हमारे देश में ही हैं। भूमिगत जल, नदी का जल और पेयजल के सभी स्रोतों का पेयजल स्थायी रूप से जहरीला हो गया है और जो लोग वह पानी पी रहे हैं, वे धीरे-धीरे मृत्यु की ओर जा रहे हैं। ऐसा उस समय हो रहा है जबकि इस बारे में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए कि इस सरकार का इस 'सीमा' से क्या अभिप्राय है। सरकार का कहने का अभिप्राय है कि यह तत्काल सहायता उपलब्ध कराएगा। उन गरीब लोगों का अनुभव क्या रहा है जो यूनियन कारबाइड फैक्टरी के शिकार हुए हैं? यह घटना 1984 में, यानी साल, अथवा लगभग आठ वर्ष पहले घटी थी। केवल 200 रु० प्रतिमाह दिए गए हैं और वह भी बहुत कम लोगों को। उनमें से हजारों मर गए हैं; उनमें से हजारों स्थाई रूप से विकलांग हो गए हैं और अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब बहुत अधिक संख्या में, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं। लारेंस समर्स के वक्तव्य की पृष्ठ-भूमि में, सभी गन्दे उद्योग प्रवेश कर रहे हैं।

महोदय, हाल ही में, विश्व बैंक न केवल बाजार के मामलों में मित्र बन गया है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में भी मित्र बन गया है। मैं अपने मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं। हम इसके लिए अवसर तैयार करने और हमारी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए हम श्री मन मोहन सिंह को उनके द्वारा उठाए गए कदमों के लिए बधाई नहीं दे सके है। लेकिन उन्होंने एक रुख अपनाया है, जो अब तक कायम है, वह यह है कि मान्ट्रीयल संकल्प अथवा प्रोटोकोल धनी राष्ट्रों के हित में बहुत ही पक्षपातपूर्ण है। के० एन० जी० ओ० को हाल ही में दक्षिण एशिया देशों में सम्मेलन में···(व्यवधान) महोदय, मैं समझता हूं कि जो प्रैस में आया है सच है।

> "दक्षिण एशिया के देशों में—पर्यावरण और विकास के बारे में आगामी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की चर्चा के लिए···एक बात सांझी थी। धनी राष्ट्र जिस प्रकार अपने वाणिज्यिक और राजनीतिक हितों की वृद्धि हेतु पर्यावरण और नैतिकता का प्रयोग कर रहे हैं उसके विरुद्ध अपमान की तीखी भावना।"

यह बहुत अधिक पक्षपातपूर्ण है। मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। जब बंगलादेश एक गरीब देश, एक तीसरे विश्व के देश ने ताप संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। यह कहा गया कि "नहीं, विश्व बैंक, तुम उन्हें कोई ऋण नहीं दे सकते क्योंकि यह प्लांट एस, पर्यावरण को दूषित करेगा।" तब बंगलादेश सरकार ने कहा कि आपके उपभोग प्रणाली के जरिए, आपके कार्बन-डाई-आक्साइड के उत्पादन द्वारा आप पर्यावरण को दूषित कर देंगे, वातावरण में ऊष्मता बढ़ाएंगे जिसके परिणामस्वरूप समुद्र स्तर बढ़ रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके परिणामस्वरूप कि कुछ वर्षों के बाद बंगलादेश जैसा कोई देश नहीं रहेगा। यह पूर्णतः डूब जाएगा लेकिन, इस बात को सुनने को कोई तैयार नहीं है। हम, तीसरे विश्व के देश धनी राष्ट्रों के उपभोग प्रणाली का शिकार हो रहे हैं।

मैं इन सब बातों का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि बहुत अधिक संख्या में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं। सभी जोखिम भरे उद्योग लगेंगे। इस समय हमारे यहां एक हजार से भी कुछ अधिक ऐसे रासायनिक उद्योग हैं और उनमें से एक-तिहाई से भी अधिक जोखिम भरे उद्योग है। मैं

शिवाकाशी के छोटे उद्योगों जैसे उद्योगों की बात नहीं कर रहा हूं जहां छोटे बच्चे कार्य कर रहे हैं और अत्यधिक कठिनाई में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। डायमंड पालिश करने वाली फैक्टरियों में भी कारीगर पूर्णतः अंधे हो जाते हैं। कार्बन फैक्टरी में, ग्लास फैक्टरी में, उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। उन्हें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में शामिल नहीं किया जाता है।

यदि इस विधेयक को अब पास कर दिया जाता है तो बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां देश में प्रवेश करने लगेंगी और केवल 50 करोड़ रु० में भारत जैसे देश में अपने गन्दे उद्योग स्थानांतरित कर देंगी। लेकिन उनकी प्रति उद्योग आय उससे बहुत अधिक होगी। इस राशि से कई गुना अधिक होगी। इसलिए, आप इसे सीमित क्यों करना चाहते हैं? यूनियन कारबाइड की घटना के अनुभव के बाद आपको इसके लिए सहमत नहीं होना चाहिए।

13.00 म०प०

इसके अलावा वे पर्यावरण नियन्त्रण और पारिस्थितिकीय सन्तुलन के लिए नवीनतम तकनीक हासिल करना चाहते हैं। उनके पास अपनी तकनीक होगी। वे पुरानी तकनीक को निकाल देंगे। वे यह सब केवल अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। मैं सभी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब विमान दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप उनके निकट सम्बन्धियों को 5 लाख रु० देते हैं। रेल दुर्घटना में आप 2 लाख रु० देते हैं। जब एक गरीब व्यक्ति, जिसका कोई बस नहीं चलता, किसी जोखिम भरे उद्योग के कारण मारा जाता है, तो आप अपने दायित्व को सीमित कर देते हैं। आपको अपने दायित्व को क्यों सीमित करना चाहिए? आप अन्य मामलों में दायित्व को सीमित नहीं कर रहे हैं। जनरल इन्श्योरेंस कम्पनियां बहुत अधिक लाभ कमा रही हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को ये सभी बातें सुननी चाहिए। मैं समझता हूं कि तत्काल राहत देने के लिए तुरन्त व्यवस्था करनी होगी। मुझे नहीं पता कि क्या वे कोई और व्यापक विधेयक लाने वाले हैं, किन्तु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को हटाने का काम चल रहा है।

3.01 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बहुत से खतरनाक पदार्थों का उत्पादन कर रही हैं। कभी-कभार चोरी छुपे ऐसा किया जाता है। किसे पता था कि भोपाल में किस चीज का उत्पादन हो रहा है? किसे पता था कि वह गैस जिसका उपयोग नाजी जर्मनी द्वारा किया जाता था, उसका उत्पादन किसी और उद्देश्य के लिए यहां हो रहा है? जो चीज कीटों को मारने के लिए बनाई जा रही थी उसका उपयोग इन्सानों को मारने के लिए भी हुआ था। जब इन्सान मारे जाते हैं तो उन्हें कोई पर्याप्त राहत नहीं दी जाती। इसे रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूं कि उदारीकरण की पृष्ठ भूमि में, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और 'गैट' की मांगों की पृष्ठभूमि में, विकसित देशों की अपने उपभोग से उत्पन्न परिणामों की जिम्मेदारी को तीसरी दुनियां के देशों पर डालने की धारणा की पृष्ठभूमि में यह बात कही गई है।

क्या मैं इस बात का उल्लेख कर सकता हूं कि दक्षिण आयोग के महासचिव श्री मनमोहन सिंह

थे ? वहां उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि दक्षिण को ध्यान देना चाहिए दक्षिण को एकजुट होकर पर्यावरण पर हुए इस नए प्रकार के आघात से अपनी रक्षा करनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे आवश्यक बदलाव लाएं । मैं दायित्व को 50 करोड़ रु० तक सीमित करने की व्यवस्था का विरोध करता हूं । मैं यह मांग करता हूं कि यह एक असीमित दायित्व होना चाहिए, जैसाकि अन्य मामलों में होता है । यह सही हो सकता है कि छोटे उद्योग ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी चुकता पूंजी सीमित होती है । परन्तु बहुराष्ट्रीय कम्पनियां काफी अधिक चुकता पूंजी के साथ अपना कारोबार शुरू कर रही हैं । हम इसे केवल 50 करोड़ तक ही सीमित क्यों रखें । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री प्रफुल पटेल (भंडारा) : सभापति महोदय, मैं लोक दायित्व बीमा (संशोधन) विधेयक, 1992 का समर्थन करता हूं । जैसाकि हम सब जानते हैं तेजी से हो रहे औद्योगीकरण के साथ ही अनेक नए उद्योग शुरू किए जा रहे हैं जिनसे हमारे पर्यावरण और नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो रहा है । हमने देखा है कि न केवल बड़े शहरों में बल्कि देश के सभी भागों में अनेक दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं । यह भी सही है कि जो उद्योग पिछले कई वर्षों से स्थापित है हम उनका दूरदराज के क्षेत्रों में स्थानान्तरण किया जाना सुनिश्चित नहीं कर सकते । इसके साथ ही यह भी सर्वविदित सत्य है कि देश की किसी भी प्रकार की प्रगति के लिए, जहां तक औद्योगीकरण का सवाल है, या समाज के उत्थान के लिए या हमारे नागरिकों के कल्याण के लिए नए उद्योगों को लगाना होगा । और तकनीक की उन्नति के साथ इन उद्योगों का लगाए जाने से आम लोगों के लिए प्रदूषण के या अन्य प्रकार के खतरे पैदा हो सकते हैं । परन्तु विगत में जहां तक हमारे देश का सवाल है, अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं और उनसे प्रभावित हुए लोगों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक नहीं है जिन्हें सही समय पर उपयुक्त सहायता मिली हो । एक वर्ष पूर्व सरकार ने लोक दायित्व बीमा विधेयक 1991 पारित किया था, परन्तु इस अधिनियम को बनाए जाने के परिणामस्वरूप बीमा कम्पनियों को अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण यह संशोधन विधेयक लाना जरूरी हो गया । हम इस प्रश्न पर लम्बी चर्चा कर सकते हैं कि यह संशोधन विधेयक लाना जरूरी है या नहीं । मैंने अपने कुछ मित्रों को यह कहते सुना है कि दायित्व को 50 करोड़ तक या चुकता पूंजी तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए । इस संशोधन विधेयक की मूल भावना को समझना चाहिए तथा उस पर उसी भावना के अनुरूप विचार करना चाहिए, यद्यपि विधेयक लागू हो गया है हमारे देश की कोई भी बीमा कम्पनी अब तक लोक बीमा दायित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है । और इसके अनेक कारण है । ऐसा हमारे देश की बीमा कम्पनियों की प्रकृति और ढांचे के कारण है, जो अन्य देशों कार्य कर रही बीमा कम्पनियों के मुकाबले बहुत भिन्न है । इसी कारण अधिनियम के बावजूद एक भी उद्योग को इस अधिनियम के अन्तर्गत बीमा दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका है ।

अब जिस मूल बात को समझना है, वह यह है कि यह लोक बीमा दायित्व है । वास्तव में श्रमिकों के कल्याण के लिए हमारे पास कर्मकार प्रतिकर अधिनियम जैसे नियमित अधिनियम हैं जिनके अन्तर्गत श्रमिक या दुर्घटना के शिकार लोग अपना वाजिब दावा या अधिकार प्राप्त कर सकते हैं । इसका यह अर्थ नहीं है कि जो श्रमिक ऐसी फैक्ट्रियों में कार्य कर रहे हैं जहां दुर्घटना हो सकती है, उनको उन अलग कानूनों के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता है । परन्तु साथ ही साथ हम यह नहीं समझ पाए हैं कि यह पर्यावरण राहत निधि जिसकी स्थापना की जानी है वह केवल एक प्रकार की अन्तरिम राहत

है, जिससे वे लोग जो दुर्घटना के शिकार होंगे, अब अन्यथा वंचित कर दिया जाएगा। इससे वे अन्य किसी कानून के अन्तर्गत राहत पाने या न्यायालय में जाने और उनको हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजा प्राप्त करने के लिए अयोग्य नहीं हो जाते। जैसाकि हमने भोपाल गैस त्रासदी तथा अन्य अनेक दुर्घटनाओं में देखा था। लोग इस बात पर काफी हल्ला करते हैं कि इन्हें अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें सरकार से या कम्पनी या अन्य किसी एजेन्सी द्वारा उनके जायज दावे का भुगतान नहीं मिल रहा है। परन्तु निश्चित रूप से ऐसा मामला बन सकता है क्योंकि ऐसा कोई उचित कानून या एजेन्सी नहीं है जो अन्तरिम राहत तय करके प्रभावित लोगों को दे सके। अत इस विधेयक का मूल उद्देश्य पर्यावरण राहत कोष स्थापित करना है जोकि दुर्घटना के शिकार हुए लोगों की केवल अन्तरिम राहत के रूप में ही सहायता करेगा। साथ ही साथ इसके बीमा वाले भाग के अनुसार दायित्व 50 करोड़ रु० तक सीमित होगा। अब इसमें भी अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी क्योंकि घातक रसायनों का कारोबार करने वाली कोई कम्पनी 50 करोड़ रु० की बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए योंही राजी नहीं हो जाएगी। ऐसी कोई छोटी इकाई भी हो सकती है जिसकी चुकता पूंजी केवल 10 लाख रु० ही हो और उसकी कुल आय केवल 50 लाख रु० ही हो और यदि वह कम्पनी दुष्प्रभावी रसायनों का भी उत्पादन करती हो तो वह कम्पनी 50 करोड़ रु० नहीं देगी क्योंकि उस कम्पनी का केवल प्रीमियम ही उसकी चुकता पूंजी से अधिक होगा। दायित्व वाले भाग को तो छोड़ ही दीजिए। हम इसके केवल प्रीमियम वाले भाग की ही बात कर रहे हैं। अत: सरकार को किसी प्रकार का उपयुक्त तरीका निकालना होगा। जिससे कि सरकार और बीमा कम्पनियां मिलकर कोई ऐसी व्यावहारिक योजना तैयार करे या निकाल लें जिसको उचित रूप से लागू किया जा सके। अत: मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे ऐसी छोटी कम्पनियों की किसी प्रकार की रियायत या प्रोत्साहन दें जो 50 करोड़ के असीमित दायित्व के लिए तक प्रीमियम देने की स्थिति में न हो, या जिनकी चुकता पूंजी 10 लाख या इसके आस-पास हो। उनके लिए 50 करोड़ रु० असीमित हैं। आप कुछ तरीकों का पता लगा सकते हैं जहां 10 लाख रुपए या अधिक की चुकता पूंजी वाली छोटी कम्पनियों को भी इस प्रकार की बीमा योजना के लिए कुछ प्रोत्साहन मिले।

जहां तक आधारभूत ढांचे का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहूंगा कि कुछ परिभाषाएं जोकि बहुत अस्पष्ट थीं, अब स्पष्ट बना दी गई है। पहले दुर्घटना की परिभाषा बहुत अस्पष्ट थी। जो लोग स्वामी है और जिन्हें दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना होता था, की परिभाषा भी बहुत अस्पष्ट थी। अस्पष्ट परिभाषा के कारण बहुत से लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता था। इस नए विधान से, उन लोगों, जोकि प्रत्यक्ष तौर पर संलिप्त हैं और जिन पर किसी भी प्रकार के अभियोग लिए मुकद्दमा चलाया जा सकता है, की परिभाषा को बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि इससे श्रमिकों को काफी मदद मिलेगी क्योंकि अब दायित्व उन लोगों पर है जो ऐसी खतरनाक फैक्ट्रियां चलाते हैं, और जो इस प्रकार के क्रियाकलापों में शामिल हैं, और उन पर इस प्रकार की बीमा सुरक्षा के लिए दबाव डाला जाएगा। अत: मैं लोक दायित्व बीमा (संशोधन) विधेयक, 1992 का पूर्ण तौर पर समर्थन करता हूं।

मैं विपक्ष के अपने मित्रों से भी अनुरोध करूंगा कि वे बहु-राष्ट्रीय निगमो के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आशंका न रखें। उन्हें आशंका है कि बहु-राष्ट्रीय आ रहे हैं और देश पर धावा बोल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ भी सरकार द्वारा किया जा रहा है उसके लिए आजकल यह एक आम

कहावत हो गई है। उनके अपने देशों, जैसे संयुक्त राज्य अमरीका में, जहां बहु-राष्ट्रीय निगम कार्य करते हैं, कुछ दुर्घटनाएं होती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जब वे यहां आते हैं तो वे यहां दुर्घटनायें करने और हमारे लोगों को आघात पहुंचाने की दृष्टि से आते है। ऐसी आशंका की आवश्यकता नहीं है। हमारा दृष्टिकोण उपयुक्त होना चाहिए। पहली बार हम ऐसा कानून बनाने जा रहे है जोकि उन श्रमिकों, जो बहुत वर्षों से पीड़ित रहे हैं, को कम से कम कुछ तो राहत देगा। अतः हमें इसका सकारात्मक दृष्टिकोण से समर्थन करना चाहिए। इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के बाद मुझे विश्वास है कि सरकार भविष्य में इस प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के उपायों पर विचार करेगी ताकि इस प्रकार के विधान से श्रमिकों, गरीब और आम व्यक्तियों को लाभ मिले। धन्यवाद।

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलुरू) : लोक दायित्व बीमा अधिनियम, जिसे 1991 में अधिनियमित किया गया था, में अब कुछ परिवर्तनों के लिए संशोधनों की मांग की गई है। यह सुझाव दिया गया है कि वर्तमान परिवर्तन मुख्यतः दुर्घटना, जो खतरनाक रसायनों से काम करने पर हो सकती हो, के शिकार लोगों को अतिरिक्त दायित्व सुनिश्चित करने के लिए है। यह उस मुआवजे को सुनिश्चित करने के लिए है जोकि दुर्घटना से हुई मौत या घाव, जोकि खतरनाक वस्तुओं के इस्तेमाल करने से हो सकती है, के लिए अदा करना वांछित होता है। संभवतः यह भोपाल गैस त्रासदी के बाद की सोच हो, जहां ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए वास्तविक बीमा सुरक्षा को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना है।

जैसे कि पहले एक वक्ता ने उल्लेख किया था कि बीमा सुरक्षा की राशि का काफी बड़ा हिस्सा सुरक्षोपायों पर लगाना अपेक्षित है। लेकिन यह उस उद्योग की क्षमता से बाहर नहीं होना चाहिए जो इस प्रकार के खतरनाक रसायनों का प्रयोग करती है। भेषज उद्योग में बहुत से रसायनों की आवश्यकता होती है जिनमें जीवन-दायक दवायें बनती है। हम ऐसी बातों को अनदेखा नहीं कर सकते। इसके साथ-साथ सामान्यतः हम ऐसी उच्च बीमा सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते। उद्योग की चुकता पूंजी, बाजार मूल्य और बहुत-सी अन्य चीजों का जिक्र किया गया है। परन्तु यह चाहे जो भी हो, बीमे की किश्त अपने आप ही बहुत अधिक हो जाएगी और इससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कोई तर्कसंगत औचित्य होना चाहिए। उद्योग की किस्म, उद्योग का आकार, दुर्घटना की किस्म और उपयोग में लाए जाने वाले रसायनों की किस्मों, आदि जैसे तथ्यों पर भी आपको विचार करना चाहिए।

पर्यावरण राहत निधि, जिसे वे बनाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, परन्तु मैं कहूंगा कि सरकार को भी इस निधि में कुछ अंशदान देना चाहिए जैसाकि वे रेल दुर्घटना या सड़क दुर्घटना या ऐसी किसी अन्य दुर्घटना में करते हैं। सरकार को इस निधि को योगदान देकर भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि तकरीबन सभी उद्योग सीमा शुल्क, बिक्री कर और आय कर में पर्याप्त रूप से अंशदान दे रहे हैं।

तब बीमा योजना के अन्तर्गत कवर किया गया जोखिम अन्य समस्याओं का ध्यान रखेगा। धारा 7(क) के अन्तर्गत यह उपबन्ध है कि अधिघोषणा की तारीख के 30 दिन की अवधि के भीतर ऐसी अधिघोषणा के सम्बन्ध में बीमाकर्ता को ऐसी राशि जमा करनी होगी। अतः यह बीमा कम्पनी पर निर्भर करता है कि वह इसके लिए कितनी जल्दी व्यवस्था करती है। फैक्ट्री, उद्योग या अन्य किसी निगम के मालिक को सरकार द्वारा दिए गए मार्गनिर्देशों का पालन करना होगा। मैं कहूंगा कि सरकार

पर्याप्त मार्गनिर्देश बनाए और इसके एक अंश के रूप में उत्पादन की लागत को भी शामिल करें। अतः यदि आप उत्पादन की लागत को शामिल करते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है।

अन्य सभी बातों के अलावा मैं यह सुझाव दूंगा कि सरकार ऐसी दुर्घटनाओं के निवारण की दृष्टि से प्रशिक्षण देने के लिए कदम उठाए। इस बात के लिए प्रशिक्षण दिया जाए कि ऐसी खतरनाक सामग्रियों का उपयोग कैसे किया जाए और ऐसी दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए। इन सबके बावजूद बिजली गुल होने या श्रमिकों की गलती के कारण दुर्घटनायें हो सकती हैं। चाहे जो भी हो, सरकार और प्रबन्ध होने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? हम यह नहीं कह सकते कि दुर्घटना के लिए केवल प्रबन्ध ही एकमात्र जिम्मेदार है। बीमा कम्पनी भी किश्त को कम नहीं कर सकती है। जब तक कि इसका एक हिस्सा सरकार द्वारा नहीं दिया जाता, यह कार्यान्वित नहीं होगा और रसायन उद्योग को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

आज इस तथ्य के बावजूद कि हम सुरक्षा सम्बन्धी बहुत सी सावधानियां बरत रहे हैं फिर भी दुर्घटनायें हो रही हैं। ऐसा ही दूसरे देशों के साथ भी है। फ्रांस में लगभग 60 से 70 प्रतिशत ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त, हमारे पास भेषज, प्लास्टिक जैसे और अन्य उद्योग हैं, जोकि हमारे जीविका के लिए बहुत आवश्यक हैं। इसी प्रकार, कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक बहुत आवश्यक हैं। हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं कहूंगा कि यदि आप 10 करोड़ रुपए का प्रावधान करना चाहते हैं, तो यह बहुत ही बड़ी राशि होगी। मुझे आशा है कि आप इस पर पुनर्विचार करेंगे और प्लांट की क्षमता के आधार पर इसका पुनः समायोजन करेंगे। मुझे आशा है कि सरकार इस समस्या का ध्यान रखेगी।

[हिन्दी]

श्री आर्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर): उपसभापति जी, मुझे तो सबसे पहले मन्त्री महोदय से यह जानना है कि कानून सरकार की तरफ से कभी अमल में लाया गया है कि नहीं? चूंकि जो जानकारी हमारे पास है, उसके अनुसार अभी तक इस कानून के अमल की तारीख, सरकार की तरफ से तय नहीं की गई है और इसके बावजूद जब आप एक संशोधन को लेकर आ रहे हैं, तो उसके देखते हुए सरकार की नीयत के बारे में ही कुछ सवाल उठाने पड़ते हैं। इसमें बताया गया है मन्त्री महोदय के दस्तखत पर कि—

[अनुवाद]

"तथापि अधिनियम को इसलिए कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि बीमा कम्पनियां मालिकों के असीमित दायित्वों के लिए बीमा पालिसियां देने को तैयार नहीं थी।"

[हिन्दी]

इस वाक्य से दो सवाल उठते हैं। मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने कानून का अमल नहीं किया है क्योंकि आपने लिखा है कि—

[अनुवाद]

"तथापि कार्यान्वित नहीं किया जा सका।"

[हिन्दी]

पहला सवाल उठता है इस सदन के साथ इंश्योरेंस कम्पनियों के व्यवहार का। मेरी समझ है कि यदि इस सदन में पास किया हुआ कानून, आपने उसके अम्ल की तारीख तय की हो या नहीं की हो, अगर एक सरकारी संस्था या कोई भी संस्था उस कानून का उल्लंघन करती है या कहती है कि हम इसे नहीं मानेंगे, फिर सीधे कनटैम्प्ट का सवाल सामने आ जाता है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस पहलू पर कुछ सोचा है। इस कानून में कहां तक सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन सारी बातों पर बहस हो सकती है। लेकिन दो सदनों में पारित किया हुआ कानून और आप सदन में यह कहने के लिए आते हैं कि—

[अनुवाद]

"बीमा कंपनियां बीमा पालिसियां देने के लिए राजी नहीं हो रही हैं और इसलिए मैं इस कानून में संशोधन का सभा के समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूं।"

[हिन्दी]

सदन की, पार्लियामेंट की फिर क्या औकात है। कैसे जनरल इंश्योरेंस कंपनी में इतनी हिम्मत आ गई यह कहने के लिए कि हम नहीं मानते हैं। हम नहीं जानते, आप संशोधन करवाकर लाइए।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : आपकी सरकार ने इसे 1991 में पारित किया था। उस समय आप मंत्री थे और आपने इसे पारित किया था।

[हिन्दी]

श्री आर्च फर्नान्डीज : आप एक बात ख्याल में रखिए कि सरकार की न शक्ल होती है न चेहरा होता है। सरकार एक अद्भुत जानवर है। उसमें कभी आप मन्त्री बन सकते हैं, कभी हम बन सकते हैं लेकिन सरकार नाम की चीज अलग होती है। वह ऐसा जानवर है कि कहां किसको काटेगा, क्या करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : उस समय श्री चन्द्रशेखर की सरकार थी, जिसको आपका समर्थन प्राप्त था।

[हिन्दी]

श्री आर्च फर्नान्डीज : यह कानून 1991 में पास हुआ था। हमारी सरकार 1990 में गई थी। वह महत्व नहीं रखता है। सवाल यह है कि कानून किस सदन ने पास किया। उस समय आप यहां रहे होंगे, हम वहां रहे होंगे। हो सकता है कि आप और वह सरकार दोनों वहां रहे होंगे, हम यहां

रहे होंगे। मगर न केवल इस सदन ने बल्कि दूसरे सदन ने, लोक सभा और राज्य सभा, इस कानून को पास किया। इसलिए इस कानून पर आज यहां बहस कैसे हो सकती है।

जनरल इन्श्योरेंस कंपनी ने फरमाया कि हे पार्लियामेंट, हम तुम्हारी बात नहीं मानते हैं। मंत्री जी हमारे सामने आ कर कहते हैं कि वे नहीं मान रहे हैं, आप इसमें संशोधन करें। मैं पहले आपके सामने इस अहम सवाल को उठाना चाहता हूं। हम चाहेंगे कि इस पर यहां एक निश्चित राय बन जाए।

मुझे पहले पुकारा गया तो मैं बहुत परेशानी में था। हम इस कानून पर बोलना नहीं चाहते थे क्योंकि मैंने इसे सरकारी ढंग से देखा था और मन में परेशानी थी। लेकिन जब बहस चलने लगी और बोलना लाजमी हो गया तो मैं स्वयं अपने इस सदन को इस कानून के साथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। हम मन्त्री जी से इसलिए बड़े अदब के साथ आग्रह करेंगे कि इस मुद्दे पर केवल सोचने की बात नहीं है, इस सदन के अपमान करने में आपका योगदान नहीं होना चाहिए जैसे इस क्षण इस कानून को लाकर यहां हो रहा है।

इसका दूसरा पहलू यह है कि जनरल इन्श्योरेंस कंपनी की जब हम बात करेंगे तो वह कंपनी अभी टाटा की नहीं हुई है, न किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का हुआ है। जनरल इन्श्योरेंस कंपनी वित्त मन्त्रालय चलाता है और यह फाइनान्स मिनिस्ट्री के तत्वाधान में आता है। अगर कोई निजी सेठ-साहूकार सदन को कहता तो एक और बात होती। हो सकता है ऐसी परिस्थिति में सदन में अधिक सचेत होकर गुस्सा भी करते, कैसे नहीं माना बिड़ला ने, कैसे नहीं माना टाटा ने, उनको बुलाओ, ऐसी बातें भी हो जाती, लेकिन यहां सवाल है मन मोहन सिंह जी का, यहां सवाल है वित्त मन्त्री का। चूंकि जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा अस्वीकार करना, कोई कंपनी का चेयरमैन अस्वीकार करता है, ऐसी बात नहीं हो सकती है, कहीं न कहीं उनका अपना विचार, उनकी राय लेकर वह वित्त मन्त्रालय तक आए होंगे और वित्त मन्त्री ने उनको कहा होगा, ठीक है, परवाह मत करो, अब सब बदल गया है, यह नया जमाना है, यह अलग जमाना है, पहले के कानूनों की कोई पूछ-ताछ नहीं होनी है, 40 साल की नीतियों को हम दफना रहे है, इस कानून को हम कैसे मानेंगे। इसलिए वित्त मन्त्रालय का सवाल आता है। शायद मन्त्री जी महसूस करते होंगे कि इतने मजबूत वित्त मन्त्री, कैसे उनके सामने खड़े हो जायें, लेकिन सवाल अभी एक वित्त मन्त्री का नहीं है, सवाल यह है कि इस सदन का अपमान सीधे तौर पर हो रहा है और इस सदन को अपमानित होने के लिए हम नहीं छोड़ेंगे, किसी भी परिस्थिति में यह बात नहीं हो सकती है।

हमारे लायक दोस्त चार्ल्स ने कहा है कि श्रीमती मेनका गांधी जी एनवायरनमेंट मिनिस्टर थीं, चन्द्रशेखर जी के मन्त्रिमण्डल में···(व्यवधान)···इस विधेयक के ऊपर अन्तिम भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि—

[अनुवाद]

यह 7 जनवरी, 1991 की लोकसभा की कार्यवाही के पृष्ठ 597 पर है।

"मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं मुझे आशा है कि हमें इन सुझावों से मदद मिलेगी।"

वह छोड़िए।

"हमने सामान्य बीमा कंपनियों और अन्य एसोशिएशनों के साथ गहराई से विचार-विमर्श किया था। यह विधेयक विशेषज्ञ समिति के द्वारा निर्धारित योजना पर आधारित है। हमारा प्रयास इस योजना को कार्यान्वित कराने का होगा, ताकि दुर्घटना के शिकार लोगों को तुरन्त राहत दी जाये।"

[हिन्दी]

इस कानून पर कैसे बहस हो सकती है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कौन कारखाना क्या कर रहा है, कोटा न्यूक्लियर प्लांट में क्या हो रहा है, उसके बाहर क्या हो रहा है और देश के अनेक हिस्सों में जहां-जहां इस प्रकार की हरकतें होती हैं व देश के जितने भी और कारखाने हैं, वे सब इन चीजों के गुनाहगार हैं। 25 हजार में हम उनको छुटकारा देना चाहते हैं।

इस कानून के अन्दर यह ताकत है कि सरकार पर यह कानून लागू नहीं होगा, सरकार अपने को एग्जम्पट कर सकती है। यह कानून कहां तक पहुंचाने वाला है, इससे वह स्पष्ट होता है। और जगह की बात आप छोड़ दीजिए, इस दिल्ली में बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन है, इन्द्रप्रस्थ थर्मल पावर स्टेशन है, ये दोनों रोज 300 टन कोल डस्ट को इस शहर के ऊपर लादने का काम करते हैं। दूसरा कोई इस बात को न जाने लेकिन मन्त्री महोदय निश्चित रूप से यह जानते हैं। जिनके यहां बाग बगीचे हैं, वे सुबह बाग में जायें, कितना कोल वहां पड़ा हुआ है, पता लग जायेगा। जब सुबह गला साफ करना होता है तो कितना काला बाहर आ जाता है, पता लग जायेगा। हम लोग उसको बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन इस दिल्ली के, महानगर के छोटे बच्चों की क्या जिन्दगी होती होगी, चूंकि अपनी श्वांस में वह जो 300 टन कोल डस्ट, जो इस शहर के ऊपर रोज हावी होता है···

श्री विजय एन० पाटील (इरन्दोल) : इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रिसीपिटेटर बिठा दिया है न वहां पर।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कहां प्रिसीपिटेटर है, इस शहर में कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ा है।··· **(व्यवधान)**···हो सकता है लेकिन यह तो तथ्य है न ? इस तथ्य से तो कोई इन्कार नहीं कर सकता है, यह तो तथ्य है। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसको लेकर इस कानून के बारे में हम कोई बहुत तारीफ में कुछ कहें कि इसमें कैसे एक बहुत बड़ी नई चीज हो रही है, क्रान्तिकारी चीज हो चुकी है, इस प्रकार की हम बहस करें, हम उस बहस में नहीं जायेंगे।

मैं यह बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं, सभापति जी, आप तो बहुत तजुर्बेकार है। आपने इस सदन की सदारत कई सालों से करने का काम किया है। आपने महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष पद को शोभित किया है, कहां सदन का कटेम्ट होता है, कहां सदन का प्रिवलेज होता है, इसकी जितनी आपको जानकारी है, इससे अधिक किसी दूसरे के पास होगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। इसलिए इस सदन से, इस पार्लियामेंट में पास किए हुए कानून को जब इन्श्योरेंस कंपनी की तरफ से कहा जाता है कि हमको यह कानून स्वीकार नहीं है और इसलिए जब मन्त्री महोदय यहां पर आते हैं, सभापति जी, इस सदन की इज्जत, इस सदन की गरिमा इस समय आपके हाथ में है और हम चाहेंगे कि आप इस कानून के ऊपर बहस को यहीं ही स्थगित करें और मन्त्री जी को कहें कि जो कानून पहले पास हुआ

था, उस कानून पर अमल कराने के लिए वह कदम उठायें और अगर इसमें कोई भी संशोधन करना हो तो फिर वित्त मन्त्रालय और आपका मंत्रालय आपस में बैठकर क्या परेशानियां हैं, जिन परेशानियों को लेकर आपको यहां पर आना पड़ रहा है, उस बात को लेकर यहां पर आयें, तब इस पर बहस हो सकती है। वरना, सभापति जी, इससे बढ़कर इस सदन की बेइज्जती मुझे नहीं लगती है कि आज तक किसी ने की है, जो आज जनरल इन्श्योरेंस कम्पनियों की तरफ से लिखित तौर पर की है और इसको मन्त्री जी यहां पर ले आए हैं।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटील (इरन्दोल) : सभापति महोदय, यह सच है कि 1991 में पारित अधिनियम में कुछ कमी रह गयी थी और कुछ बीमा कंपनियों ने इस सम्बन्ध में अपनी दिक्कतें व्यक्त की हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपके विनिर्णय के बारे में क्या हुआ ?

सभापति महोदय : मैं क्या विनिर्णय दे सकता हूं ? यदि आप सभा के अवमान का कोई सवाल उठाना चाहते हैं तो आप सभा के नियमों के अनुसार इसे उठा सकते हैं। यह इस सवाल को उठाने का तरीका नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : एक कानून बनाया जा चुका है। अब मन्त्री कहते हैं कि चूंकि बीमा कंपनियां इसे मानने से इन्कार कर रही हैं, अतः यह संशोधन होना चाहिए।

सभापति महोदय : इस सभा के सामने यह कानून 2—3 दिनों से है। यदि आप इस मामले को उठाना चाहते हैं तो इसे नियमानुसार उठाइये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अब मैं इसे उठा रहा हूं। मैं आपको औपचारिक पत्र दूंगा।

सभापति महोदय : यह तो कोई नियम नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जहां तक इसके अधिकार का प्रश्न है यह सभा पूर्णतया सर्वसत्तापूर्ण है।

सभापति महोदय : यह सर्वसत्तापूर्ण है। पर यह नियमों का पालन करती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप सभा की गरिमा और स्वायत्तता तथा विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं। यदि इस सभा को सामान्य बीमा कंपनी यह कहे कि यह इस अधिनियम को लागू नहीं कर सकती है तो क्या किया जाना चाहिए ?

सभापति महोदय : मैं आपका संरक्षण कर सकता हूं, बशर्ते आप नियमानुसार चलें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं आपको लिखित रूप में दूंगा।

श्री विजय एन० पाटील : सभापति महोदय, सामान्य बीमा कंपनी ने अधिनियम के अनुसार दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में तथा समुचित-बीमा संरक्षण देने मे पर्याप्त

सुरक्षोपायों की व्यवस्था के सम्बन्ध में भी शंकायें और असमर्थता प्रकट की है। इस संशोधन को इसी कारण लाया गया है।

हम सभी जानते हैं कि 'खतरनाक' शब्द मुख्यत: पेट्रो रासायनिक उद्योगों से जुड़ा है। हमने यह देखा है कि यूरोप में डैन्यूब को प्रदूषित करने के बाद यूरोपीय देश विशेषकर जर्मनी—भारत में बड़े पैमाने पर पेट्रो-रसायन समूह क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाना चाहता है। महाराष्ट्र की ठाणे बेल्ट में, बहुत से रसायनिक उद्योग स्थापित हो रहे हैं। लोगों ने क्षेत्र में इन उद्योगों की भीड़-भाड़ को रोकने के लिए लोक हित दायित्व के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय की शरण ली है क्योंकि ये खतरनाक उद्योग हैं और वहां दुर्घटनाएं होने की सम्भावना है।

सभापति महोदय, जब कोई दुर्घटना घटती है तो दायित्व निश्चित करने और मुआवजे की राशि निश्चित करने में वर्षों लगते हैं। यही कारण है कि भोपाल त्रासदी के बाद उच्चतम न्यायालय को भी अन्तिम निर्णय तक पहुंचने में कई वर्ष लगे। यही कारण है कि 1991 में यह अधिनियम पारित किया गया। अब इसमें संशोधन किया जाना है।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि नागरिक अपराध सम्बन्धी कानून को सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है और इसमें पूर्ण और कठोर दायित्व परिभाषित किया जाना है।

श्रीराम फर्टिलाइजर्स के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देते समय दायित्व का यह सिद्धान्त निर्धारित किया है कि मिलकर असावधानी बरतने के लिए किसी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए। उस मामले में इसी मुख्य सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है। हम जानते है कि जब कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो अधिकांशत: समाज का कमजोर वर्ग ही इससे प्रभावित होता है और अधिकांशत: वे ही इसके शिकार होते हैं। चाहे यह रानीगंज में तेल टैंकरों की दुर्घटना का मामला हो अथवा मुम्बई के पास पश्चिमी राजमार्ग में रसायनों को ले जाने वाले सड़क टैंकरों के उलटने का मामला हो, इसके शिकार होने वाले व्यक्ति जनजाति समाज के कमजोर वर्ग के होते है।

सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता हुई होती यदि इस संशोधन के साथ-साथ मुआवजा बढ़ाने के लिए भी संशोधन लाया जाता। मुआवजे की 25,000 रु० अथवा 10,000 रु० की राशि बहुत ही कम है। पहले इस पर परामर्शदात्री समितियों को गठन के सम्बन्ध में 1991 में चर्चा की गई थी। जब कभी भी बीमा दायित्व का निर्धारण करने के लिए परामर्शदात्री समिति गठित की जाती है, तो केवल केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को ही इस समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। पहले एक सुझाव दिया गया था···(व्यवधान)

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : आप किस समिति का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री विजय एन० पाटील : अधिनियम के खंड 21 के अनुसार परामर्शदात्री समिति गठित की जानी होती है। इसका अधिनियम में प्रावधान है। इसमें केवल केन्द्रीय सरकार के अधिकारी शामिल होते हैं। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इस समिति में राज्य सरकार के कुछ अधिकारी और प्रतिनिधि भी शामिल किए जाने चाहिए।

इससे इसके पूरे गठन से सहायता नहीं मिलने वाली है । हमें अन्य पर्याप्त सुरक्षोपाय भी करने होंगे । सरकार को एक बात पर विचार करना चाहिए कि खतरनाक रसायनिक उद्योगों की विशेषत: शहर अथवा महानगर से कितनी दूरी होनी चाहिए ? क्या यह दूरी 50 मील अथवा 100 मील होनी चाहिए । हमारा देश एक विशाल देश है । हमारा देश उप-महाद्वीप है । हम गैस पाइपलाईन मुम्बई हाई से जगदीशपुर तक अथवा हजिरा से मथुरा तक और उससे आगे तक ले जा सकते हैं । इसलिए, यदि हम यह निर्णय लेते हैं कि ऐसे उद्योग वन, जगलों के नजदीक होने चाहिए जहां बहुत ही कम आबादी रहती है तो ऐसी सम्भावित दुर्घटनाओं के शिकार होने वाले लोगों, आदमियों और पशुओं की संख्या बहुत कम होगी । मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है।

कुरकम्ब के पास पूणे से 60 मील दूर और महानगर मुम्बई से लगभग 250 मील दूर एक औद्योगिक क्षेत्र बनता जा रहा है । इसलिए वहां रसायनिक उद्योग आ सकते हैं । ये उद्योग अंकलेश्वर, सूरत अथवा वापी के पास नहीं होने चाहिए जहा बहुत घनी आबादी है और जिनके आस-पास अन्य उद्योग भी हैं ।

मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि अब इस बात पर विचार करने का समय आ गया है कि क्या हमें ऐसे बहुत अधिक बड़े पेट्रो-रसायन उद्योगों को स्थापित करना चाहिए जिनमें यदि कोई दुर्घटना होती है तो क्षति करोड़ों रुपए की होगी और सैकड़ों, हजारों लोग मारे जाएंगे । ऐसे मामलो मे हमें यह सुनिश्चित करना है कि क्या बीमा की अधिकतम सीमा जो कि 50 करोड़ रु० है, सहायक होगी ।

वस्तुत: सामान्य बीमा कंपनी ने सुझाव दिया है कि एक बार मे मुआवजा 2.5 करोड़ रु० से अधिक नहीं होना चाहिए । और वर्ष में कुल मुआवजा 5 करोड़ रु० से अधिक नहीं होना चाहिए लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने सुझाव दिया है कि एक बार में मुआवजा लगभग 5 करोड़ रु० होना चाहिए और वर्ष के लिए कुल मुआवजा 15 करोड़ रु० से अधिक नहीं होना चाहिए । गणना के अनुसार, सामान्य बीमा कंपनी को लगभग 125 करोड़ रु० का प्रीमियम प्राप्त होने वाला है यदि सभी उद्योग कानून का पालन करते हैं और निश्चित तिथि जो कि 31 मार्च, 1992 है, तक प्रीमियम का भुगतान कर देते हैं ।

इस परिस्थितियों में, मैं जार्ज फर्नान्डीस के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि यह सभा की अवमानना होगी । यह सामान्य बीमा कंपनी द्वारा व्यक्त की गई वास्तविक असमर्थता है । विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है । यह संशोधन ठीक ही लाया गया है और सभा के सभी वर्गों द्वारा इसका समर्थन किया जाना चाहिए ताकि जो कुछ भी विधेयक में निर्धारित किया गया है अर्थात् इन उद्योगो के लिए प्रीमियम का भुगतान करने और बीमा करने की लक्ष्य तिथि निर्धारित करने की बात पूरी हो सके ।

इन शब्दो के साथ, मैं सकल्प का समर्थन करता हूं और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं ।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति जी, मैं इस लोक दायित्व बीमा अधिनियम जो सदन के सम्मुख रखा गया है उसके सम्बन्ध में हमारे मित्र श्री जार्ज साहब ने जो सवैधानिक आपत्तियां प्रस्तुत की हैं ये वास्तव में सरकार के लिए विचाराधीन हैं कि जो सदन देश के अन्दर सर्वोच्च अस्मिता रखता है उस सर्वोच्च अस्मिता रखने वाले सदन के द्वारा पारित प्रस्ताव को और जिस सरकार ने पारित करवाया था वह सरकार स्वय उसकी अनुपालना नहीं करवा सकी, अपने ही एक विभाग से। क्या इस सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल के सामने इस समस्या को रखा गया था और रखा गया था तो वित्त मन्त्री जी से परामर्श किया गया था, जो जनरल सामान्य बीमा कम्पनियां हैं उनके अधिकारियों से इस बारे में जांच-पड़ताल की गई थी, तो ये जो सारी बातें हैं, ऐसी स्थिति थी और कानून बनाकर इतना समय बीत गया—लगभग महीने, दो महीने, चार महीने और एक साल ज्यादा से ज्यादा, तो कम से कम इस समय के अन्दर कई दुर्घटनाए हुई होगी और वे लोग पर्यावरण राहत निधि से लाभान्वित होते हैं तो वे सब इससे वंचित रह गए। उनको भी कम्पनसेट वगैरह मिलता, तो यह सरकार के लिए वास्तव में विचाराधीन है और मैं समझता हूं कि सरकार को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और भविष्य में कोई भी अधिनियम लाते समय उस पर पहले ही विचार कर लेना चाहिए ताकि इस प्रकार की दयनीय स्थिति उस विधेयक विशेष के बारे में बाद में सरकार के सामने उपस्थित नहीं हो सके और उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे। जिस भावना को लेकर लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 में संशोधन लाया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं। ऐसे पदार्थों की उठाई, ढलाई और संचालन करने वाले जो लोग थे, ऐसे स्थानों पर दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या बहुत है। उनको तत्काल राहत प्रदान करने के लिए यह बिल लाया गया था। दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण रखने के बारे में और प्रभावित व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट रकम देने की बात तय हुई थी और स्वामियों के लिए आवश्यक कर दिया गया था कि ऐसे प्रयोजन के लिए बीमा पालिसियां लें, लेकिन उन्होंने बीमा पालिसियां नहीं ली, क्योंकि बीमा कम्पनियों ने विवाद उठाया। इस कमी को दूर करने के लिए यह संशोधन लाया गया है। इसके अन्दर बीमा कम्पनियों के दायित्व प्रीमियम तक सीमित कर दिया गया है और स्वामियों के दायित्व को अभी सीमित किया गया है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बीमा कम्पनियों के दायित्व को भी असीमित रखना चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई छोटा कारखाना है, लेकिन उसमें ऐसे पदार्थों की ढलाई और संचालन का कार्य करते समय कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, हादसा हो जाता है तो जो कारखाने का मालिक है अगर वह कंपंसेट करने की स्थिति में नहीं है, तत्काल राहत देने की स्थिति में नहीं है, अन्तरिम राहत देने में समर्थ नहीं है, मुआवजा देने में समर्थ नहीं है, तो उससे कैसे वसूल किया जाएगा। इसलिए बीमा कम्पनियों का दायित्व जो सीमित करके प्रीमियम तक सीमित कर दिया गया है, मैं समझता हूं कि सरकार को इस बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए। इस तरह की घटनाएं होने पर उस समय विचार करना पड़ेगा, उस समय क्या स्थिति थी, दुर्घटना की प्रकृति कैसी थी, क्या कारण था, आसपास की परिस्थिति कैसी थी, आसपास कितने लोग रहते थे, कारखाने के अन्दर ही नहीं, बल्कि उसके इर्द-गिर्द रहने वाले लोग उससे कितने प्रभावित हुए हैं, मरे हैं, इन सारी बातों पर विचार करना होगा।

सभापति महोदय, भोपाल गैस त्रासदी को अभी तक हम भूले नहीं हैं। *अब तब जब-जब उस*

दुर्घटना की बरसी होती है, हजारों लोग बोट-क्लब पर आकर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि लोगों को पर्याप्त राहत नहीं मिली। भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने ऐसा निर्णय लिया कि उन लोगों को कुछ राहत मिल रही है, अन्यथा यूनियन कारबाइड कम्पनी ने उनके साथ जैसा खिलवाड़ करने का प्रयास किया था, वह हिन्दुस्तान के इतिहास में अनूठा होगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आज भी देश के अन्दर बीमा और क्षतिपूर्ति, दोनों का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। बीमा मिल जाएगा, इससे फैक्ट्रियों के मालिक मदहोश हो जाते हैं कि दुर्घटना तो हमारे यहां होगी नहीं और अगर होगी भी तो बीमा मिल जाएगा, क्षतिपूर्ति हो जाएगी, लेकिन जिसकी जान दुर्घटना में चली जाती है, करोड़ो रुपए खर्च करने पर भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मुआवजा देने पर भी जिसका पति मर जाता है, जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जिस परिवार में कमाने वाला और कोई नहीं होता, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इस बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए कि दुर्घटनाओं के लिए कौन दोषी है, क्यों दुर्घटनाएं होती हैं, क्या इन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि औद्योगिक सुरक्षा प्रतिबन्ध और प्रबन्धन का परस्पर गहरा सम्बन्ध है। अगर प्रबन्धकों द्वारा लापरवाही की जाती है तो हम चाहे कितना उत्पादन कर दें, लाभ कमा लें, इसका कोई महत्व नहीं रहता है। जब तक कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती, आसपास रहने वाले लोगों और बस्तियों में स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव नहीं रुकता, तब तक मुनाफा कमाने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए इन तीनों चीजों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सुरक्षा कैसे हो, पर्यावरण कैसा हो और कार्य करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो, उनके जीवन की रक्षा कैसे हो, इसके लिए कौन-कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं, इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो इन्सानों की जो अनमोल जान चली जाती है, बीमा प्रीमियम चुका देने से या पालिसी का भुगतान करने से, 25000 रुपये की नाममात्र की राशि निर्धारित करने से कुछ नहीं होगा। जिस का बच्चा छोटा है, वह 18 साल की उम्र होने तक कैसे अपना खर्च चलाएगा? बड़ा परिवार हो या कई प्रकार का कर्जा मरने वाला छोड़ गया हो या जो प्रभावित होने वाले व्यक्ति के आसपास के रहने वाले निर्दोष लोग हैं, जो कोई काम भी नहीं करते थे फैक्टरी के आसपास या कारखाने के आसपास रहते हैं तो उन लोगों की क्या स्थिति रहेगी? इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने लोक दायित्व बीमा के अन्तर्गत पर्यावरण राहत निधि तय की, यह अच्छी बात है, इससे राहत मिलेगी, लेकिन बीमा कम्पनियों की नौकरशाही, अफसरशाही या कलेक्टर साहब आदेश दे देंगे, लेकिन सरकार को इस बारे में निर्णय लेने में अपने पास अधिकार ज्यादा रखने चाहिए ताकि पीड़ित व्यक्तियों को तुरन्त जो राहत प्रदान करना चाहते है, अविलम्ब अन्तरिम राहत प्रदान करना चाहते हैं उसमें विलम्ब न हो। नौकरशाही का सामना न करना पड़े, उसमें भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी न पनपे। बीमा कम्पनियों के अधिकारियों का मुंह जब तक न भरें तब तक वे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। इसके बारे में भी ध्यान रखा जाए। सरकार का यह कर्तव्य है। केवल कानून पास करने से कुछ नहीं होगा, कानून की अनुपालना करना भी सरकार का दायित्व है।

उद्योगों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी कदम उठाने पर जोर देना चाहिए। मान्यवर, हिन्दुस्तान में सर्वेक्षण हुआ है और आधिकारिक सर्वेक्षण के अनुसार आज हिन्दुस्तान में 641 ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, जिनमें आज गम्भीर दुर्घटनाओं का खतरा है। इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए वहां तनिक मात्र भी उपाय नहीं किए गए हैं या उनमें लापरवाही और शिथिलता बरती जा रही

है। सरकार के जो इंस्पैक्टर या चैक करने वाले लोग हैं, वे वहां जाते हैं, उनका मुंह भर दिया जाता है और वे वापिस आ जाते हैं। आज हमारे राजस्थान मे पाली जिले में जो मिलें हैं या कपड़ो की रंगाई का जहां काम होता है, उनसे जो जहरीला पदार्थ निकलता है और पानी में चला जाता है, उस पानी को पीने से अनेक निर्दोष लोग गांवों में रहने वाले पीड़ित हो गए हैं। कोटा के अन्दर जो वहां रावत भाटा में, जहां अणु शक्ति पावर का ताप सयन्त्र लगा हुआ है, उसके आसपास रहने वाले लोग, वहां से निकलने वाला यूरेनियम का जो कचरा है उसके कारण कुबड़े होने लगे हैं। ऐसे लोगों पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि दुर्घटना से बचाने हेतु सरकार को चाहिए कि प्रबन्धन और श्रमिकों के कल्याण में और आसपास के रहने वाले लोगों की स्थिति, परिस्थिति और पर्यावरणीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए संयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं। संगठित मजदूरों के बारे में आप कर देंगे, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनके लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा। दिल्ली जैसे महानगर में निर्माण क्षेत्र में लाखों मजदूर झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लगे हुए हैं। ऊंची-ऊंची बिल्डिंगों में वे काम करते हैं, लेकिन जब वे गिर कर मर जाते हैं तो उनके लिए क्या इस प्रकार का कानून लागू होगा? जो ठेकेदार उनसे काम लेने वाले हैं या जो निर्माण के स्वामी हैं, जिनकी बिल्डिंगें बन रही हैं क्या उन लोगों ने ऐसे काम करने वाले श्रमिकों को, जो कठिन और दयनीय स्थिति में काम करते हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था की है? तो इस बारे में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। उनके कार्य की स्थिति में भी सुधार लाना पड़ेगा।

मान्यवर, मुझे एक बात बड़े दुःख के साथ कहनी पड़ती है कि हमारी सरकार वैसे तो अपने को कल्याणकारी सरकार कहती है और मजदूर तथा किसानों के हितों की बात करती है, लेकिन पिछले दिनों जून 1988 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन हुआ था। उसके 75वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में खास कायदे-कानून श्रमिकों के हित में बनाने की बात हुई थी। उसका नाम है "सिफारिश 175"। उसमें 175 रिकमेंडेशन होंगी। उसके बारे में जब रिपोर्ट पेश की गयी तो हमारी भारत सरकार के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने असमर्थता प्रकट की कि हम नया कानून नहीं लगा सकते। हमारे यहां तो पहले ही मजदूर मुआवजा अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, लोक दायित्व बीमा, इसके अलावा कारखाना अधिनियम आदि-आदि बने हुए हैं। अभी हमारे यहां इसकी आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि खनन के क्षेत्र में गांवों के अन्दर मिट्टी खोदते समय या पत्थर की भाटी खाने जो दिल्ली के आसपास हैं, राजधानी की नाक के नीचे है प्रति वर्ष पांच-सात व्यक्ति पत्थरों की खानों को खोदते हुए मर जाते हैं और हमारे माननीय सदस्यगण यहां आवाज उठाते हैं कि उन्हें कितना मुआवजा दिया गया। लेकिन सरकार ने उनके लिए कोई ध्यान नहीं दिया। उनके कल्याण के लिए उनका बीमा कौन कराएगा? क्या उनके मालिकों को पाबन्द किया गया है, क्या उनको भी इस कानून की परिधि में लिया जाएगा? इस बात का भी सरकार ध्यान रखे। उसमें उत्खनन पानी या मिट्टी में काम करने वाले हों, मशीनरी या वायु दबाव के क्षेत्र में काम करने वाले हों या विस्फोटक पदार्थों में काम करने वाले हों। शिवाकाशी की घटना को आप भूले नहीं होंगे। तमिलनाडु के शिवाकाशी नामक स्थान पर छोटे-छोटे बच्चे पटाखे बनाने का काम करते हैं। वहां पर दुर्घटना हुई तो वहां पर पचासों काम करने वाले मौत के घाट पर उतर गए और उनका नाम लेने

वाला उनके परिवार में कोई नहीं रहा। ऐसे लोगों की दयनीय स्थिति की तरफ और जिस क्षेत्र में स्थित हों, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। एक्सप्लोसिव गोदाम ऐसी जगह पर बनाए गए हैं, जहां पर चारों ओर बस्तियां बस गई हैं। उन बस्तियों के बीच में गोदाम होंगे तो दुर्घटना होकर कितना नुकसान पहुंचाएंगे। इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि औद्योगिक दुर्घटना राष्ट्र की प्रगति में बहुत बाधक बन रही है। औद्योगिक दुर्घटना से राष्ट्र को करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति होती है। औद्योगिक दुर्घटना से अनेक जानें हमेशा के लिए चली जाती हैं। इस दुर्घटना के आसपास रहने वाले निर्दोष लोगों की जानें चली जाती हैं। इसके बाद प्रदूषण होता है और दूरगामी प्रभाव होता है और कई लोग विकलांग हो जाते हैं। हमें इस लोक दायित्व बीमा संशोधन कानून को पारित करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इसमें जो कमियां रह गई हैं उनको दूर कर दिया जाए। (**व्यवधान**) इसमें 25 हजार रुपए की राशि बहुत कम है और इसमें 12,500 रुपए मेडिकल के हैं। इस पर गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। बीमा प्रीमियम तय करते समय उनका दायित्व असीमित होना चाहिए। मजदूरों के हितों को दूरगामी भावना से मैं इसका प्रबल समर्थन करता हूं। इसमें उत्खनन में काम करने वाले, निर्माण कार्य में काम करने वाले, बिजली के करन्ट से मरने वाले, मोटर कार दुर्घटना से मरने वाले या पानी के अन्दर डूबने वाले और कमजोर मकानों को गिराने वालों की सुरक्षा के लिए इस बिल के अन्दर व्यवस्था होनी चाहिए वरना सरकार फिर संशोधन लाएगी और कहेगी कि इसमें कमियां रह रई हैं उसको दूर करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, मैं नियम 340 के अन्तर्गत बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

मेरा प्रस्ताव है कि इस पर बहस अभी स्थगित की जाए। मैंने बहुत अहम सवाल आपके सामने छेड़ा है। सवाल को छेड़ते समय मेरे सामने इस कानून का वह पन्ना नहीं था जिसको अभी लाइब्रेरी से मंगाया गया है। यह ओरिजिनल कानून का मसविदा है।

[अनुवाद]

नियम 340 में कहा गया है :

> "किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने के बाद किसी समय कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा कि प्रस्ताव पर वादविवाद को स्थगित कर दिया जाए :"

लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोक सभा द्वारा 7 जनवरी, 1991 को और राज्य सभा द्वारा 9 जनवरी, 1991 को पारित किया गया था। इस पर लगी मुहर में यह उल्लिखित था कि इसको राष्ट्रपति ने 22 जनवरी, 1991 को स्वीकृति दी और यह 1991 का अधिनियम संख्या 6 है।

[हिन्दी]

लोक सभा और राज्य सभा ने यानि पूरी संसद ने इस कानून को पास किया। इसका खूब स्वागत करके पास किया।

4.00 म० प०

इस कानून को इतना महत्व सरकार की तरफ से और राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया कि राष्ट्रपति के हाथों में पहुंचने के 11-12 दिनों के भीतर राष्ट्रपति ने भी इस पर मोहर लगाकर इसे स्वीकृति देने का काम किया। मैं फिर इस बात की ओर जा रहा हूं जिसको मैंने पहले उठाया था। हमारे माननीय मन्त्री कमलनाथजी आज जिस कानून को लेकर आये हैं, 17 फरवरी को उनके हस्ताक्षर हैं।

[अनुवाद]

उक्त अधिनियम को इस सभा द्वारा 7 जनवरी, 1991 को पारित किया गया, राज्य सभा द्वारा 9 जनवरी, 1991 को पारित किया गया और राष्ट्रपति द्वारा इसको 22 जनवरी, 1991 को स्वीकृति दी गयी हमें इस अधिनियम को दिए गए महत्व की प्रशंसा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

तथापि उक्त अधिनियम को इसलिए लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि बीमा कम्पनियां स्वामियों के असीमित दायित्व के लिए बीमा पालिसी देने को तैयार नहीं हुईं। इसको लेकर आगे कानून इस सदन में आया है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इसमें मुझे सीधे इस सदन के अधिकारों का उल्लंघन, इस सदन का अपमान दिखाई दे रहा है। मैंने जो पत्र अभी आपके पास भेजा है उसमें कहा है कि···

[अनुवाद]

लोक दायित्व बीमा (संशोधन) विधेयक, 1992 का उद्देश्य लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 में संशोधन करना है। इस अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा 22 जनवरी, 1991 को स्वीकृति दी गई। उद्देश्यों और कारणों के कथन में मन्त्री महोदय ने बताया कि संशोधन विधेयक इसलिए लाना पड़ा क्योंकि बीमा कम्पनियां असीमित दायित्व के लिए जैसीकि मूल अधिनियम में परिकल्पना है, बीमा पालिसी देने के लिए तैयार नहीं है। बीमा कम्पनियों का यह कार्य संसद की घोर अवज्ञा है तथा भारत के राष्ट्रपति के पद का अपमान है।

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 222 के अन्तर्गत सभा विशेषाधिकार भंग के मामलों को चूंकि मामले के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं, अतः मेरा अनुरोध है कि इस मामले को तुरन्त लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

और इसी सन्दर्भ में मैंने नियम 340 के अन्तर्गत सदन के कामकाज को स्थगित करने का प्रस्ताव आपके सामने रखा है। मेरा जो प्रिवीलेज मोशन है···

सभापति महोदय : मैं आपको तब तक इस मामले पर चर्चा नहीं करने दूंगा जब तक आपका इसकी अनुमति नहीं मिल जाती है। अतः इसी कारण मैंने आपको अब तक बोलने की अनुमति दी है। परन्तु इसके बाद यदि आप पूरे विषय को लाना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। आप मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : आपने दो मामले उठाए हैं। पहली बात नियम 340 के अन्तर्गत है। आप चाहते हैं कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद स्थगित कर दिया जाए। दूसरे, आप सभा की अवमानना की बात भी कर रहे हैं जिसकी पूर्व सूचना आपने अभी-अभी दी है।

मुझे पहले मुद्दे से निपटने दीजिए। यदि मैं आपको अनुमति दे दूं तो आप अपनी बात कह सकते हैं। सारी सभा और मैं जानता हूं कि आप क्या उठा रहे हैं। अतः इस समय मुझे अपने विचार व्यक्त करने होंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपको अपना विनिर्णय देने से पहले हमारी बात सुननी चाहिए।

सभापति महोदय : बात यह है कि क्या आप दोनों बातें उठा सकते हैं। मैं पहले इन पर विचार करूंगा फिर निर्णय करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस समय मैं नियम 340 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर वाद-विवाद स्थगित करने की मांग कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आप स्वयं नियम 340 को विशेषाधिकार प्रस्ताव से मिला रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने विशेषाधिकार मामलों को केवल इसलिए उठाया है कि बात को और अधिक स्पष्ट किया जा सके और मामले की गम्भीरता की ओर ध्यान दिलाया जा सके।

सभापति महोदय : आप अपनी बात को नियम 340 के अन्तर्गत उठा रहे हैं। पूर्व सूचना के आधार पर यह मामला उठाया गया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब मुझे इस मामले पर विचार करने दीजिए। मैं आपको सारी बातों पर चर्चा नहीं करने दूंगा। क्योंकि अन्यथा इसकी स्वीकृत या अस्वीकृत करने की कोई बात नहीं है। यदि इसे इस समय स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा तो मुझे अपना विनिर्णय देना होगा। यदि मैं आपको सारी बातों पर चर्चा करने की अनुमति दे देता हूं और उसके बाद या तो उसे स्वीकृत करता हूं या अस्वीकृत करता हूं तो विनिर्णय देने की कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे किसी सहायता की जरूरत नहीं है। मैं उसी मामले पर विचार करूंगा'''जिसकी माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ने बात की है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न यह है। वाद-विवाद नियमानुसार नहीं चल रहा है। श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य बात यह है कि क्या यह मूल अधिनियम लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 लागू हुआ है या नहीं। अब यह बात उठाई गई है।

सभापति महोदय : आप यह बात श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा उठाई गई बात के अलावा है। व्यवस्था का प्रश्न उस बात पर उठ सकता है जो श्री जार्ज फर्नान्डीज ने उठाई है।

श्री राम नाईक : श्री जार्ज फर्नान्डीज जो कुछ भी कहना चाहते थे वह उन्होंने कह दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाएं। मैं सब की बात एक साथ नहीं सुन सकता हूं। मैं सभी सदस्यों की बात बारी-बारी से सुनूंगा। मैं आपको बोलने की अनुमति तभी दूंगा जब मैं आवश्यक समझूंगा।

श्री राम नाईक : उद्देश्यों और कारणों के पैरा दो के पहले वाक्य में यह कहा गया है :

> "तथापि पूर्वोक्त अधिनियम कार्यान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि बीमा कम्पनियां स्वामियों के असीमित दायित्व के लिए बीमा पालिसियां देने के लिए सहमत नहीं थीं।"

बात यह है कि अधिनियम लागू नहीं हुआ है। यहां पर सरकार कहती है कि बीमा नहीं दिया जा सकता है। बीमा केवल तभी दिया जा सकता है जब अधिनियम लागू हो जाए। अधिनियम लागू नहीं हुआ है और सरकार हमसे यह कहती है कि यह केवल इसलिए लागू नहीं हो पाया, क्योंकि बीमा कम्पनियां इससे सहमत नहीं थीं।

अधिनियम में जो कुछ उल्लेख है और उद्देश्यों में जो कुछ कहा गया है उसे श्री जार्ज फर्नान्डीज ने अच्छी तरह बता दिया है।

अत: मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ जो कुछ भी हो रहा है वह नियमानुसार नहीं है और इसी कारण यह लोक सभा के हित में है कि वाद-विवाद को स्थगित कर दिया जाए और मन्त्री महोदय इसकी जांच करें।

निस्सन्देह अपना विनिर्णय देने से पहले आप स्वाभाविक रूप से मन्त्री महोदय से स्पष्ट करने को कहें।

अत: लोकसभा कार्यवाही के हित में यह वांछनीय है कि मामले को यहीं स्थगित कर दिया जाए और वाद-विवाद बाद में शुरू हो। यह मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या अधिनियम लागू हुआ है।

श्री कमल नाथ : मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक मुद्दा उठाया है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ शंकायें दूर करना चाहता हूं।

सैद्धान्तिक रूप से मैं उनसे इस बात से सहमत हूं कि संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम का सम्भवतः उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो यह विशेषाधिकार का मामला बन सकता है और यह सभा का अवमान है।

मैं यह समझाने का प्रयास करूंगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है।

1991 में पारित अधिनियम के अनुसार उद्योगों के लिए ऐसी पालिसी लेना जरूरी है। इसके द्वारा बीमा कंपनियों के लिए ऐसी पालिसी देना जरूरी नहीं बनाया गया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप पहले यह स्पष्ट करेंगे कि क्या अधिनियम लागू हुआ या नहीं ?

श्री कमल नाथ : अधिनियम 1-4-1991 को लागू हो गया है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : संकेत क्या है ?

श्री कमल नाथ : इसके बाद बीमा कंपनियों ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि उनके यह असीमित दायित्व हैं तो यह सभा इसके लिए पर्याप्त वजटीय व्यवस्था भी कर सकती है। क्योंकि यदि असीमित देनदारी का प्रश्न होता है तो सारे विनियोगों, वित्तीय विनियोगों से सिर्फ सभा ही पारित कर सकती है। अतः उन्होंने निवेदन किया कि असीमित देनदारी को खुद सभा ने ही पारित नहीं किया था। इस मुद्दे पर विचार किया गया। मैं इस बारे में यह भी कहना चाहूंगा कि इस पर भी विचार किया गया है कि क्या बीमा कंपनी की देनदारी सीमित हो सकती है। जब 1991 में इस अधिनियम को पारित किया गया था तब यह सोचा गया था कि शायद बनाए जाने वाले नियमों के अन्तर्गत ऐसा किया जा सकता है। परन्तु बाद में यह पता चला कि नियमों के अधीन ऐसा नहीं किया जा सकता है। अर्थात् नियमों के अधीन सीमाओं का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। अतः बीमा कंपनियों और वित्त मन्त्रालय ने हमारे साथ विचार-विमर्श किया और पूछा कि इसका उपाय क्या है ? यदि इन कंपनियों ने यह कहा होता, "नहीं हम कोई बीमा नहीं करना चाहते हैं", तो मैं निश्चय ही श्री जार्ज फर्नान्डीज की बात से सहमत होता। जो बात उन्होंने उठाई थी वह यह थी कि मैंने अपने वक्तव्य में यह कहा था कि कंपनियों के राजी नहीं होने के कारण इस अधिनियम को लागू नहीं किया जा सकता है। उस विशेष परिस्थिति में वे तैयार नहीं थे। यदि उन्हें वित्त मन्त्रालय का निदेश मिला होता तो उन्होंने ऐसा किया होता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इससे यह और भी जटिल हो गया है। क्या यह जटिल नहीं होता जा रहा है ?

श्री कमल नाथ : मुझे अपनी बात पूरी करने दें। आप भी निश्चित रूप से अपनी बात कह सकते हैं। अतः, वित्त मन्त्रालय और तत्कालीन बैंकिंग प्रभाग ने भी यह महसूस किया कि असीमित देनदारी के मामले में पुनर्बीमा संभव नहीं है, तथा ऐसे मामले में इसको निर्धारित करना होगा। अतः

इस कारण से यह संशोधन लाया गया है। बीमा कंपनियों द्वारा इसकी अवज्ञा करने या इससे असहमत होने का कोई सवाल नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। उनका यही निवेदन था।

श्री राम नाईक : क्या नियमों को बना लिया गया है ?

सभापति महोदय : यह निवेदन मेरे लिए था।

(व्यवधान)

श्री आर्थर फर्नान्डीज : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आपके चुप होने तक मैं नहीं बोल सकता हूं।

सभापति महोदय : इस विषय पर पूर्ण वाद-विवाद नहीं हो सकता है।

श्री आर्थर फर्नान्डीज : मैं पूर्ण वाद-विवाद की मांग नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : कुछ मुद्दे उठाए गए थे। अब मैं मन्त्री महोदय के स्पष्टीकरण के बाद अपना निर्णय दे सकता हूं।

श्री आर्थर फर्नान्डीज : नहीं, मूलतः मैं मन्त्री के स्पष्टीकरण के बारे में ही एक स्पष्टीकरण मांग रहा हूं : इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय और जब यह विधेयक 7 फरवरी, 1991 को पारित हुआ तो श्रीमती मेनका गांधी ने अपने समापन भाषण में ऐसा कहा था। अब हमारे विधि मंत्री ने भी अपने एक प्रभावकारी भाषण में ऐसे ऐतिहासिक विधेयक को लाने के लिए मन्त्री की प्रशंसा की थी। ये शब्द खुद उनके थे। श्रीमती मेनका गांधी ने कहा था :

> "हमने साधारण बीमा कंपनी तथा अन्य एसोसिएशनों के साथ पिछले तीन वर्षों में विचार-विमर्श किया था। यह विधेयक विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित योजना पर आधारित था। हमारी कोशिश होगी कि हम इस योजना को चालू रखें ताकि दुर्घटना के शिकार लोगों को तत्काल राहत दी जा सके।"

[हिन्दी]

सभापति जी, इसलिए मेरा कहना यह है कि जब मन्त्री महोदय यहां पर कह रहे हैं कि यह तो ऐसी कोई बात नहीं है, कानून हो गया, बाद में उनको इनकम्बेण्ट नहीं होगा। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, आप बड़े मशहूर वकील रहे हैं। सभापति जी, अगर कानून यह कहता है कि आपको बीमा उतारना है और बीमा उतारने वाली जनरल इन्श्योरेन्स कंपनियां मात्र हैं, वह सारी जनरल इन्श्योरेन्स कंपनियां सरकार की हैं, तो आप कहेंगे कि···

[अनुवाद]

वे बीमा के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : कृपया कोई भी व्यवस्था का प्रश्न न उठाएं। मैंने उनका निवेदन समझ लिया

है। अब मुझे निर्णय करना है। श्री जार्ज फर्नान्डीज, आप तो वही बात दुहरा रहे हैं जो आप पहले कह चुके हैं।

अब माननीय सदस्य, श्री राम नाईक द्वारा व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया गया है कि कार्यवाही नियमानुसार नहीं चल रही है क्योंकि अधिनियम अभी लागू ही नहीं हुआ है और इसके आगे सभा में इसके संशोधन को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि माननीय मन्त्री ने पहले ही बता दिया है कि यह अधिनियम 1 अप्रैल, 1991 से लागू हो गया है। अतः यह बिल्कुल ही व्यवस्था के अधीन है। माननीय सदस्य श्री राम नाईक द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न में कोई दम नहीं है।

जहां तक माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा दिए गए सभा की अवमानना के नोटिस का सम्बन्ध है तो मेरा निवेदन है कि यह नोटिस आज प्रातः 1 बजे से पहले दिया जाना चाहिए था। और यदि इसे प्रातः 10 बजे के बाद दिया जाता है तो नियम 223 के अनुसार यह मान लिया जाता है कि इसे अगले दिन के प्रातः दस बजे के पहले दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : इसे तो सभा में भी दिया जा सकता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे अपनी बात पूरी करने दें। जब मैं विनिर्णय दे रहा हूं, तो आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। एक ऐसा परन्तुक है जिसके अनुसार परन्तु आगे यह है कि यदि अध्यक्ष मामले की तात्कालिक के बारे में सन्तुष्ट हों तो वे किसी भी समय विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की अनुमति दे सकता है। यदि आप उसका विश्वास कर रहे हैं तो मेरा कहना है कि जहां तक इस मामले का प्रश्न है ऐसी कोई तात्कालिकता नहीं है। इस विधेयक को 26 फरवरी, 1992 को परिचालित किया गया था और इसे 3 मार्च, 1992 को पुरःस्थापित किया गया था। माननीय सदस्य के पास नोटिस देने के लिए पर्याप्त समय था। उद्देश्यों और कारणों के कथन को भी परिचालित किया गया था। जिस वक्तव्य पर श्री जार्ज फर्नान्डीज निर्भर कर रहे हैं उससे वे और यह सभा 26 फरवरी, 1992 से भी पहले से अवगत थी। मैं नहीं समझता हूं कि अभी इसमें कोई तात्कालिकता है। इस नोटिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय नियम 223 के अन्तर्गत विचार करेंगे और यदि माननीय अध्यक्ष इसकी अनुमति देंगे तो सभा में इसपर चर्चा की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अब आपके इस निर्णय के सन्दर्भ में मैं नियम 340 के अन्तर्गत अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

सभापति महोदय : जहां तक नियम 340 का सम्बन्ध है, हमारे नियम 341 के अनुसार :

"यदि अध्यक्ष की राय हो कि वाद-विवाद के स्थगन का कोई प्रस्ताव सभा के नियमों का

दुरुपयोग है तो वह उस पर या तो अध्यक्षपीठ से तुरन्त प्रश्न रख सकेगा या प्रश्न प्रस्थापित करने से इन्कार कर सकेगा।"

जहां तक सभा की अवमानना का प्रश्न है तो उसके प्रति मैंने जो निर्णय किया है उसे देखते हुए मैं इस प्रश्न को प्रस्तावित करने से इन्कार करता हूं।

अब श्री पी० सी० थॉमस बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मुझे इस विधेयक का समर्थन करते हुए खुशी हो रही है जो उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है जो कारखानों में खतरनाक पदार्थों के इस्तेमाल के दौरान दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। जैसाकि आपने देखा ही है, यद्यपि यह विधेयक 1991 में पारित कर दिया गया था, इसमें कुछ विसंगतियां थीं जिनसे सामान्य रूप से गरीब लोगों को मिलने वाला लाभ उन्हें नहीं मिल पाता।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मन्त्री महोदय द्वारा जिन संशोधनों के प्रस्ताव किए गए हैं और जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे ऐसे व्यक्तियों को उचित सहायता प्राप्त न होगी। इस बात पर गौर करना सर्वाधिक दिलचस्प होगा कि यद्यपि अधिनियम इस सिद्धान्त पर आधारित है कि ऐसे गरीब लोगों की सहायता की जाए जो कारखानों के आस-पास रहते हैं अथवा जो इनके गलत प्रयोग अथवा दुर्घटना कारी प्रयोग अथवा कारखानों के मालिकों द्वारा इनके दुरुपयोग के शिकार होते हैं, फिर भी यह नोट करते हुए खेद होता है कि जो निरन्तर हो रही क्षतियों के लिए अभी तक कोई उचित प्रबन्ध नहीं किए गए हैं।

4.19 म० प०

[श्री राम नाईक पीठासीन हुए]

मैं एक अन्य मुद्दे पर आ रहा हूं। कारखाने में खतरनाक पदार्थों के गलत प्रयोग अथवा प्रयोग द्वारा होने वाली निरन्तर क्षति का प्रश्न अत्यन्त चिन्ता का विषय है जिसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसे इस समय सरकार द्वारा नोट कर लिया जाना चाहिए। मेरे पास इसका एक उदाहरण है। वहां एक कारखाना है जिसका नाम फर्टीलाइजर और कैमीकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफ० ए० सी० टी०) है। (व्यवधान)

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मन्त्री महोदय कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कई मामले हैं, जिनमें कारखाने के आस-पास रहने वालों को निरन्तर क्षति हो रही है। एक विशेष मामला मैं प्रस्तुत कर सकता हूं और जिसके बारे में मैंने पहले भी कुछ संसदीय प्रश्न उठाए हैं और जिनके मुझे उत्तर भी मिले। ये इन कारखानों द्वारा खतरनाक पदार्थों के प्रयोग के बारे में थे। मैं विशेष रूप से एक कारखाने की बात कर रहा हूं, जिसका नाम फर्टीलाइजर

एण्ड कैमीकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफ० ए० सी० टी०), कोचीन है। जहां पिछले कई वर्षों से इसके आसपास रहने वाले लोग कारखाने के अपस्राव के शिकार हो रहे हैं। जब मैंने इस बारे में संसद में प्रश्न उठाया तो मुझे मन्त्री महोदय से उत्तर प्राप्त हुआ कि यह सच है और यह पर्यावरणीय प्रदूषण एफ० ए० सी० टी०, कोचीन प्रभाग के अपस्राव के कारण हो रहा है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संसद सत्र में मेरे एक अन्य प्रश्न का यह उत्तर मिला कि कारखाने के मालिकों ने इस सम्बन्ध में सावधानी नहीं बरती है। दिए गए उत्तर से पता चलता है कि यद्यपि पड़ौसियों को निरन्तर क्षति हो रही है तथापि हानि का अभी तक जायजा नहीं लिया गया है।

इसलिए, जब हम इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक पर, जिसमें कारखानों के मालिकों द्वारा खतरनाक पदार्थों के प्रयोग से आसपास के निवासियों को हो रही क्षति की भरपाई की व्यवस्था की गई है, विचार करें तो मन्त्री महोदय कृपया उन फैक्टरियों के लिए भी एक नया कानून बनाने पर विचार करें जो कई वर्षों से उनके आस-पड़ोस के लोगों को हो रही क्षतियों का मूल्यांकन करने के लिए भी तैयार नहीं है और जिनके लिए पिछले कई वर्षों से कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

इसके लिए वहां कोई कानून नहीं है। इसके लिए दीवानी अदालतें बनाई जाएं जहां व्यक्ति जा सकें और मैं समझता हूं कि इस विशेष मामले में, कुछ व्यक्ति दीवानी न्यायालयों में गए हैं और उन्हें अपने पक्ष में आदेश प्राप्त हुए हैं। लेकिन शहर के गरीब लोग मामलों के लिए न्यायालयों में जाने की स्थिति में नहीं हैं। जब मन्त्री महोदय इस महत्वपूर्ण संशोधन को सत्र के शुरू में ही लाने के लिए समय के पाबन्द हैं तो मैं अनुरोध करूंगा कि मन्त्री महोदय इन बातों को भी ध्यान में रखें और निरन्तर इस प्रकार की क्षतियां हो रही हैं, उनके लिए मुआवजा देने के लिए उचित कानून लाएं।

मैं सभा का बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता और अन्य सभी मुद्दे भी, जो मैंने उठाए हैं, पहले ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

मैं इस विधेयक को लाने के लिए पुनः सरकार को बधाई देना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि जो नई धनराशि निर्धारित की गई है, वह वास्तव में फैक्टरियों में खतरनाक पदार्थों का उपयोग किए जाने के कारण मृत अथवा आहत व्यक्तियों को उचित सहायता देने के उद्देश्य को पूरा करेगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री छेदी पासवान।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति महोदय, सरकार ने जो यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर : सभापति जी, मेरा नाम छेदी पासवान नहीं है। मैं कमला मिश्र मधुकर हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने बोलना शुरू कर ही दिया है, तो कृपया आप जारी रखें। क्या आप बोलना चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री कमला मिश्र मधुकर : सभापति महोदय, इस बात पर आम राय बन गई है कि सरकार ने जो यह बिल प्रस्तुत किया है, इसका कारण यही है कि 1991 के बिल पर अमल नहीं हुआ और यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि आप कानून तो बना देते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। यह बात सरकार द्वारा पहले बनाए गए कानून के अमल में न आने से साबित हो जाती है।

सरकार ने कानून बनाया और जनरल इंश्योरेंस कम्पनी ने अमल में न लाकर आपको दूसरा कानून (संशोधन) लाने के लिए बाध्य कर दिया। इससे साफ है कि इस नियम में आपकी विफलता हो गई है। आपके पक्ष के लोगों ने भी कहा है। इससे यह बात साफ होती है कि अपील कम्प्रीहैंसिव नहीं है। जिस हेस्ट में आप बिल को लाए हैं इसका नतीजा यह होगा कि फिर इसे संशोधन के लिए लाना पड़ेगा। इसलिए इस पर वार्ता बन्द करके इसे कम्प्रीहैंसिव बनाने के लिए तमाम पहलुओं पर विचार करके इस बिल को लाइए।

हमारे चम्पारन जिले में एक फैक्ट्री है। दो-तीन घटनाएं हो गई हैं। उन घटनाओं के बावजूद, सरकार ने पोलूशन के खिलाफ जो नियम बनाया है, उस फैक्ट्री ने उसका पालन नहीं किया है। इस कानून में वह छोटी फैक्ट्री कैसे आएगी। पटाखे बनाने के कारखाने में भी ऐसे हैजारडस सब्सटैन्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर यदि कुछ हो जाए तो कैसे इस बिल के द्वारा उनको प्रोटैक्शन देंगे क्योंकि इसमें दिया गया है कि 50 करोड़ रुपए का इन्श्योरेंस कराना पड़ेगा। छोटे कारोबार वाले इसे कहां करवा सकते हैं, इस बात पर आपने ध्यान नहीं दिया है।

सरकार की नई पालिसी द्वारा तमाम विदेशी कम्पनियों को बुलाकर उनके जरिए कारोबार खोलने की जो उदारीकरण की नीति है, उससे तेजी से मल्टी नेशनल्स आ रहे हैं। इसके लिए इस बिल में कौन-सा प्रावधान है।

दो-चार दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि पृथ्वी का तल इतना गरम होता चला जा रहा है कि 2025 में आते-आते जमीन का पानी 26 मीटर ऊंचा उठ जाएगा। आपकी नीयत है कि इमीडिएट रिलीफ मिल जाए। नीयत साफ है लेकिन फिर भी इस बिल से यह पूरी नहीं होगी। आप फिर से विचार कीजिए कि इसे कैसे प्रभावकारी बनाएं। ऐसा महत्वपूर्ण बिल जिससे मजदूरों के जीवन का सम्बन्ध है, पर आप विचार कीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज ने ठीक कहा है कि यह सरकार की विफलता है कि कानून बनाने पर अम्ल में नहीं आया। मन्त्री जी यह बताएं कि कानून बनाने के बाद उस पर अम्ल होगा, इसकी क्या गारंटी है। आप फिर से संशोधन लाकर नया कानून बनाने जा रहे हैं। आप इस पर ध्यान दीजिए। दूसरे माननीय सदस्यों ने इस पर जो अपने सुझाव दिए हैं, उस पर भी आप सोचिए और फिर नया

बिल लाइए । मैं मानता हूं कि आपकी नीयत अच्छी है लेकिन केवल नीयत अच्छी होने से काम नहीं चलता है। कानून को अमल में लाने के लिए पूरा इन्तजाम भी करना पड़ता है । आप हमें इन चीजों की गारंटी दीजिए और बताइए कि कैसे यह बिल अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा छोटे उद्यमियों के प्रति आपका क्या रवैया होगा ? आपने मल्टी नेशनल कम्पनियों को यहां बढ़ावा दिया है । क्या उनको भी इसकी परिधि में रखा गया है ? भोपाल दुर्घटना को कोई नहीं अभी तक भूला है। इससे कई लोग मृत्यु के शिकार हुए थे । इसको लेकर अमरीका की अदालतों में मुकदमा भी चल रहा है । मृतकों और घायलों के परिवार वालों को जो राशि देने का निर्णय हुआ है, वह अपर्याप्त है । दुर्घटना से पीड़ित लोग भूखों मर रहे हैं । उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी राय है कि अब आप जो यह बिल लाए हैं, इसको सख्ती से अमल करवाएं । मेरी यही प्रार्थना है ।

[अनुवाद]

श्री ए० अशोकराज (पैरम्बलूर) : महोदय, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कडिगम दल की ओर से, मैं लोक दायित्व बीमा (संशोधन) विधेयक के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा ।

दुर्घटनाओं के शिकार हुए लोगों को तत्काल सहायता देने के उद्देश्य से सर्वप्रथम, 1991 में एक कानून बनाया गया था जिसका नाम लोक दायित्व बीमा अधिनियम है । खतरनाक पदार्थों का प्रयोग करते समय होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने के बाद, अब खण्ड में परिवर्तन कर दिया गया है । अब इसमें कहा गया है कि :

> "दुर्घटना से कोई ऐसी दुर्घटना अभिप्रेत है, जिसमें किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई करते समय कोई आकस्मिक या अचानक या अनाशयित घटना होती है जिसके परिणाम-स्वरूप किसी व्यक्ति को मृत्यु की या उसको क्षति पहुंचने की या किसी सम्पत्ति के नुकसान की निरन्तर या आंतरामिक या बार-बार आशंका बनी रहे, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी कोई दुर्घटना नहीं है जो केवल युद्ध या रेडियो-धर्मिता के कारण हो ।"

महोदय, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जब हम कानून बनाएं तो यह अच्छा होगा कि हम शब्दों को बहुत स्पष्ट कर दें ताकि बाद में जब लोग न्यायालय में पहुंचे तो उन्हें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और उनका कार्य आसानी से हो सकता है । इसलिए, मेरा अनुरोध है कि हम लम्बे वाक्यों के प्रयोग से बच सकते हैं ताकि जब हम इसे कानूनी तौर से गठित न्यायालयों में लाएं तो कार्य आसानी से हो सके।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इसके अच्छे उद्देश्यों को देखते हुए मैं वास्तव में इसका स्वागत करता हूं । इसके साथ ही, हम यह देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से मामले हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

मालिकों के असीमित दायित्व के लिए बीमा कम्पनियों द्वारा बीमा पालिसियां देने के लिए सहमत न होने के कारण इस अधिनियम को कार्यान्वित नहीं किया जा सका । वास्तव में यह आश्चर्य-जनक बात है । जब यह सरकारी कम्पनी है, तो इसे यह कार्य करना ही होगा । यह आश्चर्यजनक बात तो यह है कि वे मना क्यों कर रहे हैं इसे अजीब वस्तु के रूप में अस्वीकार क्यों कर रही हैं । फिर भी, इस दोष को यहां दूर कर दिया गया है । अब यह इस प्रकार है : यद्यपि अधिनियम के

अन्तर्वत मालिक का दायित्व असीमित ही रहेगा। बीमा कम्पनियों का दायित्व बीमा नीति की राशि तक सीमित रखा जाना चाहिए। अतः अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। सहायता करने के लिए सरकार पर्यावरण सहायता निधि सृजित करने के लिए आगे आई है।

मेरा अनुरोध है कि जब यह पर्यावरण राहत निधि स्थापित की जाती है तब कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक पूर्वोपाय किए जाने चाहिए।

अधिनियम में, कुछ परिवर्तन किया गया है, इसका पाठ इस प्रकार है :

"बीमाकर्त्ता जिससे ऐसे अधिनिर्णय के निबन्धनों के अनुसार और धारा 4 की उपधारा (2ख) में, विनिर्दिष्ट परिणाम तक किसी रकम के संदाय की अपेक्षा की गई है, अधिनिर्णय की घोषणा की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उस रकम को ऐसी रीति से, जैसी कलक्टर निर्दिष्ट करे, जमा करेगा।"

मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह निर्णय देने की अवधि के बारे में बताएं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कभी-कभी लोगों को बहुत अधिक समय लग जाता है। वास्तव मे लाभार्थियों को इसका बिल्कुल लाभ नहीं हो पाता है। इसलिए इसके लिए समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए आवंटित समय समाप्त हो चुका है। अभी भी चार-पांच वक्ता बचे हैं। मैं प्रत्येक वक्ता से अपनी बात पांच मिनट में पूरी करने के लिए अनुरोध करूंगा। आपके पांच मिनट अब पूरे हो चुके हैं। कृपया यथाशीघ्र बात समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री ए० अशोकराज : उपधारा 8 के अनुसार, इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। भा० ज० पा० के श्री रासा सिंह रावत तमिलनाडु के पटाखे बनाने वाले एककों में बच्चों की नियुक्ति का उल्लेख कर रहे थे। हमारी नेता, मुख्य मन्त्री पुरातची थालावी जयललिता हितों की सुरक्षा तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही थी।

अन्त में, मैं अप्राधिकृत एककों में नैमित्तिक मजदूरी पर कार्य कर रहे कामगारों के बारे में जानना चाहूगा। हम केवल प्राधिकृत एककों के कामगारों के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन हम उनके बारे में कोई बात नहीं बता रहे हैं। लाभों के बारे में कामगारों को भलीभांति समझाने के लिए हमें प्रचार करना चाहिए। सम्पूर्ण देश में घटित हो रही दुर्घटनाओं की संख्या पर विचार करते हुए इनके बारे में रेडियो, दूरदर्शन और समाचारपत्रों द्वारा प्रचार किया जा सकता है। एक परामर्शदात्री समिति भी गठित की जानी चाहिए। इसमें बीमा कम्पनियों के अधिकारियों और आम जनता के प्रतिनिधियों सहित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए। सम्पूर्ण योजना का कार्यान्वयन बीमा पालिसी की पर्याप्तता पर निर्भर करेगा। खतरनाक एककों से जोखिम का आकलन करने की आशा की जाती है। इसके लिए मार्गनिर्देश मौजूद है कि बीमा प्रीमियम की कैसे गणना की जाएगी। इसलिए चिकित्सा खर्चे भी बढ़ाए जाने चाहिए।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। यह अधिनियम, जिसका एक ऐतिहासिक कानून के रूप में स्वागत किया गया है, की उत्पत्ति

भोपाल की अत्यन्त दुखद औद्योगिक त्रासदी के कारण हुई थी। भारतीय न्यायपालिका ने भोपाल मुआवजा मामले और दिल्ली में ओल्यूम गैस रिसने के मामले में जहां कोई दोष न होने के दायित्व का सिद्धान्त स्थापित किया गया था, कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए थे। ओल्यूम रिसने के मामले में, श्रीराम फर्टीलाइजर्स को पूर्णतया उत्तरदायी ठहराया गया था। यद्यपि यह अधिनियम जनवरी, 1991 में पारित हो गया था फिर भी इसे सामान्य रूप से इसलिए लागू नहीं किया जा सका क्योंकि सामान्य बीमा निगम अन्तिम दायित्व सुनिश्चित नहीं कर सका था। इस बार सभा में चर्चा की गई थी और अध्यक्ष ने अपना विनिर्णय दिया था। मन्त्री महोदय ने भी इस बात को स्पष्ट किया है। आखिर भारत में सामान्य बीमा कम्पनियां सरकारी कम्पनियां हैं। उन्हें बीमा कार्य बीमा सिद्धान्तों के अनुसार करने पड़ते हैं और वे संसद के प्रति जिम्मेदार हैं। कोई भी बीमा कम्पनी अपना कार्य नहीं कर सकती जब तक कि उसे अपना दायित्व ज्ञात न हो। उन्हें इतना भी ज्ञात नहीं होता कि उन्हें कितना प्रीमियम लेना है। अधिनियम के इस संशोधन में इस कमी को दूर किया जाना है। धारा 2 में कुछ परिभाषाओं विशेषत: 'दुर्घटना' और 'मालिक' की परिभाषा में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मुझे इस बारे में कुछ बातें कहनी हैं लेकिन मैं इन पर बाद में चर्चा करूंगा। मुख्य भाग धारा 4 में संशोधन है जो दायित्व राशि को सीमित करता है कि संविदा में स्पष्ट रूप से कितनी धनराशि लिखी गई है और जो ऐसी राशि के बारे में न्यूनतम और अधिकतम सीमा लगाता है। चूंकि न्यूनतम राशि कम्पनी की चुकता पूंजी है अत: अधिकतम सीमा 50 करोड़ रु० रखी गई है। इस 50 करोड़ रु० की सीमा के लिए कुछ आपत्तियां की गई हैं और मैं कुछ सदस्यों की बात से सहमत हूं क्योंकि आज बड़े संयंत्रों की चुकता पूंजी 500 अथवा 1000 करोड़ रु० हो सकती है। परमाणु शक्ति संयंत्र की चुकता पूंजी इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इसलिए, दायित्व की सीमा 50 करोड़ रु० निर्धारित क्यों की गई है लेकिन, महोदय एक बात है। अब हम उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों, जो बहुत समय पहले स्थापित हो गए थे, पर प्रीमियम का भुगतान करने के लिए एक अतिरिक्त दायित्व डालने वाले हैं। यदि प्रीमियम 1000 करोड़ अथवा 500 करोड़ रु० आंका गया है तो प्रीमियम की राशि बहुत अधिक हो सकती है और इससे लाभ पर प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस उपबन्ध को नए सिरे से देखें। आप पुरानी कम्पनियों के लिए 50 करोड़ रु० की सीमा रख सकते थे लेकिन नए उपक्रमों जो भविष्य में विशेष रूप से उदार औद्योगिक नीति के अन्तर्गत स्थापित होने जा रही हैं, के मामले में एम० एन० कम्पनियां जिनकी स्थापना होने की सम्भावना है, के लिए कृपया चुकता पूंजी पर अधिकतम सीमा बढ़ाई जाए। यह 100 करोड़ रु० अथवा 200 करोड़ रु० अथवा 500 करोड़ रु० हो सकती है।

धारा 4 में अन्य संशोधन पर्यावरण राहत कोष सृजित करने के लिए धनराशि जुटाना है। धारा 7 में भी संशोधन दिया गया है और यह मालिक का दायित्व से बचने के लिए परिसम्पत्तियां बेचने से रोकता है। इस बारे में कोई तर्क नहीं दिया जा सकता है। यह अत्यधिक स्वागत योग्य उपबन्ध है। नई धारा 7(क) द्वारा पर्यावरण राहत कार्य बनाया जाना है। सभा को लागू होने वाले इस ऐतिहासिक कानून का अवश्य स्वागत करना चाहिए। परन्तु मुझे कुछ सुझाव देने हैं, मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा बल्कि कुछ सुझावों पर बात करूंगा।

मेरी बात परिभाषा से जुड़ी है। सर्वप्रथम दुर्घटना की परिभाषा बदली जानी चाहिए। मुझे दुर्घटना की उस परिभाषा से कोई कठिनाई नहीं है जिसमें युद्ध से हुई दुर्घटनाओं को अलग रखा गया

है। परन्तु रेडियो धर्मिता की दुर्घटना को अलग क्यों रखा जाए। इसका अर्थ है कि सरकार नाभिकीय दुर्घटनाओं के मामले में क्षतिपूर्ति देने से कतराती है। पता नहीं वास्तव में सरकार क्या चाहती है ? हम सभी जानते हैं कि नाभिकीय दुर्घटनाओं में काफी विनाश होने की सम्भावना होती है। हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में श्री माइल्स आइलैंड तथा रूस में चेरनोबिल दुर्घटना को जानते हैं। हमें आशा करनी चाहिए कि ऐसी दुर्घटना भारत में न हो। परन्तु हम रेडियो धर्मिता अथवा नाभिकीय दुर्घटना को अलग क्यों रखना चाहते हैं ? मुझे यह बात समझ में नहीं आती। मूल अधिनियम में 'निपटान' की परिभाषा की गई है तथा इसे सिर्फ वाहनों द्वारा परिवहन तक ही सीमित रखा गया है। मैं समझ नहीं सका कि यह सीमा क्यों है ? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम में निपटाने की परिभाषा में सभी प्रकार के साधनों से परिवहन शामिल है। इस अधिनियम में सिर्फ वाहनों द्वारा परिवहन ही क्यों रखा गया है। क्या हमें कहना पड़ेगा कि बैलगाड़ी जैसे कुछ अन्य साधन को शामिल नहीं किया जाना है ? इस भाग को भी देखा जाना है। तीसरी बात खतरनाक पदार्थ की परिभाषा में सरकार ने मात्रा को शामिल किया है। पता नहीं मात्रा को क्यों शामिल किया गया है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम में खतरनाक पदार्थ की स्पष्ट परिभाषा है। मात्रा की अवधारणा लाकर सरकार किसी भी खतरनाक पदार्थ की परिभाषा नियम बनाकर देगी।

सहभागी कंपनियों के मामले में बीमा की अधिकतम सीमा के बारे में निर्णय लेने से धारा 4 में एक और समस्या है। आप इन कंपनियों की परिसम्पत्ति का पता कैसे लगाएंगे क्योंकि इन कंपनियों की कोई प्रमुख पूंजी नहीं है ? इसके बारे में निर्णय कौन लेगा ? क्या इस बारे में बीमा कंपनियां या सलाहकार समितियां निर्णय लेंगी ? नियमों में इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

मूल अधिनियम में देयता बीमा कराने के लिए कंपनी को एक वर्ष का समय दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह समय अधिक है। इसे तीन महीने में किया जाना चाहिए।

जब मूल अधिनियम पारित किया गया था तो छूट मुद्दे पर चर्चा की गई थी जिसे अधिनियम द्वारा केन्द्र तथा राज्य सरकारों को दिया जाना है। यह काफी भेदभावपूर्ण है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को समान सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि स्थानीय निकायों राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले नियमों को अलग रखा जाए। अर्थात् सारा राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों को छूट देने की कुछ शक्तियां हो सकती हैं परन्तु निगमों को छूट देने की शक्ति नहीं हो सकती है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि क्षतिपूर्ति की राशि काफी कम है। भोपाल गैस के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पीड़ितों को 1 से 3 लाख रुपए तक की राशि दी थी। यद्यपि यह एक तत्काल राहत है 25000 रु० की राशि काफी कम है।

एक और मुद्दा है, यह कहा जाता है कि चोट के मामले में क्षतिपूर्ति की राशि समाहर्त्ता निश्चित करता है। समाहर्त्ता यह निर्णय कैसे लेगा कि यह आंशिक अपंगता है या स्थाई पूर्ण अपंगता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी भोपाल गैस त्रासदी के मामले में यह निर्णय नहीं कर सके कि क्षति कितनी हुई है ? तो समाहर्त्ता यह निर्णय कैसे करेगा ? इस मुद्दे को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के जीवन यापन लागत की तुलना में सम्पत्ति की क्षति

के लिए 6000 रु० की राशि काफी कम है। इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा सरकार प्रत्यायोजित शक्तियों के माध्यम से कर सकती है।

इस अधिनियम का स्वागत है जिसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए तथा मैं सभा से इस कानून को पूर्ण समर्थन देने का अनुरोध करता हूं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, बोलने के लिए कुछ समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं परन्तु मेरे कुछ संशोधन है। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा।

सभापति महोदय : अब आप संशोधनों पर भी बोल सकते है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : महोदय, ठीक है। मैं आपके सामने घटनाक्रम रखना चाहूंगा। अधिनियम बनाया गया तथा अधिसूचना जारी की गई। मैं समझता हूं कि उसके बाद जैसाकि कानून में निर्धारित है अनेक औद्योगिक कम्पनियां बीमा के प्रस्ताव के साथ औद्योगिक कम्पनियों के पास गयी। अब सिर्फ एक ही साधारण बीमा कपनी है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसने इन प्रस्तावों को मानने या स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं है और मैं भी मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि वे इसे स्पष्ट करे। ऐसा क्या हुआ कि इस कारण मैं बोला कंपनी द्वारा उठाई गई आपत्तियां पिछले तीन वर्षों में चर्चा के दौरान कंपनियों तथा सरकार के ध्यान में नहीं आई ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इसके पीछे कौन व्यक्ति या वास्तविक कारण क्या था ? हमें बताया गया कि वास्तविक स्थिति यह थी कि भारतीय बीमा कंपनी अर्थात् साधारण बीमा निगम अपने ही परिसम्पत्तियों का उत्तरदायित्व नहीं ले रही है। इसका उत्तरदायित्व बहुराष्ट्रीय कंपनियां या विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनिया ले रही है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें। ऐसा क्यों है कि वह कंपनी जिसकी इस देश में सभी प्रकार के साधारण बीमा कार्यों में एकाधिकार है अपने आप में स्वावलम्बी क्यो नहीं हो सकती है ? उसे ऐसे व्यक्ति पर क्यों निर्भर रहना पड़ता है जिसे उसके कार्यकलाप से हटा दिया गया है। और ऐसे व्यक्तियों के कहने पर और उनके मना किए जाने पर उसने एक ऐसे कानून को मानने से इन्कार कर दिया है, जिसे भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है। यह प्रश्न है जो मैं उठा रहा हूं। मैं विशेषाधिकार के मामले पर जोर नहीं दे रहा हूं परन्तु मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें। क्या बीमा कंपनियों द्वारा विदेशी कंपनियों की हिचकिचाहट से उत्पन्न स्थिति का सामना करते समय जिस पर उनका कोई नियन्त्रण नहीं है सरकार से यह कह सकता है, कि "हमें क्षमा करिए। हम ऐसी स्थिति में हैं। या तो आप हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से छुटकारा दिलायें या आप हमें इस कानून का उल्लघन करने दें।" तत्पश्चात् मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि इसमें कितना पैसा लगा हुआ है। ऐसे कितने प्रस्ताव हैं जिनमें कानून के अन्तर्गत लागू नहीं किया गया है जिन्हें बन्द पत्र समझा गया है।

अब मैं सीमा का सवाल उठाता हूं। दो श्रेणियों के लोग हैं और विधेयक इनके बारे में स्पष्ट नहीं है। खतरनाक पदार्थों के उत्पादक हैं। लगभग सभी उद्योग किसी न किसी प्रकार के खतरनाक पदार्थ का किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं। निश्चित रूप से यूनियन कारबाईड जैसे निर्माता तथा एक छोटे निर्माता जो औद्योगिक प्रक्रिया में सलफ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं कि दायित्वों के बीच स्पष्ट फर्क देखा जा सकता है। परन्तु कानून में ऐसा कोई फर्क नहीं है। मेरा अपना विचार

यह है कि जहां तक निर्माता का सवाल है दायित्व असीमित होना चाहिए और औद्योगिक प्रयोक्ता के लिए दायित्व सीमित होना चाहिए । यह फर्क तर्क के आधार पर होना चाहिए । हम सभी को एक सा नहीं मान सकते हैं । अतः मैं महसूस करता हूं कि कानून जैसा है और विधेयक जो लाया गया है स्पष्टता और वर्गीकरण का उचित तार्किक आधार नहीं है अब मन्त्री महोदय हमें बताते हैं कि यह तुरन्त राहत देने के लिए है मुआवजे के लिए नहीं । सबसे पहले मैं इस टिप्पणी पर प्रश्नचिन्ह लगाता हूं । राहत और मुआवजे के बीच बहुत कम फर्क है । वास्तव में निजी नुकसान के मामलों में अधिकार के रूप में प्रत्यायोजन के मामले में अनेक उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक रूप में राहत दी गई है । राहत मुआवजे का पहला चरण है । मुआवजे की पहली खेप है । अतः इस बात पर स्पष्ट फर्क नहीं किया जा सकता है । परन्तु यह मानते हुए हम मन्त्री महोदय के वक्तव्य की कीमत मानते है, वह बहुत उत्सुक हैं परन्तु साथ ही साथ वे इस संशोधन विधेयक को लाने में लगभग 14 महीने की देरी कर चुके हैं । जबकि भोपाल गैस हादसे से उत्पन्न स्थिति से हमारे पर्यावरण में अभी तक जहर फैल रहा है ।

महोदय, मैं अध्यादेश का सवाल उठाता हूं, जिसे मैंने कल भी उठाया था । सरकार ने अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपयोग करना एक आदत बना ली है । ऐसी कौन सी तात्कालिकता थी ? बीमा कंपनियों ने इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने में अपनी असमर्थता कब दिखायी थी ? निर्णय लिए जाने की तारीख कौनसी थी क्योंकि यह मामला शायद विभिन्न सम्बन्धित विभागों के बीच परामर्श का मामला था और यदि निर्णय 31 मार्च को लिया गया तो निश्चित ही संसद का सत्र फरवरी के अन्तिम सप्ताह में शुरू होने वाला था तो इस विधेयक को स्वतः ही सभा में प्रस्तुत किया जा सकता था तथा अध्यादेश जारी करने और उसे कानून में बदलने के लिए विधेयक लाने की जरूरत नहीं थी ।

अतः मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बात को स्पष्ट करें क्योंकि हमें बार-बार अध्यादेश जारी करने की स्थिति देखनी पड़ती है और इस पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं रह गया है ।

मेरी अन्तिम बात यह है कि प्रारूप तैयार करने में कुछ कमियां है । मेरी परिभाषा तक समझ में नहीं आयी है और मैंने इस सम्बन्ध मे तीन संशोधन दिए है । इसमें कहा गया है "दुर्घटना का मतलब है किसी खतरनाक पदार्थ का उपयोग करते समय होने वाली दुर्घटना आदि ।" यह उपयोग करना एक क्रिया है जबकि करने वाले का उल्लेख करना जरूरी है । यह स्पष्ट नहीं है । कभी-कभी यह पूर्णतया दुर्घटना हो सकती है और कभी-कभी यह इन्सान की गलती से हो सकती है । यह श्रमिक की गलती हो सकती है, प्रबन्ध की गलती हो सकती है कि पाईप में जंग लग गयी है और इस कारण यह फट गया है । अतः एक सक्रिय क्रिया के स्थान पर निष्क्रय क्रिया का उपयोग करके प्रारूप को और अच्छी तरह तैयार किया जा सकता है । यह कहते हुए कि खतरनाक पदार्थ का उपयोग करते समय यदि कोई दुर्घटना हो जाती है । मैं यहां पर व्याकरण के पांच सिद्धांत नहीं बता रहा हूं । परन्तु मुझे विश्वास है कि हमारा व्याकरण का स्तर गिरता जा रहा है और घटिया स्तर के प्रारूप तैयार करने के कारण भी काफी मुकदमेबाजी होती है ।

इसके अलावा इसमें युद्ध और रेडियोधर्मिता से सम्बन्धित पदार्थों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को छूट दी गयी है । मन्त्री महोदय कृपया यह बताएं कि क्या वे नागरिक असन्तोष से होने

वाली दुर्घटनाओं को भी छूट देते हैं। क्या वे नागरिक असन्तोष से व्यक्ति या सम्पत्ति को होने वाले नुकसान पर यह कानून लागू करेंगे ? मेरी तीसरी बात यह है कि मैं 'पर्यावरण कोष' शब्द का अभिप्राय नहीं समझ पाया हूं। एक अलग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। जैसाकि मन्त्री महोदय ने बताया है कि यह केवल खतरनाक पदार्थों के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को राहत प्रदान करने के लिए एक कोष की व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि यह भी अस्पष्ट है। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कानून बनाया जाए जोकि मूलतः अस्पष्ट हो। अतः महोदय इन शब्दों के साथ मैं सभा के समक्ष अपने विचार रखता हूं। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इस कानून की पुनरीक्षा करेंगे और सभा में पुनः हमारी स्वीकृति प्राप्त करेंगे।

सभापति महोदय : जी हां, मन्त्री महोदय।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, हमारी पार्टी के एक और वक्ता हैं। मुझे लगता है कि उनके नाम पर आपका ध्यान नहीं गया है।

सभापति महोदय : मेरे पास और कोई नाम नहीं है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, हमने श्री मुखर्जी का नाम बता दिया है।

सभापति महोदय : ठीक है, श्री अजय मुखर्जी बोल सकते हैं।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्ण नगर) : सभापति महोदय, समय बहुत कम है और मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा।

महोदय, माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा उठाए गए मुद्दे से मैं सहमत हूं। परन्तु, चूंकि सभापति महोदय ने अर्थात पीठासीन अधिकारी ने अपना निर्णय दे दिया है, अतः मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। पर, प्रश्न यह है कि इस विधेयक को लाया क्यों गया है ? इसे जनरल इन्श्योरेंस कम्पनियों द्वारा फैक्टरी मालिकों को उनके असीमित दायित्व के लिए बीमा पालिसी देने से इनकार किए जाने के कारण लाया गया है या सेवा प्रदायी क्षेत्र में विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाने के लिए उनका रास्ता साफ करने के लिए लाया गया है। इस मुद्दे का खुलासा होना ही चाहिए। मन्त्री महोदय के नेक इरादों पर संदेह किए बिना ही इस पर कई प्रश्न उभरते हैं। भोपाल गैस त्रासदी की याद अभी भी ताजी है। यूनियन कार्बाईड इण्डिया लिमिटेड नामक एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी हजारों लोगों की मौत और सम्पत्ति के भारी विनाश तथा पर्यावरण की अभूतपूर्व क्षति के लिए जिम्मेवार थी। परन्तु उन्हें उचित सजा नहीं दी गयी है या उसके शिकार हुए लोगों को सच्चे अर्थों में मुआवजा भी नहीं मिला है।

अब भारत सरकार की औद्योगिक नीति की पृष्ठभूमि में उदारीकरण के नाम पर हर मामले में ढील दी जा रही है। अब किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। यहां तक कि अवस्थापना हेतु लाइसेंस को भी खत्म कर दिया गया है। अतः इस देश के गरीब लोगों के लिए खतरा बढ़ रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के प्रारूप को फिर से तैयार करना चाहिए क्योंकि दुर्घटना की परिभाषा देते हुए यह कहा गया है—मैं उद्धृत करता हूं :

"दुर्घटना से कोई ऐसी दुर्घटना अभिप्रेत है जिसमें किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई करते समय कोई आकस्मिक या अचानक या अनाशयित घटना होती है, जिसके परिणाम-स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु की या उसके क्षति पहुंचाने की या किसी सम्पत्ति के नुकसान की निरन्तर या अन्तरायिक या बारम्बार आशंका बनी रहे किन्तु, इसके अन्तर्गत ऐसी कोई दुर्घटना नहीं है जो युद्ध रेडियोधर्मिता के कारण हो।"

अत: यदि किसी आणविक संयंत्र में कोई दुर्घटना होती है तो यह इस संशोधन विधेयक की सीमा में नहीं आएगा। यह तो बहुत ही खतरनाक बात है। इस अधिनियम में भी केन्द्र सरकार को शक्ति दी गयी है। एक अधिसूचना जारी करके वह किसी भी स्वामी, नामश: केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को या निगम को केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व की अथवा नियन्त्रण के अधीन किसी निगम को उपधारा-1 के परिचालन से मुक्ति दिला सकते हैं। अत: यदि सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम में, या किसी सरकारी विभाग में ऐसी दुर्घटना होती है तो उसमें मरने वाले लोगों के लिए मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मेरे समझ से तो यह तर्कसंगत नहीं है। अत: इन सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की जरूरत है। फिर, चूंकि इन दिनों सरकार अपनी तथाकथित नई नीतियों द्वारा सरकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बीच के अन्तर को मिटाने में लगी है इसलिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों को भी इसकी सीमा के भीतर लाया ही जाना चाहिए।

5.00 म० प०

सरकार की दलील यह है कि यह अधिनियम बिल्कुल सही है। पर वह अधिनियम तो लागू हुआ ही नहीं है। इस विधेयक को 1991 में कानून बनाया गया था और तब से इस अधिनियम की किसी भी व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। और अब आप इस लोक दायित्व बीमा (संशोधन) विधेयक को लेकर आ गए हैं। अत: इस बात की पूरी आशंका है कि यदि इस विधेयक को कानून बनाया जाता है तो इसे भी लागू नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त इसमें जिस मुआवजे की व्यवस्था की गयी वह बहुत ही कम है, तथा इस विधेयक रूपी जाल में बड़ी कम्पनियां, बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां नहीं आ पाएंगी और छोटी मछलियों सदृश छोटी कम्पनियां ही इसमें फंस जाएंगी। मेरे विचार से यह काफी आपत्तिजनक है। इसके इरादे अच्छे हो सकते हैं। परन्तु इस विधेयक को इस तरह से तैयार किया गया है कि गरीब मजदूर जो हानिकारक चीजों के साथ काम करता है वह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। जो लोग इन कम्पनियों के स्थान में या इनके निकटवर्ती क्षेत्रों में रह रहे हैं वे इससे लाभान्वित नहीं होंगे, वे बच ही नहीं पाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं लोक दायित्व (संशोधन) विधेयक का विरोध करता हूं और मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे संसद के समक्ष एक अधिक व्यापक विधेयक लाएं। धन्यवाद।

सभापति महोदय : अब मन्त्री महोदय इस चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री कमल नाथ : इन बेशकीमती सुझावों के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। सबसे

पहले मैं कुछ दोस्तों द्वारा कही गयी इस बात को दुहराना चाहूंगा कि इस सभा द्वारा पारित विधान का उल्लंघन किया हुआ है। इस सभा में श्री जार्ज फर्नान्डीज का अनुभव निश्चित रूप से मेरे और हममें से कई लोगों के अनुभव से ज्यादा है। मुझे इस बात का भी ख्याल है कि यदि ऐसी स्थिति है, तो मैं दुबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने इस मुद्दे पर भी विचार किया कि साधारण बीमा कम्पनियों द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत इस विधान के अनुरूप कार्य न करने का क्या कारण है ?

तथ्यों की जांच करने के बाद—इसके पहले यह मामला मन्त्रिमण्डल में भी गया था—मैंने इस पहलू पर भी गौर किया; मुझे, मेरी तरह श्री जार्ज फर्नाण्डीज एवं अन्य कई सदस्यों को भी यह बात खटकी, परन्तु मामला यह नहीं है। हुआ यह था कि जब साधारण बीमा कम्पनियों से इस मामले पर बात हुई थी तब असीमित दायित्व का यह मुद्दा नहीं उठा था।

जब यह अधिनियम लागू हुआ जब उस विधान के कुछ पहलुओं पर सामान्य बीमा कम्पनियों के साथ चर्चा की गई, तो यह धारणा व्यक्त की गई थी कि हम अधीनस्थ विधान की तुरत निर्धारित किए जाने वाले नियमों के अन्तर्गत ठीक कर सकते हैं।

जुलाई, 1991 में ही हमें विरोध न करने वाली सामान्य बीमा कम्पनियों से इसके बारे में पहली सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, किन्तु उसमें यह उल्लेख करते हुए कि वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत जिसमें विनियोग की व्यवस्था'''इस सभा किया बनाया गया विनियोग'''

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : क्या उस समय इसकी कल्पना नहीं की गई थी ?

श्री कमल नाथ : उस समय इसकी कल्पना नहीं की गई थी। अतः उनकी राय और उनका निवेदन था कि भोपाल गैस दुर्घटना, जैसे मामलों में, इस असीमित दायित्व की व्यवस्था को मान लेना वास्तव में बीमा कम्पनियों को समाप्त कर देना है। इससे प्रयोजन सिद्धि नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे इस प्रयोजन को कैसे सिद्ध करेंगे। यह स्वतः बीमा नीति का उद्देश्य पूरा नहीं करेगा। अतः सरकार या वित्त मन्त्रालय ने ऐसा चाहा होता, तो यह किया जा सकता था। यदि यह सभा असीमित दायित्व की व्यवस्था उपलब्ध कराने की इच्छुक है तो यह सभा असीमित दायित्व का अच्छी प्रकार से विनियोजन कर सकती है।

चर्चा में इससे जुड़ा एक और प्रश्न था। प्रश्न पुनः बीमा के विषय में था। बीमा व्यवस्था में सामान्यतया असीमित दायित्व का पुनः बीमा करने का चलन नहीं है। ऐसा नहीं होता वित्त मन्त्रालय, बैंकिंग विभाग और बीमा कम्पनियों के साथ चर्चा की गई। लेकिन तब यह विचार किया गया कि यदि अन्तरिम राहत की अधिकतम सीमा तय है, तो इसे लेने का क्या उपयोग है। अन्तरिम राहत, यदि एक आवश्यकता है, तो यह आवश्यकता ही है। यदि हमें अन्तरिम राहत लेनी ही है, तो हमें इसे लेना ही होगा।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : पुनः बीमाकर्ता कौन था ? कौनसी कम्पनी थी जिसे पुनः बीमाकर्ता या जिम्मेदारी वहन करने वाला ठहराया जाना था ?

श्री कमल नाथ : वित्त मन्त्री को इसका जवाब देना होगा। यह प्रश्न वित्त मन्त्री से करना भी उचित होगा। जैसाकि माननीय सदस्य श्री सैयद शाहाबुद्दीन सहमत होंगे, कि क्या हमें पुनः बीमा की व्यवस्था अपनानी भी चाहिए और क्या पुनः बीमाकर्ता इस प्रश्न पर वित्त मन्त्री महोदय को विचार करना है कि पुनर्बीमाकर्ता कौन हो।

श्री आर्च फर्नान्डीज : मन्त्री महोदय, केवल एक प्रश्न। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि पुनः बीमाकर्ता एक विदेशी एजेंसी, याने एक विदेशी कम्पनी है ?

श्री कमल नाथ : मैं नहीं जानता। बीमा विभाग मेरे अधीन नहीं आता। काश मैं दूसरा जवाब दे सकता। न ही मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं और न ही इससे इनकार कर सकता हूं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : इस अनुरोध पर विचार करते हुए आप यह प्रश्न पूछ सकते थे।

श्री कमल नाथ : हमने इस पर विचार नहीं किया कि पुनः बीमाकर्ता कौन था बल्कि क्या पुनः बीमा की आवश्यकता थी। पुनः बीमा बीमा का एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि यदि बड़ा दायित्व है और यदि बीमा कम्पनी का पुनः बीमा नहीं है, तो वे उस बीमे के अन्तर्गत उस दायित्व की पूर्ति करने में समर्थ नहीं होंगे। अतः यह जानना हमेशा अच्छा है—कम से कम मैं ऐसा मानता हूं—कि यदि यह जानना ठीक है कि क्या बीमा कम्पनी ने पुनः बीमा करवाया हुआ है। यह हमें काफी हद तक पुनः आश्वस्त ही करता है।

उसके बाद जब ये चर्चा की गई, तो वह दिसम्बर में पूरी हुई—प्रश्न ही गिरधारी भार्गव और कुछ अन्य सदस्यों द्वारा उठाया गया था—तब यह इस अध्यादेश के बारे में प्रश्न उठा था। विकल्प था कि या तो मैं यह सुनिश्चित करने के लिए इस अध्यादेश को लाऊं कि मैं इसे इस पर सभा के साथ विचार-विमर्श करना चाहता हूं—भारतीय कम्पनियां वापस नहीं आती और यह नहीं कहती कि पर्याप्त समय नहीं है। यह कम्पनियों पर है तो वे 31 मार्च तक बीमा करवा लें क्योंकि यह निर्धारित किया जा चुका है कि बीमा पालिसियां 31 मार्च तक ले ली जानी चाहिए। यह सब उस कारण था, मैंने सोचा कि कुछ दिन में हम यह सुनिश्चित करा सकेंगे कि कम्पनियों ने बीमा करवा लिया है। मैं पूरा एक वर्ष नष्ट नहीं करना चाहता था और वापस आकर इन कम्पनियों को हानिकारक रसायनों के उपयोग के लिए अधिक समय नहीं देना चाहता क्योंकि जैसाकि जाहिर है, तब निश्चित तौर पर कम्पनियों पर यह दोष आता कि उनके लिए यह बीमा बहत अच्छा नहीं है। उन्हें इसे अपने राजस्व में से अदा करना होता है। इसीलिए मैंने अध्यादेश को लाने का निर्णय लिया और सोचा कि हम यह देखने के लिए एक दिन भी नष्ट न करें कि ये कम्पनियां वापस मेरे पास आएं और कहें कि उनके पास इस बीमे पालिसी को लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, अध्यादेश के लिए यह आवश्यक था। इसी कारण हमने इस सम्बन्ध में राष्ट्रपतिय उद्घोषणा करनी चाही थी।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : अध्यादेश की तारीख से आज तक उन्होंने कितनी पालिसियां दर्ज की हैं ?

श्री कमल नाथ : इस समय मैं यह जानकारी नहीं दे सकूंगा।

श्री पी० जी० थामस : इसी कारण वे इसका एक वर्ष से विरोध कर रहे हैं।

श्री कमल नाथ : लेकिन मंशा तो इसे यथाशीघ्र करने की थी। यह मंशा नहीं थी कि 31 मार्च, 1992 तक इस समय को गंवा दिया जाए।

एक मुद्दा यह उठाया गया कि यह पर्याप्त नहीं है। यह अधिनियम, जिसके लिए मैं इस सभा में एक संशोधन लेकर आया हूं, केवल अन्तरिम राहत से सम्बन्धित है। जब कोई दुर्घटना होती है और तत्काल राहत दिए जाने की आवश्यकता होती है, तो उसका भुगतान कौन करता है—मुख्यमन्त्री या राज्य सरकार या प्रधानमन्त्री अपने राहत कोष से देते हैं या केन्द्र सरकार देती है। ऐसा नहीं होता। और यह पता लगाने के लिए कि भुगतान कौन करेगा, उस जिले के प्राधिकारियों को, जहां दुर्घटना हुई होती है, को कहीं न कहीं से निधियां प्राप्त करने के लिए सभी दिशाओं में भागना पड़ता है, कभी राज्य सरकार के पास, तो कभी केन्द्र सरकार के पास, कोई निर्धारित कोष नहीं है। और न ही कोई ऐसी संचित निधि है जिसमें से इसे अन्दर किया जा सके। इसी कारण, अन्तरिम राहत प्रदान करने के लिए 1991 का यह कानून बनाया गया था।

श्री, शाहबुद्दीन ने कहा है कि राहत और मुआवजे के बीच एक बिन्दु रेखा है। वे 'अन्तरिम शब्द को भूल गए। यह अन्तरिम राहत तत्काल राहत प्रदान करने के लिए है। जब कोई जख्मी हो जाता है तो उसे धन की आवश्यकता होती है, किन्तु उसे मजूरी भी नहीं दी जा रही होती। कर्मकार इसके अन्तर्गत नहीं आते। कर्मकारों के लिए दूसरा अधिनियम है। उनको दूसरे अधिनियम का संरक्षण प्राप्त है। इसमें गैर-कर्मकार व्यक्ति आते हैं जो फैक्ट्री के बाहर है और जो अन्य विधान के अन्तर्गत नहीं आते। अत:, 1991 का यह अधिनियम केवल राहत के अन्तरिम पहलू के लिए हैं। यह राहत नहीं है। यह एक अन्तरिम सहायता है। प्रश्न यह है कि अन्तिम सहायता कितनी होगी, चाहे इसे 'मुआवजा' कहें, अथवा अन्य कोई नाम दें, यह पूर्णतया पृथक मामला है। इस समय हम अधिनियम के संशोधन पर विचार कर रहे हैं, जो इसके केवल अन्तरिम पहलू से सम्बन्ध रखता है। इसलिए, समय-सीमा निर्धारित करना आवश्यक था। इस संशोधन, समय-सीमा 30 दिन निर्धारित की गई है। कोई प्रश्न नहीं···क्या इसमें कोई असावधानी बरती गई है, क्या जानबूझकर उन्होंने असावधानी बरती है; क्या कोई अनियमितता है—प्रश्न पूछे जाएगे। इतना ही काफी है कि दुर्घटना घटी है और बीमा कम्पनी के कलेक्टर द्वारा चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर निर्धारित राशि 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अदा करनी होगी।

एक प्रश्न यह उठाया गया था कि कलेक्टर को कैसे पता चलेगा। कलेक्टर जिला का वरिष्ठतम अधिकारी होता है। चिकित्सा अधिकारियों से, अन्य ऐसे अधिकारियों के जरिए स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कलेक्टर से अधिक उचित कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता। जब कोई दुर्घटना हो जाए तो बीमा कम्पनी को बिना कोई प्रश्न किए राशि 30 दिन के भीतर कलेक्टर को अदा करनी होगी। इसलिए कलेक्टर को स्वयं ही पता चल जाता है कि धनराशि उपलब्ध है। हमने एक अन्य सम्भावना पर विचार किया है कि यदि अधिनियम में 50 करोड़ रु० की चुकता पूंजी की सीमा निर्धारित है और ली गई पालिसी की अधिकतम राशि पर्याप्त नहीं है, तो हमने इसके लिए भी सुरक्षा उपाय किए हैं। हमने पर्यावरण सहायता निधि सृजित करने का विकल्प अपनाया है। पर्यावरण सहायता निधि के लिए बीमा पालिसी लेते समय भुगतान किया जाएगा और यह इस राशि को बीमा कम्पनियों द्वारा इस निधि में जमा आकलित कराया जाएगा। इसलिए, बीमा पालिसी में यह सीमित नहीं है। यह धारणा कि···(व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार : बड़ी दुर्घटनाओं के मामले में मालिक के असीमित दायित्व की वसूली के लिए क्या तंत्र है ? अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री कमल नाथ : महोदय, मालिक का दायित्व सीमित नहीं है। बीमा कम्पनी का दायित्व सीमित है। इस बात को हमें समझना है···(**व्यवधान**)

श्री वी० धनंजय कुमार : वास्तव में असीमित दायित्व के मामले में मालिक से राशि वसूलने के लिए क्या व्यवस्था है ? क्या उसे दीवानी न्यायालय में ले जाया जाएगा ? (**व्यवधान**)

श्री कमल नाथ : इस मामले में कुछ अन्य कानून हैं और हमने यह व्यवस्था की है कि वह अपनी परिसम्पत्तियों को बेच नहीं सकता। हमने यह सुरक्षोपाय अपनाया है। ध्यान इस बात पर नहीं दिया जाना चाहिए कि हम इसे कैसे कर सकते है अथवा हम कैसे इसे करते हैं। मुख्य यह है कि जो लोग प्रभावित हुए हैं। उन्हें अन्तरिम सहायता प्राप्त होनी चाहिए। ध्यान मुख्यतः इसी बात पर है। इसलिए, सीमित दायित्व सृजित करते समय, बीमा कम्पनी के लिए निर्धारित दायित्व, कारखानों का दायित्व, औद्योगिक एककों का दायित्व सीमित नहीं किया गया है। पालिसी मूल्य से अधिक अपेक्षित राशि पर्यावरण सहायता निधि से प्राप्त होगी। पर्यावरण सहायता निधि समय के साथ-साथ तैयार की जाती रहेगी। हम बता चुके हैं कि बीमा प्रीमियम पर सरचार्ज जो पर्यावरण सहायता निधि में जमा होगा, वह प्रीमियम से अधिक नहीं होगा लेकिन इसके बराबर होगा। इसलिए, यह निधि तैयार हो जाएगी, यह बढ़ेगी एकत्र हो जाएगी और किसी दुर्घटना के समय दिए जाने वाले मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए इससे पर्याप्त आरक्षित निधि और संसाधन जुट जाएंगे।

एक बात यह उठाई गई थी कि छोटे एककों के लिए यह व्यवस्था बहुत महंगी होगी। छोटे एककों के लिए यह उनकी चुकता पूंजी तक सीमित होगी। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि इसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। मैं समझता हू कि दुर्घटना के लिए ऐसी पालिसी लेना उनका कर्त्तव्य है। पालिसी लेते समय उन खतरनाक पदार्थों के स्वरूप पर विचार किया जाएगा जिनका वे उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मानक प्रीमियम होगा। दुर्घटना का स्वरूप उसमें जोखिम का परिणाम आंका जाएगा। इसलिए, इन सब पर विचार किया जाएगा और छोटे एककों को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। महोदय, मैं ऐसा समझता हूं।

एक अन्य बात जिसका उल्लेख किया है, वह प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के बारे में है। प्रशिक्षण कार्यक्रम सचालित किए जाते हैं। बड़े एककों, जोखिम भरे एककों के लिए दुर्घटना प्रबन्धन योजनाएं हैं। अन्य बड़ी परियोजनाओं के लिए मेरा मन्त्रालय दुर्घटना प्रबन्धन योजनाएं, आदि प्रारम्भ करने पर जोर दे रहा है।

सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों में से एक यह था कि अब उदारीकृत नीति के साथ ही अत्यधिक प्रदूषणकारी एककों वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनिया बहुत अधिक संख्या में स्थापित होंगी। मैं सभा को आश्वासन देना चाहूंगा कि हम उन उद्योगों को लगाने की अनुमति नहीं देंगे जो पर्यावरण की दृष्टि से संगत नहीं है जैसाकि हम जानते हैं, ऐसे सभी उद्योगों में जिनमें खतरनाक सामग्री का प्रयोग होता है, पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता है।

किसी विश्व बैंक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि खतरनाक रसायनिक पदार्थों को भारत मे जाएगा। डाला बासेल अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता हैं और इसमें इस बारे में रोक और प्रतिबन्धों की व्यवस्था है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थिति पैदा हो।

शाहाबुद्दीनजी ने प्रयोग का प्रश्न उठाया है, जैसाकि इसे परिभाषित किया जा रहा है·····

(**व्यवधान**)

श्रीमती मलिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : भोपाल दुर्घटना के बाद भी क्या आप यूनियन कार्बाइड को खतरनाक सामग्री का प्रयोग करने से रोक पाए हैं ?

श्री कमल नाथ : महोदय, प्रश्न रोकने का नहीं है। निर्माण में खतरनाक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। यह जीवन का सत्य है। यदि सभा में सब चाहते हैं कि देश में ऐसा कोई उद्योग न हो जो खतरनाक रसायनों से सम्बन्धित है, तो मुझे आशंका है कि हमारे उद्योगों में अधिकांश को बन्द करना पड़ेगा।

मैं शाहाबुद्दीन जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा था, हम 179 रसायनों को जो अवसीमा से बाहर है, परिसंकटमय पदार्थ, नियमों के अन्तर्गत लाएंगे। इसलिए खतरनाक पदार्थों में 179 रसायनों का उल्लेख किया जा रहा है। यदि सभा की यह इच्छा है कि देश में खतरनाक रसायनों से सम्बन्धित कोई निर्माण कम्पनी नहीं होनी चाहिए, तो इसका यह अर्थ होगा कि हमारे लगभग 60-70 प्रतिशत उद्योग बन्द कर दिए जाएं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्या : प्रश्न यह है कि क्या वे सावधानी बरत रहे हैं और सुरक्षापाय कर रहे हैं।

श्री कमल नाथ : भोपाल में यूनियन कारबाइड बन्द पड़ा है। यह बन्द पड़ा है, अतः वह कोई रसायन पदार्थ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यह यूनियन कारबाइड के सम्बन्ध में है।

श्री शाहाबुद्दीन जी ने एक अन्य मुद्दा कुछ परिभाषाओं और इस बारे में उठाया है कि क्या नागरिक दंगों को छोड़ दिया जाएगा, हम समझाते हैं कि नागरिक दंगे ऐसी चीज है जिनका औद्योगिक एककों को पहले से ही आभास हो सकता है और वे ऐसी घटनाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षापाय कर सकते हैं और उन्हें करने भी चाहिए। हमने केवल युद्ध को शमिल नहीं किया है। सामान्यता ऐसा बीमा व्यवहारों में किया जाता है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : महोदय, सभी पालिसियों जो दूकानदार अथवा व्यापारी द्वारा ली जाती है, उनमें यह खण्ड है कि बीमा में युद्ध अथवा नागरिक उपद्रवों का मुआवजा शामिल नही है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप यह चाहते हैं कि यह दायित्व होना चाहिए, अथवा अन्यथा यह कानून स्पष्ट नहीं है। मेरा प्रश्न केवल यह है। आपको यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या कोई ऐसी दुर्घटना होने पर जिसमें खतरनाक पदार्थ वातावरण को प्रदूषित करते हैं और इस कारण मुझे नागरिक उपद्रव में लोग घायल हो जाते हैं, तो ऐसे मामले भी क्या इस कानून की परिधि में आएगे ?

श्री कमल नाथ : हम महसूस करते हैं कि हमने यह परिकल्पना की है कि औद्योगिक एककों को नागरिक उपद्रव की वास्तविकता पर विचार करना चाहिए—और वे कर सकते हैं और ऐसे मामले में उन्हें पर्याप्त सुरक्षोपाय करने चाहिए।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मुझे इस बात की प्रसन्नता है।

श्री कमल नाथ महोदय, इस पर विचार करते हुए हम नागरिक उपद्रवों के प्रश्न से अलग नहीं रह सकते। हमने केवल युद्ध की स्थिति को छोड़ा है।

श्री अजय मुखोपाध्याय : रेडियोधर्मिता के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री कमल नाथ : जहां तक विघटनायिकता के प्रश्न का सम्बन्ध है, आम बीमा पालिसी यह है कि परमाणु अथवा रेडियोधर्मी सामग्री द्वारा होने वाली दुर्घटना बीमा पालिसियों में शामिल नहीं होती। यह नीति ही अपनाई जा रही है। मैं समझता हूं कि यह उचित नीति है और इस पर दृढ़ रहना चाहिए। यदि बीमा कम्पनियां रेडियोधर्मिता के लिए बीमा पालिसियां देना शुरू करती हैं तो भी हम ऐसा ही करेंगे।

इस चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों से एक मुद्दा जो यद्यपि थोड़ा अलग-सा है, मॉट्रियल प्रोटोकॉल तक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन (यू० एन० सी० ई० डी०) से सम्बन्धित है। मैं सदस्यों को संक्षेप में यह आश्वासन देना चाहूंगा कि भारत के हितों की सुरक्षा की मांग थी। हमारे ऊपर किसी भी विकसित राष्ट्र द्वारा दबाव डाले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम विकसित राष्ट्रों के किसी भी अस्त्र से सहायता, व्यापार तथा ऋण को हमसे किसी प्रकार की रियायत दिलवाने या हमसे किसी भी समझौते में कोई शर्त मनवाने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे।

श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या आप वित्त मन्त्रालय के दबाव के सामने टिक सकेंगे ?

श्री कमल नाथ : मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्रालय तथा सरकार वातावरण के प्रति काफी सजग है। यह दबाव का सामना करने का प्रश्न नहीं है, हमारी सरकार एकजुट होकर स्थिति का सामना करेगी। (**व्यवधान**)

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : वह जो बात कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए।

सभापति महोदय : कृपया मंत्री महोदय को परेशान न करें।

श्री कमल नाथ : हमारे ऊपर दबाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यू० एन० सी० ई० डी० सम्मेलन ब्राजील में होने जा रहा है। यह शायद—मैं शायद शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं कहूंगा कि यह अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा और प्रधानमंत्री महोदय भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व करेंगे। मैं इस आश्वासन को दोहराता हूं कि हम किसी प्रकार की शर्त पर समझौता नहीं करेंगे।

अन्त में मैं कुछ सदस्यों को, जिन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं, पुनः आश्वासन देना चाहूंगा···

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या आप प्रधानमंत्री की कीमत पर इन शर्तों को लेकर कोई मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री कमल नाथ : मजाक की कोई बात नहीं है। यह प्रधानमन्त्री की नीति है जिसे मैं लागू कर रहा हूं।

मेरे मित्र महोदय ने फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर की समस्याओं के बारे में एक मुद्दा उठाया था। उन्होंने पहले भी यह बात मेरे ध्यान में लाई थी। मैं यह आश्वासन देना चाहूंगा कि मैं इस

मुद्दे की जांच के लिए केन्द्र का एक दल भेजूंगा। मैं इसकी जांच कराऊंगा और देखूंगा कि सुधारात्मक उपाय किए जाएं, एक मुद्दा उदारीकरण तथा छूट के बारे में उठाया गया था, जो उद्योग या व्यापार में लागू हो रहा है और मैं कह सकता हूं कि यह पर्यावरण के क्षेत्र में उदारीकरण तथा छूट की प्रतिक्रिया-स्वरूप नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैंने 'एच-एसिड' के बारे में एक मुद्दा उठाया था क्योंकि राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों, जैसे उदयपुर तथा अन्य जगहों में पेयजल पूरी तरह दूषित तथा जहरीला हो गया है। इस बारे में क्या स्थिति है ?

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं किसी मामला विशेष पर प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर सकता। परन्तु सदस्य ठीक ही कह रहे हैं कि 'एच-एसिड' एक समस्या रही है। एच-एसिड के उत्पादन पर उसके उत्पादक देशों में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है परन्तु इसके उपयोग पर प्रतिबन्ध नहीं है। अतः एच एसिड या भारत में उत्पादन किया जा रहा है सिर्फ एच एसिड का प्रश्न नहीं है बल्कि इस जैसे अनेक रसायनों का प्रश्न है तथा अनेक रसायन हमारी ध्यान में आ रहे हैं क्योंकि विज्ञान के विकास में जहरीले रसायनों की थोड़ी मात्रा भी काफी क्षति कर सकती है। पहले अधिक मात्रा में रसायन पदार्थों की जरूरत होती थी।

श्री रूपचन्द पाल : विदेशी राष्ट्रों में जिस रसायन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है हमारे देश में वह बनाया जा रहा है।

श्री कमल नाथ : कुछ रसायनों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि उन रसायनों से कैसे निपटा जाए जिनके उत्पादन पर तो प्रतिबन्ध लगा दिया गया है परन्तु उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हम इसकी विस्तार से जांच कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि यहां इन उद्योगों को बन्द किया जाए अथवा नहीं। हम इसकी पूर्णरूपेण जांच कर रहे हैं। हमें इस मामले में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा।

अन्त में, मैं सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि निसंदेह उदारीकरण या छूट है परन्तु पर्यावरण की कीमत पर नहीं, न ऐसा है और न ऐसा होगा। मैं इस कानून को पारित करने के लिए इस सभा के सभी वर्गों का सहयोग चाहूंगा। मैं समझता हूं चूंकि यह संशोधन हमें इसे लागू करने में मदद करेगा। सभी पहलुओं की जांच कर ली गई है और मुझे यह कहकर प्रसन्नता है कि इसमें आई कुछ विसंगतियां, कठिनाइयों का पता लगा लिया गया है, हम उन्हें दूर कर पाए हैं तथा मैं कुछ सदस्यों की इस आशंका को दूर कर देना चाहूंगा कि इस बात की क्या गारन्टी है कि इसे अब लागू कर दिया जाएगा। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि एक बार और विचार करने के पश्चात् इसकी विस्तार से जांच के पश्चात् संशोधन के पारित होने पर इस अधिनियम को लागू किया जाएगा। धन्यवाद।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मुझे मन्त्री महोदय से केवल एक मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहिए। हम ऐसे मामलों में पीड़ितों को तत्काल राहत देने में सरकार की चिन्ता तथा ईमानदारी की सराहना करते हैं। परन्तु महोदय, समाहर्ता द्वारा मामले पर निर्णय लेने की प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता है। वह साक्ष्य रिकार्ड करता है और इस प्रक्रिया में वकील भी उपस्थित होते हैं। महोदय, इससे मामलों के निपटान में विलम्ब होगा।

श्री कमल नाथ : मैं इस शक को दूर करूंगा। मैं ऐसी स्थिति में पैदा होने वाली इस समस्या के प्रति सजग हूं। बनाए जाने वाले नियमों में हुए इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि "किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई दावे या पुनदावे की अथवा किसी भी कार्यवाही पर विचार किए बगैर हम एक समय सीमा निर्धारित कर रहे हैं।"

श्री ओबल्लभ पाणिग्रही : यहां तीन महीने की समय सीमा है, परन्तु यदि सिविल प्रक्रिया अपनाई जाती है तो मैं समझता हूं कि इस मामले को तीन महीने में नहीं निपटाया जा सकता है और इसीलिए संक्षिप्त प्रक्रिया अपनायी जा सकती है।

श्री कमल नाथ : विधेयक का एक लक्ष्य और उद्देश्य प्रक्रिया को समाप्त करना है न कि सिविल दावों में फंसना। अत: नियमों में इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाएगा कि जिला समाहर्त्ता सिर्फ आकलन करे तथा इन परिस्थितियों में वही उचित व्यक्ति है। एक बार आकलन किए जाने के बाद बीमा कम्पनी इसे 30 दिनों में धनराशि दे देगी। किसी जिला समाहर्ता के किसी मामला विशेष में असफल होने का प्रश्न ही नहीं है, यदि कोई दुर्घटना हुई है, तो मैं नहीं समझता कि उसे ऐसा करने में असफल क्यों होना चाहिए और वही तत्स्थानिक आकलन करने के लिए उचित व्यक्ति है परन्तु किसी अधिनियम या सिविल प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कारण से विलम्ब होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : गिरधारी लाल जी, आप बोलिए, लेकिन संक्षेप में।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति जी, मैं संक्षेप में ही बोलूंगा, यूं भी मैं बहुत कम बोलता हूं।

सभापति महोदय : भार्गव जी, ऐसा है कि गृह मंत्री जी को एक स्टेटमेंट देना है। इसलिए मैं आपसे संक्षेप में बोलने के लिए अनुरोध कर रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : तब तो सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि पहले गृह मंत्री महोदय स्टेटमेंट दे दें, उसके बाद मैं बोल लूंगा।

सभापति महोदय : नहीं, इसमें ज्यादा संशोधन नहीं हैं, इसलिए पहले इसे खत्म कर लेते हैं, उसके बाद गृह मंत्री महोदय स्टेटमेंट देंगे। आप बोलिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि पहले गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट हो जाए, उसके बाद मैं बोल लूंगा।

सभापति महोदय : यह बिल दूसरे सदन में भी जाना है इसलिए आप जल्दी अपना भाषण करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मन्त्री जी का ध्यान, जार्ज साहब ने जो वैधानिक आपत्ति प्रारम्भ में प्रस्तुत की है, उस ओर दिलाना चाहूंगा।

[अनुवाद]

"स्वामियों के असीमित दायित्वों हेतु बीमा कम्पनी के बीमा पालिसी देने के लिए सहमत न होने के कारण उनका अधिनियम लागू नहीं किया जा सका।"

[हिन्दी]

यह बात सत्य है कि पिछली मन्त्री श्रीमती मेनका गांधी ने सारी बातें करने के बाद जब इस बिल को सदन में पास करवा लिया, उसके बाद भी इंश्योरेंस कम्पनी ने कहना नहीं माना। हिन्दुस्तान में जो सर्वोपरि संस्था संसद है, उसका अपमान हुआ है। उसका अपमान होने के बाद भी आप आज इस बिल को ले आए। आपने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया है। मैं चाहूंगा आपसे कहीं पर गलती न हो जाए क्योंकि आपका नाम कमल नाथ है। कमल हमारा चुनाव चिन्ह था और आप कमल के भी नाथ हैं। आपका नाम मिट गया तो हमारा नाम अपने आप मिट जाएगा, हमारी मिट्टी पलीत हो जाएगी। मैं आपका शुभ चिन्तक हूं। आपने सारी कमी दूर कर दी है और हर प्रकार से इसमें गौर कर लिया है। इसमें कोई त्रुटि नहीं रह गई है। लेकिन वक्त बहुत बलवान है, देखें क्या होता है।

आप बिल ठीक लाए हैं लेकिन इसमें कुछ कमी है, उस ओर मैं निवेदन करना चाहता हूं। फंड जो बनेगा, प्रीमियम के बराबर रिलीफ फंड में मालिक को रकम देनी पड़ेगी, यह बात आपने इसमें कही है। मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा और मान लें, इंश्योरेंस कम्पनी भी आ जाएगी, मालिक भी आ जाएगा तो यदि केन्द्र सरकार की ओर से इस फंड में उतना ही अनुदान मिल जाए तो फंड रोचक होगा और लोग आपकी जय-जयकार करेंगे। आप फाईनेंस मिनिस्टर से बात कर लें, कल इस बिल को पास करवा लेंगे, अभी तो आर्डिनेंस जारी है।

दूसरी बात, ओनर से कैसे रकम वसूल करेंगे यह बात स्पष्ट नहीं हुई है। प्रापर्टी ट्रांसफर न करें, इस पर रोक लगाने वाली बात कही है। इस सम्बन्ध में आपने किसी प्रकार की बात नहीं कही है। यह कमी है।

एक कमी मोटी है जो मुझे महसूस हो रही है और आपको भी शायद महसूस हो रही होगी। यदि कोई व्यक्ति मर जाए तो कलेक्टर पच्चीस हजार रुपए देगा, यदि उसका मेडिकल यानि रोग ठीक करवाने के बारे में है जैसे एक टांग टूट जाए या एक हाथ टूट जाए और उसका उपचार कराना होगा तो कलेक्टर 12,500 रुपए देगा। कलेक्टर को आपने इस सीमा में बांधा।

सभापति जी, मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से थर्ड पार्टी के बारे में जो नियम थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थर्ड पार्टी को कितना मिलेगा, इसके लिए हम कहीं पर परिसीमा बांध नहीं सकते हैं। यह मेरा फैसला नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इंश्योरेंस कम्पनी की जो लायबिल्टीज हैं, वे अनलिमिटेड होनी चाहिए। तब देश में उसका भला होगा।

मंत्री जी, जैसाकि मैंने पहले ही कहा कि हम तो आपके भक्तों के भक्त हैं। अतः अगर आप मेरी बात मान लें तो बहुत अच्छा होगा। आपके जैसा मिनिस्टर पूरे मन्त्रिमंडल में नहीं है। अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो मैं अध्यादेश को निरस्त करने वाला प्रस्ताव वापिस ले लूंगा। यह बात

हमारे और आपके बीच में आड़े नहीं आनी चाहिए। हमारे मुख्य सचेतक का भी यह कहना है कि यदि आप मेरा कहना मान लें तो मैं अध्यादेश को निरस्त करने वाला अपना प्रस्ताव वापिस ले लूंगा वरना वोट करवाना पड़ गया तो बात ठीक नहीं होगी। अतः आप मेरे रचनात्मक सुझावों को स्वीकार कर लें और इन पर विचार करें। इसके बाद मैं निरस्त करने वाला प्रस्ताव वापस लूंगा।

श्री कमल नाथ : मैं भार्गव जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने सुझाव तो दिए हैं, लेकिन अगर वे इस बिल को थोड़ा गहराई से पढ़ लेते तो अच्छा रहता। केन्द्र सरकार को इसमें कुछ देने की बात जो उन्होंने कही है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब इंश्योरेंस लिमिट पार हो जाए और जो एनवायरनमेंट रिलीफ फंड बन रहा है, वह भी पार हो जाए, मेरे दृष्टिकोण में ऐसी स्थिति नहीं आएगी और अगर ऐसी स्थिति आई तो केन्द्र सरकार इसमें अपना हाथ आगे बढ़ाएगी। केन्द्र सरकार जो कांग्रेस पार्टी की है, वह हमेशा अपना हाथ आगे करती है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं हाथ से डरता हूं। यह हाथ बहुत खतरनाक है। आप इसे आगे मत करिए। आप कमल की बात करिए।

श्री कमल नाथ : कमल से तो नहीं डरते हैं। यह हम मई तक पास कर सकेंगे। 3 अप्रैल को यह अध्यादेश खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको 3 अप्रैल से पहले पास करना आवश्यक है। मैं भार्गव जी से निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने अमेंडमेंट मूव किए हैं कि इसको फिर से सुझाव के लिए सर्कुलेट किया जाए, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हम पास कर रहे हैं, वह बिल नहीं है, यह केवल अमेंडमेंट बिल है। अगर बिल का प्रश्न होता और अगर 1991 में आपका यह सुझाव होता तो कुछ बात बनती। आज हम केवल कुछ अमेंडमेंट पास कर रहे हैं जो 1991 के बिल को लागू कर सके। इसलिए ये जो 3-4 अमेंडमेंट्स हैं कि इनको हम सुझाव लेने के लिए सर्कुलेट करें, मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय मंत्री जी ने मेरे सुझावों को मानने का आश्वासन दिया है। मैं उम्मीद करता हूं···(**व्यवधान**)···आगे भविष्य में इस प्रकार की गलती न हो और आप फिर कभी कोई सुधार लाएं तो बिल रचनात्मक ढंग से एकमुश्त में लाएं···(**व्यवधान**)···इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। यह एक गम्भीर बात है। मुख्य सचेतक की आज्ञा से अध्यादेश को निरस्त करने का मैंने प्रस्ताव रखा है। मंत्री महोदय द्वारा सहर्ष ईमानदारी से आश्वासन देने के बाद मैं इसको वापिस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप इसे वापस लेना चाहेंगे ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं अपने सांविधानिक संकल्प को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या सदस्य महोदय को अपना सांविधानिक संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

सांविधानिक संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर विचार करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे । प्रस्ताव से सम्बन्धित संशोधन है । श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति जी, मैं प्रेस नहीं कर रहा हूं । साढ़े पांच बजे स्टेटमेंट होने वाला है । मैं कुर्सी का भक्त हूं और उसकी आज्ञा का पालन करता हूं ।

[अनुवाद]

मैं अपने संशोधन संख्या-1 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय : क्या सदस्य महोदय को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां ।

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या-1 वापस लिया गया ।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : मान्यवर सभापति जी, मैं एक बात कहकर बात समाप्त करूंगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सी बीमा कम्पनियों ने पत्र व्यवहार किया था और क्या-क्या आपत्तियां उठाई थीं ? उस पत्र व्यवहार कमीरह के बारे में अगर कुछ संदर्भ हों तो उसका थोड़ा परिचय दे दें । हमें पता लगना चाहिए कि किन-किन आधारों के ऊपर उन्होंने मना किया ।

सभापति महोदय : आप विदड्रा करना चाहते हैं ।

प्रो० रासा सिंह रावत : आपके आदेशानुसार मुझे विदड्रा करना चाहिए लेकिन वस्तु स्थिति की जानकारी तो इस सदन को मिलनी चाहिए कि इस सदन ने जिस चीज को पारित किया है, उस चीज को कौन-कौन से आधारों पर मना किया गया था ।

मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सदस्य महोदय को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

[हिन्दी]

संशोधन संख्या-3, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

सभापति महोदय : अब मैं विचाराधीन प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि लोक दायित्व बीमा (संशोधन) अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।

खण्ड 2

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 11,—

"किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई करते समय" **के स्थान पर**

"किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई किए जाने के दौरान" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 4,—

"युद्ध" **के पश्चात्** "या सिविल उपद्रव" **अंत:स्थापित किया जाए ।**" (6)

सभापति महोदय : क्या आप अपने संशोधन मनवाने पर नोट दे रहे हैं ?

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : माननीय मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के बाद मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय : क्या सदस्य महोदय को अपने संशोधनों को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 से 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3 से 5 विधेयक से जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 और 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 6 और 8 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री कमल नाथ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5.42 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

बारहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 12वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

5.43 म० प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की हत्या से सम्बन्धित वीडियो कैसेट

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की हत्या से सम्बन्धित वीडियो कैसेटों के बारे वक्तव्य देना चाहता हूं।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विशेष जांच दल ने, जो मामले की जांच पड़ताल कर रहा है, अब तक 467 वीडियो कैसेट बरामद किए हैं, जिनमें से एक बिल्कुल नया और अप्रयुक्त है। शेष 466 कैसेटों को देख लिया गया है और मामले से सम्बन्धित फ्रेमों की पहचान के लिए जांच अधिकारियों के दल द्वारा अभी भी परख की जा रही है।

अभी तक विशेष जांच दल केवल 2 वीडियो कैसेटों को जब्त करने में कामयाब हुआ है, जो हत्या से पूर्व 21 मई, 1991 को श्रीपेरम्बुदुर में हुई जनसभा पर चित्रित की गई थी। एक वीडियो कैसेट बाबू नामक एक व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था, जिसे 21 मई, 1991 को श्रीपेरम्बुदुर में हुई जनसभा के आयोजक श्री ए० जे० दास द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किया गया था। इस कैसेट में श्रीपेरम्बुदुर में श्री राजीव गांधी के पहुंचने से पूर्व के समारोह के चित्रण हैं। इसमें शंकर गणेश और पार्टी द्वारा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया गया संगीत कार्यक्रम और उसके बाद श्री राजीव गांधी को फूल मालाएं पहनाने और शाल भेंट करने के बारे में श्री ए० जे० दास द्वारा की गई उद्घोषणा को दिखाया गया है। कैसेट में उसके बाद अस्पष्ट रूप से भीड़ को श्री राजीव गांधी के चारों ओर इकट्ठा होते हुए और उनको शाल पहनाते हुए दिखाया गया है। उसके बाद कैसेट पूर्णरूप से धुंधली हो गई और उसके बाद दाह संस्कार इत्यादि सम्बन्धी दूरदर्शन द्वारा चित्रित दृश्य चित्रित हैं, जिसे वीडियो-ग्राफर द्वारा बाद में रिकार्ड किया गया था। वीडियो ग्राफर सहित सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से विस्तृत रूप से पूछताछ की गई और अभी तक कैसेट में फेरबदल किए जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। विशेष जांच दल विदेशों के तकनीकी विशेषज्ञों की इस बारे में भी राय प्राप्त कर रहा है कि क्या कैसेट में किसी प्रकार की फेरबदल की गई है।

दूसरे कैसेट का विडयोग्राफ एक पदुन राज नामक व्यक्ति द्वारा, जिसे कार्य के लिए तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (आई) द्वारा अनुबन्धित किया गया था तैयार किया गया। इस कैसेट में मद्रास हवाई अड्डे पर श्री राजीव गांधी का साक्षात्कार, उसके बाद पोरुर और पूनामल्ली में हुई उनकी सार्वजनिक

सभाएं तथा उसके बाद श्रीपेरम्बुदुर की सार्वजनिक सभा में उनका आगमन सम्बन्धी चित्रण शामिल है। श्रीपेरम्बुदुर में शंकर गणेश और उनकी पार्टी द्वारा संगीत के कार्यक्रम के चित्रण के बाद कैसेट समाप्त है। जहां तक इस कैसेट का सम्बन्ध है वीडियोग्राफर सहित सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से विस्तृत रूप से पूछताछ की गई है तथा अभी तक इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं जिससे यह पता चलता हो कि कैसेट में फेरबदल की गई है। तथापि, इस कैसेट के बारे में भी विशेषज्ञों की राय प्राप्त की जा रही है।

विशेष जांच दल ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि ये दोनों कैसेट अब न्यायालय की सम्पत्ति है और विशेष जांच दल द्वारा उन्हें जब्त किए जाने के बाद इनमें किसी प्रकार की फेरबदल नहीं की गई है।

श्री पी० जी० नारायणन (गोवीचेट्टीपालयम) : महोदय, मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : अब कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता है। नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं।

श्री ए० अशोकराज (पेरम्बलूर) : इसके कई पूर्व उदाहरण हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : इसकी अनुमति देना सभापति के विवेक पर निर्भर है।

सभापति महोदय : मैं अब किसी भी स्पष्टीकरण की अनुमति नही दे रहा हूं। हमें कई अन्य कार्य भी करने हैं। कृपया बैठ जायें।

श्री ए० अशोकराज : परन्तु, इसके लिए कई पूर्व उदाहरण हैं।

सभापति महोदय : आप मुद्दे को दूसरे ढंग से, उपयुक्त नोटिस देकर उठा सकते हैं।

5.46 म० प०

रेल बजट, 1992-93—सामान्य चर्चा

रेल अभिसमय समिति के बारे में संकल्प

अनुदानों की मांगें (रेल), 1992-93

और

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1991-92

सभापति महोदय : एक घोषणा है। इससे पहले कि सभा कार्य सूची की अगले मद पर चर्चा शुरू करे, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित मदों पर एक साथ चर्चा की जाए :—

(एक) बजट (रेल) 1992-93 पर सामान्य चर्चा;

(दो) रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा;

(तीन) अनुदानों की मांगें (रेल) 1992-93 पर चर्चा और मतदान; और

(चार) अनुपूरक अनुदान की मांगों (रेल) 1992-93 पर चर्चा और मतदान।

कार्य मन्त्रणा समिति ने इन सभी मदों के लिए 10 घण्टे का समय संस्तुत किया है।

जो सदस्य गुरुवार, 13 मार्च 1992 को सभा में उपस्थित होंगे, वे ही सभा द्वारा इन मदों पर आगे चर्चा प्रारम्भ किए जाने से पूर्व इन कटौती प्रस्तावों को रखेंगे।

मैं आशा करता हूं कि सभा इससे सहमत होगी (व्यवधान)

जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव के नोटिस देना चाहते हैं, वे 12 मार्च, 1992 12 म० प० तक नोटिस दे दें। उस समय तक प्राप्त कटौती प्रस्तावों को ही परिचालित किया जाएगा।

(व्यवधान)

मैं समझता हूं कि सभा की इसमें सम्मति है।

सभापति महोदय : इसके साथ एक संकल्प है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : समय अपर्याप्त है। आपने कहा है कि सभा इससे सहमत है। लेकिन मेरा विचार है कि समय अपर्याप्त है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कम से कम 12 घन्टे का समय होना चाहिए।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभा को दिए गए सुझावों पर सहमत होना है। अब कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय नियत किया गया है। उसे मानना होगा। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उसे शामिल न करें। यह सभा की स्वीकृति के बारे में है।

सभापति महोदय : यह निर्णय कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा किया गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम लगातार स्थगन अथवा बढ़ाने की बात नहीं कर सकते (व्यवधान)

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : आप इससे असहमत नहीं हो सकते। कार्य मन्त्रणा समिति ने इसका फैसला किया है।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : आज प्रथा यह है कि हम हमेशा कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा दिए गए समय से आगे बढ़ जाते हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, यदि मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा तो मैं नहीं समझता कि अब 10 घंटे के समय की बात है। कल जब कार्य मन्त्रणा समिति की

रिपोर्ट स्वीकृति के लिए आएगी, तब आप उस समय अपना मुद्दा उठा सकते हैं। मेरे विचार से उस समय भी कोई समस्या नहीं होगी। 10 घण्टे की कोई सीमा नहीं है। (व्यवधान)

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प का प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और रेल वित्त तथा सामान्य वित्त से सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए नियुक्त की गई रेल अभिसमय समिति, 1991 के पहले प्रतिवेदन, जो 24 फरवरी, 1992 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, में अन्तर्विष्ट पैरा 12, 13, 16, 19 और 22 में की गयी सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

महोदय, लोक सभा में 16 सितम्बर, 1991 को स्वीकृत किए गए और राज्य सभा द्वारा उसी दिन सहमति दिए गए संकल्प द्वारा रेल अभिसमय समिति, 1991 का 25 नवम्बर, 1991 को गठन किया गया था। समिति रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय-लाभांश की वर्तमान दर और रेल वित्त तथा सामान्य वित्त से सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए और उस पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सिफारिशें करने के लिए नियुक्त की गयी थी।

रेल मन्त्रालय ने एक अन्तरिम ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें समिति से यह अनुरोध किया गया कि उसे वर्ष 1992-93 के लिए रेलवे और सामान्य वित्त के बीच अधिकांशत: उसी आधार पर, जो वर्ष 1991-92 के लिए स्वीकृत किया गया था और उसी ढंग से, जो रेल अभिसमय समिति ने अपने तीसरे प्रतिवेदन में आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपनी अन्तिम सिफारिश को लम्बित रखते हुए, सिफारिश की थी जिसके लिए समिति को ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा, वित्तीय व्यवस्था जारी रखने की अनुमति दी जाए। रेल अभिसमय समिति ने 1991 में अन्तरिम ज्ञापन पर विचार किया है और रेल मन्त्रालय द्वारा उसमें किए गए प्रस्तावों पर अधिकांशत: एक अन्तरिम उपाय के रूप में सहमति दे दी है। एक विशेषज्ञ समिति द्वारा रेलवे की परिसम्पत्तियों के मूल्य का पुनर्मूल्यांकन करने के बारे में उक्त प्रतिवेदन के पैरा 16 में अन्तर्विष्ट समिति की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं सभा के विचारार्थ संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, आपने अभी ऐसा बताया कि न केवल ये दो आटम्स पर, यानी जनरल डिसकशन आन दी बजट और रेजोल्यूशन के अलावा आपने कहा कि जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स हैं और जो एप्रोप्रिएशन बिल है, इन सबके ऊपर एक साथ बहस होगी, तो ये दोनों आटम्स आज के अजेंडा पर नहीं है और न ही आपने कोई सप्लीमेंटरी अजेंडा सरकुलेट किया। (व्यवधान)

सभापति महोदय : इसलिए रेलवे बजट पर बहस शुरू करेंगे।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अभी आपने कहा कि चारों पर एक साथ बहस होगी, यह कैसे हो सकता है, क्या हाउस को हम लोगों ने यहां पर मजाक समझ रखा है। इसके कोई नियम हैं यह कोई पंचायत समिति थोड़े ही है, यह देश का संसद है। आपको सप्लीमेंटरी अजेंडा सरकुलेट करना चाहिए था और वह आपकी इजाजत से यहां पर स्वीकृत हो सकता था, आपकी इजाजत के बिना नहीं हो सकता था, लेकिन इतना भी आपने नहीं किया है तो कैसे बहस हो सकती है। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कार्यसूची में बजट पर केवल सामान्य चर्चा की बात है।

(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अब आपने फैसला किया है कि चारो मदो पर चर्चा होगी। यह कैसे संभव है ? (**व्यवधान**) आपको सभा स्थगित करनी है। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप मेरी बात को समझिए। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप अपनी बात पूरी करिए फिर मैं रूलिंग देता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, रूलिंग का सवाल नहीं है। (**व्यवधान**) आपने जब हम लोगों की राय ली, सदन की राय हो गई कि चारों प्रश्न एक साथ लिए जाएंगे लेकिन दूसरे प्रश्न हमारे सामने कहां हैं। (**व्यवधान**)

श्री पी० एम० सईद : सभापति जी, आपकी तरफ से ही नही, सब के सामने यह पेश किया, मगर यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो डिसकशन था वह आपने सभा के सामने रखा, मेरे ख्याल में यही है न, अगर वे आर्डर पेपर होता तो यह नौबत न आती। (**व्यवधान**) सभा ने उसको स्वीकार भी किया है उसके बाद मेरे दोस्त के लिए इसके बारे मे आब्जेक्शन उठाना, मेरे ख्याल मे ठीक नही है। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री बसुदेव आचार्य : यह कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा लिया गया निर्णय है लेकिन कार्यसूची को परिचालित किया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि पिछले तीन दिनों के दौरान हमे कीटनाशी दवाओं सम्बन्धी विधेयक के बारे में बरती गई लापरवाही के बारे में पहले और अब यहा पता लगा है।

इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने मे और इसके उद्देश्यों को व्यक्त करने मे भी सरकार द्वारा लापरवाही बरती गई है। सभा को इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए कि इसमें से प्रत्येक मामले पर उन्होंने सभा का ध्यान खींचा है। पिछले तीन दिनों में यह तीसरा मौका है जब हमने इस

सभा के प्रति और देश के प्रति सरकार के लापरवाहीपूर्वक रवैये का दर्शन किया है। अतः महोदय अ आप को सभा स्थगित करनी चाहिए तथा उन्हें चाहिए कि वे संशोधित सूची को कल भेज दें। हम इ पर उसके बाद ही विचार करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों का काफी आदर करत हूं। (व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद : सत्तापक्ष के सदस्यों के बारे में क्या ख्याल है ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हां, सत्ता पक्ष के सदस्यों का भी मैं आदर करता हूं यदि उन्होंने वही गलती की है।

जब सभापति महोदय कोई घोषणा करें तो उन्हें सुनना चाहिए कि वे क्या कह रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले सभापति महोदय ने स्पष्ट घोषणा की थी कि एक साथ चार विषयों पर चर्चा होगी। वर्ष 1992-93 के रेलवे बजट पर आम चर्चा, रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों से सम्बन्धित संकल्प पर चर्चा, वर्ष 1992-93 के लिए रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान और 1991-92 के लिए अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान। कार्य मन्त्रणा समिति ने यह कहा है कि इन पर एक साथ चर्चा होनी चाहिए। अब मुद्दा यह है कि आपने भी हां कहने के बाद इसके लिए दस घण्टे के समय पर आपत्ति की है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : जब सभापति ने घोषणा कर दी तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास हां कहने के सिवाय चारा ही क्या है। हम तो आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : जब सभापति ने सभा का मत जानना चाहा था तो आपने ह कहा था। अब आप मुकर नहीं सकते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सभा ने पहले ही इन चारों प एक साथ चर्चा करनी स्वीकार की है। आपने कहा था कि आपको मंजूर है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : शेष दो विषय कहां हैं।

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनें।

श्री वासुदेव आचार्य : कार्यसूची कहां है ? कृपया उसे परिचालित करवायें।

सभापति महोदय : मैं आपको सब बताऊंगा। जब सभापति बोल रहे हों तब आप कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : चर्चा के लिए तो हम तैयार हैं पर अन्य दो विषय कहां हैं ?

सभापति महोदय : मैं आपको बतलाऊंगा । आप कृपया बैठें तो ।

(व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, क्या हम कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिशों को कार्यसूची मान सकते हैं (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए । मुद्दा बहुत साधारण है । हम सभी ने पीठासीन अधिकारी द्वारा अभी की गई घोषणा से अपनी सहमति जताई है । उसमें मैंने चार विषयों को पढ़ा है । उनमें से एक वह संकल्प है जिसे रेलवे मन्त्री ने अभी पढ़ा है और यह कार्यसूची में भी शामिल है । अतः उन चार विषयों पर हम अब चर्चा शुरू कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, आप चर्चा शुरू नहीं कर सकते हैं । आप चर्चा कैसे शुरू कर सकते हैं जबकि आपने अपनी कार्यसूची में इसे शामिल नहीं किया है । (**व्यवधान**)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आपने अभी खुद हां कहा था । दो-दो मिनटों के बाद आप अपनी बात से नहीं मुकर सकते हैं । (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : सभापति बोल रहे हों तो आपको बैठ जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाये ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : कृपया हमें बोलने दें ।

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीटों पर बैठ जायें । मन्त्री महोदय एक सलाह देना चाहते हैं ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, वर्तमान हालात को सुलझाने के लिए मैं एक सलाह देना चाहता हूं । मेरा निवेदन यह है कि अभी सिर्फ एक मिनट बचा है और वे कह रहे हैं कि यह कार्यसूची में शामिल नहीं है···(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमें यह पता नहीं था कि आप सभी चारों विषयों पर चर्चा करवाने जा रहे हैं । हमारे पास संशोधित कार्यसूची नहीं है (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी सीटों पर बैठ जायें । श्री फर्नान्डीज कृपया आप बैठ जायें । जो भी आपत्तियां उठाई गई हैं, मैं उन्हें अस्वीकृत करता हूं । अब श्री काशीराम राणा बोलेंगे ।

6.00 म० प०

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इसका विरोध करता हूं । इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

सभापति महोदय : श्री राणा कृपया अपना भाषण शुरू करें ।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सभापति महोदय, अब चूंकि 6 बज ही गए हैं, तो क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं कि कल हम इन विषयों को अपनी कार्यसूची में शामिल कर लेंगे और हम इन सभी विषयों पर एक साथ चर्चा करेंगे । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जायें । अब 6 बज ही चुके हैं । अब सभा कल 11 म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 12 मार्च, 1992/22 फाल्गुन, 1913 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

———

मुद्रक : दि इण्डियन प्रैस, देहली ।